Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसंबर भाग-2

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 4

- प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन' योजना 4
- भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास 5
- उपभोक्ता मामलों के विभाग की वर्षांत-समीक्षा 2022 5
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन 7
- समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 8
- सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन 10
- जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 11
- पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022 12
- शराब पर प्रतिबंध 13
- सुशासन दिवस 14
- AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स रिपोर्ट 16
- असम NRC पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट 19
- पेयजल और स्वच्छता विभाग की वर्षांत समीक्षा 2022 20
- खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2022 22
- वर्षांत समीक्षा-2022: CSIR 24
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 27
- सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध 28
- DST की वर्षांत समीक्षा 30
- RTI जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड 33
- भीड़ प्रबंधन 35
- निशुल्क खाद्यान्न योजना 36

भारतीय राजनीति 37

- न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना 37
- न्यायालय अवकाश 38
- केरल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 39
- विनियोग विधेयक 40
- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद 41

भारतीय अर्थव्यवस्था 44

- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 44
- वैश्विक न्यूनतम कर 45
- भारत की तेल निर्भरता 47
- अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट: आरबीआई 48
- समर्थ योजना 49
- पर्स सीन फिशिंग 50
- मंदी और यील्ड वक्र 51
- भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023 52
- भारत के स्टार्टअप में वृद्धि 54

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 56

- विजय दिवस और भारत-बांग्लादेश संबंध 56
- भारत की विदेश नीति 57
- भारत-नेपाल संबंध 59
- यूक्रेन शांति सूत्र 62
- भारत-आर्मेनिया संबंध 63

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 65

- बेस एडिटिंग 65
- भारत के निर्यात में कमी 66
- संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण 68
- कैंसर रोधी mRNA वैक्सीन 69
- डीपफेक टेक्नोलॉजी 71
- राष्ट्रीय गणित दिवस 72
- उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि 73

नोट :

- परमाणु ऊर्जा पर जापान की नई नीति 74
- GM सरसों 76

जैव विविधता और पर्यावरण 78

- मीथेन उत्सर्जन 78
- वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 79
- ब्लैक कार्बन 80
- कार्बन बाज़ार 82
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क 84

सामाजिक न्याय 88

- नशीली दवाओं का खतरा 88
- भारत में एसिड अटैक पर कानून 89
- अंगदान में वृद्धि 90
- विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ 91

आंतरिक सुरक्षा 93

- पूर्वोत्तर भारत में शांति 93

एथिक्स 95

- डार्क पैटर्न 95
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस 96

भारतीय समाज 98

- भारत और इसकी आबादी 98
- अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण 99
- भारत में वैवाहिक बलात्कार 101
- आरक्षण में वोक्कालिगा, लिंगायतों की हिस्सेदारी 103

प्रिलिम्स फैक्ट्स 105

- भगवान नटराज 105
- अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल 105
- सूर्य किरण XVI 106
- काज़िंद- 2022 107
- वाटर वर्ल्ड 107
- इक्की जथरे 108
- केरल के पाँच कृषि उत्पादों को जीआई दर्जा 108
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 109
- दिशा योजना 110
- फीफा विश्व कप कतर 2022 110
- पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह 113
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 113
- ताल छापर अभयारण्य 114
- ज़िला खनिज फाउंडेशन योजना 115
- आईएनएस वागीर 116
- आयुर्स्वास्थ्य योजना 117
- समुद्रयान मिशन 119
- कोरोनावायरस का BF.7 वेरिएंट 121
- iDEX और डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज 121
- डोकरा धातु शिल्प 122
- सर्वाइकल/ग्रीवा कैंसर के लिये HPV टीका 123
- सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 124
- रूस-चीन संयुक्त नौसेना अभ्यास 125
- सैंड बैटरी 125
- इंकोवैक, इंट्रानेज़ल कोविड-19 वैक्सीन 126
- बेनिन ब्रॉन्ज़ 127
- क्रायोमेश और फ्रोज़न प्रवाल /कोरल 129
- बम चक्रवात 131
- वीर बाल दिवस 131
- ट्रेडमार्क 132
- ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता 133
- प्रलय मिसाइल 133
- प्रसाद योजना 134
- सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 136
- जीएनपीए अनुपात 137
- प्रहरी एप 139
- तितलियों का अनुकूलन और उद्विकास प्रक्रियाएँ 140
- पंडित मदन मोहन मालवीय 141
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 142

रैपिड फायर 143

नोट :

शासन व्यवस्था

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन' योजना

चर्चा में क्यों?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम (Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram- PMKKK) को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (PM VIKAS) योजना के रूप में नया नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्त्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
  - यह एक एकीकृत योजना है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है:
    - **सीखो और कमाओ:**
    - यह अल्पसंख्यकों के लिये प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाज़ार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है।
    - **'उस्ताद' (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना :** इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है।
    - **हमारी धरोहर:** यह भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिये तैयार किया गया है।
    - **नई रोशनी:** यह 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिये एक नेतृत्त्व विकास कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।
    - **नई मंजिल:** इस योजना का उद्देश्य 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है।
    - इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिये कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- **घटक:**
  - कौशल और प्रशिक्षण
  - नेतृत्त्व और उद्यमिता
  - शिक्षा
  - बुनियादी ढाँचे का विकास
- **उद्देश्य:**
  - पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।
  - ये घटक योजना के उद्देश्य हेतु एक-दूसरे के पूरक हैं ताकि लाभार्थियों की आय में वृद्धि की जा सके और क्रेडिट तथा बाज़ार लिंकेज की सुविधा प्रदान की जा सके।

अल्पसंख्यक से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:**
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसी सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
- **बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति:**
  - छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा।
- **गरीब नवाज रोज़गार योजना:**
  - अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल आधारित रोज़गार के लिये सक्षम बनाने हेतु अल्पावधि रोज़गार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये इस योजना को शुरू किया गया था।
- **हुनर हाट:**
  - यह कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों की कला को विकसित कर उन्हें बाज़ार एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया।

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 या अगली समीक्षा तक 'भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (Indian Footwear and Leather Development Programme- IFLDP)' योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी है।

- IFLDP को पूर्ववर्ती IFLADP (भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम) की निरंतरता के रूप में अनुमोदित किया गया था

भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (IFLDP):

- **परिचय:**
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र की विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोज़गार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।
  - इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था।
- **उप-योजनाएँ:**
  - सतत् प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्द्धन (STEP)
  - चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (IDLS)
  - मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज़ क्लस्टर डेवलपमेंट (MLFACD)
  - संस्थागत सुविधाओं की स्थापना (EIF)
  - फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का ब्रांड प्रचार
  - फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में डिज़ाइन स्टूडियो का विका

तत्कालीन IFLDP का प्रभाव:

- यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन, कौशल विकास, अच्छे काम, उद्योग को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाने और एक स्थायी उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु लक्षित है।
- देश भर में फैले चमड़े के उत्पादन से संबंधित क्षेत्रों ने सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान देकर लैंगिक समानता, गरीबी में कमी, क्षेत्र-विशिष्ट कौशल/शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित किया है।
- अन्य राष्ट्रीय विकास योजनाएँ (NDPs) जैसे कि आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी अवसंरचना विकास, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा तथा अन्य पर्यावरणीय लाभ IFLAD कार्यक्रम के माध्यम से अच्छी तरह से प्रदान किये जाते हैं।

भारत के चमड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- भारत में चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी वैश्विक चमड़ा उत्पादन का लगभग 13% है और यहाँ लगभग 3 बिलियन वर्ग फीट चमड़े का वार्षिक उत्पादन होता है।
- यह उद्योग उच्च निर्यात आय में अपनी निरंतरता के लिये जाना जाता है और यह देश के लिये शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक है।
- भारत में चमड़े संबंधी कच्चे माल की प्रचुरता है और इसका कारण है कि भारत में विश्व के 20% मवेशी और भैंस तथा 11% बकरी और भेड़ की आबादी है।
- चमड़ा उद्योग एक रोज़गार सघन उद्योग है जो 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश समाज के कमज़ोर वर्गों से हैं।
  - लगभग 30% हिस्सेदारी के साथ चमड़ा उत्पाद उद्योग में महिला रोज़गार प्रमुख है।
  - भारत के चमड़ा उद्योग में 35 वर्ष से कम आयु के 55% कार्यबल के साथ सबसे कम उम्र का कार्यबल है।
- वर्ष 2022 तक भारत दुनिया में जूते और चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़े की वस्तु एवं एक्सेसरीज़ का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है।
- भारत में चमड़े और जूते के उत्पादों के प्रमुख उत्पादन केंद्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित हैं।
- भारतीय चमड़ा और फुटवियर उत्पादों के प्रमुख बाज़ार अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्राँस, स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, हॉन्गकॉन्ग, बेल्जियम और पोलैंड हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है तथा अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान देश के कुल चमड़े के निर्यात का 25.19% का निर्यात किया गया

उपभोक्ता मामलों के विभाग की वर्षांत-समीक्षा 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग की वर्षांत-समीक्षा, 2022 जारी की गई है।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **मूल्य निगरानी तंत्र को मज़बूत करने की योजना:**
  - मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश भर में फैले 179

नोट :

बाज़ार केंद्रों से एकत्र किये गए आँकड़ों के आधार पर चावल, गेहूँ, आटा, चना और दाल आदि सहित 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों की निगरानी करता है।

- वर्ष के दौरान 57 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र जोड़े गए थे। मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या 1 जनवरी, 2021 के 122 से बढ़कर दिसंबर 2022 तक 179 हो गई।

- **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):**
  - PSF कृषि बागवानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिये कार्यशील पूंजी एवं अन्य आकस्मिक खर्च प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - वर्ष 2022 के दौरान 12.83 लाख मीट्रिक टन (LMT) दालों को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DACFW) से PSF उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) / PSF को खरीद / आयात में स्थानांतरित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:**
  - वर्ष 2022 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दालों के वितरण के लिये पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस के माध्यम से अंतर्राज्यीय गतिविधि एवं हैंडलिंग, उचित मूल्य दुकान डीलर के मार्जिन तथा अतिरिक्त मार्जिन वितरण पर खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 35.59 करोड़ रुपए जारी किये गए।
- **उपभोक्ता जागरूकता:**
  - DoCA का नया शुभंकर "जागृति" लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य "जागो ग्राहक जागो" नामक अभियान को मज़बूत करना था ताकि सभी उपभोक्ताओं में जागरूकता संबंधी विचार को सुदृढ़ किया जा सके।
- **भारतीय मानक ब्यूरो:**
  - BIS अधिनियम 2016 12 अक्तूबर, 2017 से प्रभाव में आया, इसके बाद गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया।
    - 25 नवंबर, 2022 तक लागू मानकों की कुल संख्या 21,833 है।
  - BIS (भारत) अक्तूबर 2020 से अक्तूबर 2023 तक तीन साल के कार्यकाल के लिये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (SARSO) तकनीकी प्रबंधन बोर्ड और अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड (BCA) की अध्यक्षता कर रहा है।
  - **प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन:**
    - BIS 20 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाओं का संचालन करता है, वर्ष 2021-22 में दो और नई योजनाओं अर्थात् व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को प्रमाणन निकायों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) द्वारा मान्यता दी गई है।
- **उपभोक्ता संरक्षण:**
  - **विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस:**
    - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया।
    - इस आयोजन का विषय "फेयर डिजिटल फाइनेंस" था।
  - **राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा:**
    - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
    - DoCA ने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से लंबित उपभोक्ता मामलों का निपटान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करने को कहा।
    - इसके परिणामस्वरूप देश भर में लोक अदालत के माध्यम से 12 दिसंबर, 2022 को एक ही दिन में 5,930 मामलों का निपटारा किया गया।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:**
    - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिये अनुमोदन, 2022 हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित किये गए थे।
    - **ई फाइलिंग:**
    - "edaakhil.nic.in" नाम से एक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है, जो उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर से या कहीं से भी अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है।
    - **गलत समीक्षाएँ:**
    - BIS ने भारतीय मानक (IS) 19000: 2022 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा- उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिये सिद्धांत और आवश्यकताएँ' शीर्षक से रूपरेखा शुरू की।
    - ये मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएँ प्रकाशित करता है।
    - ये मानक संगठनात्मक दायित्वों को निर्दिष्ट करकरते हैं जैसे कि अभ्यास की एक संहिता का मसौदा तैयार करना और नियमों एवं शर्तों हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे- पहुँच, मानदंड, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सामग्री में अन्य बातों के अलावा वित्तीय जानकारी शामिल नहीं है।

- **विधिक माप पद्धति (Legal Metrology):**
  - **नियमों में संशोधन:**
    - विधिक माप पद्धति (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 में संशोधन किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योगों को एक वर्ष की अवधि के लिये क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाएँ करने की अनुमति दी जा सके, यदि पैकेज में प्रदर्शित नहीं किया गया हो।
    - लाइसेंस का उद्देश्य इस डिजिटल युग में क्यूआर कोड के माध्यम से आवश्यक घोषणा करने के लिये प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की अनुमति देना है, जिसे घोषणाओं को प्रदर्शित करने हेतु स्कैन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषणा की है कि 50 लाख से अधिक किसानों को रोज़गार दिया जाएगा।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के तहत गाय/भैंस/सुअर/मुर्गी/बकरी प्रजनन फार्मों और साइलेज बनाने वाली इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करने की योजना है, जिसमें से 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund- AHIDF) योजना के तहत लोन राशि पर 3 फीसदी ब्याज़ सबवेंशन भी लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन:

- **परिचय:**
  - यह दिसंबर 2014 से देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिये लागू किया जा रहा है।
  - यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है।
- **नोडल मंत्रालय:**
  - मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- **उद्देश्य:**
  - उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गोवंश की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाना।
  - प्रजनन उद्देश्यों के लिये उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले साँडों के उपयोग का प्रचार करना।
  - प्रजनन नेटवर्क को मज़बूत करने और किसानों तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना।
  - वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी और भैंस पालन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना।
- **महत्त्व:**
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा कार्यक्रम का लाभ विशेष रूप से भारत के सभी छोटे और सीमांत किसानों के मवेशियों एवं भैंसों तक पहुँचेगा।
  - यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभान्वित करेगा क्योंकि पशुधन खेती में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- **घटक:**
  - उच्च आनुवंशिक मेरिट जर्मप्लाज़्म (Merit Germplasm) की उपलब्धता
  - कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार
  - स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण
  - कौशल विकास
  - किसान जागरूकता
  - गो-जातीय प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार
- **क्रियान्वयन एजेंसी:**
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन को "राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए अर्थात् पशुधन विकास बोर्ड)" के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
- **महत्त्वपूर्ण पहलें:**
  - **गोपाल रत्न पुरस्कार:**
    - यह सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी नस्ल के समूह को बनाए रखने तथा सर्वोत्तम प्रबंधन के लिये किसानों को प्रदान किया जाता है।
  - **कामधेनु पुरस्कार:**
    - संस्थान/ट्रस्ट/एनजीओ/गौशालाओं या सर्वश्रेष्ठ-प्रबंधित ब्रीडर्स सोसायटियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ-प्रबंधित स्वदेशी समूह के लिये प्रदान किया जाता है।
  - **गोकुल ग्राम:**
    - RGM ने स्वदेशी नस्लों को विकसित करने हेतु एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों, 'गोकुल ग्राम' की स्थापना की परिकल्पना की है, जिसमें 40% तक नस्लें (किसी विशेष वर्ग या प्रकार से संबंधित या दिखाई देने वाली) शामिल हैं:
    - वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी पशु पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

नोट :

- स्वदेशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वंश बढ़ाना।
- आधुनिक कृषि प्रबंधन पद्धतियों का अनुकूलन करना तथा सामान्य संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- पशु अपशिष्ट का किफायती तरीके से उपयोग करना जैसे- गाय का गोबर, गोमूत्र।
- हाल ही में 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना के लिये धनराशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (NKBC):
- इसे समग्र और वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

ई-पशु हाट:
- यह एक वेब पोर्टल है, यह पालतू मवेशियों, गोजातीय पशुओं के व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो देश में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं था।

नकुल प्रजनन बाज़ार:
- यह गुणवत्तापूर्ण-रोग मुक्त गोजातीय जर्मप्लाज़्म के लिये प्रजनकों और किसानों को जोड़ने वाला एक ई-मार्केट पोर्टल है।

पशु संजीवनी:
- यह एक पशु कल्याण कार्यक्रम है जिसमें विशिष्ट पहचान और राष्ट्रीय डेटाबेस पर डेटा अपलोड करने के साथ पशु स्वास्थ्य कार्ड ('नकुल स्वास्थ्य पत्र') का प्रावधान शामिल है।

सहायक प्रजनन तकनीक (ART):
- सहायक प्रजनन तकनीक- IVF/मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर (MOET) और सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक है, इससे रोग मुक्त मादा गोवंश की उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है।

स्वदेशी नस्लों के लिये राष्ट्रीय गोजातीय जीनोमिक केंद्र (NBGC-IB):
- यह अत्यधिक सटीक जीन-आधारित तकनीक का उपयोग करके कम उम्र में उच्च आनुवंशिक योग्यता के प्रजनन साँडों के चयन के लिये स्थापित किया जाएगा।

AHIDF योजना:
- व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15000 करोड़ रुपए का AHIDF स्थापित किया गया है:
  - डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन अवसंरचना,
  - मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन अवसंरचना और
  - पशु चारा संयंत्र।

समुद्री डकैती विरोधी विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने समुद्री डकैती विरोधी विधेयक पारित किया, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि यह समुद्री डकैती से निपटने के लिये एक प्रभावी कानूनी साधन प्रदान करेगा।

- परिवहन के समुद्री मार्गों की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है और देश की हाइड्रोकार्बन आवश्यकताओं का 80% से अधिक की पूर्ति समुद्र से होती है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - विधेयक समुद्री डकैती की रोकथाम और ऐसे समुद्री डकैती से संबंधित अपराधों के लिये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है।
    - यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से सटे और उससे परे समुद्र (यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे) के सभी हिस्सों पर लागू होगा।
  - यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) को कानून बनाता है।
- **डकैती:**
  - यह समुद्री डकैती को एक निजी जहाज़ या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्यों के लिये किसी जहाज़, विमान, व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ की गई हिंसा, हिरासत या विनाश के किसी भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। इस तरह के कृत्यों को उच्च समुद्र (भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे) या भारत के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।
    - उकसाना या जान-बूझकर इस तरह के कृत्यों को सुविधाजनक बनाना भी डकैती के रूप में माना जाएगा।
    - इसमें अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती माना जाता है।

- डकैती में समुद्री डकैती जहाज़ या विमान के संचालन में स्वैच्छिक भागीदारी भी शामिल है।
- **दंड:**
  - **पायरेसी का कृत्य दंडनीय होगा:**
    - आजीवन कारावास; या
    - मृत्युदंड, अगर समुद्री डकैती मृत्यु का कारण बनती है या ऐसा कोई प्रयास किया जाता है।
  - समुद्री डकैती का कृत्य करने, सहायता, समर्थन या सलाह देने का प्रयास करने पर 14 साल तक की कैद और ज़ुर्माना हो सकता है।
  - जलदस्युता के कार्य में भाग लेना, आयोजन करना या दूसरों को भाग लेने के लिये निर्देशित करना भी 14 वर्ष तक के कारावास और ज़ुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
  - अपराधों को प्रत्यर्पित करने योग्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि अभियुक्त को अभियोजन के लिये किसी भी उस देश में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - ऐसी संधियों के अभाव में देशों के बीच पारस्परिकता के आधार पर अपराध प्रत्यर्पण योग्य होंगे।
- **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:**
  - केंद्र सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सत्र न्यायालयों को इस विधेयक के तहत नामित न्यायालयों के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
  - **मनोनीत न्यायालय निम्नलिखित द्वारा किये गए अपराधों की सुनवाई करेगा:**
    - भारतीय नौसेना या तट रक्षक की हिरासत में एक व्यक्ति, उसकी राष्ट्रीयता की परवाह किये बिना।
    - भारत का नागरिक, भारत में एक निवासी विदेशी नागरिक या राज्यविहीन व्यक्ति।
  - किसी विदेशी जहाज़ पर किये गए अपराधों पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं किया जाता है:
    - जहाज़ की उत्पत्ति का देश।
    - जहाज़ का मालिक।
    - जहाज़ पर कोई अन्य व्यक्ति।
  - गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये नियोजित युद्धपोत और सरकारी स्वामित्व वाले जहाज़ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे।

विधेयक की प्रमुख चुनौतियाँ:

- विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति समुद्री डकैती का कार्य करते समय मृत्यु का कारण बनता है, तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा।
  - इसका तात्पर्य ऐसे अपराधों के लिये अनिवार्य रूप से मृत्युदंड से है।
  - सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि किसी भी अपराध के लिये अनिवार्य मृत्युदंड असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
    - हालाँकि संसद ने कुछ अपराधों के लिये अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाले कानून पारित किये हैं। उदाहरणत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
  - यदि कोई व्यक्ति समुद्री डकैती के कार्य में शामिल होता है तो इस विधेयक में 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। समुद्री डकैती (जिसमें समुद्री लुटेरे जहाज़ या विमान के संचालन में स्वेच्छा से भाग लेना शामिल है) आजीवन कारावास के रूप में दंडनीय है।
    - कभी-कभी परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मामलों में सज़ा कैसे निर्धारित की जाएगी।
- यह अधिनियम भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) की सीमाओं से सटे और उससे आगे के समुद्र के सभी हिस्सों पर लागू होगा, यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील से आगे तक के क्षेत्र में।
  - सवाल यह है कि क्या विधेयक में EEZ को भी शामिल किया जाना चाहिये, जो कि 12 समुद्री मील और 200 समुद्री मील (भारत के समुद्र तट से) के बीच का क्षेत्र है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

- UNCLOS, 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री गतिविधियों के संबंध में कानूनी रूपरेखा स्थापित करता है।
- इसे लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है- आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्र।
- यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो समुद्री क्षेत्रों में राज्य के अधिकार क्षेत्र के लिये एक रूपरेखा निर्धारित करता है। यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी दर्जा प्रदान करता है।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेविगेट करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लिये मज़बूती प्रदान करता है।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों का ज़ोन है बल्कि पाँच संकेंद्रित क्षेत्रों में देशों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के लिये विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- वर्ष 1995 में भारत ने UNCLOS की पुष्टि की।

नोट :

सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विपक्ष की मांगों का जवाब देते हुए लोकसभा ने बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है।

- इस विधेयक का उद्देश्य 20 साल पहले लागू किये गए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में आमूल-चूल परिवर्तन करना है।

सहकारी समिति:

- **परिचय:**
  - सहकारी समितियाँ बाज़ार में सामूहिक सौदेबाज़ी की शक्ति का उपयोग करने के लिये लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर पर बनाई गई संस्थाएँ हैं।
    - इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएँ हो सकती हैं, जैसे कि एक सामान्य लाभ प्राप्त करने के लिये सामान्य संसाधन या साझा पूंजी का उपयोग करना, जो अन्यथा किसी व्यक्तिगत निर्माता के लिये प्राप्त करना मुश्किल होगा।
  - कृषि में सहकारी डेयरी, चीनी मिलें, कताई मिलें आदि उन किसानों के एकत्रित संसाधनों (Pooled Resources) से बनाई जाती हैं जो अपनी उपज को संसाधित करना चाहते हैं।
    - अमूल भारत में सबसे प्रसिद्ध सहकारी समिति है।
- **क्षेत्राधिकार:**
  - सहकारिता, संविधान के तहत एक राज्य का विषय है जिसका अर्थ है कि वे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन कई समितियाँ हैं जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
    - उदाहरण के लिये कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित अधिकांश चीनी मिलें दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।
  - बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 के तहत एक से अधिक राज्यों की सहकारी समितियाँ पंजीकृत हैं।
    - इनके निदेशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे कार्य करते हैं।
    - इन समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास है एवं कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता है।

संशोधन की आवश्यकता:

- वर्ष 2002 से सहकारिता के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उस समय सहकारिता कृषि मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। हालाँकि जुलाई 2021 में सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।
- भाग IXB को 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है।
  - **97वें संशोधन के तहत:**
    - सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19 (1) के रूप में शामिल किया गया।
    - सहकारी समितियों का प्रचार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 43-बी) के रूप में किया गया था।
- इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के विकास ने भी अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता जताई, ताकि बहु-राज्य सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को मज़बूत किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन:

- **सहकारी समितियों का विलय:**
  - यह विधेयक किसी भी सहकारी समिति के मौजूदा MSCS में विलय के लिये उपस्थित सदस्यों के बहुमत (कम-से-कम दो-तिहाई) द्वारा पारित एक प्रस्ताव और ऐसी समिति की आम बैठक में मतदान करने का प्रावधान करता है।
  - वर्तमान में केवल MSCS ही स्वयं को समामेलित कर सकता है और एक नया MSCS बना सकता है।
- **सहकारी चुनाव प्राधिकरण:**
  - यह विधेयक सहकारी क्षेत्र में "चुनावी सुधार" की दृष्टि से एक "सहकारी चुनाव प्राधिकरण" स्थापित करने का प्रावधान करता है।
  - प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकतम 3 अन्य सदस्य होंगे।
    - सभी सदस्य 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) पद पर बने रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।
- **कठोर दंड:**
  - विधेयक कुछ अपराधों के लिये जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रयास करता है।
  - यदि निदेशक मंडल या अधिकारियों को ऐसी सोसायटी से संबंधित मामलों का लेन-देन करते समय कोई गैरकानूनी लाभ प्राप्त होता है, तो वे दंड के पात्र होंगे तथा उन्हें कम-से-कम एक

महीने का कारावास हो सकता है जो एक वर्ष तक या जुर्माने के साथ बढ़ाया जा सकता है।

- **सहकारी लोकपाल:**
  - सरकार ने सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों की जाँच के लिये क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ एक या एक से अधिक "सहकारी लोकपाल" नियुक्त करने का प्रावधान किया है।
  - सम्मन और जाँच-पड़ताल में सहकारी लोकपाल की शक्तियां दीवानी न्यायालय के समान होंगी।
- **पुनर्वास और विकास निधि:**
  - यह विधेयक, सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण तथा विकास कोष की स्थापना तथा MSCS के पुनरुद्धार का भी प्रावधान करता है।
  - यह विधेयक "समवर्ती लेखापरीक्षा" से संबंधित एक नई धारा 70A को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव करता है, इस MSCSs, का वार्षिक कारोबार या जमा धन राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है।

प्रस्तावित विधेयक की आलोचनाएँ

- लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया है कि बिल राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने (Take Away) का प्रयास करता है।
- कुछ आपत्तियाँ इस तथ्य पर आधारित हैं कि सहकारी समितियाँ राज्य का विषय है। संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 43 यह स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं।
  - प्रविष्टि 43 में "व्यापारिक निगमों का निगमन, विनियमन और परिसमापन जिसमें बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय निगम शामिल हैं, लेकिन इसमें सहकारी समितियों को शामिल नहीं किया गया है।

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने "जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022" को अधिसूचित किया है, जिसने केंद्रशासित प्रदेश (UT) में लीज पर संपत्ति रखने के मालिकों के अधिकार को समाप्त कर दिया है और यह इन संपत्तियों को नए सिरे से ऑनलाइन आउटसोर्स करने की योजना है।

जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 2022 की मुख्य विशेषताएँ:

- नए कानूनों ने "जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 1960" को प्रतिस्थापित किया, जिसमें उदार लीज नीति थी, जैसे कि 99 वर्ष की लीज अवधि और विस्तार योग्य।
  - घाटी में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अधिकांश होटल और जम्मू एवं श्रीनगर में प्रमुख व्यावसायिक संरचनाएँ लीज की भूमि पर हैं।
- नए कानूनों में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान नियम 1960, अधिसूचित क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्र में स्थापित सभी विकास प्राधिकरण) भूमि अनुदान नियम, 2007 और इन नियमों के लागू होने से पहले या इन नियमों के तहत जारी किये गए पट्टे सहित निर्वाह या समाप्त हो चुके आवासीय पट्टों को छोड़कर अन्य कोई पट्टे नवीनीकृत व निर्धारित नहीं किये जाएंगे।
  - उपराज्यपाल प्रशासन ने इन लीज संपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिये एक नई ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने की योजना बनाई है।
- सभी जावक पट्टेदार लीज पर ली गई भूमि का कब्जा तत्काल सरकार को सौंप देंगे, ऐसा न करने पर पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के भूमि कानून प्रतिगामी थे

नियमों का विरोध:

- कुछ राजनीतिक दलों ने तर्क दिया है कि पेश किये गए नए भूमि अनुदान नियम-2022 छह से सात लाख लोगों के लिये बेरोज़गारी के दायरे को बढ़ाएगा और केवल जम्मू-कश्मीर में होटल तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खरीदने हेतु बाहर से आने वाले करोड़पतियों और पूंजीपतियों के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
  - नवीन भूमि अनुदान नियमावली-2022 द्वारा वर्तमान भू-स्वामियों का अधिकार समाप्त कर उसे बाज़ार मूल्य पर विक्रय किया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों के करोड़पतियों और अरबपतियों की तुलना में स्थानीय व्यावसायियों की क्रय शक्ति नगण्य है।
- इसके कारण बैंक ऋण वाले वर्तमान मालिकों को ऋण चुकाने के लिये अपना घर बेचने हेतु मजबूर होना पड़ेगा।
  - जम्मू-कश्मीर बैंक से लिया गया वर्तमान बैंक उधार 60,000 करोड़ रुपए है, जो 1990 के दशक के बाद से अशांत समय से बचने के लिये स्थानीय लोगों द्वारा लिये गए ऋणों का एक संकेतक है

नियमों से संबंधित प्रशासन के दावे:

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दावा किया है कि भूमि कानूनों में संशोधन से कोई भी गरीब प्रभावित नहीं होगा। बाह्य विधि का शासन यहाँ भी लागू करना होगा।
- 100 करोड़ रुपए की संपत्तियाँ थीं, जिन्हें भुगतान के रूप में 5 रुपए के लिये पट्टे पर दिया जा रहा था, ऐसे लोग ही संशोधनों से चिंतित हैं। नए नियम जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिये हैं।

नोट :

- लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में भूमि कानून प्रतिगामी थे और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए थे। विभिन्न न्यायालयों में लगभग 40% - 45% मामले केवल भूमि विवाद से संबंधित हैं।

पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022 जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- **स्वामित्त्व (SVAMITVA) योजना:**
  - **परिचय:**
    - प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SVAMITVA) योजना शुरू की गई थी।
  - **उपलब्धियाँ:**
    - दिसंबर 2022 तक करीब 2 लाख गाँवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।
    - दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पुदुचेरी, उत्तराखंड, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रोन परीक्षण किया जा रहा है।
    - हरियाणा और उत्तराखंड के सभी बसे हुए गाँवों के लिये संपत्ति कार्ड तैयार कर लिये गए हैं।
- **ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:**
  - ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिये एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग है।
  - यह पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के अधिक अंतरण को प्रेरित करके पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करता है। यह विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाता है।
- **संपत्ति की जियो-टैगिंग:**
  - मंत्रालय ने संपत्ति का आकलन करने के लिये जियो-टैग (यानी, GPS निर्देशांक) के साथ चित्रों को कैप्चर करने में सहायता हेतु मोबाइल-आधारित समाधान "एमएक्शनसॉफ्ट (mActionSoft)" बनाया है।
  - दिसंबर 2022 तक, वर्ष 2022 में पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत की गई गतिविधियों के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों की 2.05 लाख तस्वीरें अपलोड की गई हैं।
- **सिटीजन चार्टर:**
  - सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थानों (PRI) की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मंत्रालय ने "मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवा हमारे द्वार" के नारे के साथ नागरिक चार्टर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिये मंच प्रदान किया है।
  - दिसंबर 2022 तक 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना स्वीकृत सिटीजन चार्टर अपलोड किया है और नागरिकों को 952 सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 268 सेवाएँ ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
- **ऑनलाइन ऑडिट:**
  - सार्वजनिक डोमेन में पंचायत खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान करने के लिये मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों से संबंधित पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा करने हेतु "ऑडिटऑनलाइन" एप्लिकेशन की संकल्पना की थी।
  - यह न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है बल्कि किये गए ऑडिट से संबंधित डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने का भी प्रावधान करता है।
- **ग्राम ऊर्जा स्वराज:**
  - मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर अक्षय ऊर्जा को अपनाने तथा उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल शुरू की है।
  - मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रोत्साहन हेतु मई 2022 में ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया है।
- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2022-23 से 2025-26):
  - संशोधित RGSA की योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के जीवंत केन्द्रों के रूप में पुन: कल्पना पर है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य स्तरीय विभागों तथा अन्य हितधारकों के ठोस एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए ज़मीनी स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - संशोधित RGSA देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया जाएगा।
  - दिसंबर 2022 तक, 11 राज्य और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 435.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और पंचायतों के 13 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों

और अन्य हितधारकों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किये गए हैं, जिनके विवरण प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड हैं।

शराब पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार में हुई एक ज़हरीली शराब त्रासदी ने कई लोगों की जान ले ली और कई अन्य गंभीर रूप से बीमार व अंधे हो गए।

भारत में शराबबंदी की पृष्ठभूमि:

- भारत में शराबबंदी के प्रयास महात्मा गांधी की सोच से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने शराब के सेवन को बुराई से ज़्यादा एक बीमारी के रूप में देखा।
- भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधीवादी शराब बंदी के लिये प्रयास करते रहे हैं।
- इन प्रयासों के कारण संविधान में अनुच्छेद 47 को शामिल किया गया।
- भारत के कई राज्यों ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
    - उदाहरण के लिये हरियाणा ने मद्यनिषेध के कई प्रयास किये लेकिन अवैध आसवन और अवैध शराब व्यापार को नियंत्रित न कर पाने के कारण उसे इस नीति को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा, इसके परिणामस्वरूप कई मौतें भी हुईं।
- गुजरात में 1 मई, 1960 से शराबबंदी लागू है, लेकिन कालाबाज़ारी के ज़रिये शराब का कारोबार जारी है।
- बिहार में अप्रैल 2016 में लागू शराबबंदी, जो शुरुआत में सफल होती दिखी और कुछ सामाजिक लाभ भी देती दिखी।
    - हालाँकि अवैध शराब के सेवन से हुई कई मौतों के बाद यह नीति असफल होती दिख रही है।
- वर्तमान में पाँच राज्यों (बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नगालैंड और मिज़ोरम) में पूर्ण शराबबंदी और कुछ में आंशिक शराबबंदी लागू है।

शराब के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान:

- **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 47):**
    - इसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।
    - हालाँकि DPSPs कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि राज्य को ऐसी स्थितियाँ स्थापित करने की आकांक्षा रखनी चाहिये जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सकें।
    - इस प्रकार भारतीय संविधान शराब को एक अवांछनीय बुराई के रूप में देखता है जिसे राज्यों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
- **सातवीं अनुसूची:**
    - संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, शराब एक राज्य का विषय है, यानी राज्य विधानसभाओं के पास इसके बारे में कानूनों का मसौदा तैयार करने का अधिकार और ज़िम्मेदारी है, जिसमें "मादक पदार्थ शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद एवं बिक्री" शामिल है।
    - इस प्रकार शराबबंदी और निजी बिक्री के बीच पूरे स्पेक्ट्रम में आने वाले शराब के संबंध में कानून सभी राज्यों में अलग-अलग हैं।

सभी राज्यों द्वारा शराब पर प्रतिबंध न लगाए जाने का कारण:

- संविधान शराब पर प्रतिबंध को एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है फिर भी अधिकांश राज्यों के लिये शराब पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है।
- यह मुख्य रूप से इसलिये है क्योंकि शराब से प्राप्त राजस्व को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है और इसने राज्य सरकारों के राजस्व में लगातार बड़े हिस्से का योगदान दिया है।
    - उदाहरण के लिये महाराष्ट्र राज्य में शराब से प्राप्त राजस्व अप्रैल 2020 में (देश भर में कोविड लॉकडाउन के दौरान) 11,000 करोड़ रुपए का था, जबकि मार्च में यह 17,000 करोड़ रुपए था।

निषेध के फायदे और नुकसान:

- **फायदे :**
    - विभिन्न अध्ययनों ने शराब को घरेलू दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा से जोड़ने के साक्ष्य प्रदान किये हैं।
        - बिहार का मामला: महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर (प्रति 100,000 महिला आबादी) और घटना (पूर्ण संख्या) दोनों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है।
- **नुकसान:**
    - **संगठित अपराध समूहों को मज़बूत करना:**
        - निषेध एक संपन्न भूमिगत अर्थव्यवस्था के लिये अवसर प्रदान करता है जो राज्य के नियामक ढाँचे के बाहर शराब वितरित करता है।
        - यह संगठित अपराध समूहों (या माफिया) को मज़बूत करने से लेकर नकली शराब के वितरण तक की समस्याएँ उत्पन्न करता है।

- बिहार के मामले में यह देखा गया था कि शराबबंदी लागू होने के एक वर्ष बाद मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि हुई थी।
- सरकार ने शराब को और अधिक दुर्गम बना दिया फिर भी इसे पूरी तरह से प्रचलन से बाहर करना असंभव है।

समाज के गरीब वर्गों पर प्रभाव:

- मद्यनिषेध समाज के गरीब वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करता है, उच्च वर्ग अभी भी महँगी (और सुरक्षित) शराब खरीदने में सक्षम हैं।
- बिहार में इसके निषेध कानूनों के तहत दर्ज अधिकांश मामले अवैध या निम्न गुणवत्ता वाली शराब की खपत से संबंधित हैं।

न्यायपालिका पर बोझ:

- बिहार ने अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। हालाँकि इससे निश्चित रूप से शराब की खपत में कमी आई है, लेकिन संबंधित सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक लागत शराबबंदी के लाभ को सही ठहराने के लिये बहुत अधिक रही है। शराबबंदी ने न्यायिक प्रशासन को पंगु बना दिया।
- पूर्व सीजेआई एन.वी. रमना ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी जैसे निर्णयों ने न्यायालयों पर भारी बोझ डाला है। वर्ष 2021 तक न्यायालयों में शराब प्रतिबंध से संबंधित तीन लाख मामले लंबित थे।

आगे की राह

- **एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है:**
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना शराब उत्पादन और बिक्री के विनियमन को एकीकृत करने वाले सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
  - एक प्रभावी और स्थायी शराब नीति का लक्ष्य कई हितधारकों, जैसे- महिला समूहों और विक्रेताओं के बीच समन्वित कार्रवाई के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **शराब का विनियमन:**
  - विनियमन पक्ष में शराब पीकर गाड़ी चलाने और शराब के विज्ञापनों पर नियमों को कड़ा किया जा सकता है तथा अत्यधिक शराब पीने के खतरों संबंधी लेबलिंग को अनिवार्य किया जा सकता है।
    - विकसित देशों ने अत्यधिक शराब के सेवन के परिणामों को देखते हुए लोगों को शिक्षित करने हेतु व्यावहारिक परामर्श को अपनाया है। इस तरह के अभियान लोगों को उनकी जीवनशैली के बारे में शिक्षित विकल्प प्रदान करने में मदद करते हैं।

सुशासन दिवस

चर्चा में क्यों?

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसंबर) को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस (Good Governance Day) के रूप में मनाया जाता है।

सुशासन:

- **परिचय:**
  - 'शासन' निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किये जाते हैं, की प्रक्रिया है।
  - शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है जैसे कि कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय शासन।
  - सुशासन को 'विकास के लिये देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके' के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - सुशासन की अवधारणा चाणक्य के युग में भी मौजूद थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया।
  - नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन की नींव पर आधारित होता है।
- **सुशासन के 8 सिद्धांत:**
  - **भागीदारी:**
    - लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिये।
    - इसमें पुरुष एवं महिलाएँ, समाज के कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं।
    - भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है।
  - **कानून का शासन:**
    - कानूनी ढाँचे को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये, विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में।
    - 'कानून के शासन' के बिना राजनीति, मत्स्य न्याय (Matsya Nyaya) के सिद्धांत का पालन करेगी जिसका अर्थ है ताकतवर कमज़ोर पर हावी होगा।
  - **सहमति उन्मुख:**
    - सर्वसम्मति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि भले ही प्रत्येक व्यक्ति, जो वह चाहता है उसे प्राप्त न कर पाए परंतु सभी को सामान्य न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो किसी अन्य के लिये हानिकारक भी नहीं होगा।

- यह एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों पर व्यापक आम सहमति को पूरा करने के लिये अलग-अलग हितों की मध्यस्थता करता है।

- **भागीदारी और समावेशिता:**
  - सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देता है।
  - लोगों को अपना जीवन-स्तर सुधारने या उसको बनाए रखने के अवसर प्राप्त होने चाहिये।
- **प्रभावशीलता और दक्षता:**
  - प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने में सक्षम होना चाहिये जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
  - अधिकतम उत्पादन के लिये समुदाय के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये।
- **उत्तरदायित्व:**
  - सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी है और यह सरकार द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किये बगैर नहीं किया सकता है।
  - सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **पारदर्शिता:**
  - सूचनाओं की प्राप्ति आम जनता के लिये सुलभ होनी चाहिये और यह उनके समझने और निगरानी योग्य होनी चाहिये।
  - इसका अर्थ मुक्त मीडिया और उन तक सूचना की समग्र पहुँच भी है।
- **जवाबदेही:**
  - संस्थानों और प्रक्रियाओं के तहत उचित समयावधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान कि जानी चाहिये।

भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ:

- **महिला सशक्तीकरण:**
  - सरकारी संस्थानों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **भ्रष्टाचार:**
  - भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है।
- **न्याय में देरी:**
  - एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन कई कारक हैं, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस तरह के एक कारण के रूप में न्यायालयों में कर्मियों और संबंधित सामग्री की कमी है।
- **प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण:**
  - निचले स्तर की सरकारें केवल तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वे ऐसा करने के लिये सशक्त हों। यह विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों के लिये प्रासंगिक है जो वर्तमान में निधियों की अपर्याप्तता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
- **राजनीति का अपराधीकरण:**
  - राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और राजनेताओं, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिक घरानों के बीच साँठगाँठ सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।
- **अन्य चुनौतियाँ:**
  - पर्यावरण सुरक्षा, सतत् विकास और वैश्वीकरण, उदारीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ।

सुशासन में सुधार के लिये भारतीय पहल:

- **गुड गवर्नेंस इंडेक्स (GGI):**
  - GGI को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  - यह राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है।
- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना:**
  - इसका उद्देश्य "आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 'सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स' के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।"
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:**
  - यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है।
- **अन्य पहल:** नीति आयोग की स्थापना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, लोकपाल आदि।

अटल बिहारी वाजपेयी:

- अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर (अब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा) में हुआ था।
- उन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत कर दिया।
- वर्ष 1947 में वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय के समाचार पत्रों के लिये एक पत्रकार के रूप में राष्ट्रधर्म (एक हिंदी मासिक),

नोट :

पांचजन्य (एक हिंदी साप्ताहिक) और दैनिक समाचार पत्रों-स्वदेश और वीर अर्जुन में काम करना शुरू किया। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर वाजपेयी जी वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए।

- वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1996 तथा 1999 में दो बार इस पद के लिये चुने गए थे।
- एक सांसद के रूप में वाजपेयी को वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें "सभी सांसदों के लिये एक रोल मॉडल" के रूप में परिभाषित करता है।
- उन्हें वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से और वर्ष 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

सरकार ने AVGC क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये एक एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है।

मुख्य सिफारिशें:

- **वैश्विक पहुँच के लिये घरेलू उद्योग का विकास:**
  - AVGC क्षेत्र के एकीकृत प्रचार और विकास के लिये बजट परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय AVGC-XR (विस्तारित वास्तविकता) मिशन बनाया जाएगा।
  - भारत और दुनिया के लिये भारत में सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' अभियान का शुभारंभ किया गया।
  - भारत को AVGC के लिये वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य सहित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), सह-उत्पादन संधियों और नवाचार पर ध्यान देने व गेमिंग एक्सपो के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय AVGC मंच स्थापित करना चाहिये।
  - AVGC सेक्टर में स्किलिंग, शिक्षा, विकास और रिसर्च एंड इनोवेशन हेतु अंतर्राष्ट्रीय बिंदु बनने के लिये AVGC सेक्टर का एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (COE) स्थापित करना।
- **जनसांख्यिकीय लाभाँश का एहसास करने के लिये पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना:**
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का लाभ स्कूल स्तर पर AVGC पाठ्यक्रम सामग्री के साथ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिये मूलभूत कौशल का निर्माण करना और कॅरियर विकल्प के रूप में AVGC के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का भी सुझाव दिया गया है।
  - गैर-मेट्रो शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिये रोज़गार के अवसर तथा उनकी क्षमताओं का दोहन सुनिश्चित करने के लिये उद्योग की भागीदारी बढ़ाना।
  - अटल टिंकरिंग लैब्स की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थानों में AVGC एक्सेलेरेटर्स और इनोवेशन हब की स्थापना की गई है।
- **भारतीय AVGC उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी और वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाना:**
  - MSME, स्टार्ट-अप और संस्थानों के लिये सदस्यता-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल को बढ़ावा देकर AVGC तकनीकों का लोकतंत्रीकरण करना।
  - अनुसंधान एवं विकास और IP निर्माण के लिये प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से AVGC प्रौद्योगिकियों को भारत में निर्मित करना। AVGC हार्डवेयर निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिये PLI योजना का मूल्यांकन करना।
  - AVGC क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अर्थात् कर लाभ, आयात शुल्क, डकैती पर अंकुश लगाना आदि।
  - अनुसंधान एवं विकास और स्थानीय IP निर्माण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये AVGC उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय और बाज़ार पहुँच सहायता प्रदान करने हेतु स्टार्ट-अप इंडिया का लाभ उठाना।
- **समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना:**
  - विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिये भारत भर से घरेलू सामग्री निर्माण के लिये एक समर्पित उत्पादन कोष स्थापित करना।
  - प्रसारकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली स्वदेशी सामग्री के लिये आरक्षण का मूल्यांकन करना चाहिये।
  - समावेशी भारत के लिये भारत के टीयर 2 और 3 कस्बों एवं गाँवों में युवाओं के लिये कौशल विकास तथा उद्योग पहुँच को लक्षित करना।
  - AVGC क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन सुनिश्चित करना।
  - डिजिटल दुनिया में बाल अधिकार संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये ढाँचा स्थापित करना।

भारत के AVGC सेक्टर की स्थिति:

- भारत में AVGC क्षेत्र ने हाल के दिनों में अभूतपूर्व विकास दर देखी है, कई वैश्विक अभिकर्त्ता सेवाओं की अपतटीय डिलीवरी का लाभ उठाने के लिये भारतीय प्रतिभा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
- इसके अलावा मीडिया और मनोरंजन (Media and Entertainment- M&E) उद्योग के वर्ष 2026 तक 8.8% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, मीडिया और मनोरंजन उद्योग के तहत AVGC क्षेत्र अगले दशक में 14-16% की वृद्धि कर सकता है।
- भारत AVGC क्षेत्र में उच्चस्तरीय, कौशल-आधारित गतिविधियों के लिये एक प्राथमिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- भारत सरकार ने ऑडियो-विज़ुअल सेवाओं को 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों में से एक के रूप में नामित किया है और निरंतर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख नीतिगत उपायों की घोषणा की है।
- AVGC क्षेत्र मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभर रहा है।

AVGC क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:

- **प्रामाणिक डेटा का अभाव:**
  - AVGC क्षेत्र के लिये रोज़गार, उद्योग का आकार, शिक्षा आदि जैसे डेटा की अनुपलब्धता संस्थाओं के लिये निर्णय लेना कठिन बना देती है।
- **शिक्षा और रोज़गार क्षेत्र में कौशल अंतराल:**
  - देश के भीतर AVGC पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये एनिमेटर्स, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, स्थानीय विशेषज्ञों, उत्पाद प्रबंधकों आदि जैसी विभिन्न भूमिकाओं हेतु विशेष कौशल वाले कार्यबल की आवश्यकता होती है।
  - वर्तमान में स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में AVGC पर केंद्रित एक समर्पित पाठ्यक्रम नहीं है।
- **अवसंरचना बाधाएँ:**
  - पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना के अभाव में छात्रों को दिये जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे AVGC उद्योग के लिये आउटपुट और मानव संसाधनों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
- **अनुसंधान विकास पर कम ध्यान:**
  - AVGC-XR क्षेत्र के लिये अनुसंधान से संबंधित वातावरण विकसित करने की भी आवश्यकता है, ताकि इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।
- **AVGC अकादमिक संदर्भ बिंदु की अनुपस्थिति:**
  - इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, प्रबंधन, पैकेजिंग आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के विपरीत AVGC क्षेत्र के लिये भारत में कोई शीर्ष संस्थान नहीं है।
- **निधि का अभाव:**
  - वर्तमान में AVGC क्षेत्र के प्रचार के लिये कोई समर्पित निधि उपलब्ध नहीं है जो भारत में क्षेत्र के विकास हेतु एक बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **विश्व स्तर पर लोकप्रिय भारतीय आईपी की कमी:**
  - AVGC क्षेत्र को सामान्य रूप से मूल भारतीय बौद्धिक संपदा की कमी का सामना करना पड़ा है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश कार्य बाहरी स्रोत से किये जाते हैं।
  - एनीमेशन उद्योग में अन्य देशों की सेवाओं का प्रभुत्त्व है और इस प्रकार स्थानीय IP में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त रियायतों के साथ स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है

आगे की राह

- **समग्र शैक्षणिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता:**
  - भारत में विभिन्न संस्थानों द्वारा पेश किये जाने वाले अधिकांश AVGC संबंधित कार्यक्रम शैक्षणिक प्रकृति के हैं। इस प्रकार प्रासंगिक उद्योग कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले एक समग्र पाठ्यक्रम को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन:**
  - संपूर्ण AVGC सेक्टर को चलाने में अनुसंधान और विकास बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये इस क्षेत्र के लिये केंद्रित हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है।
- **भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जानने की आवश्यकता:**
  - इच्छुक उद्यमी न केवल विभिन्न रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं बल्कि उद्योग के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं।
  - नए आविष्कार भारतीय AVGC उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तेज़ गति से बढ़ने में सक्षम बनाएंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्षांत समीक्षा 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2022 के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

नोट :

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये आरक्षण:**
  - 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) शामिल किये गए थे।
    - ये अनुच्छेद राज्यों को सरकारी नौकरियों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में EWS के लिये 10% तक आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को बरकरार रखा है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):**
  - NMBA को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था और पहले व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से प्राप्त इनपुट के आधार पर 372 सबसे कमज़ोर ज़िलों में लागू किया गया है।
  - इसका उद्देश्य जनता तक पहुँच और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने, आश्रित आबादी तक पहुँचने एवं पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।
  - **उपलब्धियाँ:**
    - 3 करोड़ से अधिक युवाओं और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 9.3 करोड़ लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है।
    - NCC युवाओं तथा अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने एवं उन्हें शामिल करने के लिये 'नशे से आज़ादी- एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद' कार्यक्रम 'नया भारत, नशा मुक्त भारत', 'NMBA द्वारा NCC के साथ संवाद' जैसे कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है।
    - नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - यह केंद्र और राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान करने, परामर्श, उपचार और पुनर्वास व सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- **अनुसूचित जाति के लिये प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:**
  - **राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना:**
    - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों तथा पारंपरिक कारीगर श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
    - यह योजना चयनित उम्मीदवारों को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में वहाँ की सरकार अथवा उस देश के एक अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
    - वर्ष 2021-22 से NOS के तहत सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है।
  - **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (NFSC):**
    - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में एमफिल, पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में फैलोशिप प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY):**
  - इसे तीन पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय के बाद तैयार किया गया है, ये हैं:
    - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)
    - अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA से SCSP)
    - बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (BJRCY)
  - **विकास:**
    - **अनुदान सहायता घटक (पूर्ववर्ती SCA से SCSP):**
    - लाभार्थी/परिवार के लिये वित्तीय सहायता को 10,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए कर दिया गया, जो परिसंपत्ति लागत का 50 प्रतिशत है।
    - इसके लिये एक वेब आधारित पोर्टल का विकास किया गया है जिसका कार्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करना, मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी करना है।

नोट :

- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC):**
  - NBCFDC को 1992 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभ के लिये आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने था।
  - उपलब्धियाँ:
    - वर्ष 2022 (जनवरी-नवंबर 2022) के दौरान NBCFDC ने 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों को 418 करोड़ रूपए आवंटित किये गए।
- **डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन (DAF):**
  - DAF ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों की कोचिंग के लिये एक नई योजना डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DACE) शुरू की है, जिसे पूरे देश के 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है।
  - डॉ. अंबेडकर चिकित्सा योजना को 173 लाभार्थियों के साथ सफलतापूर्वक लागू किया गया।
  - अंतर्जातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकता के लिये डॉ. अंबेडकर योजना से 218 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- **लक्षित क्षेत्रों के हाईस्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा की योजना "श्रेष्ठ":**
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "अनुसूचित जातियों के लिये काम करने वाले स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों हेतु सहायता अनुदान" की केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू करता है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा क्षेत्र से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - क्योंकि (SHRESHTA) मोड- I के तहत एक नया घटक योजना में जोड़ा गया है, जिसके तहत हर साल देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च श्रेणी के आवासीय हाईस्कूलों हेतु चुना जाएगा।
- **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष/PM DAKSH) योजना:**
  - पीएम दक्ष योजना के तहत SJE विभाग के अंतर्गत निगमों (NSFDC, NBCFDC और NSKFDC) के माध्यम से SC, OBCs, EBCs, DNTs, कचरा बीनने वालों, सफाई कर्मचारियों सहित वंचित व्यक्तियों को कौशल प्रदान किया जाता है।
  - इसके तहत NSFDC का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के दौरान 20,600 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - **उपलब्धियाँ:**
    - वर्ष 2022 के दौरान NBCFDC ने 19553 प्रशिक्षुओं के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंज़ूरी दी है।
- **यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem- NAMASTE):**
  - **नमस्ते/NAMASTE की उपलब्धियाँ:**
    - विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 3944 मैला ढोने वालों/आश्रितों को शामिल करना।
    - RPL/अपस्किलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 8396 सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया।
    - सामान्य स्वरोज़गार कार्यक्रम के लिये 445 मैला ढोने वालों/आश्रितों को 8.17 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- **ट्रांसजेंडर:**
  - आयुष्मान भारत योजना के साथ अभिसरण में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिये वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - इस व्यापक पैकेज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये संक्रमण संबंधी स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह हार्मोन थेरेपी, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिये कवरेज भी प्रदान करेगा (संपूर्ण नहीं), जिसमें ऑपरेशन के बाद की औपचारिकताएँ शामिल हैं, इसमें सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

असम NRC पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता लगाया है।

CAG की चिंताएँ:

- **निधियों के उपयोग में अनियमितताएँ:**
  - फरवरी 2015 तक पूरा करने की समयसीमा के साथ NRC को अद्यतन करने की प्रक्रिया दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी और परियोजना लागत 288.18 करोड़ रुपए आँकी गई थी।
  - हालाँकि इसे पूरा करने के लिये अतिरिक्त समय और नवीन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के कारण मार्च 2022 तक लागत में पाँच गुना वृद्धि हुई थी।

नोट :

- जहाँ तक अनियमितताओं की बात है, CAG ने पाया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत वेतन से 45.59%-64.27% तक कम था।
- **सुरक्षित और विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का अभाव:**
  - NRC अद्यतन प्रक्रिया में अत्यधिक सुरक्षित और विश्वसनीय सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी, हालाँकि इस संबंध में उचित योजना की कमी देखी गई, जिसमें 215 सॉफ्टवेयर को बेतरतीब ढंग से कोर सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था।

CAG की सिफारिश:

- देश के शीर्ष ऑडिटर ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और डेटा ऑपरेटरों को न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करने के लिये विप्रो लिमिटेड के खिलाफ दंडात्मक उपायों की मांग की।
- रिपोर्ट में 'अधिक, अनियमित और अस्वीकार्य भुगतान' के लिये राष्ट्रीय पंजीकरण के राज्य समन्वयक (State Coordinator of National Registration- SCNR) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
- CAG ने 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं करने' के लिये प्रमुख नियोक्ता के रूप में SCNR की जवाबदेही तय करने की भी सिफारिश की।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC):

- NRC पहली बार वर्ष 1951 में असम में भारत में जन्मे लोगों और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान हेतु बनाया गया था।
- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 के रजिस्टर को अपडेट करने के लिये असम में इसे शुरू करने हेतु केंद्र और राज्य को निर्देश जारी किये।
- यह आदेश असम पब्लिक वर्क्स नाम के एक NGO द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
- पहला ड्राफ्ट वर्ष 2018 में जारी किया गया था।
- वर्ष 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में वे लोग शामिल थे जो 25 मार्च, 1971 (अगस्त 1985 के असम समझौते के अनुसार विदेशियों के निर्वासन की कट-ऑफ तारीख) से पहले असम के निवासी या उनके वंशज अपनी भारतीय नागरिकता स्थापित कर सकते थे।
- 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिये पर्याप्त दस्तावेज़ों की कमी के कारण बाहर रखा गया था। कई दलों ने अंतिम सूची को 'त्रुटिपूर्ण' कहकर खारिज़ कर दिया।
- तीन साल से प्रक्रिया रुकी हुई है क्योंकि भारत के महारजिस्ट्रार (Registrar General of India- RGI) ने अभी तक अंतिम सूची को अधिसूचित नहीं किया है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग की वर्षांत समीक्षा 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग की वर्षांत समीक्षा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण वर्ष 2022 के लिये जारी की गई।

जल जीवन मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **जल जीवन मिशन के तहत कवरेज:**
  - 21 दिसंबर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत 10.76 करोड़ (55.62%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का नल जल कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।
  - गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा तथा 3 केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को 'हर घर जल' के रूप में रिपोर्ट किया गया है, यानि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान है।
    - अगस्त 2022 में गोवा पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव भारत के पहले 'हर घर जल' प्रमाणित केंद्रशासित प्रदेश बने।
    - मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला जुलाई 2022 में भारत का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित ज़िला बना।

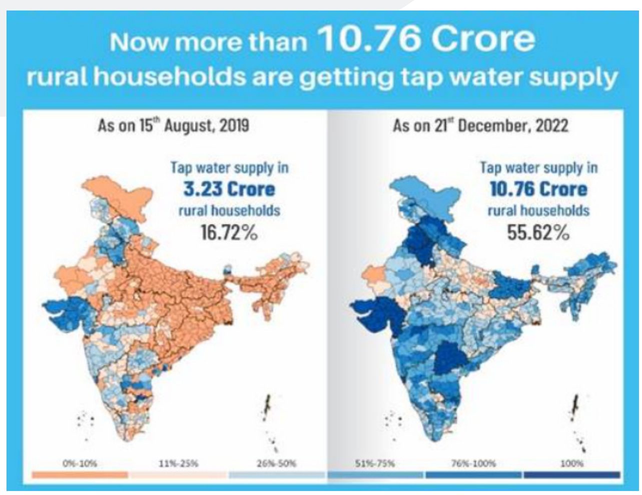

- **हर घर जल प्रमाणन:**
  - यदि किसी गाँव को 'हर घर जल' घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद उस गाँव की ग्राम पंचायत एक विशेष सभा का

नोट :

आयोजन करती है और गाँव के सभी सदस्यों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित करती है कि उनके गाँव के सभी घर, स्कूल, आँगनवाड़ी एवं सार्वजनिक संस्थानों में क्रियाशील नल कनेक्शन है, इस प्रकार स्वयं को 'हर घर जल प्रमाणित' घोषित करती है।

- **JE-AES प्रभावित ज़िलों में पीने योग्य नल के पानी का कवरेज:**
  - भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जापानी इंसेफेलाइटिस-एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Japanese Encephalitis- JE - Acute Encephalitis Syndrome- AES) प्रभावित ज़िलों को प्राथमिकता देती है।
  - 5 राज्यों में JE-AES से प्रभावित 61 ज़िलों में नल जल कनेक्शन 8 लाख (2.69%) से बढ़कर 147.14 लाख (49.29%) हो गए, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
- **जल गुणवत्ता जाँच और निगरानी की स्थिति:**
  - देश में कुल 2,074 जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। इनमें से 1,005 राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) से मान्यता प्राप्त हैं।
- **कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ:**
  - राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ग्राम जल स्वच्छता समिति (Village Water Sanitation Committee- VWSC) के गठन की सुविधा के लिये कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (Implementation Support Agencies- ISA) को नियुक्त करके पंचायतों की सहायता कर रहे हैं, सामुदायिक संघटन के लिये भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन के तहत ग्राम कार्य योजना तैयार करने में सहायता और बुनियादी ढाँचे के निर्माण के बाद की गतिविधियों को पूरा कर रहे हैं।
    - लगभग 14 हज़ार ISA सक्रिय रूप से फील्ड में काम कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय वॉश/WASH विशेषज्ञ:**
  - राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र को जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन में राज्यों को ज़मीनी सच्चाई तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों की सूची बनाने एवं उनकी तैनाती का काम सौंपा गया है।
  - वर्ष 2022 के दौरान JJM के तहत किये गए कार्यान्वयन कार्यों की ज़मीनी सच्चाई के लिये 62 टीमों ने लगभग 1,035 गाँवों का दौरा किया।
- **पेयजल आपूर्ति और जल गुणवत्ता हेतु प्रौद्योगिकियों का उपयोग:**
  - **JJM समुदाय के नेतृत्त्व वाले कार्यान्वयन हेतु विभिन्न तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है:**
    - जल वितरण प्रणालियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये जलभृत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, जलाशयों, डिसिल्टिंग और अन्य स्रोत स्थिरता उपायों को लागू किया जा रहा है।
    - पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition- SCADA), रिमोट सेंसिंग एवं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिये इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों का उपयोग जल लेखांकन, जल गुणवत्ता नियंत्रण, जल उपयोग दक्षता, जल संसाधन योजना एवं प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से जलवायु को लचीलापन बनाने में किया गया है।

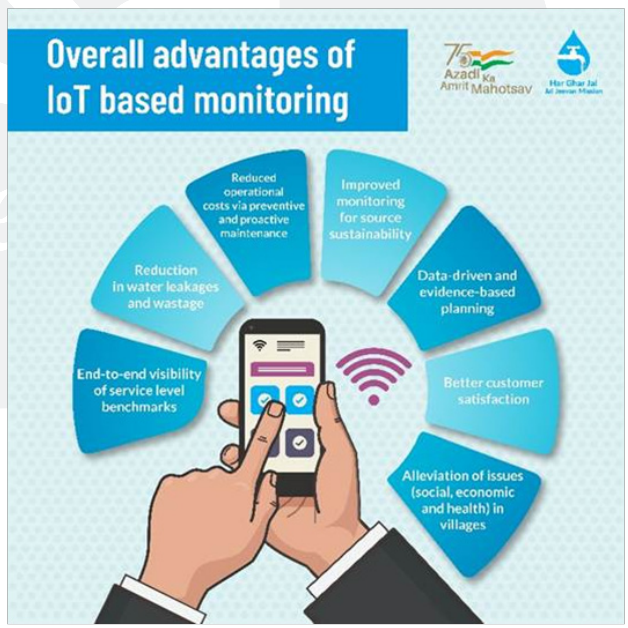

- **शिकायत निवारण तंत्र:**
  - जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिये विभाग में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। लोग केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public grievances Redress and Monitoring System- CPGRAMS) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

नोट :

- **जल जीवन सर्वेक्षण (JJS) टूलकिट:**
  - भारत के उपराष्ट्रपति ने 21 अक्तूबर, 2022 को 'जल जीवन सर्वेक्षण' टूलकिट और डैशबोर्ड लॉन्च किया।
  - जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का उद्देश्य राज्यों/ज़िलों के पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन एवं बेहतर जल सेवा वितरण के लिये प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **परिचय:**
  - प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), केंद्र प्रायोजित योजना को 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुँच प्रदान करके महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्तूबर, 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free- ODF) बनाना था।
  - 2 अक्तूबर, 2019 तक देश के सभी गाँवों ने खुद को ODF घोषित कर दिया था।
- **उपलब्धियाँ:**
  - 1 जनवरी, 2022 से 20 दिसंबर, 2022 के बीच लगभग 1.25 लाख गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
  - तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिये "सुजलाम" अभियान शुरू किया गया।
    - सुजलाम 1.0 और सुजलाम 2.0 अभियानों के तहत 23 लाख से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया।
  - SBM (G) की "गोबरधन" पहल के तहत जनवरी 2022 से समुदाय स्तर पर 96 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गए हैं।
    - गोबरधन योजना का उद्देश्य गाँवों को स्वच्छ रखना, पशु अपशिष्ट सहित जैव-अपशिष्ट, कृषि-अवशेषों को बायोगैस में परिवर्तित करके धन तथा ऊर्जा उत्पन्न करना एवं ग्रामीणों के जीवन में सुधार करना है।
    - पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) गोबरधन के कार्यान्वयन का समन्वयन कर रहा है जिसमें बायोगैस संपीड़ित बायोगैस (CBG) क्षेत्र के लिये सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों व मंत्रालयों को शामिल करते हुए वेस्ट टू वेल्थ पहल हेतु प्रयास किये जाएंगे।
- **ट्विनपिट अभियान के लिये रेट्रोफिट:**
  - केंद्रीय जल मंत्री ने 2 अक्तूबर 2022 को ट्विनपिट अभियान के लिये रेट्रोफिट का शुभारंभ किया।
  - यह अभियान सिंगल पिट टॉयलेट को ट्विनपिट टॉयलेट में रेट्रोफिट करने की एक सरल ऑन-साइट पद्धति के माध्यम से मल व कीचड़ के सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देगा।
  - 2 अक्तूबर, 2022 से 19 नवंबर 2022 तक अभियान के पहले चरण के दौरान राज्यों ने 97% गाँवों का आधारभूत मूल्यांकन पूरा कर लिया है।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 (SSG 2023):**
  - DDWS ने राज्यों के ज़िलों और ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हेतु तथा SBM-G चरण II की प्रगति का पता लगाने के उद्देश्य से 2 नवंबर, 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) 2023 लॉन्च किया है।
  - SSG 2023 के तहत ग्राम पंचायत और ज़िला स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा।
  - SSG 2023 को अधिक सहभागी बनाने के लिये ग्राम पंचायतें ODF प्लस मापदंडों पर ग्रामों का स्व-मूल्यांकन करेंगी।

खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2022

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी इतनी विकट बनी हुई है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 2022 को 'अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष (The year of Unprecedented Hunger)' कहा है।

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 307 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सके। भारत इस वैश्विक आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

विभिन्न रिपोर्टों के मुख्य अंश:

- **विश्व खाद्य कार्यक्रम:**
  - विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है और लगभग 828 मिलियन लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं।
  - खाद्य सुरक्षा ने विशेष रूप से युद्धग्रस्त स्थानों और जलवायु आपदाओं से बर्बाद हुए स्थानों में पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर लिया है।
- **फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर:**
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) की नई रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर - ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य

में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व को निरंतर खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

- यदि कृषि खाद्य प्रणाली समान बनी रहती है तो भविष्य में विश्व लगातार खाद्य असुरक्षा, घटते संसाधनों और अस्थिर आर्थिक विकास का सामना करेगा।
- कृषि खाद्य लक्ष्यों सहित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिये विश्व "ऑफ ट्रैक" है।
- वर्ष 2050 तक विश्व में 10 बिलियन लोगों के लिये भोजन की आवश्यकता होगी तथा यदि वर्तमान रुझानों को बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए तो यह एक अभूतपूर्व चुनौती होगी।

- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI):**
  - वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
  - दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), श्रीलंका (64), नेपाल (81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान (99) भी अच्छी स्थिति में नहीं है।
  - विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगति काफी हद तक स्थिर रही है, वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। हालाँकि वर्ष 2022 का GHI स्कोर अभी भी 'मध्यम' है।
- **FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI):**
  - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
    - तमिलनाडु ने 100 के पैमाने पर कुल 82.5 अंक हासिल किये। मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढाँचा तथा निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण व उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
  - केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में जम्मू-कश्मीर 68.5 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (66) और चंडीगढ़ (58) का स्थान है।
- **वास्तविक रिपोर्ट:**
  - खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिये भारत के उपकरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS) के तहत 90 मिलियन से अधिक पात्र लोगों को कानूनी अधिकारों से बाहर रखा गया है।
  - भारत की जनगणना 2011 योजना द्वारा कवर किये जाने वाले लोगों की संख्या पर पहुँचने के लिये डेटा का स्रोत बनी हुई है। परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार देखा गया है।
  - कानूनी ढाँचे में इस अंतर्निर्मित भ्रांति के कारण कम-से-कम 12% आबादी कानूनी अधिकारों से बाहर हो गई।

विभिन्न रिपोर्टों द्वारा दिये गए सुझाव:

- **प्रणालीगत नीति परिवर्तन:**
  - प्रणालीगत नीतिगत परिवर्तन द्वारा लोगों की स्थिति को सुधारने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य 'ज़ीरो हंगर' के सतत् विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिये वैश्विक ठोस प्रयास आवश्यक हैं।
- **सतत् कृषि प्रणाली:**
  - जनसंख्या के तेज़ी से विकास के साथ ही भोजन की मांग भी बढ़ी है।
  - इससे निपटने के लिये कृषि प्रणालियों को भविष्य में स्थायी तरीके से और अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी।
- **कीड़ों की जनसंख्या में गिरावट:**
  - कीट परागणकर्त्ताओं की बहुतायत के बिना मनुष्यों को बड़े पैमाने पर भोजन और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
  - कीट अपनी विविधता, कृषि, मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर पारिस्थितिक भूमिका के प्रभाव के कारण महत्त्वपूर्ण हैं।
  - वे सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिये जैविक आधार बनाते हैं, वे पोषक तत्त्वों का चक्रण करते हैं, पौधों को परागण करते हैं, बीजों को फैलाते हैं, मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बनाए रखते हैं, अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं तथा अन्य जीवों के लिये एक प्रमुख खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं।
- **अल्पावधि आवश्यकताओं से परे सोचें:**
  - निर्णय लेने वालों को अल्पकालिक ज़रूरतों से परे सोचने की ज़रूरत है। दूर-दृष्टि की कमी, अलग-अलग दृष्टिकोण और त्वरित सुधार सभी के लिये घातक साबित हो सकते हैं।
  - प्रक्रियाओं को तत्काल बदलने की आवश्यकता है ताकि कृषि खाद्य प्रणालियों के लिये अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाया जा सके।
- **विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से पोषण:**
  - बेहतर पोषण में भोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, लिंग संबंधी दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड शामिल हैं। अत: पोषण संबंधी अंतर को भरने के लिये व्यापक नीति को लाने की आवश्यकता है।

नोट :

- **सामाजिक अंकेक्षण क्रियाविधि की आवश्यकता:**
  - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से स्थानीय अधिकारियों की मदद से हर ज़िले में मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट करना चाहिये और साथ ही पोषण संबंधी जागरूकता पर काम करना चाहिये।
  - कार्यक्रम की निगरानी में सुधार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है।
- **PDS को फिर से उन्मुख करना:**
  - इसे और अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनाने तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये निम्न सामाजिक-आर्थिक लोगों की क्रय शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के हेतु पुन: एक उन्नत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है।
- **महिलाओं के नेतृत्व में SDG मिशन:**
  - मौजूदा पोषण कार्यक्रमों को फिर से डिज़ाइन करने और इसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे भारत वर्ष 2030 तक भुखमरी और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के सतत् विकास लक्ष्य-2 को साकार कर सके।
- **अपशिष्ट कम करना, भूख कम करना:**
  - भारत अपने कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7% और फलों और सब्जियों का लगभग 30% अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं एवं कोल्ड स्टोरेज के कारण बर्बाद कर देता है।
  - इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन के अनुसार, यदि विकासशील देशों में विकसित देशों के समान स्तर का रेफ्रिजरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो वे 200 मिलियन टन भोजन या अपनी खाद्य आपूर्ति का लगभग 14% बचा सकते थे, जो भूख और कुपोषण से निपटने में मदद कर सकता है।

भूख/कुपोषण उन्मूलन के लिये भारत की पहलें:

- ईट राइट इंडिया मूवमेंट
- पोषण अभियान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- फूड फोर्टिफिकेशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
- मिशन इंद्रधनुष
- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन
- भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाएँ।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

वर्षांत समीक्षा-2022: CSIR

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

CSIR की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **पहली जैव ईंधन-संचालित उड़ान:**
  - CSIR ने देहरादून से दिल्ली के लिये जैव ईंधन से संचालित पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाते हुए भारत की पहली जैव ईंधन-संचालित उड़ान की सुविधा प्रदान की।
    - जैव-विमानन ईंधन का उत्पादन CSIR- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (IIP) द्वारा जेट्रोफा ईंधन से स्वदेशी रूप से तैयार किया गया और यह संस्थान की पेटेंट तकनीक पर आधारित था।
- **अरोमा मिशन:**
  - CSIR ने वर्ष 2016 में CSIR-अरोमा मिशन शुरू किया था, जो सुगंध उद्योग के विकास और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सुगंध क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास करता है।
- **स्वदेशी आटोक्लेव प्रौद्योगिकी:**
  - CSIR-राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (NAL) ने उन्नत हल्के वज़न वाले कंपोजिट के प्रसंस्करण के लिये अत्याधुनिक स्वदेशी आटोक्लेव प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास किया है जो आधुनिक दौर के नागरिक एवं सैन्य एयरफ्रेम के अभिन्न अंग हैं।
- **प्लास्टिक का डीज़ल में परिवर्तन:**
  - CSIR-IIP और गेल (पेट्रोलियम व्यापार कंपनी) ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो 1 टन प्लास्टिक अपशिष्ट और अन्य पॉलीओलेफिन उत्पादों को 850 लीटर के सबसे स्वच्छ ग्रेड डीज़ल में परिवर्तित कर सकती है।
- **एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर (AGR):**
  - CSIR- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) ने पोल्ट्री अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, प्रेस मिट्टी, मवेशी खाद, नगर निगम ठोस अपशिष्ट के जैविक अंश (OFMSW), सीवेज अपशिष्ट आदि जैसे जैविक ठोस अपशिष्ट से बायोगैस और जैव खाद के उत्पादन के लिये एनारोबिक गैस लिफ्ट रिएक्टर (AGR) के रूप में जानी जाने वाली एक उच्च दर बायोमिथेनेशन तकनीक का विकास करते हुए इसका पेटेंट कराया है।

- **RENEU प्रौद्योगिकी:**
    - CSIR-पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने आर्द्रभूमि के निर्माण के लिये पारिस्थितिक इकाइयों के साथ-साथ नालों का जीर्णोद्धार (Restoration of Nallah with Ecological Units- RENEU) प्रौद्योगिकी विकसित की है जो अपशिष्ट जल उपचार की स्थायी प्रक्रियाएँ हैं। पवित्र धार्मिक त्योंहार के दौरान तीर्थयात्रियों के लिये गंगा को स्वच्छ रखने के राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में RENEU को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था।
- **दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर:**
    - CSIR-NAL ने दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर की तकनीक को विकसित और स्थानांतरित किया है जिसे भारत के कई हवाई अड्डों पर स्थापित किया गया है। ट्रांसमिसियोमीटर एक दृश्यता मापने की प्रणाली है, जो हवाई अड्डे के सुरक्षित संचालन और लैंडिंग के लिये उपयोगी है।
- **हेड-अप डिस्प्ले (HUD):**
    - CSIR-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (CSIO), चंडीगढ़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के बीच वाणिज्यिक उत्पादन के संबंध में तेजस लड़ाकू विमान के लिये हेड-अप डिस्प्ले (HUD) के एक नए संस्करण के निर्माण हेतु एक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- **भारतीय निर्देशक द्रव्य:**
    - भारतीय निर्देशक द्रव्य (BND 420) भारत का पहला स्वदेशी उच्च शुद्धता वाला स्वर्ण संदर्भ मानक है जिसे भारत सरकार टकसाल (IGM), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), CSIR-NPL और सामग्रियों की संरचनागत विशेषता के लिये राष्ट्रीय केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। .
- **शेल गैस:**
    - CSIR-CIMFR ने मध्य भारत में गोंडवाना बेसिन और गोदावरी बेसिन में दो क्षेत्रों में शेल गैस की खोज की है। इन दो बेसिनों में देश में अब तक खोजी गई कुल शेल गैस लगभग 63 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (TCF) होने का अनुमान है।
        - इसे गैर-पारंपरिक प्राकृतिक गैस के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक माना जाता है।
- **पोर्टेबल रीडिंग मशीन (PRM):**
    - CSIR-CSIO द्वारा विकसित एक रीडिंग डिवाइस पाठ को ज़ोर से पढ़कर नेत्रहीन दिव्यांगों की मदद करता है। "दिव्य नयन" नाम की उन्नत रीडिंग मशीन एक स्टैंड-अलोन, पोर्टेबल रीडिंग मशीन है।
- **डाइमिथाइल ईथर:**
    - CSIR-NCL ने मेथनॉल से डाइमिथाइल ईथर (Dimethyl Ether- DME) बनाने के लिये एक स्वदेशी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित की है।
        - DME एक स्वच्छ ईंधन है जिसमें डीज़ल को बदलने की क्षमता है और यह LPG गैस के लिये एक गैर-जीवाश्म योज्य के तौर पर काम करेगा। इससे LPG आयात को कम करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम को भी मदद मिलेगी।
- **भूकंप चेतावनी प्रणाली:**
    - CSIR-CSIO द्वारा अपनी तरह की पहली भूकंप चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली भूकंप के झटके को महसूस कर सकती है, उन्हें रिकॉर्ड कर सकती है और वास्तविक समय में संबंधित कार्रवाई बिंदुओं पर एक SMS तैयार कर सकती है।
- **सिंधु साधना:**
    - हिंद महासागर में सूक्ष्मजीवों के जीनोम मैपिंग के लिये नमूने एकत्र करने हेतु पहला स्वदेश निर्मित अनुसंधान पोत सिंधु साधना राष्ट्र को समर्पित किया गया था।।
        - यह जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्त्व तनाव और बढ़ते प्रदूषण हेतु जैव रसायन तथा महासागर की प्रतिक्रिया को समझने के लिये है।
- **हरित पटाखे:**
    - CSIR-NEERI ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिये हरित पटाखे विकसित किये। नकली पटाखों के निर्माण और बिक्री पर नजर रखने हेतु एक ग्रीन लोगो (Green Logo) और क्यूआर कोडिंग प्रणाली भी शुरू की गई।
- **हींग की खेती:**
    - पहली बार CSIR-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Himalayan Bioresource Technology- IHBT) ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में हींग की खेती शुरू की।
- **किसान सभा एप:**
    - किसानों को आपूर्ति शृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिये CSIR- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) द्वारा किसान सभा एप विकसित किया गया है।
        - यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों और कृषि उद्योग से जुड़ी अन्य संस्थाओं के लिये वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- **क्षीर स्कैनर:**
  - CSIR ने मिलावटी दूध का पता लगाने के लिये एक कम लागत और पोर्टेबल क्षीर स्कैनर विकसित किया है।
- **चावल की किस्म:**
  - हैदराबाद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से CSIR-कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र (Centre for Cellular and Molecular Biology -CCMB) ने चावल की एक नई किस्म जारी की है जो कीटों का प्रतिरोध करती है और मधुमेह से ग्रस्त लोगों के लिये लाभकारी है।
    - नई उन्नत सांबा मसूरी (ISM) चावल की किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट (BB) के लिये प्रतिरोधी है।
- **जिज्ञासा:**
  - CSIR द्वारा स्कूली छात्रों को वैज्ञानिकों से जोड़कर CSIR के वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) को व्यापक और गहरा करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर CSIR द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से एक है।
- **बैंगनी क्रांति:**
  - CSIR ने जम्मू और कश्मीर में कृषक परिवारों को लाभान्वित करते हुए लैवेंडर की खेती शुरू करके प्रसिद्ध बैंगनी क्रांति को सक्षम किया। भारत कुछ वर्ष पूर्व तक लेमनग्रास आवश्यक तेल के आयातकों में से एक था, अब दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है।
    - फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत ट्यूलिप बल्ब उत्पादन के स्वदेशी विकास ने रोपण सामग्री के आयात को कम करने में मदद की।
- **गाँव का पानी गाँव में:**
  - CSIR ने चयनित गाँवों में जल संसाधन बढ़ाने के लिये ग्राम स्तरीय जल प्रबंधन (VLWM) योजनाओं के विकास हेतु एक मिशन मोड परियोजना का नेतृत्व किया है।
    - जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से उत्तर-पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन पर मिशन का शुभारंभ और इसे कार्यान्वित भी किया गया है।
- **भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस:**
  - बस बिजली पैदा करने के लिये हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं और वायु का उपयोग करती है और बिना रुके 600 किमी. तक चल सकती है। बस से निकलने वाला एकमात्र उत्सर्जन पानी है, इस प्रकार यह परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका है।
- **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL):**
  - हाल ही में मंत्रिमंडल ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्त्ताओं के लिये TKDL डेटाबेस की व्यापक पहुँच को मंज़ूरी दी, उपयोगकर्त्ताओं के लिये TKDL डेटाबेस के खुलने से विभिन्न क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान और विकास एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **स्टील स्लैग सड़क:**
  - CSIR ने अपशिष्ट स्टील स्लैग को सड़क बनाने वाले समुच्चय के रूप में परिवर्तित करने के लिये स्टील स्लैग वेलोराइजेशन तकनीक विकसित की। अपशिष्ट स्टील स्लैग के माध्यम से विकसित प्रसंस्कृत स्टील स्लैग समुच्चय का सूरत में भारत के पहले स्टील स्लैग रोड के निर्माण में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।
- **हंसा एनजी की पहली उड़ान:**
  - CSIR-NAL ने हंसा एनजी विमान को डिज़ाइन और विकसित किया, जो भारत में फ्लाइंग क्लबों के लिये प्रारंभिक उड़ान प्रशिक्षण विमान के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक समग्र दो सीटों वाला हल्का ट्रेनर विमान है, एक प्रशिक्षक विमान के रूप में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिये हंसा 3 विमान में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गए हैं।
    - HANSA-NG 'हंसा' का उन्नत संस्करण है, जिसने वर्ष 1993 में पहली उड़ान भरी थी और इसे वर्ष 2000 में प्रमाणित किया गया था।
- **3D-मुद्रित रोगी-विशिष्ट चिकित्सा प्रत्यारोपण:**
  - CSIR-CSIO ने मानव शरीर के कई अंगों के लिये रोगी-विशिष्ट चिकित्सा प्रत्यारोपण के निर्माण के लिये एक तकनीक विकसित की है। उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन और विपणन के लिये प्रौद्योगिकी को उद्योग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- **डिजिटल मोड पर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को जोड़ना:**
  - CSIR ने सामाजिक चुनौतियों/समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान निकालने के लिये वैश्विक भारतीय एस एंड टी डायस्पोरा से जुड़ने के लिये एक आभासी मंच- प्रभास (प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क) पोर्टल विकसित किया है।
- **CSIR 'स्किल इंडिया पहल':**
  - इस पहल का उद्देश्य CSIR प्रयोगशालाओं के संपर्क के माध्यम से युवा पीढ़ी को आवश्यक तकनीकी कौशल से लैस करना है। इस पहल के तहत 2 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

चर्चा में क्यों?

संसदीय समितियों का मानना है कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार कर देने मात्र से देश में पर्यटन उद्योग का विकास संभव नहीं है।

- समिति ने पर्यटन क्षेत्र और इसके हितधारकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को सीधे सिफारिशें करने के लिये GST परिषद के समान एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।

समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे:

- **समवर्ती सूची में शामिल करना:**
  - समिति ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल करने की अपनी पूर्व की सिफारिश के संबंध में उठाए गए कदमों के संदर्भ में जानकारी हासिल की।
    - समिति के अनुसार, समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल करने से महामारी से प्रभावित भारतीय पर्यटन क्षेत्र के मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी क्योंकिपर्यटन एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि है।
- **आतिथ्य परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा:**
  - इसने यह भी जानना चाहा कि क्यों 20 राज्यों ने अभी तक आतिथ्य परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा नहीं दिया है और मंत्रालय से पूछा है कि क्या इस संबंध में इन राज्यों द्वारा केंद्र को कुछ भी जानकारी साझा की गई है।
    - अब तक आठ राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड) ने आतिथ्य परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा दिया है।
- **स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में:**
  - इसने चिंता व्यक्त की है कि पाँच वर्ष पहले या वर्ष 2017-18 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं में प्रगति की दर अपेक्षा से कम रही है।
    - **स्वीकृत परियोजनाएँ:** जम्मू-कश्मीर में 'हज़रतबल में विकास' और ओडिशा में 'मेगा सर्किट के तहत देउली में श्री जगन्नाथ धाम, पुरी - रामाचंडी - प्राची रिवर फ्रंट में बुनियादी ढाँचा विकास' को मंज़ूरी दी गई है।
    - समिति का विचार है कि पाँच वर्ष से अधिक समय लेने वाली परियोजनाओं में उच्च लागत और समय की अधिकता हो सकती है जिससे मंत्रालय एवं कार्यान्वयन एजेंसियों पर संसाधनों की कमी व अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे की मुख्य विशेषताएँ:

- **पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा:**
  - मसौदे के तहत पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के साथ-साथ होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी अवसंरचना में शामिल किये जाने का उल्लेख है।
- **पाँच प्रमुख क्षेत्र:**
  - अगले 10 वर्षों में पाँच प्रमुख महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गंतव्य प्रबंधन, आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) से संबंधित पर्यटन का समर्थन करना शामिल है।
- **उपयुक्त कराधान और सब्सिडी नीतियों का समर्थन:**
  - यह टिकाऊ पर्यटन गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करने और अस्थिर पर्यटन को हतोत्साहित करने के लिये उपयुक्त कराधान और सब्सिडी नीतियों का समर्थन करेगा।
- **फ्रेमवर्क शर्तें प्रदान करना:**
  - यह मसौदा नीति विशिष्ट परिचालन मुद्दों को संबोधित नहीं करती है, हालाँकि इसमें विशेष रूप से महामारी के मद्देनज़र इस क्षेत्र की मदद करने के लिये फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है।
  - विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये समग्र मिशन एवं विज़न तैयार किया जा रहा है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति:

- **परिचय:**
  - विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की 2021 की रिपोर्ट ने विश्व GDP (सकल घरेलू उत्पाद) में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 6वें स्थान पर रखा है।
    - वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने अपने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को 54वाँ स्थान दिया है।
  - भारत में वर्ष 2021 तक 'विश्व विरासत सूची' के तहत 40 साइट्स सूचीबद्ध हैं। इस मामले में विश्व में भारत का छठा स्थान (32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल) है।
    - इनमें धौलावीरा और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) शामिल होने वाली नवीनतम साइट्स हैं।
  - वित्त वर्ष 2020 में भारत में पर्यटन क्षेत्र में 39 मिलियन नौकरियाँ थीं जिनकी देश में कुल रोज़गार में 8.0% हिस्सेदारी थी। वर्ष 2029 तक यह आँकड़ा लगभग 53 मिलियन नौकरियों तक पँहुचने की उम्मीद है।

नोट :

- **नवीनतम पहलें:**
  - स्वदेश दर्शन योजना
  - देखो अपना देश' पहल
  - राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन
  - प्रसाद परियोजनाएँ
  - बौद्ध सम्मेलन

भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे में कमी:**
  - भारत में पर्यटकों को अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे-खराब सड़कें, पानी, सीवर, होटल और दूरसंचार आदि।
- **बचाव और सुरक्षा:**
  - पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर्यटन के विकास में एक बड़ी बाधा है। विदेशी नागरिकों पर हमला अन्य देशों के पर्यटकों का भारत में स्वागत करने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:**
  - कुशल जनशक्ति की कमी भारत में पर्यटन उद्योग के लिये एक और चुनौती है।
- **मूलभूत सुविधाओं का अभाव:**
  - पर्यटन स्थलों पर पेयजल, सुव्यवस्थित शौचालय, प्राथमिक उपचार, अल्पाहार गृह आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
- **मौसम:**
  - मौसम की भूमिका को देखें तो अक्तूबर से मार्च तक छह महीने पर्यटन क्षेत्र में मौसमी व्यस्तता सीमित होती है, जबकि नवंबर और दिसंबर में भारी भीड़ देखी जाती है।

आगे की राह

- भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में बेजोड़ विविधता भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने तथा विदेशी राजस्व को आकर्षित करने में एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकती है।
  - भारत का 'वसुधैव कुटुम्बकम' का दर्शन विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। यह भारत को बहुपक्षवाद में अटूट विश्वास प्रदान करता है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित समाज में हाशिये पर जी रहे वर्गों के लिये अवसर पैदा करके पर्यटन के समावेशी विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- देश भर में वाँछित पर्यटन स्थलों और प्रमुख बाज़ारों तथा क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक बाज़ार अनुसंधान एवं मूल्यांकन अभ्यास किया जा सकता है।

सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने कैंसर प्रबंधन, रोकथाम एवं निदान के बारे में अपनी रिपोर्ट में सिंगल स्टिक सिगरेट (एकल सिगरेट) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

प्रतिबंधित करने की आवश्यकता:

- **कैंसर संबंधी:**
  - देश में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले मुँह के कैंसर के हैं।
  - तंबाकू की भूमिका सभी तरह के कैंसरों में लगभग 50% है, जिसे सामूहिक रूप से तंबाकू से संबंधित कैंसर कहा जाता है।
- **सिंगल स्टिक सहज उपलब्ध:**
  - सिगरेट के पूरे पैक की तुलना में सिंगल स्टिक खरीदना अधिक किफायती है।
  - सिंगल-स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध एक संभावित उपभोक्ता को पूरे पैक को खरीदने के लिये मजबूर करेगा जो विशेष रूप से किफायती नहीं हो सकता है, इस प्रकार संभावित प्रयोग और नियमित सेवन की गुंज़ाइश पर अंकुश लगेगा।
  - इसके अलावा संभावित प्रतिबंध का मतलब यह भी होगा कि उपभोक्ता को पैकेट लेकर घूमना होगा।
- **उपयोग पर रिपोर्ट में चिंता:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने पाया कि तंबाकू के सभी रूप हानिकारक हैं और तंबाकू के संपर्क में आने से कोई सुरक्षित नहीं है।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि सिगरेट पीना दुनिया भर में तंबाकू उपयोग का सबसे आम तरीका है।
  - मेडिकल जर्नल, लैंसेट ने जून 2020 में सूचित किया कि वर्ष 2030 तक धूम्रपान से होने वाली वार्षिक मौतों में से 7 मिलियन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होने की संभावना है।
- **गंभीर आदी:**
  - WHO के अनुसार, तंबाकू उत्पादों में निकोटीन के कारण इसके अत्यधिक नशे संबंधी प्रकृति का अर्थ है कि तंबाकू का उपयोग बंद करने की कोशिश करने वाले उपयोगकर्त्ताओं में से केवल 4% ही सफल होंगे।

सुझाव:

- **तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाना:**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) वर्ष 2025 तक वर्तमान तंबाकू के उपयोग में 30% की सापेक्ष कमी लाने हेतु प्रयासरत है, इसके लिये यह आवश्यक है कि सरकार तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करे।
  - इस आशय के लिये यह अनुशंसा करता है कि सरकार सिंगल स्टिक सिगरेट की बिक्री पर रोक के साथ अपराधियों पर कठोर दंड और जुर्माना लगाए।
- **धूम्रपान क्षेत्रों का उन्मूलन:**
  - सरकार को विभिन्न संगठनों में धूम्रपान-मुक्त नीति को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त हवाई अड्डों, होटलों और रेस्तराँ में सभी निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों को समाप्त कर देना चाहिये।
- **कर वृद्धि में मदद:**
  - भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और इस प्रकार वे अधिक सुलभ हैं, उन उत्पादों पर करों को बढ़ाना इसकी रोकथाम संबंधी एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
  - अतिरिक्त कराधान से प्राप्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिये किया जा सकता है।
- **गुटखा पर प्रतिबंध:**
  - गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
  - इस अवलोकन का आधार पर भारत में 80% से अधिक तंबाकू की खपत सुपारी के साथ या उसके बिना चबाने वाले तंबाकू के रूप में होती है, जिसका प्रचार माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है।

यह प्रतिबंध कितना प्रभावी हो सकता है ?

- **अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध संभव नहीं:**
  - खुदरा सिगरेट की बिक्री पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाली छोटी दुकानों और स्टालों के बड़े पैमाने पर होने के कारण यह बिल्कुल भी संभव नहीं है।
- **अवैध सिगरेट के व्यापार हेतु अन्य तरीकों की खोज पर बल देना :**
  - मान्य सिगरेट के रूप में कुल तंबाकू का केवल 8% सेवन किया जाता है। शेष की खपत 29 कर चोरी-प्रवण उत्पादों जैसे बीड़ी, चबाने वाले तंबाकू, खैनी और अवैध सिगरेट के माध्यम से की जाती है।
    - यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार, 2021 में भारत में अवैध सिगरेट की मात्रा 26.8 बिलियन स्टिक होने का अनुमान लगाया गया था। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा अवैध सिगरेट बाज़ार है।
  - वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने से उन्हें प्राप्त करने के लिये अवैध रास्ता अपनाना पड़ता है। अवैध बाज़ार में सिगरेट और भी निम्न गुणवत्ता की हो जाती है जिससे व्यक्ति की भलाई से ज़्यादा और अधिक नुकसान हो सकता है।
- **वेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था का अभाव:**
  - बहरहाल, प्रस्तावित कदम से खपत और बिक्री में कमी आएगी, लेकिन अगर वेंडर लाइसेंसिंग व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती है तो प्रतिबंध बहुत प्रभावी नहीं होगा।
  - सरकार को विक्रेता लाइसेंसिंग सुनिश्चित किये जाने पर भी विचार करना चाहिये।
  - क्योंकि सिगरेट हर जगह उपलब्ध नहीं होगी, खपत की पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाएगी।

भारत में तंबाकू नियंत्रण के उपाय

- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:**
  - देशों की सरकारें WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) के तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाती और लागू करती हैं।
  - यह WHO के तत्त्वावधान में की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - इसे 21 मई, 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया और 27 फरवरी, 2005 को लागू किया गया था ।
- **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:**
  - इसने 1975 के सिगरेट अधिनियम को प्रतिस्थापित किया (यह बड़े पैमाने पर वैधानिक चेतावनियों- 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है', के साथ सिगरेट पैक और विज्ञापनों में प्रदर्शित किया गया था तथा इसमें गैर-सिगरेट शामिल नहीं थे)।
  - 2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, चुरूट, पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटका भी शामिल थे।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), 2008:**
  - उद्देश्य: तंबाकू की खपत को नियंत्रित करना और तंबाकू की खपत से संबंधित मौतों को कम करना
  - गतिविधियाँ: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियाँ; तंबाकू नियंत्रण कानून; रिपोर्टिंग सर्वेक्षण और निगरानी तथा तंबाकू की समाप्ति।

- **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2020:**
  - यह अनिवार्य था कि निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैकेज के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम-से-कम 85% हिस्से को कवर करे।
  - इसमें से 60% चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेंगे और 25% पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी को कवर करेंगे।
- **एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम:**
  - यह तंबाकू की समाप्ति के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली एक पहल है।
  - सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत ने 2016 में पाठ संदेशों का उपयोग करते हुए mCessation लॉन्च किया था।
    - यह तंबाकू सेवन छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और उन्हें गतिशील समर्थन प्रदान करने वाले कार्यक्रम विशेषज्ञों के बीच दो-तरफा संदेश का उपयोग करता है।
- **प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981:** यह अधिनियम धूम्रपान को वायु प्रदूषक के रूप में मानता है।
- **केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन अधिनियम, 2000:** यह भारत में तंबाकू और शराब से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत विनियम जारी किये हैं, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि तंबाकू या निकोटीन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जा सकता है।
- तंबाकू सेवन के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

आगे की राह

- व्यापक तंबाकू नियंत्रण नीति, COTPA के कार्यान्वयन को मज़बूत करने वाली सुलभ और सस्ती सेवाओं की समाप्ति, तंबाकू कृषक, प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगे लोगों के लिये वैकल्पिक अवसरों की आवश्यकता है।
- शिक्षा और जागरूकता के बढ़ते स्तर के साथ खुली सिगरेट खरीदने का अनुपात कम करना। अभियानों, स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों, मज़बूत और प्रमुख ग्राफिक के रूप में स्वास्थ्य चेतावनियों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना।

DST की वर्षांत समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology- DST) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

2022 में DST की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **वैश्विक S&T सूचकांकों में भारत की रैंकिंग:**
  - भारत ने वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2022 में विश्व की बड़ी नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में 40वाँ स्थान हासिल किया है।
  - नेशनल साइंस फाउंडेशन डेटाबेस के अनुसार, वैज्ञानिक प्रकाशन, उच्च शिक्षा प्रणाली में पीएचडी की संख्या और स्टार्ट-अप की संख्या के लिहाज़ से देश शीर्ष 3 देशों में बना हुआ है।
- **मज़बूत स्टार्ट-अप और नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण:**
  - नवाचारों के विकास एवं संवर्द्धन के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations- NIDHI) कार्यक्रम के तहत DST देश भर में टेक्नोलॉजी बिज़नस इन्क्यूबेटर्स (TBI) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंटरप्रेन्योर्स पार्क्स (STEP) का नेटवर्क स्थापित करने में अग्रणी रहा है।
  - नए PRAYAS केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2022 के दौरान देश भर में चल रहे अन्य PRAYAS केंद्रों को समर्थन प्रदान किया गया जो युवा नवप्रवर्तकों को उनके विचारों को व्यावहारिकता में बदलने में सहायता कर रहे हैं।
- **सुपरकंप्यूटिंग में नए मुकाम हासिल कर रहा है भारत:**
  - देश के पाँच संस्थानों (IIT खड़गपुर, NIT त्रिची, IIT गांधीनगर, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी) में उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर स्थापित किये गए हैं।
- **साइबर फिजिकल डोमेन में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा:**
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में अंत:विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems- NM-ICPS) को पाँच साल की अवधि के लिये मंज़ूरी दी, जिसे DST द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
    - मिशन को देश भर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में बनाए गए 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों (Technology Innovation Hubs- TIHs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - **कुछ नए नवाचारों में शामिल हैं:**
    - XraySetu: ARTPARK के AI शोधकर्त्ताओं ने XraySetu नामक एक AI संचालित प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो पिक्चर से चेस्ट एक्स-रे का विश्लेषण कर पाएगा।
    - रक्षक: IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों की एक टीम ने उपचारात्मक कार्रवाई, ज्ञान स्किमिंग और कोविड-19 के समग्र विश्लेषण (रक्षक) के तहत कोविड-19 की जाँच

नोट :

के लिये एक टेपेस्ट्री विधि विकसित की है, जो IIT जोधपुर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH) द्वारा समर्थित एक प्रयास है।

- **अंतर्राष्ट्रीय एस एंड टी जुड़ाव पर भारत की स्थिति मज़बूत करना:**
  - भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और वर्ष 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
    - इसी के हिस्से के रूप में DST 2023 में भारत जी20 अध्यक्षता के दौरान साइंस-20 (S20) एवं रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (RIIG) जुड़ाव समूहों की गतिविधियों के समन्वय की ज़िम्मेदारी लेता है।
  - पहले चरण में संयुक्त रूप से 20 क्यूबिट सुपरकंडक्टिंग आधारित क्वांटम कंप्यूटर तैयार करना है और दूसरे चरण में इसे 54 क्यूबिट तक बढ़ाने की योजना है। क्वांटम कंप्यूटिंग में वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिये भारत ने फिनलैंड के साथ हाथ मिलाया है।
- **भू-स्थानिक डेटा, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी:**
  - हाल ही में दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक सूचना कॉन्ग्रेस (UNWGIC) 'ग्लोबल विलेज को भू-सक्षम बनाना: कोई भी पीछे न रहे' विषय पर हैदराबाद में 10-14 अक्तूबर, 2022 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
  - देश के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) ने स्वामित्त्व (ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक की मदद से मैपिंग एवं गाँवों के सर्वे की योजना) के हिस्से के रूप में 2 लाख से अधिक गाँवों की आबादी वाले इलाकों का ड्रोन से सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया है।
  - उपयोगकर्त्ताओं को विभिन्न डिजिटल भू-स्थानिक उत्पाद (मुफ्त और उचित एवं पारदर्शी मूल्य के साथ) प्रदान करने के लिये ऑनलाइन मानचित्र पोर्टल शुरू किया गया।
  - बाढ़ ज़ोखिम के बेहतर मानचित्रण और योजना संबंधी उद्देश्यों के लिये बेहद स्पष्ट GIS और डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) प्रदान करने के लिये प्रमुख नदी बेसिनों हेतु उच्च रिज़ॉल्यूशन का मानचित्रण किया जा रहा है।
- **सभी हितधारकों के लिये वैज्ञानिक बुनियादी ढाँचा सुलभ करना:**
  - S&T इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिये कोष' के तहत 'विश्वविद्यालय शोध और वैज्ञानिक उत्कृष्टता (PURSE) को प्रोत्साहन' के तहत चार नए विश्वविद्यालयों और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों एवं विश्वविद्यालयों में 65 विभागों को अनुसंधान बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ S&T इंफ्रास्ट्रक्चर (FIST) के तहत सहायता प्रदान की गई।
- **ऊर्जा और पर्यावरण चुनौतियों का समाधान:**
  - अपनी तरह की पहली डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ऑपरेटर (DSO) रिपोर्ट तैयार की गई है जो भारतीय विद्युत क्षेत्र की परिचालन और वित्तीय स्थिति को बदलने में मदद कर सकती है। इससे उद्योग में आवश्यक निवेश व नवाचार को आकर्षित करने के लिये निजी क्षेत्र के भरोसे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  - एक रियल टाइम प्रदूषण निगरानी फोटोनिक सिस्टम, एयर यूनिक क्वॉलिटी मॉनीटरिंग सिस्टम (AUM) विकसित किया गया है जो सभी वायु गुणवत्ता मानकों की उच्च संवेदनशीलता और सटीकता के साथ वास्तविक समय में दूरस्थ निगरानी करने में सक्षम है।
  - हैदराबाद में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है।
    - इसके साथ सरकारी स्वामित्त्व वाली इंजीनियरिंग फर्म भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले से मेथनॉल बनाने की सुविधा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
- **नए क्षेत्रों में विस्तार:**
  - विभाग जलवायु परिवर्तन पर दो राष्ट्रीय मिशनों को संचालित कर रहा है। चार नए राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ (SCCC) गोवा, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में स्थापित किये गए हैं।
- **महिला वैज्ञानिकों के लिये कॅरियर के अवसर:**
  - DST अपनी प्रमुख पहल 'विज्ञान ज्योति' के माध्यम से मेधावी लड़कियों को कम प्रतिनिधित्त्व वाले विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कॅरियर के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।
  - बेसिक और अप्लाइड साइंसेज़ के 5 विषय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिये महिला वैज्ञानिक योजना-A (WOS-A) के तहत महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान सहायता प्रदान की गई।
  - महिला वैज्ञानिकों को 01-03 महीने की अवधि के लिये दुनिया भर के प्रमुख संस्थानों/विश्वविद्यालयों का दौरा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु 'सर्ब-पावर मोबिलिटी ग्रांट' (SERB-POWER Mobility Grant) की शुरुआत की गई।
- **विरासत का संरक्षण:**
  - DST के विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (श्री) कार्यक्रम के तहत पट्टामदाई चटाई (MAT) के उपयोग की संभावनाएँ

खोजी गई हैं। यह एक ऐसी चटाई होती है जिसे कोरई घास को सूती धागों से बुनकर बनाया जाता है। इसका कक्षाओं में बाहरी शोरगुल को दूर रखने और स्टूडियो में उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- इससे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की इस पारंपरिक कला की मांग बढ़ सकती है।

- **राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताएँ:**
  - समर्पित योजना, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (Science and Engineering Research Board- SERB) द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस (State University Research Excellence SERB-SURE) शुरू की गई है। इसका मकसद निजी सहित राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मज़बूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- **अच्छा प्रयोगशाला अभ्यास (Good Laboratory Practice- GLP):**
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) सिद्धांतों के अनुसार गैर-नैदानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययन करने, भारतीय टेस्ट सुविधाओं/प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिये बेहतर राष्ट्रीय प्रयोगशाला अभ्यास (GLP) अनुपालन निगरानी कार्यक्रम लागू कर रहा है।
- **कुछ प्रमुख क्षेत्रों में नीति निर्माण:**
  - इस वर्ष दो दिशा-निर्देश जारी किये गए और दो प्रमुख नीतियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
    - वैज्ञानिक अनुसंधान अवसंरचना साझा रखरखाव एवं नेटवर्क (Scientific Research Infrastructure Sharing Maintenance and Networks- SRIMAN) दिशा-निर्देश
    - वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Scientific Social Responsibility- SSR) दिशा-निर्देश
    - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (Science, Technology and Innovation- STI) नीति
    - राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया।

- इसका उद्देश्य 42 विधानों में 183 अपराधों का "गैर-अपराधीकरण" करना है और भारत में रहने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना है।
- विधेयक द्वारा संशोधित किये गए कुछ अधिनियमों में शामिल हैं: भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

प्रमुख बिंदु

- **कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण:**
  - विधेयक के तहत कुछ अधिनियमों में कारावास की सज़ा वाले कई अपराधों को केवल अर्थ दंड लगाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
  - **उदाहरण के लिये:**
    - कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत नकली ग्रेड पदनाम चिह्न तीन वर्ष तक के कारावास और पाँच हज़ार रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। ग्रेड पदनाम चिह्न वर्ष 1937 अधिनियम के तहत वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है।
    - यह विधेयक इसके स्थान पर आठ लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है।
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक वैध अनुबंध के उल्लंघन में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर तीन साल तक की कैद या पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
    - यह विधेयक इसके स्थान पर 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
    - उदाहरण के लिये पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत भारत में पेटेंट के रूप में गलत प्रतिनिधित्व वाली वस्तु बेचने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - कुछ अधिनियमों में दंड के बजाय जुर्माना लगाकर अपराधमुक्त कर दिया गया है।
    - यह विधेयक अर्थदंड (फाइन) के स्थान पर जुर्माने (पेनाल्टी) का प्रावधान करता है, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है। दावा जारी रखने की स्थिति में प्रतिदिन एक हज़ार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।

- **अर्थदंड और जुर्माने में संशोधन:**
  - यह विधेयक निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत विभिन्न अपराधों के लिये अर्थदंड और ज़ुर्माने में वृद्धि करता है।
    - इसके अलावा इन अर्थदंड और ज़ुर्माने को प्रति तीन वर्ष में न्यूनतम राशि के 10% तक बढ़ाया जाएगा।
- **निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति:**
  - विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार दंड निर्धारित करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्त कर सकती है। निर्णायक अधिकारी: (i) व्यक्तियों को साक्ष्य के लिये समन भेज सकते हैं और (ii) संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जाँच कर सकते हैं।
- **अपीलीय तंत्र:**
  - विधेयक न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से परेशान किसी भी व्यक्ति के लिये अपीलीय तंत्र को भी निर्दिष्ट करता है।
    - उदाहरण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

विधेयक को लाने के पीछे उद्देश्य:

- **आपराधिक मामलों में वृद्धि:**
  - दशकों से विधिवेत्ता इस बात से चिंतित हैं कि आपराधिक कानून सिद्धांतहीन रूप से विकसित हुआ है।
  - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, 4.3 करोड़ लंबित मामलों में से लगभग 3.2 करोड़ मामले आपराधिक कार्यवाही से संबंधित हैं।
- **राजनीतिक उद्देश्य:**
  - गलत आचरण हेतु दंडित करने के विपरीत अपराधीकरण अक्सर सरकारों के लिये एक मज़बूत छवि पेश करने का उपकरण बन जाता है।
  - सरकारें इस तरह के फैसलों का समर्थन बहुत कम करती हैं। इस घटना को विद्वानों द्वारा "अतिअपराधीकरण" कहा गया है।
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, कुल 4.25 लाख की क्षमता वाली जेलों में 5.54 लाख कैदी थे।

विधेयक का दायरा:

- विधेयक 'अर्द्ध-गैरअपराधीकरण' (Quasi-Decriminalisation) को भी अपने दायरे में ला सकता है।
- ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट जेल्ड फॉर डूइंग बिज़नेस के अनुसार, भारत में कुल 843 आर्थिक विधानों, नियमों तथा विनियमों में 26,134 से अधिक कारावास संबंधी उपखंड हैं जो भारत में व्यवसायों एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करते हैं।
  - इस आलोक में विधेयक के तहत गैर-अपराध की श्रेणी में शामिल किये गए अपराधों की संख्या केवल भारत के नियामक ढाँचे में अल्प मात्रा में गिरावट को दर्शाती है।
- न केवल व्यापार सुगमता बल्कि उन सभी बुराइयों, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करती हैं, के दृष्टिकोण से भी 'गैर-अपराधीकरण' के लिये विचार किये जाने वाले विनियामक अपराधों की प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- यह विधेयक सरकार की इस सहमति के अनुरूप है कि गैर-अपराधीकरण नियामक क्षेत्र तक सीमित होना चाहिये।

RTI जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने सूचना का अधिकार (Right to Information- RTI) अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है।

प्रमुख बिंदु

- महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है।
- इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल थे।
- बिहार राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशित आकलन के लिये RTI अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया और इसकी निपटान दर 67% है।
- देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों ने बिना कोई आदेश पारित किये मामले वापस कर दिये थे।
  - उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से लगभग 40% को वापस कर दिया।
  - 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किये अपील या शिकायत वापस कर दी थी।
- सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रति आयुक्त निपटान की दर बेहद कम है।

- उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षिक औसत निपटान दर प्रति आयुक्त 222 थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्किल से एक मामले का निपटान कर रहा था। वैसे लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी।

- सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाली अपीलों अथवा शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है।

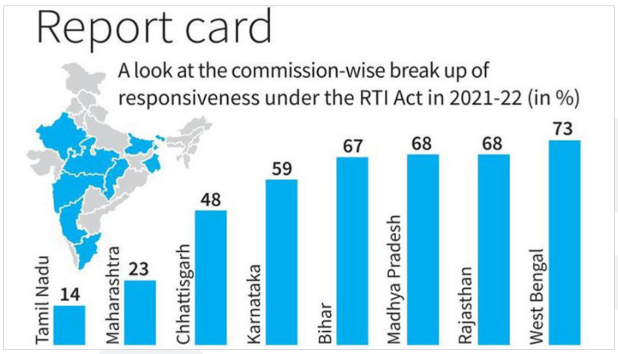

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम:

- **परिचय:**
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिये नागरिकों के प्रश्नों के प्रति समयबद्ध जवाबदेही अनिवार्य बनाता है।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज़ में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिये कार्य करना है।
- **सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019**
  - इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पद धारण करेंगे। इस संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 साल के लिये तय किया गया था।
  - इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
    - इस संशोधन से पूर्व, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थीं एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त (राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त) के समान थीं।
  - इसने मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिये पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती से संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया, जो उन्हें उनकी सरकारी नौकरी के लिये प्राप्त हुए थे।
  - RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आलोचना कानून को कमज़ोर करने और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ देने के आधार पर की गई थी।
- **कार्यान्वयन में समस्याएँ:**
  - सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र में गैर-अनुपालन।
  - नागरिकों के प्रति लोक सूचना अधिकारियों (Public Information Officers-PIOs) का शत्रुतापूर्ण रवैया और सूचना छिपाने के लिये सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या करना।
  - जनहित और निजता के अधिकार के संबंध में स्पष्टता का अभाव।
  - राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव और खराब बुनियादी ढाँचा।
  - सार्वजनिक महत्त्व के आवश्यक मामलों पर सक्रिय नागरिकों द्वारा किये गए सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति।
  - RTI कार्यकर्त्ताओं और आवेदकों की आवाज़ दबाने के लिये उनके खिलाफ हमलों एवं धमकियों जैसे अन्य साधन।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):

- **स्थापना:** CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
- **सदस्य:** इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- **नियुक्ति:** उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- **कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रह सकता है।
- वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
- **CIC की शक्तियाँ और कार्य:**
  - आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे।
  - आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वत: संज्ञान (Suo-Moto Power) लेते हुए जाँच का आदेश दे सकता है।

- आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेज़ों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

आगे की राह

- सूचना आयोगों का उचित कामकाज़ लोगों को सूचना के अधिकार का एहसास कराने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - RTI कानून के तहत सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं तथा लोगों के सूचना के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और सुविधा के लिये अनिवार्य हैं।
- अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिये पारदर्शिता प्रहरी की तत्काल आवश्यकता है।
- डिजिटल RTI पोर्टल (वेबसाइट या मोबाइल एप) अधिक कुशल और नागरिक-अनुकूल सेवाएँ प्रदान कर सकता है जो परंपरागत मोड के माध्यम से संभव नहीं है।
  - यह पारदर्शिता चाहने वालों और सरकार दोनों के लिये फायदेमंद होगा।

भीड़ प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

सियोल, दक्षिण कोरिया और गुजरात के मोरबी में हाल की त्रासदियों ने एक बार फिर भीड़ एवं उनके प्रबंधन को सुर्खियों में ला दिया है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आपदाओं के प्रबंधन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अधिदेशित किया गया है जो समय-समय पर सामान्य जीवन व लोगों की भलाई को प्रभावित करते हैं।

भीड़ प्रबंधन:

- भीड़ प्रबंधन को व्यवस्थित योजना के रूप में परिभाषित किया गया है और लोगों की व्यवस्थित आवाजाही और जनसमूह की निगरानी के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भीड़ प्रबंधन में उपयोग से पहले किसी स्थान की क्षमताओं का आकलन शामिल है।
- इसमें अधिभोग के अनुमानित स्तरों का मूल्यांकन, प्रवेश और निकास के साधनों की पर्याप्तता, प्रसंस्करण प्रक्रियाएँ जैसे- टिकट संग्रह एवं अपेक्षित प्रकार की गतिविधियाँ तथा समूह व्यवहार शामिल हैं।

भीड़ आपदा/भगदड़ के कारण:

- **संरचनात्मक विफलताएँ:**
  - अवैध संरचनाओं, फेरीवालों और पार्किंग, अंतरिम सुविधाओं, ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों, संकीर्ण इमारतों के विध्वंस के कारण।
- **बिजली/अग्नि आपदाएँ:**
  - उत्सव के दौरान पटाखों का अनुचित उपयोग या गलत वायरिंग एक सामान्य कारण है।
  - बिजली की आपूर्ति में विफलता से दहशत पैदा होती है और अचानक भगदड़ शुरू हो जाती है।
- **भीड़ का व्यवहार:**
  - भीड़ को कम करना, प्रबंधन के साथ समन्वय की कमी, टिकटों की अधिक बिक्री, सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ या मुफ्त उपहार प्राप्त करने के लिये अचानक भीड़ या अफवाहों से बड़े पैमाने पर घबराहट।
    - लोगों को अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये कम-से-कम 1 वर्ग गज जगह की आवश्यकता होती है। भीड़ में मरने वाले ज़्यादातर लोग सीधे खड़े होने पर दम घुटने से मरते हैं, रौंदने से नहीं।
- **अपर्याप्त सुरक्षा:**
  - सुरक्षा टीमों की अपर्याप्त तैनाती के कारण आँसू गैस के गोले दागने जैसे कठोर उपाय करना।
- **प्रशासनिक एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी:**
  - अग्निशमन सेवा, पुलिस, धर्मस्थल प्रबंधन आदि के बीच अपर्याप्त समन्वय।

भीड़ प्रबंधन संबंधी NDMA दिशा-निर्देश:

- पहला कदम पांडालों और दशहरा मैदानों के आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को विनियमित करना है।
  - पैदल चलने वालों के लिये कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने हेतु रूट मैप और आपातकालीन निकास मार्ग आदि का सटीक निर्धारण किया जाना चाहिये। कतारबद्ध लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये बैरिकेडिंग बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- आंदोलन पर नज़र रखने के लिये सीसीटीवी कैमरे और अन्य छोटे-मोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिये पुलिस की मौजूदगी भी आयोजकों के एजेंडे के अंतर्गत होनी चाहिये।
- संकरे अथवा बंद (क्लॉस्ट्रोफोबिक) स्थानों में चिकित्सा आपात संबंधी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में एक एम्बुलेंस और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जीवन रक्षा में काफी सहायक हो सकते हैं।
- भगदड़ जैसी स्थितियों में लोगों को निकास मार्गों से परिचित कराने, शांत रहने और निर्देशों के पालन में मदद करनी चाहिये।
- भगदड़ की स्थिति में व्यक्तियों को एक मुक्केबाज़ की भाँति हाथ जोड़कर अपनी छाती की रक्षा करनी चाहिये और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना चाहिये।
- आयोजकों को बिजली, अग्निशमन यंत्रों का अधिकृत उपयोग और सुरक्षा दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाली अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिये।

- आसपास के अस्पतालों की एक सूची तैयार रखना मददगार हो सकती है। हल्के, सूती कपड़े पहनने जैसी साधारण सावधानियाँ और आग बुझाने के लिये सामान्य तरीकों का ज्ञान होना ज़रूरी है।

आगे की राह

- वर्तमान विश्व में भीड़ प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये, विशेषकर भारत में।
- बड़ी संख्या में विनाशकारी घटनाएँ मानवीय त्रुटि के कारण होती हैं, सक्रिय उपायों की योजना बनाकर और उन्हें लागू करके इन आपदाओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा पिछली त्रुटियों का विश्लेषण करना व उनसे सबक लेना महत्त्वपूर्ण है।
- भीड़ आपदा समाज में हर किसी के लिये चिंता का विषय है। नेतृत्त्व करने में सरकार की ज़िम्मेदारी के बावजूद भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने में आम जनता की भी प्रमुख भूमिका होनी चाहिये।

निशुल्क खाद्यान्न योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज) प्रदान करने के लिये एक अधिसूचना जारी की।

- हालाँकि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया।

मोटे अनाज (Coarse Cereals):

- मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।
  - कृषि-जलवायु क्षेत्र फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिये उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई है।
- ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी (Finger millet) और अन्य छोटे कदन्न जैसे कोदो (Kodo), कंगनी या टांगुन (Foxtail), चेना (Proso) एवं सावाँ (Barnyard) एक साथ मोटे अनाज (Coarse Cereals) कहलाते हैं।
  - ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और अन्य छोटे कदन्न (कोदो, कंगनी या टांगुन, चेना एवं सावाँ) पोषक अनाज (Nutri-cereals) भी कहलाते हैं।
- मोटे अनाज पोषक तत्त्वों से भरपूर सामग्री के लिये जाने जाते हैं और इनमें सूखा सहिष्णु, प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आदि जैसी विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013:

- **अधिसूचित:**
  - 10 सितंबर, 2013
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचित गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- **कवरेज:**
  - लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत का कवरेज किया गया है।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है।
- **पात्रता:**
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों को TPDS के तहत कवर किया जाना है।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार।
- **प्रावधान:**
  - प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जाता है।
  - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्त्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

इस संबंध में सरकार की पहलें:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- तिलहन, दलहन, ताड़ के तेल और मक्का पर एकीकृत योजनाएँ (ISOPOM)
- E-नाम पोर्टल

भारतीय राजनीति

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार के लिये आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 लोगों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना:

- **परिचय:**
  - यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के बीच मतभेद के कारण आधिकारिक कार्रवाई जैसे कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से अलग रहने से संबंधित है।
- **खुद को सुनवाई से अलग रखने संबंधी नियम:**
  - पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
    - रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करता है।
    - न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।
- **खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारण:**
  - जब हितों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का निर्णय करते समय पक्षपात किया है।
  - **हितों का टकराव कई तरह से हो सकता है जैसे:**
    - मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होना।
    - किसी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लिये पेश कियावकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार।
    - उच्च न्यायालय (High Court- HC) के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है, जिस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तब लिया गया जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
    - किसी कंपनी के मामले में जिसमें उसके शेयर हैं जब तक कि उसने अपने हित का खुलासा नहीं किया है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
  - यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के कार्डिनल सिद्धांत से उत्पन्न होती है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।
    - कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा क्योंकि एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे।

सुनवाई से अलग रहने की प्रक्रिया:

- सामान्यत: सुनवाई से अलग होने का फैसला न्यायाधीश खुद करता है क्योंकि यह हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करने के लिये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
  - कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखिक रूप से खुद को अलग करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ कालानुक्रमिक क्रम में कारण बताते हैं।
- कुछ परिस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
  - हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने विरोध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।
- यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी चिंताएँ:

- **न्यायिक स्वतंत्रता को कम करना:**
  - यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक निष्पक्षता को कम करता है।
  - साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों को कमज़ोर करता है।
- **विभिन्न व्याख्याएँ:**
  - चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नियम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।

- **प्रक्रिया में देरी:**
  - कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह

- न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच चुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने हेतु एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का विरोध करना चाहिये, चाहे वह कहीं से भी हो और यदि वे विचलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान भी कमज़ोर हो जाएगा।
- इसलिये एक नियम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द-से-जल्द बनाया जाना चाहिये।

न्यायालय अवकाश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में वार्षिक शीतकालीन अवकाश के दौरान अवकाश पीठ नहीं होगी।

- हालाँकि इस न्यायिक अवकाश की उत्पत्ति औपनिवेशिक प्रथाओं में हुई है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी आलोचना की जा रही है।

न्यायालय अवकाश:

- **परिचय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिये एक वर्ष में 193 कार्य दिवस होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय लगभग 210 दिनों के लिये कार्य करते हैं और ट्रायल कोर्ट 245 दिनों के लिये कार्य करते हैं।
  - उच्च न्यायालयों के पास सेवा नियमों के अनुसार अपने कैलेंडर बनाने की शक्ति है।
  - सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक वर्ष दो लंबी अवधि के अवकाश होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश, लेकिन इन अवधियों के दौरान तकनीकी रूप से पूरी तरह से न्यायालय का कामकाज बंद नहीं होता है।
- **अवकाश पीठ (Vacation Bench):**
  - सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ CJI द्वारा गठित एक विशेष पीठ है।
  - याचिकाकर्त्ता अभी भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और यदि न्यायालय यह निर्णय लेता है कि याचिका 'अत्यावश्यक मामला' है, तो अवकाश पीठ मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करती है।
  - जमानत, बेदखली आदि जैसे मामलों को अक्सर अवकाश पीठों के समक्ष सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाती है।
    - अवकाश के दौरान न्यायालयों के लिये महत्त्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करना असामान्य नहीं है।
    - वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना के लिये संवैधानिक संशोधन की चुनौती पर सुनवाई की।
    - वर्ष 2017 में एक संविधान पीठ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तीन तलाक की प्रथा को चुनौती देने वाले मामले में छह दिन तक सुनवाई की।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 2013 के आदेश II के नियम 6 के तहत CJI ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आवश्यक विविध मामलों की सुनवाई और नियमित सुनवाई हेतु खंडपीठों को नामित किया है।
  - नियम में कहा गया है कि CJI ग्रीष्मकालीन या सर्दियों के अवकाश के दौरान तत्काल प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिये एक या एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो इन नियमों के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा सुने जा सकते हैं।
  - और जब भी आवश्यक हो, वह अवकाश के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये एक खंडपीठ भी नियुक्त कर सकता है, जिसमें सुनवाई न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की जानी चाहिये।

न्यायालय अवकाश संबंधी मुद्दे:

- **न्याय चाहने वालों के लिये असुविधाजनक:**
  - न्यायालयों को मिलने वाला लंबा अवकाश न्याय चाहने वालों के लिये बहुत सुविधाजनक नहीं है।
- **लंबित मामलों के संदर्भ में बुरे संकेत:**
  - विशेष रूप से मामलों की बढ़ती लंबितता और न्यायिक कार्यवाही की धीमी गति के आलोक में विस्तारित लगातार अवकाश अच्छे संकेत नहीं हैं।
  - सामान्य मुकदमेबाज़ी के मामले में अवकाश का मतलब मामलों को सूचीबद्ध करने में और अधिक अपरिहार्य देरी से है।

नोट :

- **यूरोपीय प्रथाओं के साथ असंगत:**
  - ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत शायद इसलिये हुई क्योंकि भारत के संघीय न्यायालय के यूरोपीय न्यायाधीशों के अनुसार, भारतीय ग्रीष्मकालीन समय में काफी गर्मी रहती थी और इसी प्रकार क्रिसमस के लिये शीतकालीन अवकाश का भी प्रावधान किया गया।

आगे की राह

- इस मुद्दे को हल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक "नई प्रणाली" विकसित नहीं की जाती है।
- वर्ष 2000 में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिये न्यायमूर्ति मालिमथ समिति ने सुझाव दिया कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिनों तक कम किया जाना चाहिये। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिये 206 दिन और उच्च न्यायालय के लिये 231 दिन काम करने का सुझाव दिया गया।
- भारत के विधि आयोग ने वर्ष 2009 में अपनी 230वीं रिपोर्ट में इस प्रणाली में सुधार का आह्वान किया, अचंभित कर देने वाले बकाया मामलों को देखते हुए सुझाव दिया कि उच्च न्यायपालिका में अवकाश को कम-से-कम 10 से 15 दिनों तक कम किया जाना चाहिये और न्यायालय के काम के घंटों को कम-से-कम आधा घंटा बढ़ाया जाना चाहिये।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नए नियमों को अधिसूचित किया और इसके अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि पहले के 10 सप्ताह की अवधि की तुलना में अब सात सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

केरल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालयों के शासन से संबंधित कानूनों में संशोधन करने और राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटाने के लिये विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया।

पृष्ठभूमि:

- महीनों से केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव चल रहा था।
- यह स्थिति तब और भी बदतर हो गई जब राज्यपाल ने राज्य विधानसभा द्वारा पहले पारित विवादास्पद लोकायुक्त (संशोधन) और विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयकों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया।
- राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बिगड़ता संबंध सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ एक महत्त्वपूर्ण बिंदु पर पहुँच गया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (KTU) के कुलपति (VC) की नियुक्ति को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का उल्लंघन किया है।
- इसके बाद राज्यपाल ने 11 अन्य कुलपतियों के इस्तीफे इस आधार पर मांगे थे कि सरकार ने उन्हें उसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध माना था।

विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक:

- प्रस्तावित कानून केरल में विधायी अधिनियमों द्वारा स्थापित 14 विश्वविद्यालयों के कानूनों में संशोधन करेगा तथा राज्यपाल को उन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाएगा।
- विधेयक राज्यपाल के स्थान पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में प्रख्यात शिक्षाविदों को नियुक्त करने के लिये सरकार को प्राधिकृत करेगा, इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्यपाल की निगरानी भूमिका समाप्त हो जाएगी।
- इन विधेयकों में नियुक्त कुलाधिपति के कार्यकाल को पाँच वर्ष तक सीमित करने का भी प्रावधान है। हालाँकि इसमें यह भी कहा गया है कि सेवारत कुलाधिपति को दूसरे कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

प्रस्ताव का पक्ष और विपक्ष:

- **पक्ष:**
  - पहले यूजीसी दिशा-निर्देश केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये अनिवार्य हुआ करते थे और राज्य विश्वविद्यालयों के लिये "आंशिक रूप से अनिवार्य एवं आंशिक रूप से निर्देशात्मक" होते थे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल के फैसलों के माध्यम से इन्हें सभी विश्वविद्यालयों के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया।
  - यह एक ऐसे परिदृश्य की ओर इशारा करती है जिसमें समवर्ती सूची (संविधान की) के सभी विषयों पर विधानसभा की विधायी शक्तियों को अधीनस्थ कानून या केंद्र द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कम किया जा सकता है।
  - कहा जा रहा है कि भविष्य में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिये यह विधेयक लाया गया था।
- **विपक्ष:**
  - यदि कुलाधिपति सरकार द्वारा नियुक्त किये गए, तो वे सत्तारूढ़ मोर्चे के ऋणी होंगे और इससे वे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के क्षरण की ओर अग्रसर होंगे।

नोट :

- यह सत्तारूढ़ मोर्चे के करीबी लोगों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान कर सकता है।
    - इससे एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण होगा जिसमें राज्यपाल केवल उन लोगों को नियुक्त कर सकता है जो सरकार के करीबी हैं।

UGC नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम, 2018 के अनुसार, एक विश्वविद्यालय का कुलपति सामान्य रूप से विधिवत गठित खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन से पाँच नामों के पैनल से विज़िटर/ चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- किसी भी विज़िटर के पास यह अधिकार होता है कि पैनल द्वारा सुझाए गए नामों से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह नामों के एक नए सेट की मांग कर सकता है।
- भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन विज़िटर होता है और राज्यों के राज्यपाल संबंधित राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।
- यह प्रणाली सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से एक समान नहीं है। जहाँ तक अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध है, उनमे भिन्नताएँ होती हैं।

विश्वविद्यालय के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

- **राज्य विश्वविद्यालय:**
    - राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सभी विश्वविद्यालयों के मामलों पर स्वयं निर्णय लेता है।
- **केंद्रीय विश्वविद्यालय:**
    - केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य विधियों के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विज़िटर होगा।
    - केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में चुना जाता है, उनके कर्तव्य दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित हैं।
    - कुलपति की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनलों से विज़िटर/आगंतुक द्वारा की जाती है।
    - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को विज़िटर के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने एवं पूछताछ करने का अधिकार होगा।

आगे की राह

- वर्ष 2009 में केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा गठित एम. आनंदकृष्णन समिति ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिये।
- एक ऐसी वैधानिक संरचना का निर्माण किया जाए ताकि विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री को हस्तक्षेप से दूर रखा जा सके।
- इसमें यूजीसी विनियम, 2010 को तुरंत शामिल करने की भी सिफारिश की गई है।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्यपाल को उन पदों और शक्तियों का बोझ नहीं उठाना चाहिये जो संविधान में निर्दिष्ट नहीं हैं तथा विवाद या सार्वजनिक आलोचना का कारण बन सकते हैं।
- सरकारों को विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिये वैकल्पिक उपाय तलाशने चाहिये ताकि सत्ताधारी दल विश्वविद्यालयों के कामकाज पर अनुचित प्रभाव न डालें।

विनियोग विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2022 और विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2022 पेश किया।

- विनियोग विधेयक, 2022 को वित्त वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करने के लाया जाएगा।

विनियोग विधेयक:

- **परिचय:**
    - विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिये भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है।
        - संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।
        - निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिये किया जाता है।
- **प्रक्रिया:**
    - विनियोग विधेयक लोकसभा में बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद पेश किया जाता है।
        - संसदीय वोटिंग में विनियोग विधेयक के पारित न होने से सरकार को इस्तीफा देना होगा तथा आम चुनाव कराना होगा।

- लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है।
  - राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है।
  - हालाँकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेषाधिकार है।
- विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद यह विनियोग अधिनियम बन जाता है।
  - विनियोग विधेयक की अनूठी विशेषता इसका स्व-भंग खंड (auto repeal clause) है, जिससे यह अधिनियम अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद स्वयं ही निरस्त हो जाता है।
- विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। हालाँकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी सामान्य गतिविधियाँ चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती है। तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिये संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिये अग्रिम अनुदान देने हेतु अधिकृत किया है। इस प्रावधान को "लेखानुमोदन" के नाम से जाना जाता है।
  - लेखानुदान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में परिभाषित किया गया है।
  - चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो 'अंतरिम बजट' या 'वोट ऑन अकाउंट' का विकल्प चुनती है क्योंकि चुनाव के बाद सत्तारूढ़ सरकार और नीतियाँ बदल सकती हैं।

- **संशोधन:**
  - विनियोग विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जिसका प्रभाव इस प्रकार दिये गए किसी अनुदान की राशि में परिवर्तन या गंतव्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर प्रभारित किसी व्यय की राशि को बदलने का होगा और लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर ही ऐसा संशोधन स्वीकार्य है।

विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर:

- वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्तपोषण के प्रावधान शामिल हैं, जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकालने की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है।
- विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसके लिये राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है और विधेयकों को लौटाती है।

भारत की संचित निधि:

- इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत की गई थी।
- **इसमें समाहित हैं:**
  - करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-कर राजस्व।
  - सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बिल (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।
- सभी सरकारी व्यय इसी निधि से पूरे किये जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि से संबंधित हैं) और संसद के प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
- भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) इस निधि का लेखा परीक्षण करता है।

संसद में बजट की विभिन्न अवस्थाएँ:

- बजट की प्रस्तुति।
- आम चर्चा।
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
- अनुदान की मांगों पर मतदान।
- विनियोग विधेयक पारित करना।
- वित्त विधेयक पारित करना।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों ने विवाद को हल करने के लिये कानूनी लड़ाई का समर्थन करने हेतु एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद:

- **परिचय:**
  - उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी, कारवार और निपानी को लेकर सीमा संबंधी विवाद काफी पुराना है।
  - वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, जब राज्य की सीमाओं को भाषायी आधार पर निर्धारित किया गया, तब बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया।
    - यह अधिनियम वर्ष 1953 में नियुक्त न्यायमूर्ति फज़ल अली आयोग के निष्कर्षों पर आधारित था और उन्होंने दो वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
  - महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हिस्से, जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है, महाराष्ट्र के अंतर्गत रहने चाहिये।

- अक्तूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्त्व में महाजन आयोग की स्थापना की।
- इस आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक के अंतर्गत रहें। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज़ कर दिया और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

- **महाराष्ट्र के दावे का आधार:**
  - महाराष्ट्र का अपनी सीमा के पुन: समायोजन का दावा सामीप्य, सापेक्ष भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छा के आधार पर था। बेलगावी और आसपास के क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों तथा भाषायी एकरूपता के आधार पर दावे का मुख्य कारण कारवार एवं सुपा क्षेत्र में मराठी की बोली के रूप में उद्धृत भाषा कोंकणी का प्रयोग है।
  - इसका तर्क इस विचार पर केंद्रित था कि गणना समुदायों के आधार पर होनी चाहिये, और इसने प्रत्येक गाँव में भाषायी निवासियों की संख्या/आबादी को सूचीबद्ध किया।
  - महाराष्ट्र ने इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा किया कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों के राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही होते हैं।
- **कर्नाटक की स्थिति:**
  - कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है।
  - राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फिर से खोल देगा जिन पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अत: ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

समस्या के समाधान के लिये उठाए गए कदम:

- अंतर-राज्यीय विवादों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें केंद्र एक सूत्रधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करता है।
- यदि मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है, तो संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के लिये कानून ला सकती है, जैसे बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1968 और हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1979।
- बेलगावी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें सभी सीमा मुद्दों को हल करने के लिये प्रत्येक पक्ष के तीन मंत्रियों वाली छह सदस्यीय टीम बनाने के लिये कहा।

अन्य उपलब्ध तरीके:

- **न्यायिक निवारण:**
  - सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के तहत राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है।
- **अंतर-राज्यीय परिषद:**
  - संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिये अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है।
  - परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिये एक मंच के रूप में की गई है।
    - वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में गठित किया जाना चाहिये तथा वर्ष 1990 में यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आया।

अन्य अंतर्राज्यीय विवाद:

असम-अरुणाचल प्रदेश:	• असम और अरुणाचल प्रदेश 804.10 किमी. की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करते हैं। • वर्ष 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है। • एक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं।
असम-मिज़ोरम:	• मिज़ोरम अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक ज़िला हुआ करता था जो बाद में अलग राज्य बना। • मिज़ोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज ज़िलों से लगती है। • समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग-अलग धारणाएँ बनने लगीं।

	• मिज़ोरम चाहता है कि यह बाहरी प्रभाव से आदिवासियों की रक्षा के लिये वर्ष 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो, जो मिज़ो को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि का हिस्सा लगता है, असम का मानना है कि सीमा का निर्धारण बाद में तैयार की गई ज़िला सीमाओं के अनुसार किया जाए। • असम-नगालैंड: वर्ष 1963 में नगालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है। • दोनों राज्य असम के गोलाघाट ज़िले के मैदानी इलाकों के निकट एक छोटे से गाँव मेरापानी पर अपना दावा करते हैं। • वर्ष 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हिंसक झड़पों की खबरें आती रही हैं।
• असम-मेघालय:	• मेघालय ने करीब एक दर्जन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है।
• हरियाणा-हिमाचल प्रदेश:	• दो उत्तरी राज्यों (हरियाणा-हिमाचल प्रदेश) में परवाणू क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है, जो हरियाणा के पंचकुला ज़िले के समीप स्थित है। • हरियाणा ने इस क्षेत्र की ज़मीन के काफी बड़े हिस्से पर अपना दावा किया है और हिमाचल प्रदेश पर हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। • लद्दाख-हिमाचल प्रदेश: लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों केंद्रशासित प्रदेश सरचू क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जो लेह-मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिये एक प्रमुख पड़ाव बिंदु है। • यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले तथा लद्दाख के लेह ज़िले के बीच स्थित है।

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान का एक विकल्प हो सकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद से विवादों की जाँच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह सामाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

चर्चा में क्यों?

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) उन प्लेटफार्मों पर "कम शुल्क" अधिरोपित करेगा जो नेटवर्क के "रखरखाव और विकास" में योगदान देंगे।

- यह नेटवर्क देश में दो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों यूएस-आधारित अमेज़न और घरेलू फ्लिपकार्ट जैसे निजी ई-कॉमर्स द्वारा नेटवर्क पर विक्रेताओं एवं लॉजिस्टिक्स भागीदारों से लिये जाने वाले अनिवार्य कमीशन को कम करने का प्रयास करेगा।

ONDC:

- **परिचय:**
  - यह वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा स्थापित एक ओपन ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है।
  - ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक भागीदार ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये-अमेज़न) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
  - वर्तमान में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेन-देन के लिये खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही एप पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिये किसी खरीदार को अमेज़न (Amazon) पर किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिये अमेज़न के ही एप या वेबसाइट पर जाना होगा।
- **उद्देश्य:**
  - ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण।
  - विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ स्थानीय व्यवसायों के लिये समावेशिता और पहुँच।
  - उपभोक्ताओं के लिये विकल्पों और निर्भरता में वृद्धि।

ONDC के फायदे:

- **सबके लिये एकसमान अवसर:** ONDC सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये एकसमान अवसर प्रदान करने और देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) तथा छोटे व्यापारियों के लिये डिजिटल बाज़ार तक पहुँच के विस्तार का इच्छुक है।
- **प्रतिस्पर्द्धी और नवोन्मेषी पारितंत्र:** ONDC रिटेल, फूड और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों को रूपांतरित करने के लिये दिग्गज प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़कर आपूर्तिकर्त्ताओं व उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा।
- **उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता:** उपभोक्ता संभावित रूप से किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा को एक साझा मंच पर खोज सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है।
- **तटस्थ और विनियमित प्लेटफॉर्म:** ONDC ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने, खुले विनिर्देशों एवं नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करने तथा किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रहने पर लक्षित है।
  - यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे ओपन सोर्स-आधार पर कैटलॉगिंग, वेंडर मैच और प्राइस डिस्कवरी के लिये प्रोटोकॉल तय करेगा।

ONDC से संबंधित चुनौतियाँ:

- UPI के विपरीत ONDC को लागू करने के लिये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है।
- संतोषजनक सेवा प्रदानकर्त्ता के लिये मौजूदा ग्राहकों से पदग्राही ग्राहकों को बदलना मुश्किल होगा।
- हो सकता है कि नेटवर्क सहभागी प्रारंभ में महत्त्वपूर्ण बाज़ार विकास निवेश न करें।
- विक्रेता आधार में वृद्धि से नेटवर्क पर खरीदार के अनुभव में सुधार नहीं होगा।
- नेटवर्क पर मुद्रीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है।
- खरीदार और विक्रेता पक्षों के बेमेल होने के कारण अधिक ग्राहक बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।
- जवाबदेही पर स्पष्टता का अभाव, विशेष रूप से ग्राहकों की शिकायतों और रिटर्न को संबोधित करने के मामले में।

आगे की राह

- प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये सरकार द्वारा ई-कॉमर्स हेतु एक बेहतर डिजिटल स्पेस बनाया जाना चाहिये।
  - उपभोक्ताओं के साथ-साथ विक्रेताओं के लाभ के लिये विभिन्न भाषाओं और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए एक उचित डिजिटल शिक्षा नीति बनाना महत्त्वपूर्ण है।
- लाखों किराना स्टोरों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिये बड़े पैमाने पर वित्तपोषित किये जाने की आवश्यकता है।

- सूचना विषमता, अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और क्रेता-विक्रेता विवादों जैसे मुद्दों को हल करने के लिये मांग एवं आपूर्ति पक्षों को एक सुरक्षित एकल खिड़की तक पहुँचने में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

वैश्विक न्यूनतम कर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ के सदस्य वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा तैयार किये गए वैश्विक कर समझौते के स्तंभ 2 के अनुसार बड़े व्यवसायों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने पर सहमत हुए हैं।

- वर्ष 2021 में भारत सहित 136 देशों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में कर अधिकारों को पुनर्वितरित करने और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों पर 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने की योजना पर सहमति व्यक्त की थी।

वैश्विक न्यूनतम कर:

- वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) दुनिया भर में कॉर्पोरेट आय आधार को परिभाषित करने के लिये मानक न्यूनतम कर दर को लागू करता है।
    - OECD ने बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के विदेशी मुनाफे पर 15% कॉर्पोरेट न्यूनतम कर का प्रस्ताव किया है, जो देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया वार्षिक कर राजस्व प्रदान करेगा।
    - GMT का उद्देश्य कम कर दरों के माध्यम से राष्ट्रों को कर प्रतिस्पर्द्धा से हतोत्साहित करना है, क्योंकि इसकी वजह से कॉर्पोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण होता है।

योजना के प्रमुख बिंदु:

- **दो स्तंभ योजना:**
    - **स्तंभ 1:**
        - बड़े और लाभदायक बहुराष्ट्रीय उद्यम (MNEs) के मुनाफे का 25% एक निर्धारित लाभ मार्जिन बाज़ार के अधिकार क्षेत्र में फिर से आवंटित किया जाएगा जहाँ MNEs के उपयोगकर्त्ता और ग्राहक मौजूद हैं।
        - यह देश के भीतर आधारभूत विपणन और वितरण गतिविधियों के लिये आसान सिद्धांत के अनुप्रयोग हेतु एक सरलीकृत एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण भी प्रदान करता है।

- इसमें दोहरे कराधान के किसी भी प्रकार के जोखिम को दूर करने के लिये विवाद निवारण और विवाद समाधान सुनिश्चित करने की विशेषताएँ भी शामिल हैं, हालाँकि कम क्षमता वाले देशों के लिये एक वैकल्पिक तंत्र भी शामिल है।
- यह नुकसान पहुँचाने वाले व्यापार विवादों को रोकने के लिये डिजिटल सेवा कर (DST) और इसी तरह के प्रासंगिक उपायों को रोकने तथा ठहराव पर भी ज़ोर देता है।

- **स्तंभ 2:**
  - यह कॉर्पोरेट लाभ पर न्यूनतम 15% कर प्रदान करता है और कर प्रतिस्पर्द्धा पर सीमा निर्धारित करता है।
  - यह 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक वैश्विक राजस्व वाले बहुराष्ट्रीय समूहों पर लागू होगा। विश्व की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में मुख्यालय वाले MNEs के विदेशी मुनाफे पर कम-से-कम सहमत न्यूनतम दर पर अतिरिक्त कर लागू करेंगी।
  - इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी की कमाई पर टैक्स नहीं लगता है या किसी टैक्स हेवन में कम टैक्स लगता है, तो उनका देश टॉप-अप टैक्स के रुप में एक टैक्स लगाएगा जिससे कुल प्रभावी दर 15% हो जाएगी।

- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक परिचालन वाले बड़े व्यवसायों को टैक्स बचाने के लिये टैक्स हेवन में रहने से लाभ की प्राप्ति न हो।
  - न्यूनतम कर और अन्य प्रावधानों का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये सरकारों के बीच दशकों से चली आ रही कर प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करना है।

इस कदम का महत्त्व:

- **रेस टू द बॉटम का अंत:**
  - यह "रेस टू द बॉटम" को समाप्त करने की कोशिश करता है जिसने सरकारों के लिये अपने बढ़ते खर्च संबंधी बजट के लिये आवश्यक आय उत्पन्न करना अधिक कठिन बना दिया है।
    - रेस टू द बॉटम का अंत एक प्रतिस्पर्द्धी स्थिति है जहाँ एक कंपनी, राज्य या राष्ट्र द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त अथवा विनिर्माण लागत में कमी के लिये गुणवत्ता मानकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
- **टैक्स हेवन की ओर होने वाले वित्तीय विचलन पर रोक:**
  - अमूर्त स्रोतों जैसे- ड्रग पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर रॉयल्टी/शुल्क आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय का अधिकांश हिस्सा टैक्स हेवन की तरफ स्थानांतरित हुआ है, परिणामत: कंपनियाँ पारंपरिक रूप से अपने मूल देश में उच्च करों का भुगतान करने से बच जाती हैं।
- **वित्तीय संसाधनों का संग्रहण:**
  - कोविड-19 के बाद बजट की कमी की समस्या को देखते हुए कई सरकारों का मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने मुनाफे और कर राजस्व को कम कर (tax) वाले देशों में अंतरित करने पर अंकुश लगाना चाहिये, भले ही उन्होंने व्यापार कहीं भी किया हो।
- वैश्विक कर सुधार: बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से GMT का प्रस्ताव वैश्विक कराधान सुधारों की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है।
  - BEPS कर से बचने की रणनीतियों को संदर्भित करता है जो कर नियमों में अंतराल और बेमेल का फायदा उठाते हुए कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम या बिना कर वाले स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। OECD ने इसे संबोधित करने के लिये 15 कार्रवाई मदें जारी की हैं।
- **वैश्विक असमानता से निपटना:**
  - न्यूनतम कर प्रस्ताव विशेष रूप से ऐसे समय में प्रासंगिक है जब विश्व भर में सरकारों की राजकोषीय स्थिति खराब हो गई है, जैसा कि सार्वजनिक ऋण मेट्रिक्स की बिगड़ती स्थिति में देखा गया है।
- ऐसा माना जा रहा है कि यह योजना बढ़ती वैश्विक असमानता का मुकाबला करने में भी मदद करेगी, जिससे बड़े व्यवसायों के लिये टैक्स हेवन की सेवाओं का लाभ उठाकर कम करों का भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा।

संबंधित मुद्दे:

- **कर प्रतिस्पर्द्धा का खतरा:**
  - इसे कर प्रतिस्पर्द्धा का खतरा माना जाता है, यह उन सरकारों पर नज़र रखता है जो अन्यथा अपने नागरिकों पर भारी कर लगाएंगे ताकि व्यय कार्यक्रमों को निधि प्रदान की जा सके।
- **आसन्न संप्रभुता:**
  - यह किसी देश की कर नीति तय करने के संप्रभु अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - एक वैश्विक न्यूनतम दर अनिवार्य रूप से उस उपकरण को दूर कर देगी जिसका उपयोग देश उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये करता है जो उनके अनुकूल हैं।
- **प्रभावकारिता का प्रश्न:**
  - इस समझौते की आलोचना भी की गई है; ऑक्सफैम जैसे समूहों का कहना है कि यह समझौता टैक्स हेवन को समाप्त नहीं करेगा।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD):

- OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
- **स्थापना:** 1961।
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्राँस।
- **कुल सदस्य:** 36।
- भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।

आगे की राह

- चूँकि OECD की योजना अनिवार्य रूप से एक वैश्विक कर कार्टेल बनाने की कोशिश करना है, इसलिये इसे हमेशा कार्टेल के बाहर कम कर वाले क्षेत्रों में खोने और कार्टेल के भीतर सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के ज़ोखिम का सामना करना पड़ेगा।
- आखिरकार कार्टेल के भीतर और बाहर दोनों देशों के व्यवसायों में कम कर दरों की पेशकश करके अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के भीतर निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह एक संरचनात्मक समस्या है जो तब तक बनी रहेगी जब तक वैश्विक कर कार्टेल मौजूद रहता है।

भारत की तेल निर्भरता

चर्चा में क्यों?

रूस लगातार दूसरे महीने नवंबर 2022 में पारंपरिक विक्रेताओं इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत के लिये शीर्ष तेल आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है।

- रूस के पास अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात की 22% हिस्सेदारी है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% की तुलना में अधिक है।
- 5 दिसंबर से रूस के समुद्री तेल के आयात पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध ने रूस को लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के लिये मुख्य रूप से एशिया में वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है।

भारत के तेल आयात/खपत का वर्तमान परिदृश्य:

- अमेरिका और चीन के बाद भारत लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। देश में तेल की मांग सालाना 3-4 फीसदी की दर से बढ़ रही है।
  - इस अनुमान के आधार पर एक दशक में भारत प्रतिदिन लगभग 7 मिलियन बैरल की खपत कर सकता है।
- पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2021-22 में 212.2 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले वर्ष में 196.5 मिलियन टन था।
  - अप्रैल 2022-23 में तेल आयात निर्भरता लगभग 86.4% थी, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 85.9% रही थी।
- यह तर्क दिया गया है कि बढ़ती मांग के कारण तेल की खपत में वृद्धि हुई है, जिसने उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को हाशिये पर डाल दिया है।
  - कच्चे तेल का उच्च आयात बिल व्यापक आर्थिक मापदंडों (Macroeconomic Parameters) को प्रभावित कर सकता है।

कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिये की गई पहल:

- मार्च 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने 'ऊर्जा संगम 2015' का अनावरण किया जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आकार देने के उद्देश्य से आयोजित भारत की सबसे बड़ी वैश्विक हाइड्रोकार्बन बैठक थी।
  - इस अवसर पर सभी हितधारकों से आग्रह किया गया कि वे तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करें ताकि वर्ष 2022 तक आयात निर्भरता को 77 प्रतिशत से घटाकर 67 प्रतिशत और वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।
- सरकार ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) व्यवस्था, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP), न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) आदि के तहत तेल और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न नीतियाँ भी पेश की हैं।
  - हालाँकि घरेलू तेल उत्पादन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेल और गैस परियोजनाओं में अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक की लंबी प्रक्रियात्मक अवधि होती है।
  - इसके अलावा मूल्य निर्धारण और कर नीतियाँ स्थिर नहीं हैं, साथ ही तेल तथा गैस व्यवसाय में बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। निवेशक अक्सर जोखिम लेने के प्रति सावधान रहते हैं।
- भारत सरकार कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP) को बढ़ावा दे रही है।
  - सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले ही वर्ष 2025 तक पूरा कर लेने का निश्चय किया है।

भारत की तेल आयात निर्भरता को कम करने हेतु आवश्यक कदम:

- **घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन:** 10% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि भारत में तेल की मांग केवल बढ़ने वाली है और यह भी कि आने वाले कई वर्षों तक भारत एक तेल अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

नोट :

- तेल संबंधी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने का एकमात्र तरीका विदेशों में भारत के स्वामित्त्व वाली अन्वेषण एवं उत्पादन संपत्तियों को और विकसित करना है। चीन ने भी यही तरीका अपनाया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) भी मौजूदा परिपक्व तेल-क्षेत्रों के पुनर्विकास और नए/सीमांत क्षेत्रों के विकास के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठा रही है।

- वैकल्पिक हरित स्रोत: भारत के लिये एक अन्य विकल्प यह है कि अपने दायरे का विस्तार करे और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करे। अर्थव्यवस्था के गति पकड़ने के साथ ही बिजली की मांग में तेज़ी आ रही है। CoP26 प्रतिबद्धताओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर है, जिसके लिये पर्याप्त क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है।
  - नियामक समर्थन के साथ ही निजी निवेश और सरकारी पहलों के कारण पवन क्षेत्र ने गति पकड़ ली है।
  - हालाँकि सौर सेल एवं मॉड्यूल की वैश्विक आपूर्ति और अनुकूल नीतियों के समर्थन से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनकर उभरी है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट: आरबीआई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "अर्थव्यवस्था की स्थिति" नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जो एक अंधकारमय वैश्विक दृष्टिकोण (Darkening Global Outlook) की चेतावनी देती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **अंधकारमय वैश्विक दृष्टिकोण:**
  - ज़ोखिम संतुलन वर्ष 2023 के लिये एक अंधकारमय वैश्विक दृष्टिकोण की ओर तेज़ी से झुका हुआ है, जो इस वर्ष की मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का खामियाज़ा भुगतेगा।
- **उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ:**
  - उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (EME) अनिश्चित दिखाई देती हैं, जो धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के अलावा मुद्रा मूल्यह्रास और पूंजी बहिर्वाह से जूझ रही हैं।
- **ऊर्जा कीमतें:**
  - ऊर्जा की कीमतों को लेकर अभी भी एक असहज स्थिति बनी हुई है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उनके सहयोगियों (OPEC+) ने उत्पादन में कटौती अभी तक जारी रखी है, लेकिन तेल की कीमतों की सीमा तय करने से विघटनकारी वित्तीय ताकतों के बढ़ने का खतरा है, क्योंकि हेज फंड पहले से ही कच्चे तेल अनुबंधों में शुद्ध कटौती कर रहे हैं।
  - वैश्विक कमोडिटी बाज़ारों में नरमी के बावजूद जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन में युद्ध के कारण खाद्य कीमतें पूर्व-महामारी के स्तर से अधिक बनी रहेंगी।
- **ऋण:**
  - डिफॉल्ट दरों में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर (प्राथमिक मुद्रा जो ऋण आधारित है) की मज़बूती के साथ ऋण संकट बढ़ रहा है, हालाँकि यह हाल ही में 20 वर्ष के उच्च स्तर से नीचे गिर गया है।
- **भारतीय विकास परिदृश्य:**
  - **मुद्रास्फीति:**
    - मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन यह निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है।
    - मुद्रास्फीति की मौजूदा स्तर से वर्ष 2023 में कम होने की संभावना है, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में यह लक्ष्य से काफी ऊपर रहेगी।
    - मुद्रास्फीति में कमी मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में तेज़ नरमी से प्रेरित है। इंडेक्स में महीने-दर-महीने (M-O-M) 11 bps की गिरावट आई है, जो एक अनुकूल आधार प्रभाव माना जा सकता है।
  - **घरेलू कारक:**
    - भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निकट अवधि के विकास दृष्टिकोण को घरेलू कारकों का समर्थन प्राप्त है।
    - घरेलू आर्थिक गतिविधि नवंबर और दिसंबर 2022 की शुरुआत में लचीली रही।
    - निजी खपत और निवेश के लिये संभावना बढ़ रही है, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति उन क्षेत्रों में खर्च को कम कर रही है।
    - मुख्य मुद्रास्फीति 6% पर स्थिर रहने के बावजूद सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण नवंबर 2022 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 90 आधार अंकों से घटकर 5.9% हो गई।
  - **इक्विटी प्रवाह:**
    - भारत में मज़बूत पोर्टफोलियो प्रवाह से उत्साहित होकर नवंबर के दौरान इक्विटी बाज़ारों ने नई ऊँचाईयों को छुआ।
    - इनपुट लागत के दबाव में कमी अभी भी उछाल वाली कॉर्पोरेट बिक्री और अचल संपत्तियों में निवेश में वृद्धि भारत में कैपेक्स चक्र में तेज़ी की शुरुआत कर रही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को तेज़ करने में योगदान करेगी।

- **भविष्य की संभावनाएँ:**
  - दिसंबर 2022 में, जैसा कि भारत अपनी जी20 अध्यक्षता के तहत अपनी प्राथमिकताओं और डिलिवरेबल्स को निर्धारित करने में संलग्न है, ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के विश्व के मंच के केंद्र में पहुचने का समय आ गया है।
  - PPP (क्रय शक्ति समानता) के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बाज़ार विनिमय दरों के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का G20 के GDP में 3.6% हिस्सा है, जबकि वास्तविक क्रय शक्ति समानता (PPP) के संदर्भ में इसका हिस्सा 8.2% से बहुत अधिक है।
  - 2023 में भारत के G20 के भीतर सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान है।
  - G20 की अध्यक्षता के तहत भारत की प्राथमिकताएँ एकता और परस्पर जुड़ाव की दृष्टि को समाहित करती हैं। वे वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को भी दर्शाएंगे: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।

समर्थ योजना

चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत विगत तीन वर्षों में 13,235 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है।

नोट:

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSMEs) ने महिलाओं के लिये एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" का शुभारंभ किया।
- इस पहल के माध्यम से MSME मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास और बाज़ार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है

समर्थ योजना:

- **परिचय:**
  - समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना (FYP) के लिये एकीकृत कौशल विकास योजना, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की निरंतरता में अनुमोदित किया गया है।
  - विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) के घटक 'हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास' के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये समर्थ (SAMARTH) का कार्यान्वयन कर रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - वस्त्र मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों/संगठनों के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु मांग-आधारित रोज़गार-उन्मुख कौशल प्रदान करना।
  - देश में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

भारत में वस्त्र क्षेत्र की स्थिति:

- **परिचय:**
  - वस्त्र और परिधान उद्योग एक श्रम गहन क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है और रोज़गार के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - भारत का वस्त्र क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है तथा पारंपरिक कौशल, विरासत एवं संस्कृति का भंडार व वाहक है।
  - इसे दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है:
    - असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने का है जो पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशम उत्पादन शामिल हैं।
    - संगठित क्षेत्र आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग करता है तथा इसमें कताई, परिधान एवं वस्त्र शामिल हैं।
- **वस्त्र क्षेत्र की अन्य योजनाएँ:**
  - एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme for Integrated Textile Parks- SITP): इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिये विश्व स्तरीय अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है।
  - पावर-टेक्स इंडिया: इसमें पावरलूम टेक्सटाइल में नए अनुसंधान और विकास, नए बाज़ार, ब्रांडिंग, सब्सिडी व श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।
  - रेशम समग्र योजना: यह योजना घरेलू रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आयातित रेशम पर देश की निर्भरता कम हो सके।
  - **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme- ATUFS):** यह कपड़ा उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिये पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने हेतु एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (CIS) योजना है।

- **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस:** भारत में हथकरघा बुनकर समुदाय के महत्त्व को चिह्नित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है।
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाज़ार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कर भारत को तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

पर्स सीन फिशिंग

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कुछ तटीय राज्यों द्वारा पर्स सीन फिशिंग पर लगाया गया प्रतिबंध, उचित नहीं है।

संबंधित मुद्दे:

- वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, ओडिशा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रादेशिक जल में 12 समुद्री मील तक पर्स सीन फिशिंग पर प्रतिबंध लागू है।
- जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

पर्स सीन फिशिंग:

- **परिचय:**
  - एक पर्स सीन, फ्लोटिंग और लीडलाइन के साथ जाल की एक लंबी दीवार से बना होता है और इसमें गियर के निचले किनारे से पर्स के छल्ले लटके होते हैं, जिसके माध्यम से स्टील के तार या रस्सी से बनी एक पर्स लाइन चलती है जिसमें मछलियाँ फँसती है।
  - इस तकनीक का उपयोग भारत के पश्चिमी तटों पर व्यापक रूप से किया जाता है।
- **लाभ:**
  - खुले पानी में पर्स सीन फिशिंग को मछली पकड़ने का एक कुशल रूप माना जाता है।
  - इसका सीबेड से कोई संपर्क नहीं है और जिसके कारण यह मछली पकड़ने का एक निम्न स्तर हो सकता है ।
  - इसका उपयोग मछली एकत्र करने वाले उपकरणों के आसपास मौजूद होने वाली मछलियों को पकड़ने के लिये भी किया जा सकता है
  - इसका उपयोग खुले समुद्र में टूना और मैकेरल जैसी एकल-प्रजाति के पेलाजिक (मिडवाटर) मछली के समूहों को लक्षित करने के लिये किया जाता है।

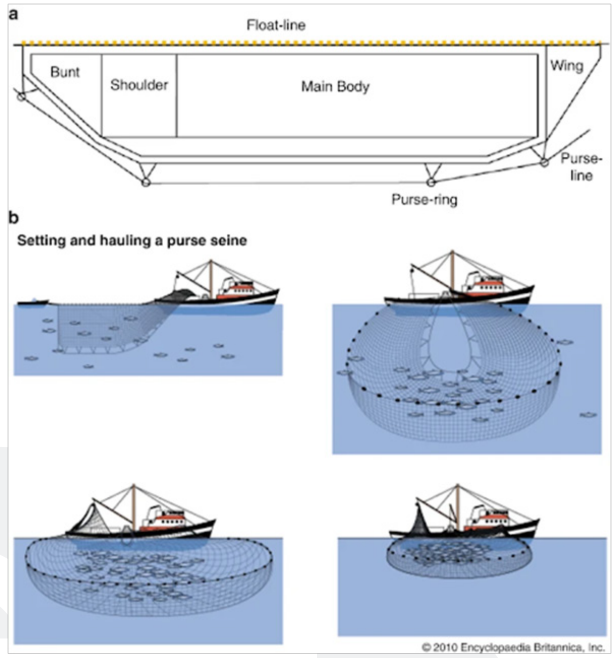

चिंताएँ:

- कुछ राज्यों में यह तकनीक पश्चिमी तटों पर सार्डिन, मैकेरल, एंकोवी और ट्रेवेली जैसी छोटी, पीलाजिक शोलिंग मछलियों के घटते स्टॉक के बारे में चिंताओं से जुड़ी है।
- वैज्ञानिकों का तर्क है कि पिछले दस वर्षों में ऐसी मछलियों की कमी के लिये अल नीनो घटना सहित जलवायु परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं।
- हालाँकि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने वाले मछुआरों ने पर्स सीन फिशिंग को दोषपूर्ण बताया है, अगर प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो इन छोटी मछलियों की उपलब्धता में और गिरावट आ सकती है।
  - उन्होंने यह भी मांग की है कि चूँकि केंद्र ने प्रतिबंध हटाने का समर्थन किया है, अत: केंद्र को इस पहलू के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये।
- एक बड़ी चिंता सारडाइन मछली की कमी होना है जिसे केरल के लोगों द्वारा बड़े चाव से खाया जाता है ।
  - वर्ष 2021 में केरल ने केवल 3,297 टन सारडाइन मछली पकड़ी, जो 2012 में पकड़ी गई 3.9 लाख टन से बहुत कम थी।
- पर्स सीन एक गैर-लक्षित मछली पकड़ने की विधि है और किशोर मछलियों सहित जाल के रास्ते में आने वाली सभी प्रकार की मछलियों को पकड़ता है। अत: यह समुद्री संसाधनों के लिये बहुत हानिकारक है।

बैन के खिलाफ केंद्र सरकार के तर्क ?

- केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर पर्स सीन फिशिंग पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है।

- विशेषज्ञ पैनल ने कहा है कि मछली पकड़ने के इस तरीके के "उपलब्ध सबूतों को देखते हुए अब तक किसी भी गंभीर संसाधन की कमी नहीं हुई है"।
- विशेषज्ञ पैनल ने कुछ शर्तों के अधीन प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकड़ने के लिये पर्स सीन फिशिंग की सिफारिश की है।
- समिति ने "पर्स सीन फिशिंग पर राष्ट्रीय प्रबंधन योजना" बनाने का भी सुझाव दिया है।

मछली पकड़ने का क्षेत्राधिकार:

- मत्स्यपालन राज्य का विषय है और प्रादेशिक जल में समुद्री मत्स्यपालन के लिये प्रबंधन योजना राज्य का कार्य है।
- राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66 विषय) होते हैं।
  - ये स्थानीय महत्त्व के हैं जैसे स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, कृषि, वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मत्स्यपालन, शिक्षा, राज्य कर और शुल्क। सामान्य परिस्थितियों में राज्यों के पास राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति होती है।

मंदी और यील्ड वक्र

चर्चा में क्यों?

जैसे-जैसे नए साल के आगमन का समय नज़दीक आ रहा है दुनिया की कई प्रमुख शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ, विशेष रूप से सबसे बड़ी और प्रभावशाली संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यस्था मंदी का सामना कर रही है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेज़री यील्ड (अर्थव्यस्था के संदर्भ में उत्पादन के घटकों के आपूर्तिकर्त्ताओं को वापस मिलने वाला धन यील्ड/लब्धि/प्रतिफल कहलाता है।) का कम होना एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है।

मंदी:

- मंदी में सामान्यत: रोज़गार और समग्र मांग में कमी के साथ कम-से-कम दो लगातार तिमाहियों के लिये अनुबंधित अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन शामिल होता है।
- यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, प्रसार और अवधि के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में है या नहीं।
  - कभी-कभी अवधि दीर्घकालिक नहीं हो सकती है लेकिन गिरावट बहुत गंभीर हो सकती है क्योंकि ऐसा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हुआ है।
  - इसकी गंभीरता एवं प्रसार अपेक्षाकृत कम हो सकता है लेकिन मंदी लंबे समय तक रह सकती है जैसा कि आर्थिक संकट के मद्देनज़र यूनाइटेड किंगडम में अपेक्षित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रेज़री:

- किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सुरक्षित ऋण वे होते हैं जो सरकारों को दिये जाते हैं, ऐसी संस्थाएँ जो हमेशा बनी रहेंगी और जो सामान्यत: अपने ऋण पर चूक नहीं करती हैं।
- सरकारों को धन उधार लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि अक्सर उनका कर राजस्व उनके सभी खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है।
- जिस साधन द्वारा सरकार बाज़ार से उधार लेती है उसे सरकारी बॉण्ड कहा जाता है।
- भारत में उन्हें जी-सेक कहा जाता है, ब्रिटेन में उन्हें गिल्ट कहा जाता है और अमेरिका में उन्हें ट्रेज़री कहा जाता है।

राजकोष की लब्धि/यील्ड:

- बैंक ऋण जिसकी एक परिवर्तनीय ब्याज दर होती है, के विपरीत एक सरकारी बॉण्ड में एक निश्चित "कूपन" भुगतान होता है।
- नतीजतन, अमेरिकी सरकार 100 अमेरिकी डॉलर के अंकित मूल्य और 5 अमेरिकी डॉलर के कूपन भुगतान के साथ 10 साल के बॉण्ड को "फ्लोट" कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस बॉण्ड को खरीदते हैं और अमेरिकी सरकार को 100 अमेरिकी डॉलर उधार देते हैं, तो आपको अगले दस वर्षों के लिये प्रतिवर्ष 5 अमेरिकी डॉलर, साथ ही दस वर्षों के अंत में 100 अमेरिकी डॉलर की पूरी राशि प्राप्त होगी।
- लेकिन यदि किसी कारण से किसी ने इस बॉण्ड को किसी अन्य निवेशक को बेच दिया, तो जिस कीमत पर बॉण्ड बेचा जाता है, उसके आधार पर यील्ड बदल जाएगी। यदि कीमत में वृद्धि होती है और बॉण्ड को USD 110 में बेचा जाता है, तो यील्ड कम हो जाएगा क्योंकि वार्षिक रिटर्न (USD5) समान रहता है और यदि कीमत गिरती है, तो यील्ड बढ़ जाएगा।

यील्ड वक्र:

- सरकारें 1 महीने से 30 वर्ष तक की अवधि के लिये उधार लेती हैं।
- आमतौर पर लंबी अवधि के लिये यील्ड अधिक होता है क्योंकि इसमें धन लंबे समय तक के लिये उधार दिया जाता है।
- यदि बॉण्ड के अलग-अलग कार्यकाल के लिये यील्ड को मापा जाता है, तो यह ऊपर की ओर ढाल वाला वक्र प्रदान करेगा।
- बाज़ार में उपलब्ध धन और अपेक्षित समग्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वक्र सपाट या सीधा हो सकता है। जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं, तो वे दीर्घकालिक

बॉण्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाज़ारों जैसे अल्पकालिक ज़ोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे-जैसे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं, उनका यील्ड बढ़ता है और यील्ड वक्र बढ़ता जाता है।

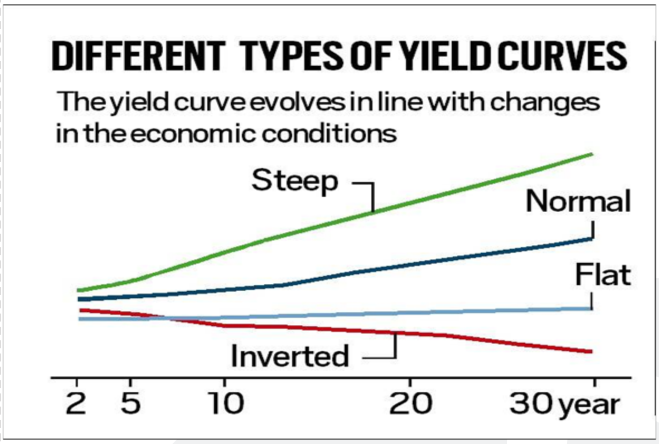

यील्ड व्युत्क्रमण (Yield inversion):

- यील्ड व्युत्क्रम तब होता है जब कम अवधि के बॉण्ड के लिये यील्ड लंबी अवधि के बॉण्ड पर यील्ड की तुलना में अधिक होता है। यदि निवेशकों को संदेह है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, तो वे अल्पकालिक ज़ोखिम वाली परिसंपत्तियों (जैसे शेयर बाज़ार) से पैसा निकालेंगे और इसे दीर्घकालिक बॉण्ड में निवेश करेंगे। इससे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनका यील्ड घट जाता है। यह प्रक्रिया पहले सपाट और अंततः यील्ड व्युत्क्रमण की स्थिति होती है।
- यील्ड व्युत्क्रम लंबे समय से अमेरिका में मंदी का एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान कर रहा है तथा अमेरिकी कोष में पिछले कुछ समय से यील्ड व्युत्क्रमण देखा जा रहा है।
- 10 वर्ष और 3 महीने के ट्रेज़री की यील्ड्स का प्रसार नकारात्मक देखा जा रहा है।

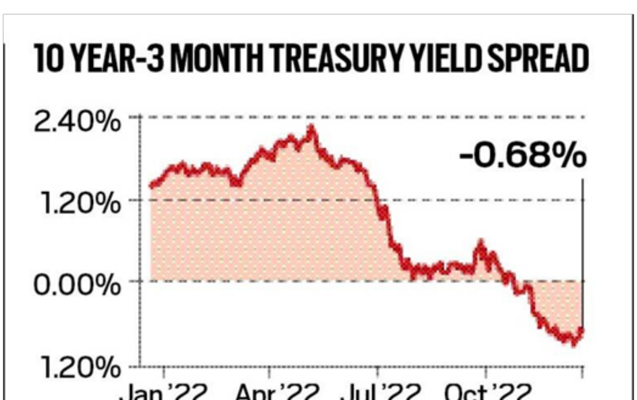

भारत के लिये इसका महत्त्व:

- ब्याज दरें बढ़ने से रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर और भी मज़बूत हो सकता है। परिणामस्वरूप भारतीय आयात महँगा हो जाएगा तथा यह घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है।
- अमेरिका के उच्च यील्ड से भारत में आने वाले निवेशों से आयात-निर्यात में कुछ पुनर्संतुलन की स्थिति देखी जा सकती है।
- कमज़ोर रुपए के कारण भारतीय निर्यात को लाभ हो सकता है लेकिन मंदी भारतीय निर्यात की मांग को कम कर देगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023

चर्चा में क्यों?

भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) में 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, इसके अलावा मुद्रास्फीति में कमी देखी जा रही है।

- वर्ष 2020 में मुख्य घटना कोविड-19 महामारी की पहली लहर के कारण देशव्यापी लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था के आकार को निर्धारित किया।
- वर्ष 2021 में कोविड की दूसरी भयानक लहर थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके उत्थान को आकार दिया।
- वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने बड़े पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया गया।
  - परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति, रुपए की विनिमय दर और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जैसे मुद्दे GDP वृद्धि की चिंताओं से अधिक हावी हो गए।

प्रमुख बिंदु:

- **मुद्रास्फीति:**
  - वर्ष 2022 शुरू होने पर हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति पहले से ही 6% से ऊपर थी।
  - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मुद्रास्फीति की स्थिति और खराब हो गई।
  - अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति आठ साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। मई 2022 में जल्दबाज़ी में बुलाई गई मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) की बैठक में RBI ने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया।
  - यूएस और यूएस फेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयों को वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया गया था।

- **रुपए की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार:**
  - कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के कारण भारत के कई व्यापक आर्थिक संकेतकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
  - वित्तीय वर्ष शुरू होते ही व्यापार घाटा बढ़ने लगा और भारत के चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD), विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान संतुलन के बारे में चिंताएँ होने लगीं।
  - आखिरकार रुपया राजनीतिक रूप से संवेदनशील 80-टू-ए-डॉलर के निशान पर पहुँच गया लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया ही एकमात्र ऐसी मुद्रा नहीं थी, जो कमज़ोर हो रही थी। हालाँकि डॉलर भी यूरो से कमज़ोर था।
- **चौतरफा मौद्रिक सख्ती:**
  - वर्ष के मध्य तक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने तरलता को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये ब्याज़ दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया।
- **GDP वृद्धि में कमी:**
  - मार्च 2022 में समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 9% की वृद्धि हुई थी।
  - सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
  - भारत की विकास दर पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में लगभग 9% कम होकर चालू वर्ष (2022-23) में 7% से कम और अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में लगभग 6% (या संभवत: कम) होने की उम्मीद है।
- **बजट, बेरोज़गारी और गरीबी:**
  - केंद्रीय बजट से पहले मुख्य चिंता यह पता लगाने की थी कि क्या सरकार देश में रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना लेकर आ सकती है। ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत में कोविड से पहले भी ऐतिहासिक रूप से श्रम बाज़ार में उच्च स्तर का तनाव था तथा महामारी ने चिंता को और भी बढ़ा दिया।
  - बजट 2022-23 में भारत ने विकास का एक अच्छा चक्र शुरू करने के लिये पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करने पर ज़ोर दिया है।
    - विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि इस रणनीति के सामान्य समय में स्पष्ट लाभ हैं, हालाँकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड से प्रभावित है, साथ ही यह स्पष्ट नहीं था कि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये बजट पर्याप्त होगा या नहीं।

वैश्विक आर्थिक आउटलुक, 2023

- **वृद्धि का पूर्वानुमान:**
  - भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट' अद्यतन में 'डार्केनिंग ग्लोबल आउटलुक/अंधेरा वैश्विक दृष्टिकोण' की चेतावनी दी है और बताया कि उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ (Emerging Market Economies- EME) 'अधिक कमज़ोर' प्रतीत होती हैं।
  - वर्ष 2022 में वैश्विक विकास औसतन लगभग 3% रहने की उम्मीद एक सराहनीय उपलब्धि प्रतीत होती है।
- **मुद्रास्फीति:**
  - पिछले कुछ महीनों में वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की कीमतें भले ही मामूली रूप से कम हुई हों लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी उच्च बनी हुई है।
    - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 में 8.8% से घटकर वर्ष 2023 में 6.5% की कमी के साथ वर्ष 2024 तक 4.1% होने का अनुमान है, हालाँकि अभी भी अधिकांश मानदंडों से उच्च है।
  - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व को लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2023 में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कम-से-कम यह तथ्य नहीं है कि अमेरिकी श्रम बाज़ार अभी भी बढ़ रहा है और यह फेड की मौद्रिक कठोरता के प्रभावों को नकारता है।
- **यूएस फेड दर में वृद्धि का प्रभाव:**
  - हर बार जब फेड नीतिगत दरें बढ़ाता है, तो अमेरिका और भारत जैसे देशों में ब्याज़ दरों के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जिससे मुद्रा संबंधित लेन-देन व्यापार कम आकर्षक हो जाते हैं;
  - अमेरिकी ऋण बाज़ारों में बढ़े हुए रिटर्न से विकासशील बाज़ार इक्विटी में तेज़ी आ सकती है, इससे विदेशी निवेशकों के उत्साह में कमी आ सकती है।
  - यूएस को धन के बहिर्वाह से मुद्रा बाज़ार संभावित रूप से प्रभावित होंगे; फेड द्वारा निरंतर दर में वृद्धि का मतलब है अमेरिका में विकास की गति भी कम होगी, जो वैश्विक विकास के लिये बुरी खबर हो सकती है, खासकर जब चीन एक नए कोविड प्रकोप का सामना कर रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, 2023 की संभावनाएँ:

- **सकारात्मक:**
  - भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में स्थानीय कारकों की बदौलत तेज़ी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जिनमें से कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों के रूप में परिलक्षित होते हैं।
  - कॉरपोरेट ऋण-से-GDP अनुपात लगभग 15 वर्षों में अपने सबसे निचले बिंदु पर है, इसमें विगत पाँच वर्षों में काफी कमी आई है और बैंक बुक से ज़्यादातर पुराने खराब ऋणों को हटा दिया गया है।

- ऋण-से-GDP अनुपात जितना कम होगा, देश द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने और डिफ़ॉल्ट के अपने ज़ोखिम को कम करने की उतनी ही अधिक संभावना होगी, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वित्तीय स्थिरता हो सकती है।
- इनपुट लागत के दबाव में कमी, कॉर्पोरेट बिक्री में वृद्धि और अचल परिसंपत्तियों में निवेश में वृद्धि केपेक्स चक्र में तेज़ी की शुरुआत है, जो संभावित रूप से भारत के विकास को गति देने में योगदान दे सकती है।
- विगत आठ महीनों से बैंक ऋण दो अंकों में बढ़ रहा है, जो आंशिक रूप से निवेश संबंधी ज़ोखिम (Investment Appetite) में वृद्धि को दर्शाता है।
- यह देखते हुए कि चीन कम कुशल, अकुशल श्रम, जैसे- कपड़ा, जूते, चमड़ा और चीनी मिट्टी की वस्तुओं की आवश्यकता वाले विनिर्माण क्षेत्रों को कम महत्त्व दे रहा है अत: भारत के पास इससे लाभ उठाने का एक मौका है, अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा चीन-प्लस-वन रणनीति का उपयोग एक अवसर प्रस्तुत कर सकता है।
- समग्र GDP विकास में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, रबी की अच्छी उत्पादकता को देखते हुए उच्च समर्थन मूल्य के साथ गेहूँ उत्पादन, पर्याप्त जलाशय स्तर और सहायक जलवायु कारकों के साथ कृषि क्षेत्र में अच्छी संभावनाएँ दिख रही हैं।

- **चिंता का विषय:**
  - यूक्रेन युद्ध के जारी रहने से भारत के सबसे बड़े निर्यात बाज़ार यूरोपीय संघ में ऊर्जा से जुड़ी मंदी का खतरा है।
  - फेड की दर वृद्धि में विराम वर्ष की दूसरी छमाही तक संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका घटती मुद्रास्फीति के दबाव से जूझ रहा है।
  - वर्ष 2023 के लिये बढ़ते संरक्षणवाद, एक वि-वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन और आर्थिक विखंडन संबंधी संभावनाएँ जाहिर की गई हैं, जो विशेषकर भारत जैसे देशों के लिये अस्थिर हैं तथा विकास के महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में निर्यात का उपयोग करने हेतु उत्सुक हैं।
    - यह देखते हुए कि ठोस निर्यात वृद्धि के बिना एक दशक तक विश्व के किसी भी देश में 7% से अधिक की वृद्धि नहीं देखी गई है, संरक्षणवादी प्रवृत्ति का विस्तार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये प्रमुख बाधा है।
  - भारत में विनिर्माण उद्योग में स्थिरता संबंधी समस्या है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production- IIP) द्वारा मापा गया कारखाना उत्पादन अक्तूबर जैसे त्योहारी महीने में 26 महीने के निचले स्तर पर आ गया। अक्तूबर में मुख्य क्षेत्र की वृद्धि महज 0.1% थी, जो कि 20 महीनों में सबसे कम है। इस कारण विश्लेषकों द्वारा अगले वित्त वर्ष में भारत के विकास में तेज़ी से गिरावट आने संबंधी अनुमान लगाए जा रहे हैं।
  - क्षमता उपयोग, संभावित उत्पादन के लिये वास्तविक उत्पादन का अनुपात है जिसे सामान्य परिस्थितियों में उत्पादित किया जा सकता है, में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है जो 75% के निशान (Mark) पर बनी रहती है।
    - जब तक यह निरंतर रूप से नहीं बढ़ता है, तब तक निजी निवेश में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होने की संभावना नहीं है।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फर्मों के बीच समस्या बनी हुई है जो औद्योगिक सुधार में गहरे अंतर को दर्शाता है जहाँ बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।
  - राज्यों का पूंजीगत व्यय उतना मज़बूत नहीं है। आमतौर पर राज्यों द्वारा किये गए निवेश का गुणक प्रभाव अधिक होता है।
  - देश के सकल घरेलू उत्पाद की 4% आयातित ऊर्जा पर भारत की निर्भरता एक चुनौती है जो भुगतान संतुलन के पक्ष में दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2023 के लिये 3% से अधिक का चालू खाता घाटा अनुमानित है।
  - कृषि उत्पादन में उछाल के बावजूद सितंबर में लगातार नौवें महीने ग्रामीण मज़दूरी में कमी आई, जो कि आतंरिक क्षेत्रों में व्याप्त संकट की ओर इशारा करती है।

भारत के स्टार्टअप में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

संसद में पेश किये गए आँकड़ों के अनुसार, विगत पाँच वर्षों में भारत में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2016 में 452 से बढ़कर दिसंबर 2022 में 84,012 हो गई है।

- उनमें से कई क्लाउड में स्थित हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से सुलभ होने वाले सर्वर और डेटा स्टोरेज को संदर्भित करता है तथा स्टोरेज कंपनियाँ उन्हें लुभाने एवं बनाए रखने के लिये कई तरह के प्रोत्साहन दे रही हैं।

भारत के स्टार्टअप बूम/वृद्धि में AWS क्लाउड सेवाओं की भूमिका:

- **परिचय:**
  - क्लाउड-आधारित सेवाओं के भारत के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक AWS अथवा Amazon Web Services ने स्टार्टअप क्रेडिट प्रदान किया है जो आकांक्षी स्टार्टअप को कंप्यूटिंग, स्टोरेज और होस्टिंग जैसी सेवाओं को मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।

- AWS ने स्टार्टअप के जीवनचक्र/लाइफ साइकिल को "संपीड़ित(compress)" करने में मदद की है, जिससे वे और अधिक नवीन बन गए हैं।
- क्लाउड सेवाओं का उपयोग करके परीक्षण अनुप्रयोग किया जा सकता है, इस प्रक्रिया में हुई कुछ गलतियों से सीख भी ली जा सकती है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परितंत्र है और इस प्रकार के क्लाउड सेवाओं के लिये सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है।
  - AWS द्वारा समर्थित कुछ कंपनियों में शामिल हैं: HealthifyME, जिसने 'वैक्सीनेट मी/Vaccinate Me' नामक एक एप विकसित किया, जिसकी मदद से फीचर फोन के माध्यम से भी लगभग 50 मिलियन तक टीकाकरण बुक करने में काफी सहूलियत हुई।
- AWS ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ-साथ कोविड-19 टीकाकरण के लिये Cowin प्रणाली को भी संचालित किया।

- **भारत का क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ार:**
  - वर्ष 2027 तक की पूर्वानुमान अवधि के दौरान भारत के क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ार के 28.1% बढ़ने की उम्मीद है।
  - भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर तेज़ी से बढ़ रहे छोटे और मध्यम व्यवसायों की सघनता और बढ़ती संख्या बाज़ार के लिये प्रमुख कारक के रूप में उभर रही है।
  - इसके अलावा क्लाउड डेटा केंद्रों के निर्माण की दिशा में बढ़ते निवेश से भारत के क्लाउड कंप्यूटिंग बाज़ार को काफी प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

भारत में स्टार्टअप्स की स्थिति:

- **परिचय:**
  - कुल स्टार्टअप में से 49% स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं।
  - भारत सितंबर 2022 तक 107 यूनिकॉर्न की मेज़बानी कर रहा है, जिसकी कुल कीमत 340.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - बेन एंड कंपनी (Bain and Company) द्वारा प्रकाशित इंडिया वेंचर कैपिटल/उद्यम पूंजी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, संचयी स्टार्टअप की संख्या 2012 से 17% की CGAR से बढ़ी है और 1,12,000 के आँकड़े को पार कर गई है।
- **स्टार्टअप हेतु विकास कारक और चुनौतियाँ:**
  - नवोन्मेष पर कम ज़ोर देना: भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग के अनुभव का अभाव है जो छात्रों को नवोन्मेष करने से वंचित रखता है। नतीजतन, यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान एवं विकास के मामले में पीछे छोड़ देता है।
  - पहचान की कमी: चूँकि लगभग 70% भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट पहुँच से वंचित है। नतीजतन, कई गाँव-आधारित स्टार्टअप बिना मान्यता प्राप्त हैं और सरकारी वित्तपोषण पहल से वंचित रह जाते हैं।
  - बूटस्ट्रैप्ड नेचर/प्रकृति: स्टार्ट-अप को चलाने के लिये कार्यशील पूंजी की एक महत्त्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होती है। भारत में कई स्टार्टअप, विशेष रूप से शुरुआती चरणों में बूटस्ट्रैप्ड हैं, यानी संस्थापकों की अपनी बचत के माध्यम से स्व-वित्तपोषित, क्योंकि घरेलू वित्तपोषण सीमित होता है।
  - स्केलेबिलिटी की चिंता: भारत में छोटे स्टार्टअप के ग्राहकों की सीमित संख्या है और वे केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जहाँ वे स्थानीय भाषा एवं स्थानीय लोगों को जानते हैं।
  - अंतरिक्ष क्षेत्र में सीमांत पैठ: फिनटेक और ई-कॉमर्स में भारतीय स्टार्टअप असाधारण रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्टार्टअप आउटलेयर बने हुए हैं।
    - विश्व स्तर पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत की 2% से कम हिस्सेदारी है।

स्टार्टअप से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें:

- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** यह योजना स्टार्टअप्स को उनकी अवधारणा को प्रमाणित करने, प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पादों का परीक्षण करने और बाज़ार में प्रवेश हेतु मदद करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार:** यह कार्यक्रम नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान करने वाले उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिक तंत्र को चिह्नित करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है।
- **SCO स्टार्टअप फोरम:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के विकास और सुधार के साधन के रूप में अक्तूबर 2020 में स्थापित SCO स्टार्टअप फोरम अपनी तरह का पहला प्रयास है।
- **प्रारंभ:** 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्टअप्स और युवा प्रतिभाओं को नए विचार, नवाचार एवं आविष्कार के साथ आने के लिये एक मंच प्रदान करना है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विजय दिवस और भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों?

1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत व एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिह्नित करने के लिये हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस (बिजॉय डिबोस) के रूप में मनाया जाता है।

बांग्लादेश की मुक्ति के लिये भारत-पाक युद्ध:

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे जहाँ एक बड़ी समस्या दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क न हो पाना थी।
    - सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाक के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती थी।
  - 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान (बांग्लादेश के राष्ट्रपिता) जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाक की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की गई।
- **भारत की भूमिका:**
  - 15 मई, 1971 को, भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति बाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियारबंद करने, आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया।
  - 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का फैसला किया। यह युद्ध 13 दिनों तक चला था।
  - उसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनंतिम सरकारों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध समाप्त हो गया।
- **महत्त्व:**
  - 51 वर्ष पूर्व 16 दिसंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह सबसे बड़ा सैन्यकर्मियों का आत्मसमर्पण था।
    - पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया।
  - विजय दिवस समारोह न केवल बांग्लादेश के लिये महत्त्वपूर्ण है बल्कि पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर भी है जो भारतीय सेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका और युद्ध में इसके योगदान के महत्त्व को दर्शाता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत-बांग्लादेश संबंध:

- **भारत द्वारा तत्काल मान्यता:**
  - भारत बांग्लादेश को मान्यता देने और दिसंबर 1971 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में से एक था।
  - संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने भी बांग्लादेश की स्वतंत्र पहचान को तुरंत मान्यता दे दी।
- **रक्षा सहयोग:**
  - भारत और बांग्लादेश 4096.7 किमी. लंबी सीमा साझा करते हैं; जो कि भारत द्वारा अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है।
    - असम, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
  - दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं - थल सेना (सम्प्रति सैन्याभ्यास) और नौसेना (मिलन सैन्य अभ्यास)।
- **आर्थिक संबंध:**
  - वर्ष 2021-22 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विश्व भर में भारतीय निर्यात के लिये चौथा सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है।
  - वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 66% से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया तथा भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की जहाँ भारत और बांग्लादेश ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

- **दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ:**
  - उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद तीस्ता जल बँटवारे का अनसुलझा मुद्दा अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है।
  - सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों को गोली मारने की समस्या ने भी दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित किया है; ये गोलीबारी तब होती है जब बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
  - अपनी 'पड़ोसी पहले नीति' (Neighbourhood First Policy) के बावजूद भारत इस क्षेत्र में चीन के सामने अपना प्रभाव खोता जा रहा है; बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक सक्रिय भागीदार है।

आगे की राह

- बांग्लादेश सामाजिक संकेतकों के साथ क्षेत्र की सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, जिससे भारत सहित अन्य देश सीख ले रहे हैं। यह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है जिसके साथ भारत अपनी 'पड़ोसी पहले नीति' में निहित आर्थिक या रणनीतिक आधारों की पूर्ण क्षमता का एहसास कर सकता है।

भारत की विदेश नीति

चर्चा में क्यों?

भू-राजनीतिक और कूटनीतिक मंच के संदर्भ में वर्ष 2022 विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद एक कठिन वर्ष रहा है।

यूक्रेन संकट और भारत:

- **गुटनिरपेक्षता नीति का पालन:**
  - यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने "गुटनिरपेक्षता" के अपने संस्करण को परिभाषित किया, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण एवं रूस के संदर्भ में संतुलन बनाने की मांग की।
  - एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि "यह युग युद्ध का नहीं है", रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी और दूसरी ओर रूस के साथ बढ़ते सैन्य एवं तेल व्यापार पर पश्चिमी प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, साथ ही उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिये रुपया आधारित भुगतान तंत्र की मांग की।
- **प्रस्ताव पर वोट देने से इनकार करना:**
  - सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council- UNSC), संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA), मानवाधिकार आयोग और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों में आक्रमण एवं मानवीय संकट के लिये रूस की निंदा करने की मांग की गई तो भारत ने मामले से दूर रहने का विकल्प चुना।
    - भारतीय विदेश नीति का दावा है कि भारत की नीति राष्ट्रीय हितों पर निर्धारित की गई थी, भले ही देशों ने भारत से पक्ष लेने की उम्मीद की थी लेकिन भारत की नीतियाँ उन देशों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं।

विदेश नीति 2022 की अन्य प्रमुख विशेषताएँ:

- **मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements- FTAs) को अपनाना:**
  - कई वर्षों के अंतराल के बाद सभी द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties- BITs) को रद्द करने और 15 देशों की एशियाई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से हटने के बाद सभी मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने के पश्चात् वर्ष 2022 में भारत पुन: FTA में शामिल हो गया।
  - वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये एवं इस संदर्भ में यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद तथा कनाडा के साथ बातचीत पर प्रगति की उम्मीद है।
- **अमेरिकी नेतृत्त्व वाले IPEF में शामिल:**
  - भारत, अमेरिका के नेतृत्त्व वाले हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (Indo-Pacific Economic Forum- IPEF) में भी शामिल है, हालाँकि बाद में उसने व्यापार वार्ता से बाहर रहने का फैसला किया।

पड़ोसियों के साथ संबंध:

- **श्रीलंका:**
  - भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत श्रीलंका के पतन के दौरान उसे आर्थिक सहायता प्रदान की।
- **बांग्लादेश, भूटान और नेपाल:**
  - भारत की विदेश नीति को बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ क्षेत्रीय व्यापार एवं ऊर्जा समझौतों द्वारा चिह्नित किया गया है, जिससे दक्षिण एशियाई ऊर्जा ग्रिड का विकास संभव हो सकेगा।
- **मध्य एशियाई देश:**
  - कनेक्टिविटी को लेकर भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ भी संबंध मज़बूत किये हैं।

- भारत ने बहुप्रतीक्षित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन परियोजना को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया है।
- भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (International North-South Transport Corridor- INSTC) के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी चर्चा की।
- ईरान में चाबहार बंदरगाह को शुरू करने के लिये भी कदम उठाए गए हैं जो मध्य एशियाई देशों के लिये समुद्र तक एक सुरक्षित, व्यवहार्य और अबाध पहुँच प्रदान कर सकता है।

- **अफगानिस्तान और म्याँमार:**
  - सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबान और म्याँमार में जुंटा जैसे दमनकारी शासनों के लिये बातचीत के रास्ते खुले रखे, काबुल में "तकनीकी मिशन" शुरू किया एवं सीमा सहयोग पर चर्चा करने के लिये विदेश सचिव को म्याँमार भेजा गया।
  - इससे पहले दिसंबर 2022 में म्याँमार में हिंसा को समाप्त करने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिये की गई UNSC वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया था।
- **ईरान और पाकिस्तान:**
  - ईरान में भी एक कार्यकर्त्ता की हत्या के विरोध में जब हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे, भारत ने किसी भी तरह की आलोचना करने से परहेज किया।
  - हालाँकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े शक्ति-परीक्षण के बाद पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बने हुए हैं।

LAC-चीन गतिरोध में वृद्धि:

- चीन के विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कुछ गतिरोध बिंदुओं पर उसके पीछे हटने के बावजूद तनाव बना रहा और अरुणाचल प्रदेश के यांग्त्से में भारतीय चौकियों पर कब्ज़ा करने के चीनी PLA के असफल प्रयास के साथ इस वर्ष की समाप्ति हुई, यह वर्ष 2023 में चीन के साथ और अधिक हिंसक झड़प होने का संकेत है।
- संबंधों की कठिन स्थितियों के बावजूद भारत वर्ष 2023 में दो बार जी-20 और SCO शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति की उपस्थिति में मेज़बानी करने वाला है, इससे गतिरोध समाप्त करने के लिये वार्ता की राह खुलने की संभावना है।

भारत की विदेश नीति की वर्तमान चुनौतियाँ:

- **पाकिस्तान-चीन सामरिक गठजोड़:**
  - आज भारत जिस सबसे विकट खतरे का सामना कर रहा है, वह है पाकिस्तान-चीन सामरिक गठजोड़, जो विवादित सीमाओं पर यथास्थिति को बदलना चाहता है और भारत की सामरिक सुरक्षा को कमज़ोर करना चाहता है।
  - वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर यथास्थिति को बदलने के लिये मई 2020 से चीन की आक्रामक कार्रवाइयों ने चीन-भारत संबंधों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है।
- **चीन की विस्तारवादी नीति:**
  - दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को संतुलित करने का मुद्दा, भारत के लिये एक और चिंता का विषय है।
  - चीन के बहुप्रतीक्षित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत यह पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) विकसित कर रहा है (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय क्षेत्र पर), यह चीन-नेपाल आर्थिक गलियारा, चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा का निर्माण हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में दोहरे उपयोग के लिये कर रहा है।
- **शक्तिशाली देशो के साथ शक्ति संतुलन:**
  - भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भारत को उस किसी भी सैन्य गठबंधन या रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने से रोकती है जो किसी अन्य देश या देशों के समूह के लिये शत्रुतापूर्ण है।
  - परंपरागत रूप से पश्चिम ने भारत को सोवियत संघ/रूस के करीब माना है। इस धारणा को भारत द्वारा SCO, BRICS और रूस-भारत-चीन (RIC) फोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने से बल मिला है।
  - भारत को हठधर्मी चीन को संतुलित करने, पाकिस्तान-चीन हाइब्रिड खतरों से उत्पन्न सुरक्षा दुविधाओं को दूर करने के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र में बाह्य संतुलन पर निर्भर रहना होगा।
  - अमेरिका, जापान, फ्राँस, ब्रिटेन और इंडोनेशिया के साथ मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले QUAD में भारत की भागीदारी को भी इस नज़रिये से देखा जाना चाहिये।
- शरणार्थी संकट: वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं होने के बावजूद विश्व में भारत में शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है।
  - यहाँ चुनौती मानवाधिकारों के संरक्षण और राष्ट्रीय हित में संतुलन बनाने की है। जैसे कि रोहिंग्या संकट मुद्दे पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना है, इस स्थिति में भारत को दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता है।
  - भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को निर्धारित करने में मानवाधिकारों के मुद्दे पर की गई कार्रवाइयाँ महत्त्वपूर्ण होंगी।

आगे की राह

- भारत को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिये आगे आना चाहिये जो भारत के समावेशी विकास के लिये अनुकूल हो ताकि विकास का लाभ देश के गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक पहुँच सके।
    - यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए एवं आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, निरस्त्रीकरण, वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत विश्व जनमत को प्रभावित करने में सक्षम हो।
- जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांतों और नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी होगी। भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया में अपने नैतिक नेतृत्व को पुन: प्राप्त करते हुए एक नैतिक अनुनय के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिये।
- अत: भारत की विदेश नीति बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेज़ी से प्रतिक्रिया करने के लिये सक्रिय, लचीली व व्यावहारिक होनी चाहिये।

भारत-नेपाल संबंध

चर्चा में क्यों ?

पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।

- ऐसा माना जाता है कि देउबा के पूर्ववर्ती - केपी शर्मा ओली चीन समर्थक थे और इस तरह कम्युनिस्ट ताकतों के एक साथ आने से नेपाल-भारत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- वर्ष 2015-2016 और वर्ष 2018-2021 तक ओली के कार्यकाल के दौरान संबंधों में कड़वाहट के बाद वर्ष 2021 में देउबा के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् भारत-नेपाल संबंधों में सुधार हुआ था।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र:

- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:**
    - वित्त वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने के साथ भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है।
    - भारत बाकी विश्व से व्यापार के लिये नेपाल को पारगमन सुविधा प्रदान करता है।
    - भारतीय फर्में नेपाल में सबसे बड़े निवेशकों में से हैं जिनका नेपाल में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) स्टॉक का 33% से अधिक हिस्सा है और यह लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- **कनेक्टिविटी:**
    - नेपाल एक भू-आबद्ध देश होने के कारण तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है जहाँ बहुत सीमित वाहनों की पहुँच है।
    - भारत-नेपाल ने लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किये हैं।
    - भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढाँचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करता है।
- **रक्षा सहयोग:**
    - द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में उपकरण और प्रशिक्षण के प्रावधान के माध्यम से नेपाली सेना को उसके आधुनिकीकरण में सहायता देना शामिल है।
    - भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी ज़िलों से भर्ती करके किया जाता है।
    - भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे 'सूर्य किरण' के नाम से जाना जाता है।
- **मानवीय सहायता:**
    - नेपाल एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है, जिससे जीवन एवं धन दोनों को भारी नुकसान होता है, इसकी वजह से यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बना रहता है।
- **बहुपक्षीय साझेदारी:**
    - भारत और नेपाल BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं।

चुनौतियाँ:

- **प्रादेशिक विवाद:** भारत-नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौतियों में से एक कालापानी सीमा मुद्दा है। इन सीमाओं को वर्ष 1816 में अंग्रेज़ों द्वारा तय किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले थे जिन पर अंग्रेज़ों का वर्ष 1947 में क्षेत्रीय नियंत्रण था।
- **शांति एवं मैत्री संधि से संबंधित मुद्दे:** ब्रिटिश भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें एक खुली सीमा के साथ भारत में काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिये वर्ष 1949 में नेपाली अधिकारियों द्वारा शांति एवं मैत्री संधि की मांग की गई थी जिस पर वर्ष 1950 में सहमती बनी थी।

नोट :

- लेकिन वर्तमान में इस संधि को दोनों देशों के बीच विषम संबंधों और भारतीय प्रभाव थोपने के संकेत के रूप में देखा जाता है।
- **चीन का हस्तक्षेप:**
  - नेपाल हाल के वर्षों में भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे-धीरे इस स्थान को निवेश, सहायता और ऋण से भर दिया है।
  - चीन जो कि नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी भव्य योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल के बुनियादी ढाँचे में निवेश करना चाहता है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** यह भारत के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भारत-नेपाल सीमा वस्तुत: खुली है जिसका उपयोग भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आतंकवादी संगठनों और विद्रोही समूहों द्वारा प्रशिक्षित कैडरों की आपूर्ति, नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति के लिये किया जाता है।

आगे की राह

- वर्तमान समय में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाज़ी से बचने और शांति से बातचीत के लिये आधार तैयार करने की ज़रूरत है जहाँ दोनों पक्ष संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इससे यह पता लगाया जा सकता है कि आगे क्या संभव है! भारत को 'नेबरहुड फर्स्ट' को जड़ से उखाड़ने के लिये एक संवेदनशील और उदार भागीदार बनने की ज़रूरत है।
- भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक बातचीत के मामले में नेपाल के साथ अधिक सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
- भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement- BIPPA) पर नेपाल की ओर से अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

2023 में भारत के लिये भू-राजनीतिक चुनौतियाँ और अवसर

चर्चा में क्यों?

रूस-यूक्रेन युद्ध एवं चीन की आक्रामक नीतियों व राजनयिक तथा सैन्य मोर्चों पर चुनौतियों और अवसरों के साथ भारत 2023 में प्रवेश कर रहा है।

- पूरे चीन में फैले अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 संस्करण के साथ अनिश्चितता ने फिर से दुनिया के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, इसके साथ ही आर्थिक मंदी का साया भी मंडरा रहा है।
- G20 अध्यक्ष के रूप में भारत दुनिया के सामने मौजूद मुद्दों पर बातचीत किये जाने की आशा कर रहा है।
- 2 वर्षों के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने और वैश्विक बातचीत में योगदान देने की मांग की है।

2022 में प्रमुख चिंताएँ:

- **रूस-यूक्रेन युद्ध:**
  - यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था को उलट दिया है, विश्व की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित किया है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाने का कार्य किया है।
  - रूसी नेताओं की परमाणु बयानबाज़ी ने चिंता पैदा कर दी है, जबकि रूस और चीन के रणनीतिक संबंध एक और चिंता का विषय है।
- **चीन की आक्रामकता:**
  - यूक्रेन युद्ध ने भी विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है, साथ ही विश्व ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को देखा है।
  - भारत भी अपनी सीमा पर उस आक्रामकता का सामना कर रहा है, जिसमें 2020 के गलवान संघर्ष के बाद अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई थी और इसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे।
  - चीन के आक्रामक रुख को दक्षिण चीन सागर में उसकी हालिया गतिविधियों में देखा जा सकता है, जहाँ उसे एक द्वीप पर निर्माण कार्य करते देखा गया है।
- **तालिबानी हस्तक्षेप:**
  - अफगानिस्तान पर तालिबान के फिर से कब्ज़ा करने के एक वर्ष से भी कम समय में भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास में अपना संचालन कार्य फिर से शुरू कर खाद्यान्न, टीके तथा आवश्यक दवाओं के रूप में मानवीय सहायता भेजकर फिर से संलग्न होने की प्रक्रिया शुरू की।
  - हालाँकि भारत ने अतिवाद के खतरे, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों पर अपनी धारणा स्पष्ट कर दी है, इसके अतिरिक्त भारत ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिये दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का भी संकेत दिया है।
    - भारत ने अफगानों के जीवन में सुधार के लिये पिछले दो दशकों में अपनी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के अलावा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी प्रतिबद्धता जताई है।
  - इसका मतलब यह है कि भारत तालिबान को एक राजनीतिक अभिनेता के रूप में देख रहा है, हालाँकि यह पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान से प्रभावित और नियंत्रित भी है।

- **संकट में पड़ोस:**
  - श्रीलंका का आर्थिक और राजनीतिक संकट पड़ोस में एक बड़ी चुनौती थी। भारत ने उसे इतने कम समय में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक मानवीय सहायता, ईंधन, दवाएँ प्रदान की हैं।
    - भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से आर्थिक ऋण राहत पैकेज पर बातचीत करने में भी श्रीलंका की मदद कर रहा है।
    - श्रीलंका में चीन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में होने के कारण भारत एक ऐसी सरकार चाहता है जो भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को समझती हो।
  - म्याँमार के साथ बातचीत सीमित महत्त्वपूर्ण यात्राओं और सैन्य जुंटा शासन को सहायता के रूप में जारी रही है।
    - म्याँमार से उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुभेद्य सीमाओं के माध्यम से शरणार्थियों की आमद तथा निजी प्रभाव चिंता का मुख्य विषय है जो उत्तर-पूर्व में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं।

आगे की चुनौतियाँ और अवसर:

- **चीन का मुद्दा:**
  - हाल ही में तवांग झड़प ने दिखाया है कि चीन न केवल पूर्वी लद्दाख में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यथास्थिति को चुनौती दे रहा है।
  - यह स्पष्ट है कि चीन अतीत के विपरीत सबसे बड़ा विरोधी है जहाँ उसे संदेह का कुछ लाभ मिला था।
  - भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया इस सोच से निर्देशित है कि किसी को धमकाने वाले के खिलाफ खड़ा होना होगा लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि सैनिकों ने लगातार तीन वर्ष तक पूर्वी लद्दाख में कड़ाके की सर्दी का सामना किया है।
  - जैसा कि चीन खुद को एक महाशक्ति के रूप में देखता है जिस कारन भारत के साथ अधिक संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा संभावना है। अब वह समय आ गया है जब बातचीत के माध्यम से समस्याओं को हल करना होगा।
- **रूस के साथ सहयोग:**
  - रूस पिछले सात दशकों से रक्षा उपकरणों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता रहा है तथा अमेरिका, फ्राँस और इज़रायल सहित अन्य देशों के विविधीकरण के बावजूद यह अभी भी इस क्षेत्र पर हावी है।
  - लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध से एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ रूसी उपकरणों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा रहा है वहीँ आपूर्ति श्रृंखला तनाव में है।
  - भारत के लिये चीन सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है और भारत की चिंता यह है कि चीन और रूस के संबंध उसके कुछ फैसलों को प्रभावित करते हैं।
    - शीत युद्ध के बाद के युग में, आर्थिक संबंधों ने चीन-रूस संबंधों के लिये "नया रणनीतिक आधार" तैयार किया है।
    - चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यह रूस में एशिया का सबसे बड़ा निवेशक है।
    - युद्ध के बाद रूस के प्रति पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण ने मॉस्को को चीन के बहुत करीब ला दिया है। दिल्ली का प्रयास रूस और पश्चिम देश दोनों के साथ जुड़ना होगा, और अपने रणनीतिक रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पहले रखना होगा।
- **वैश्विक मंच के रूप में G20:**
  - G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्ष 2024 में आम चुनाव से महीनों पहले वैश्विक स्तर पर भारत के उत्थान के सबसे बड़े भूमिकाओं में से एक होगी।
  - विकासशील और कम विकसित देशों के संदर्भ में, भारत ने पहले ही खुद को "वैश्विक दक्षिण की आवाज़" के रूप में स्थापित कर लिया है, और इसके साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी प्राथमिकताओं को रखने की कोशिश करेगा।
  - इस संदर्भ में, भारत रूसी और पश्चिमी वार्ताकारों और नेताओं को एकजुट करने और यूरोप में संघर्ष को समाप्त करने का भी प्रयास करेगा।
  - यदि भारत ऐसा करने में सफल होता है, तो यह एक कूटनीतिक जीत की तरह होगी, जिसका घरेलू समर्थकों द्वारा स्वागत किया जाएगा।
- **पश्चिमी देशों के साथ संबंध:**
  - भारत को अपने यूरोपीय और अमेरिकी भागीदारों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करना होगा क्योंकि वह सस्ता तेल खरीद रहा है और रूस के विरुद्ध पश्चिम का समर्थन नहीं कर रहा है।असल में G-20 संबंधी तैयारियाँ इस प्रकार का अवसर प्रदान कर सकती हैं।
- **पड़ोसी देशों से संबंधित चुनौती:**
  - **श्रीलंका और मालदीव:**
    - आने वाले वर्ष में, श्रीलंका को अभी भी भारत के मानवीय, वित्तीय और राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता होगी, और भारत मालदीव में राजनीतिक संवाद का एक हिस्सा होगा।
    - सितंबर 2023 में मालदीव में चुनाव होने जा रहे हैं, और "इंडिया आउट" अभियान की वजह से राजनीतिक बहस

नोट :

तेज़ होने की संभावना है। केंद्र सरकार इस बात पर नज़र रखने का प्रयास कर रही होगी कि राजनीतिक दल भारत को किस रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।

- **बांग्लादेश:**
  - शेख हसीना के सख्त शासन के बाद, जनवरी 2024 में बांग्लादेश में भी चुनाव आपेक्षित है।
  - भारत के पूर्वी राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक लंबी और अबाधित राजनीतिक यात्रा के बाद, भारत अपने भविष्य की ओर देख रहा है।
- **नेपाल:**
  - नेपाल ने विद्रोही से राजनेता बने पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के प्रधानमंत्री बनने और हाल के वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के सरकार पर नियंत्रण में भारत विरोधी घटनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव किया।
  - यह भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती पेश करेगा, क्योंकि हाल के वर्षों में बीजिंग, चीन का प्रभाव काठमांडू, नेपाल में बढ़ा है।

- **पाकिस्तान हेतु महत्त्वपूर्ण वर्ष:**
  - पाकिस्तान में चुनाव वर्ष 2023 के अंत में निर्धारित हैं। यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि नई नागरिक सरकार और सेना प्रमुख भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण को कैसे आकार देंगे।
  - भारत में वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस दौरान पाकिस्तान समस्या को भारत किस तरह से उठाएगा और प्रबंधित करेगा, यह संबंधों के अगले कदमों की कुंजी हो सकती है।

आगे की राह

- भारत को अपने प्रयासों के लिये दूसरों के साथ स्मार्ट साझेदारी पर बल देने की आवश्यकता है।
- नए मित्र बनाते समय भारत को रूस जैसे पुराने सहयोगियों को अपने पक्ष में रखने, चीन सहित सभी देशों को शामिल करने और छोटे पड़ोसियों के साथ लंबित मामलों को हल करने की आवश्यकता है, जिन्होंने दशकों से विदेश नीति को बाधित किया है।

यूक्रेन शांति सूत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की G-20 अध्यक्षता और यूक्रेन की "10 सूत्री शांति योजना" पर चर्चा करने के लिये यूक्रेन के राष्ट्रपति से वार्ता की।

- दिसंबर 2022 की शुरुआत में यूक्रेन ने G-7 देशों के नेताओं से सर्दियों में अपने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के विचार का समर्थन करने का आग्रह किया, जो "संपूर्ण रूप से या विशेष रूप से कुछ विशिष्ट बिंदुओं" पर शांति योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूक्रेन की 10 सूत्री शांति योजना:

- यूक्रेन ने पहली बार 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नवंबर 2022 शिखर सम्मेलन में अपने शांति सूत्र की घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित मांगें है:
  - **विकिरण और परमाणु सुरक्षा:** यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ापोरिज़्ज़िया के आसपास सुरक्षा बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना, जो अब रूस के कब्ज़े में है।
  - **खाद्य सुरक्षा:** इसमें दुनिया के सबसे गरीब देशों को यूक्रेन से अनाज निर्यात और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** रूसी ऊर्जा संसाधनों पर मूल्य प्रतिबंधों को लेकर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ यूक्रेन को उसके विद्युत बुनियादी ढाँचे, जिसका आधा हिस्सा रूसी आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गया है, को बहाल करने में सहायता करना।
  - युद्ध बंदियों और रूस भेजे गए बच्चों सहित सभी बंदियों एवं निर्वासितों की रिहाई।
  - यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) चार्टर के अनुसार रूस द्वारा इसकी पुष्टि करना।
  - रूसी सैनिकों की वापसी और शत्रुता की समाप्ति, रूस के साथ यूक्रेन की राज्य सीमाओं की बहाली।
  - न्याय सहित, रूसी युद्ध अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना ।
  - जल उपचार सुविधाओं को बहाल करने पर ध्यान देने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा।
  - यूक्रेन के लिये गारंटी सहित यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में संघर्ष की रोकथाम और सुरक्षा ढाँचा का निर्माण।
  - युद्ध की समाप्ति की पुष्टि, जिसमें शामिल पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़।

शांति सूत्र के प्रति विश्व की प्रतिक्रिया:

- रूस ने यूक्रेन के शांति प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया और पुन: बताया कि वह सैनिकों द्वारा कब्ज़ा किये गए यूक्रेन के लगभग पाँचवें हिस्से (1/5वें) के आसपास के क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा।
- यूक्रेन की सेना को पश्चिमी देशों द्वारा वाशिंगटन के नेतृत्त्व में अरबों डॉलर का सहयोग किया गया साथ ही ये राष्ट्र यूक्रेन के विद्युत बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु मदद कर रहे हैं।

- लेकिन यूक्रेन की शांति योजना और प्रस्तावित शांति शिखर सम्मेलन की प्रतिक्रिया के संदर्भ में काफी देश अधिक सतर्क रहे हैं।

- G7 नेताओं ने बताया कि वे "संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित अपने अधिकारों के अनुरूप" यूक्रेन में शांति लाने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

भारत-आर्मेनिया संबंध

चर्चा में क्यों ?

आर्मेनिया और भारत वर्ष 2022 में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं।

ऐतिहासिक संबंध:

- आर्मेनिया और भारत के बीच सक्रिय राजनीतिक संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय निकायों के तहत दोनों देशों के बीच प्रभावी सहयोग है।
- वर्ष 1991 में आर्मेनिया की स्वतंत्रता के बाद आर्मेनिया-भारत संबंधों को फिर से स्थापित किया गया।
- वर्ष 1992 में आर्मेनिया गणराज्य और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- वर्ष 1999 में येरेवन में भारतीय दूतावास स्थापित किया गया।
- यदि आर्मेनिया-भारत राजनीतिक संबंधों का "उत्कृष्ट" के रूप में मूल्यांकन किया जाए, तो आर्मेनिया एकमात्र स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (CIS) देश है, जिसके साथ भारत के वर्ष 1995 में (रूस के अलावा) राजनयिक संबंध थे।
  - CIS की स्थापना वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी।
  - वर्तमान में CIS में शामिल देश हैं: अज़रबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन।
- भारत और आर्मेनिया ने वर्ष 1995 में मित्रता और सहयोग पर एक संधि पर हस्ताक्षर किये।
- लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र:

- **रक्षा संबंध:**
  - आर्मेनिया ने 2020 के युद्ध से पहले ही भारतीय सैन्य उपकरण में दिलचस्पी दिखाई थी।
  - वर्ष 2020 में आर्मेनिया ने चार वेपन लोकेटिंग रडार (WLR) यानी स्वाति रडार की आपूर्ति के लिये भारत के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों के सौदे पर हस्ताक्षर किये
  - अक्तूबर 2022 में भारत ने आर्मेनिया के साथ मिसाइल, रॉकेट और गोला-बारूद के निर्यात के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - मिसाइलों में मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी पिनाका भी शामिल है।
    - भारत द्वारा आर्मेनिया को अपनी मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) भी निर्यात की जा सकती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था:**
  - आर्मेनिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की प्रतियोगिता में, यूरेशियन कॉरिडोर, जो फारस की खाड़ी से रूस और यूरोप तक फैला हुआ है, केंद्र के लिये एक संभावित स्थान प्रदान कर सकता है।
  - आर्मेनिया कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत की उन्नति में एक योग्य भागीदार भी साबित हो सकता है।
  - यह सहयोग ऋणग्रस्त चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मॉडल के लिये एक उत्कृष्ट विकल्प प्रदान कर सकता है।
  - यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्मेनिया द्वारा भारतीय रक्षा हार्डवेयर की बढ़ती खरीद से अंततः भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रक्षा विनिर्माण दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत के लिये आर्मेनिया का महत्त्व:

- **अखिल-तुर्कवाद का मुकाबला:**
  - अंकारा से प्रशासित एक अखिल-तुर्क साम्राज्य स्थापित करने की तुर्की की शाही महत्त्वाकांक्षा वर्तमान काकेशस और यूरेशिया के अन्य हिस्सों में देखी जा सकती है।
  - नस्लवादी सिद्धांत एक साम्राज्य की कल्पना करता है जिसमें सभी राष्ट्र और क्षेत्र शामिल होते हैं जो तुर्की भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं और तुर्की में बोली जाने वाली भाषाओं के बीच अंतर की सीमा के साथ-साथ क्षेत्रों की संबंधित आबादी के अनुमोदन की उपेक्षा करते हैं।

नोट :

- आर्मेनिया को सैन्य उपकरण के हालिया निर्यात के साथ नई दिल्ली ने खुले तौर पर खुद को नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में आर्मेनियाई पक्ष में रखा है, इसलिये भारत ने तुर्की और पाकिस्तान सहित अज़रबैजान एवं उसके समर्थकों के साथ-साथ अंकारा की विस्तारवादी अखिल-तुर्की महत्त्वाकांक्षा का मुकाबला करने के लिये आर्मेनिया का पक्ष लिया है।

- **भू-सामरिक लाभ:**
  - एक सहयोगी के रूप में पाकिस्तान, अज़रबैजान के संघर्षों में सेना तथा सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति करता रहा है।
  - इसी प्रकार अज़रबैजान ने भी इस्लामाबाद में अपने साझेदारों को भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-रणनीतिक लाभ प्रदान किये है।
  - अर्मेनिया में अज़रबैजान की सफलता से पाकिस्तान अत्यधिक सक्रिय हो जाएगा जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं।
  - अर्मेनियाई क्षेत्र पर ज़बरन अधिग्रहण करने का उद्देश्य तुर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान तथा तुर्की-उन्मुख राष्ट्रों से लेकर चीन तक तक अबाध पहुँच हासिल करना है।
    - सैन्य साजो-सामान तथा गोला-बारूद को कश्मीर की सीमा तक पहुँचाने के लिये इस मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।
  - इसे रोकने के लिये भारत अपने सैन्य कौशल और क्षमताओं के रूप में आर्मेनिया की सहायता कर सकता है ताकि वह अज़रबैजान की सैन्य ताकत से स्वयं से सुरक्षित रख सके।

- **आर्थिक सहयोग:**
  - आर्मेनिया भारत समर्थित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (Indian-backed International North-South Transport Corridor-INSTC) और ईरान समर्थित काला सागर-फारस की खाड़ी परिवहन कॉरिडोर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आगे की राह

- आर्मेनिया-भारत सहयोग विकसित लोकतंत्रों के साथ आर्मेनिया के लिये व्यापक संपर्कों का एक अभिन्न अंग बन सकता है। इन उद्देश्यों के लिये उच्च-गुणवत्ता और सूक्ष्म कूटनीति अनिवार्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संरचना भी बदल रही है, जिससे संभावित खतरे और अवसर दोनों पैदा हो रहे हैं।
- इन बदलते वैश्विक संबंधों के परिदृश्य में आर्मेनिया को विदेशी संबंधों के गहरे विविधीकरण की आवश्यकता है।
- पश्चिमी देश इस दिशा में महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बन सकते हैं।
- समान मूल्यों को साझा करके आर्मेनिया और राज्यों का समुदाय एक साथ मिलकर काम करने में सक्षम होंगे।
  - यह सहयोग का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो आधुनिकीकरण के सिद्धांत, संस्थागतकरण और संभवत: राष्ट्रीय रक्षा को मज़बूत करने के सक्रिय कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बेस एडिटिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने टी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia: T-ALL) से पीड़ित मरीज़ में कैंसर थेरेपी के एक नए रूप 'बेस एडिटिंग' का सफल परीक्षण किया है।

बेस एडिटिंग:

- बेस/क्षार एक प्रकार से जीवन की भाषा है। जिस तरह वर्णमाला के अक्षर शब्दों के उच्चारण से अर्थ प्रदान करते हैं, उसी तरह हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) में अरबों आधार मानव शरीर के लिये निर्देश पुस्तिका का वर्णन करते हैं।
  - बेस के क्रम में असंतुलन से कैंसर हो सकता है।
- बेस एडिटिंग की तकनीक का उपयोग करके जेनेटिक कोड में केवल एक बेस की आण्विक संरचना को बदला जा सकता है, यह इसके आनुवंशिक निर्देशों को प्रभावी ढंग से बदल सकता है।
  - जेनेटिक कोड जीन में निहित निर्देशों को संदर्भित करता है जो सेल/कोशिका को निर्देशित करता है कि विशिष्ट प्रोटीन कैसे बनाया जाए।
  - चार DNA बेस- एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G) और थाइमिन (T) प्रत्येक आनुवंशिक कोड द्वारा तीन-अक्षर "कोडन" बनाने के लिये अलग-अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है जो इंगित करता है कि प्रोटीन के भीतर प्रत्येक स्थान पर कौन से अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है।
- क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिंड्रोमिक रिपीट (CRISPR) तकनीक सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है जो जीन में बदलाव करने में सक्षम है, जिससे त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है।
  - कुछ बेस को सीधे बदलने में सक्षम होने के लिये इस पद्धति में और सुधार किया गया है जैसे कि C को G और T को A में बदला जा सकता है।

CRISPR तकनीक:

- यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है, जिसकी सहायता से शोधकर्त्ता Cas9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिये बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करते हैं।

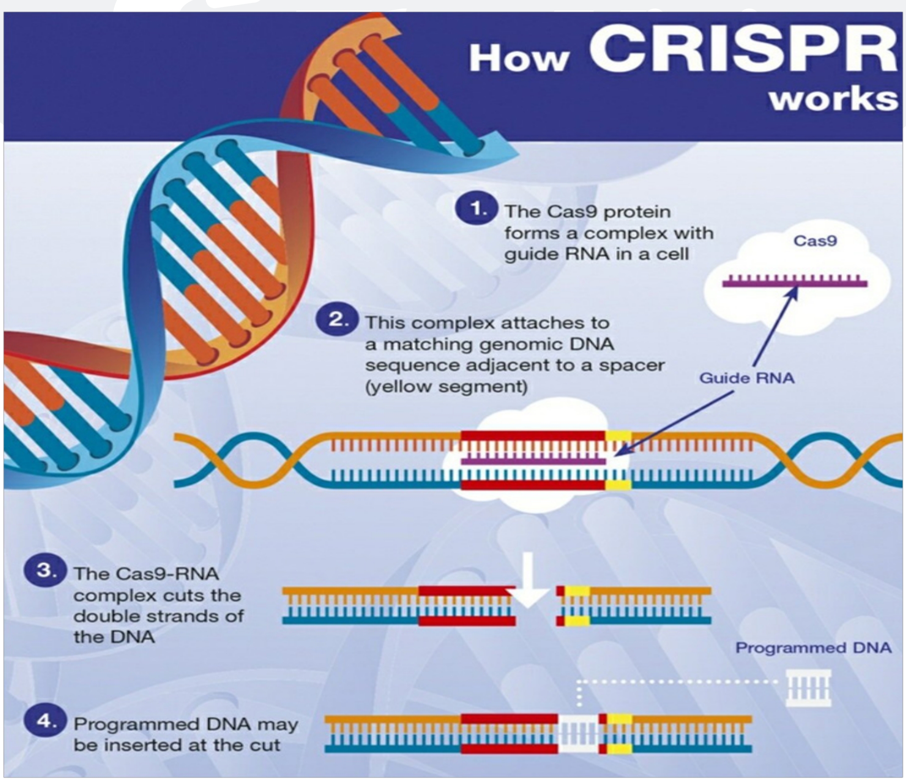

नोट :

- CRISPR/Cas9 DNA को सटीक रूप से काटकर जीन को संपादित करता है और फिर प्राकृतिक DNA मरम्मत प्रक्रियाओं को अपना काम करने देता है। इस प्रणाली के दो भाग होते हैं: Cas9 एंज़ाइम और एक गाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)।
  - Cas9: CRISPR-संबद्ध (CRISPR-associated-Cas) एंडोन्यूक्लिज़ या एंज़ाइम, जो एक गाइड RNA के माध्यम से निर्दिष्ट स्थान पर DNA को काटने के लिये "आण्विक कैंची (जेनेटिक सीज़र्स)" के रूप में कार्य करता है।
  - गाइड RNA (gRNA): RNA अणु का एक रूप जो Cas9 से जुड़ता है और उस स्थान को परिभाषित करता है जिस पर Cas9 gRNA के अनुक्रम के आधार पर डीएनए को काटेगा।
- CRISPR-Cas9 तकनीक को अक्सर 'जेनेटिक सीज़र्स ' के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के 'कट-कॉपी-पेस्ट' या ढूँढे-बदलें' कार्यात्मकताओं से की जाती है।
- DNA अनुक्रम में गड़बड़ी, जो बीमारी या विकार का कारण होती है, को काटकर हटा दिया जाता है और फिर एक 'सही' अनुक्रम से बदल दिया जाता है।
- यह तकनीक एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र जैसी है जिसका उपयोग कुछ बैक्टीरिया खुद को वायरस के हमलों से बचाने के लिये करते हैं।

टी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL)

- यह अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं (White Blood Cells- WBC) का उत्पादन करते हैं जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स (टी-सेल) कहा जाता है।
  - टी-सेल संक्रमित कोशिकाओं को मारकर, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करके व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।
- T-ALL एक तीव्र और प्रगतिशील प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें टी-सेल प्रतिरक्षा में मदद करने के बजाय स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती हैं (यह टी-कोशिकाओं का सामान्य कार्य है)।
- इसका आमतौर पर कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा और स्टेम सेल/अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा इलाज किया जाता है।

भारत के निर्यात में कमी

चर्चा में क्यों ?

अक्तूबर 2022 में वर्ष 2021 की इसी अवधि की तुलना में भारत के निर्यात में लगभग 16.7% की गिरावट आई है जिससे निर्यात में धीमापन चिंता का विषय बन गया है।

- अक्तूबर में स्टील और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में लगभग 38% की वृद्धि हुई जो 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रही।

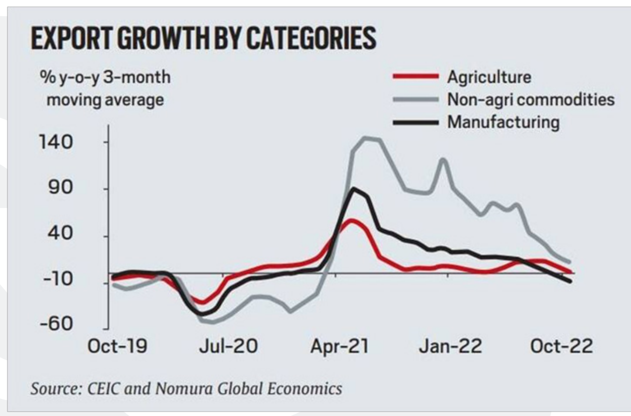

धीमी निर्यात मांग के कारक:

- **कम वैश्विक मांग:**
  - विकसित देशों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनज़र वैश्विक आर्थिक विकास में तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है और इसके परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति को कड़ा किया जा रहा है।
  - निर्यात में कमी के कुछ कारक: विकास में वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप भारतीय वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है, ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका के मंदी की ओर बढ़ने की आशंका है, चीन द्वारा विकास हेतु संघर्ष जारी रखने के बावजूद यूरोपीय क्षेत्र के स्थिर होने की सबसे अधिक संभावना है।
- **मुद्रास्फीति:**
  - बाह्य कारकों की तुलना में स्थानीय कारकों ने मुद्रास्फीति में अधिक योगदान दिया है, विशेष रूप से बढ़ती खाद्य लागत और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट तथा खरीफ फसल की शुरुआत के परिणामस्वरूप इन दबावों में कमी आने की उम्मीद है।
  - विगत कुछ महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 7% से ऊपर रही है, लेकिन अक्तूबर 2022 में यह 6.8% रही।

- **तेल और अन्य निर्यात में गिरावट:**
  - तेल निर्यात सितंबर 2022 के 43.0% से घटकर -11.4% पर पहुँच गया है जिसका आंशिक कारण वैश्विक कच्चे तेल की कम कीमतें हैं, जबकि गैर-तेल निर्यात वर्ष-दर-वर्ष गिरावट के साथ -16.9% तक पहुँच गया है जिसमें लौह अयस्क, हस्तशिल्प, वस्त्र में व्यापक गिरावट के साथ कृषि सामान, प्लास्टिक, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स तथा चमड़े के सामान आदि आते हैं।
  - इंजीनियरिंग सामान, जिसमें हाल के वर्षों में भारत की अच्छी स्थिति थी, में भी 21% की गिरावट आई है।
- **विश्व-व्यापार संबंधी तनाव:**
  - अमेरिका और चीन के बीच हालिया व्यापार युद्ध और अन्य वैश्विक व्यापार युद्धों से पूरे विश्व का विकास प्रभावित हुआ है।
  - इसने भारतीय अर्थव्यवस्था सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विनिर्माण और निर्यात को प्रभावित किया है।

अर्थव्यवस्था के लिये सकारात्मक संकेत:

- निर्यात परिदृश्य के धीमे होने के बावजूद घरेलू मांग बनी रहने की संभावना है।
- निवेश चक्र फिर से मज़बूत होगा जो आने वाले समय में विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय छह लाख करोड़ को छूने को है, जो विगत छह वर्षों में सबसे अधिक होगा।
  - निजी कैपेक्स आमतौर पर बैंकिंग प्रणाली से क्रेडिट या ऋण पर निर्भर करता है।
  - इसमें सितंबर 2022 में 18% की उच्च स्तर की वृद्धि देखी गई है।

अन्य निर्यातक देशों के संदर्भ में:

- निर्यात प्रधान देश वियतनाम ने सतत् विदेशी मांग' के बीच निर्यात में एक वर्ष पहले की तुलना में 4.5% की वृद्धि दर्ज की और यह 29.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
- इसी तरह फिलीपींस द्वारा किया जाने वाला निर्यात अक्तूबर, 2022 में 20% बढ़ा।
  - वहाँ की सरकार का कहना था कि सितंबर में तीन महीने में पहली बार निर्यात बढ़ा, जिसे वह 'विदेशी मांग को पुनर्जीवित करने का संकेत' मानती है।
- सख्त लॉकडाउन के कारण 2022 में चीन एक मात्र देश है, जो विनिर्माण उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, हालाँकि वर्तमान में प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध के बाद लॉकडाउन में ढील दी जा रही है।

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार:

- 2 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 561 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अक्तूबर का आयात, बेंचमार्क के रूप में 56.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (आठ महीने का निचला स्तर) का था।
- हालाँकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह वर्ष 2013 जितना खराब नहीं था, जब विदेशी निवेशकों ने भारत के वित्तीय बाज़ारों से हाथ खींचना शुरू कर दिया था।
  - उस समय भारत के पास सात महीने से कम का आयात कवर था।
- हाल के हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ वृद्धि हुई है, यह भविष्य के लिये आशा का संकेत है।

नोट:

- आयात कवर इस बात का माप है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा कितने महीनों के आयात को कवर किया जा सकता है।
- यह मुद्रा की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ (India's Export Promotion Schemes):

- **भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना:**
  - MEIS को विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 में पेश किया गया था। इसके तहत सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।
  - इस योजना में पुरस्कार के तहत देय फ्री-ऑन-बोर्ड वेल्यू (2%, 3% और 5%) के प्रतिशत के रूप में दी जाती है तथा MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को स्थानांतरित किया जा सकता है या मूल सीमा शुल्क सहित कई कार्यों के भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- **भारत योजना से सेवा निर्यात:**
  - इससे पहले वित्तीय वर्ष 2009-2014 के लिये इस योजना को भारत योजना (SFIS योजना) से सेवा के रूप में नामित किया गया था।
    - इसे भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत अप्रैल 2015 में 5 वर्षों के लिये लॉन्च किया गया था।
  - इसके तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में स्थित सेवा निर्यातकों को भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP):**
  - ITC कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की

खरीद पर दिये जाने वाले कर पर प्रदान किया जाता है जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण में किया जाता था। यह दोहरे कराधान एवं करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद करता है।
- यह भारत में निर्यात बढ़ाने में मदद करने हेतु वस्तु और सेवा कर (Goods and Service Tax- GST) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिये पूरी तरह से स्वचालित मार्ग है।

- **राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी की छूट:**
  - मार्च 2019 में घोषित RoSCTL को एम्बेडेड स्टेट (Embedded State) और केंद्रीय ज़िम्मेदारियों (Central Duties) तथा उन करों के लिये पेश किया गया था जो माल एवं सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस प्राप्त नहीं होते हैं।
  - यह केवल कपड़ों और निर्मित वस्तुओं के लिये उपलब्ध था। इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
  - इससे पहले यह राज्य करारोपण से मुक्त (Rebate for State Levies- ROSL) था।

आगे की राह

- भारत के निर्यात में कमी बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि वैश्विक विकास मंद रहने की संभावना है। भारत के निर्यात में कमी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास पर प्रभाव डालेगी।
- सरकार को ऐतिहासिक व्यापार असंतुलन और निर्यात की धीमी गति दोनों को दूर करने के लिये एक संशोधित विदेश नीति लाने की तत्काल आवश्यकता है, बजाय इसके कि वह अगले अप्रैल तक नई नीति जारी करने का इंतज़ार करे।
- सरकार को निवेश और बचत के माध्यम से ऋण चक्र में सुधार के लिये उचित उपाय करने चाहिये एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से भविष्य में अर्थव्यवस्था को मंदी से निजात मिलेगी।

संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Science Education and Research- IISER) भोपाल के शोधकर्त्ताओं ने बरगद (Ficus benghalensis) और पीपल (Ficus religiosa) की पत्ती के ऊतकों के नमूनों से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (Whole Genome Sequencing) किया है।

- इस कार्य ने बरगद के मामले में 17 जीनों और पीपल के 19 जीनों की पहचान करने में मदद की, जिनमें अनुकूली विकास के कई लक्षण हैं जो इन दो गूलर (Ficus) प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण:

- **परिचय:**
  - सभी जीवों का एक अद्वितीय आनुवंशिक कोड या जीनोम होता है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस एडेनिन (A), थाइमिन (T), साइटोसिन (C) और गुआनिन (G) से बना होता है।
  - एक जीव में बेस के अनुक्रम का पता लगाकर अद्वितीय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA) फिंगरप्रिंट या पैटर्न की पहचान की जा सकती है।
    - बेस के क्रम का निर्धारण अनुक्रमण कहलाता है।
  - संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है जो एक प्रक्रिया में जीव के जीनोम में बेस के क्रम को निर्धारित करती है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - **DNA को काटने के लिये:**
    - वैज्ञानिक DNA को काटने के लिये आणविक कैंची का उपयोग करते हैं, यह लाखों आधारों (A, C, T और G) से बना होता है, जो अनुक्रमण मशीन को समझने के लिये काफी छोटे होते हैं।
  - **DNA बारकोडिंग :**
    - वैज्ञानिक DNA टैग के छोटे-छोटे टुकड़े जोड़ते हैं या बार कोड का उपयोग यह पहचानने के लिये करते हैं कि कटा हुआ DNA का कौन-सा टुकड़ा किस बैक्टीरिया से संबंधित है।
    - यह उसी तरह है जैसे एक बार कोड किसी किराने की दुकान पर किसी उत्पाद की पहचान करता है।
  - **DNA सीक्वेंसर:**
    - कई बैक्टीरिया से बार-कोडेड DNA को मिलाया जाता है और DNA सीक्वेंसर में डाल दिया जाता है।
    - अनुक्रमक A's, C's, T's और G's या उन आधारों की पहचान करता है, जो प्रत्येक जीवाणु अनुक्रम बनाते हैं।
    - अनुक्रमण बार कोड का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से आधार किस बैक्टीरिया के हैं।
  - **डेटा विश्लेषण:**
    - वैज्ञानिक कई बैक्टीरिया से अनुक्रमों की तुलना करने और मतभेदों की पहचान करने के लिये कंप्यूटर विश्लेषण टूल का उपयोग करते हैं।

- ये मतभेद वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि जीवाणु कितनी निकटता से संबंधित हैं और कितनी संभावना है कि वे एक ही प्रकोप का हिस्सा हैं।

- **लाभ:**
  - जीनोम का उच्च-रिज़ॉल्यूशन, आधार-दर-आधार दृश्य प्रदान करता है।
  - बड़े और छोटे दोनों रूपों को शामिल करता है जो लक्षित दृष्टिकोणों से छूट सकते हैं।
  - जीन अभिव्यक्ति और विनियमन तंत्र के आगे के अनुवर्ती अध्ययन के लिये संभावित प्रेरक रूपों की पहचान करता है।
  - नोबेल जीनोम की असेंबली का समर्थन करने के लिये कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा वितरित करता है।
- **महत्त्व:**
  - वंशानुगत विकारों की पहचान करने, कैंसर कोशिकाओं के उत्परिवर्तनों को चिह्नित करने और बीमारी के प्रकोपों को ट्रैक करने में जीनोमिक जानकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पशुधन, पौधों या रोग संबंधी रोगाणुओं के अनुक्रमण के लिये लाभदायक है।

जीनोम:

- जीनोम एक जीव में मौजूद समग्र आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है और सभी लोगों में मानव जीनोम अधिकतर समान होता है, लेकिन DNA का एक बहुत छोटा हिस्सा एक व्यक्ति तथा दूसरे के बीच भिन्न होता है।
- प्रत्येक जीव का आनुवंशिक कोड उसके डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड (DNA) में निहित होता है, जो जीवन के निर्माण खंड होते हैं।
- वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्राँसिस क्रिक द्वारा "डबल हेलिक्स" के रूप में संरचित DNA की खोज की गई, जिससे यह समझने में मदद मिली कि जीन किस प्रकार जीवन, उसके लक्षणों एवं बीमारियों का कारण बनते हैं।
- प्रत्येक जीनोम में उस जीव को बनाने और बनाए रखने के लिये आवश्यक सभी जानकारी होती है।
- मनुष्यों में पूरे जीनोम की एक प्रति में 3 अरब से अधिक DNA बेस जोड़े होते हैं।

जीनोम और जीन में अंतर:

जीन	जीनोम
जीन DNA अणुओं का एक हिस्सा है	जीनोम कोशिका में मौजूद कुल DNA हैं
आनुवंशिक जानकारी का वंशानुगत तत्त्व	DNA अणु के सभी समूह
प्रोटीन संश्लेषण को एन्कोड करता है	प्रोटीन संश्लेषण के लिये प्रोटीन और नियामक तत्त्वों दोनों को एन्कोड करता है
इसमें लगभग कुछ सौ क्षार जोड़े होते है	एक उच्च जीव के जीनोम में अरब क्षार जोड़े होते हैं
एक उच्च जीव में लगभग हज़ारों जीन होते हैं	प्रत्येक जीव में केवल एक जीनोम होता है
एलील्स नामक जीन की भिन्नता को स्वाभाविक रूप से चुना जा सकता है	क्षैतिज जीन स्थानांतरण और दोहराव जीनोम में बड़े बदलाव का कारण बनते हैं

कैंसर रोधी mRNA वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मॉडर्ना और MSD (मर्क एंड कंपनी) द्वारा निर्मित मेसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड (mRNA-4157/V940) वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दवा कीट्रूडा (Keytruda) के एक साथ लेने संबंधी परीक्षण में मेलेनोमा, एक प्रकार के त्वचा कैंसर के विरुद्ध आशाजनक परिणाम देखने को मिले हैं।

एडवांस्ड मेलेनोमा हेतु mRNA वैक्सीन थेरेपी:

- **परिचय:**
  - यह प्रति रोगी के लिये व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया कैंसर वैक्सीन है।
  - इस वैक्सीन को बनाने के लिये शोधकर्त्ता द्वारा रोगियों के ट्यूमर और स्वस्थ ऊतक के नमूने लिये जाते हैं।
    - उनके आनुवंशिक अनुक्रम को डिकोड करने और केवल कैंसर से जुड़े उत्परिवर्ती प्रोटीन को अलग करने के लिये नमूनों का विश्लेषण करने के बाद प्राप्त जानकारी का उपयोग वैक्सीन को तैयार करने हेतु किया गया।
  - व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन उसी mRNA तकनीक का उपयोग करती है जिसका उपयोग कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिये किया गया था।
  - mRNA की वैक्सीन हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने संबंधी प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है।
- **क्रियाविधि:**
  - यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को खोजने और नष्ट करने में मदद करती है।

- व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन प्रोग्राम्ड डेथ 1 (पीडी-1) नामक प्रोटीन को निष्क्रिय करने के लिये कीट्रूडा के साथ मिलकर काम करती है, जो ट्यूमर को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करता है।
- रोगी में इंजेक्ट किये जाने के बाद रोगी की कोशिकाएँ एक निर्माण इकाई के रूप में कार्य करती हैं, जो उन उत्परिवर्तनों की सटीक प्रतिकृतियाँ बनाती हैं जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली पहचान सकती है और समाप्त कर सकती है।
- वायरस के बिना म्यूटेशन के संपर्क में आने के बाद शरीर संक्रमण से लड़ना सीख जाता है।

- **प्रभाविकता (Efficacy):**
  - वैक्सीन ने कैंसर से मरने या कैंसर के बढ़ने के जोखिम में 44% की कमी प्रदर्शित की।
  - mRNA-4157/V940 और कीट्रूडा का संयोजन सामान्य: सुरक्षित था एवं एक साल के उपचार के बाद अकेले कीट्रूडा की तुलना में लाभ प्रदर्शित करता है।

वैक्सीन के विभिन्न प्रकार:

- **निष्क्रिय वैक्सीन:**
  - निष्क्रिय वैक्सीन रोग पैदा करने वाले रोगाणु के निष्क्रिय संस्करण का उपयोग करती है।
  - इस प्रकार के वैक्सीन रोगज़नक को निष्क्रिय करके बनाया जाता है, सामान्यत: ऊष्मा या रसायनों जैसे कि फॉर्मेल्डीहाइड या फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। यह रोगज़नक की दोहराने की क्षमता को नष्ट कर देता है या इनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है, रोगजनक के विभिन्न हिस्से बरकरार रहते हैं जैसे-एंटीजन (रासायनिक संरचना) जिसकी पहचान प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की जाती है।
  - क्योंकि रोगजनक मृत होता है, इसलिये न तो यह प्रजनन करने में सक्षम होता है, न ही किसी रोग का कारण बन सकता है। अत: कम प्रतिरक्षा वाले लोगों जैसे कि वृद्ध एवं सहरुग्णता वाले लोगों को इन्हें दिया जाना सुरक्षित होता है और समय के साथ कई खुराक (बूस्टर शॉट्स) की आवश्यकता हो सकती है।
    - **वे सुरक्षा के लिये उपयोग किये जाते हैं:** हेपेटाइटिस ए, फ्लू (केवल शॉट), पोलियो (केवल शॉट), रेबीज़।
- **सक्रिय वैक्सीन (Live-attenuated Vaccines):**
  - सक्रिय वैक्सीन रोग पैदा करने वाले रोगाणु के कमज़ोर (या क्षीण) रूप का उपयोग करती हैं।
  - क्योंकि ये वैक्सीन प्राकृतिक संक्रमण के इतने समान हैं कि वे रोकने में मदद करती हैं, वे एक मज़बूत और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती हैं।
  - हालाँकि ये वैक्सीन आमतौर पर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को नहीं दी जा सकती है।
  - सक्रिय टीकों का उपयोग निम्न रोगों के विरुद्ध किया जाता है: खसरा, कण्ठमाला, रूबेला (MMR संयुक्त वैक्सीन), रोटावायरस, चेचक आदि।
- **मैसेंजर (m) RNA वैक्सीन:**
  - mRNA वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिये प्रोटीन बनाती हैं। mRNA टीकों के अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में कई लाभ होते हैं जिनमें कम निर्माण समय भी शामिल है तथा वैक्सीनीकरण कराने वाले व्यक्ति में बीमारी पैदा करने का कोई ज़ोखिम नहीं होता है। क्योंकि इसमें एक मृत वायरस प्रयोग होता है।
  - टीकों का उपयोग कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिये किया जाता है।
- **सब-यूनिट, पुन: संयोजक, पॉलीसेकेराइड और संयुग्म वैक्सीन:**
  - इनमें प्रोटीन, चीनी या कैप्सिड (रोगाणु के चारों ओर एक आवरण) जैसे रोगाणु के विशिष्ट टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बहुत मज़बूत प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है।
  - इनका उपयोग कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों पर भी किया जा सकता है।
  - इन टीकों का उपयोग हिब (हीमोफिलस एंफ्लूएंज़ा टाइप बी) रोग, हेपेटाइटिस बी, HPV (ह्यूमन पेपिलोमावायरस), न्यूमोकोकल रोग से बचाने के लिये किया जाता है।
- **टॉक्सोइड वैक्सीन:**
  - इनमें रोग का कारण बनने वाले रोगाणु द्वारा निर्मित विष (हानिकारक उत्पाद) का उपयोग किया जाता है। यह रोगाणु के उन हिस्सों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं जो रोगाणु के बजाय रोग का कारण बनते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पूरे रोगाणु के बजाय विष को लक्षित करती है।
  - डिप्थीरिया, टेटनस से बचाव के लिये टॉक्सोइड टीकों का उपयोग किया जाता है।
- **वायरल वेक्टर वैक्सीन:**
  - एडिनोवायरस कुछ कोविड-19 टीकों में उपयोग किये जाने वाले वायरल वैक्टर में से एक है जिसका नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया जा रहा है।
  - टीकों का उपयोग कोविड-19 से बचाव के लिये किया जाता है।
    - कई अलग-अलग वायरस को वैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इन्फ्लूएंज़ा, वेसिकुलर स्टामाटाइटिस वायरस (वीएसवी), खसरा वायरस और एडेनोवायरस शामिल हैं, जो सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं।

- वायरल वेक्टर वैक्सीन सुरक्षा प्रदान करने के लिये वेक्टर के रूप में एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं।
- टीकों का उपयोग कोविड-19 से बचाव के लिये किया जाता है।

डीपफेक टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों?

चीन का साइबरस्पेस प्रशासन साइबर स्पेस वाच्डॉग, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिये नए नियम बना रहा है।

- नीति के लिये डीप सिंथेसिस सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी छेड़छाड़ की गई सामग्री को स्पष्ट रूप से पहचान और उसके स्रोत का पता लगाया जा सके।

डीप सिंथेसिस

- डीप सिंथेसिस को आभासी दृश्य बनाने के लिये पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के लिये शिक्षा एवं संवर्द्धित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - प्रौद्योगिकी के सबसे खतरनाक अनुप्रयोगों में से एक डीप फेक है, जहाँ सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के लिये स्वैप/बदलने के लिये किया जाता है।
  - प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ डीप फेक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है।

डीप फेक टेक्नोलॉजी

- **परिचय:**
  - डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है।
  - इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिये किया जाता है।
  - यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवरित करता है; साइबर अपराधी इसक लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
- **शब्द की उत्पत्ति:**
  - डीप फेक शब्द की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब एक अनाम Reddit उपयोगकर्त्ता ने खुद को "डीप फेक" कहा था।
  - इस उपयोगकर्त्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिये गूगल की ओपन-सोर्स, डीप-लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया।
- **दुरुपयोग:**
  - डीप फेक (Deep Fake) तकनीक का उपयोग अब घोटालों और झाँसे, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनाव में हेर-फेर, सोशल इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार हमले, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी आदि जैसे नापाक उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है।
    - डीप फेक तकनीक का उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों को प्रतिरूपित करने के लिये किया गया है।

डीप फेक से निपटने के लिये अन्य देश का योगदान

- **यूरोपीय संघ:**
  - यूरोपीय संघ के पास डीप फेक के माध्यम से दुष्प्रचार के प्रसार को रोकने के लिये एक अद्यतन आचार संहिता है।
  - संशोधित कोड में गूगल, मेटा और ट्विटर सहित तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक और फर्जी खाते का मुकाबला करने के उपाय करने की आवश्यकता है।
  - संहिता पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके पास अपने उपायों को लागू करने के लिये छह महीने का समय होता है।
  - अद्यतन संहिता के अनुसार, यदि अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इन कंपनियों को अपने वार्षिक वैश्विक कारोबार के 6% तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
  - वर्ष 2018 में पेश की गई, गलत सूचना (Disinformation) पर प्रैक्टिस कोड पहली बार दुनिया भर के उद्योग जगत के प्लेयर्स को गलत सूचना का मुकाबला करने के लिये एकीकृत करता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - डीप फेक तकनीक का मुकाबला करने के लिये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (Department of Homeland Security-DHS) की सहायता हेतु अमेरिका ने बाईपार्टीसन डीपफेक टास्क फोर्स एक्ट (Deepfake Task Force Act) पेश किया।
  - यह उपाय DHS को डीप फेक का वार्षिक अध्ययन करने, उपयोग की गई तकनीक का आकलन करने, विदेशी और घरेलू संस्थाओं द्वारा इसके उपयोग को ट्रैक करने और इससे निपटने के लिये उपलब्ध प्रतिउपायों के साथ आने का निर्देश देता है।

- कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पारित किये हैं जो किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक वीडियो के प्रकाशन और वितरण को अपराध मानते हैं। वर्जीनिया में कानून गैर-सहमति वाले डीप फेक पोर्नोग्राफी के वितरण पर आपराधिक दंड है।
- **भारत:**
  - हालाँकि भारत में डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानूनी नियम नहीं हैं।
    - हालाँकि इस तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में विशिष्ट कानूनों की मांग की जा सकती है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और साइबर अपराध आदि शामिल हों।

आगे की राह:

- मीडिया उपभोक्ताओं के रूप में हमें मिलने वाली जानकारी की व्याख्या, समझ और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिये।
- इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित तकनीकी समाधान है जो डीप फेक की पहचान कर सकता और उन्हें ब्लॉक कर सकता है।
- डीप फेक से जुड़े मुद्दों को हल करने से पहले मीडिया साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता।
- डीप फेक का पता लगाने, मीडिया को प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिये उपयोग में आसान और सुलभ प्रौद्योगिकी समाधानों की भी आवश्यकता है।
- समाज के स्तर पर, डीप फेक के खतरे का मुकाबला करने के लिये, इंटरनेट पर मीडिया के एक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता होने की ज़िम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सोचने और समझने, एवं समाधान का हिस्सा बंनने का प्रयास करना चाहिये।

राष्ट्रीय गणित दिवस

चर्चा में क्यों?

श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिह्नित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस (NMD) के रूप में मनाया जाता है।

- रामानुजन की 125वीं जयंती पर NMD की घोषणा वर्ष 2012 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी।
- यह दिवस लोगों को गणित के महत्त्व और क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

श्रीनिवास रामानुजन:

- **परिचय:**
  - इनका जन्म 22 दिसंबर, 1887 को तमिलनाडु के इरोड (मद्रास प्रेसीडेंसी) में हुआ था।
  - वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष यह छात्रवृत्ति वापस ले ली गई, क्योंकि वे गणित की तुलना में किसी अन्य विषय पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे।
  - वर्ष 1911 में रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया।
  - वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच. हार्डी के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज़ चले गए।
  - वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिये उनका चयन हुआ।
  - रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे।

गणित में योगदान:

- **सूत्र और समीकरण:**
  - रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवनकाल में लगभग 3,900 परिणामों (समीकरणों और सर्वसमिकाओं) का संकलन किया है। उनके सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में पाई (Pi) की अनंत श्रेणी शामिल थी।
  - उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिये कई सूत्र प्रदान किये जो परंपरागत तरीकों से अलग थे।
- **खेल सिद्धांत:**
  - उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिये नवीन विचार प्रस्तुत किये, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

- **रामानुजन की पुस्तकें:**
  - वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था।
- **रामानुजन संख्या:**
  - 1729, 10 और 9 के घनों का योग है- 10 का घन है 1000 और 9 का घन है 927 तथा इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है।
  - 1729, 12 और 1 के घनों का योग भी है- 12 का घन है 1728 और 1 का घन है 1 तथा इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है।
    - गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी 1729 को माना जाता है।
    - यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है, जिसको दो अलग-अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।
- **अन्य योगदान:**
  - रामानुजन के अन्य उल्लेखनीय योगदानों में हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज़, रीमान सीरीज़, एलिप्टिक इंटीग्रल, मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज़ का सिद्धांत आदि शामिल हैं।
  - मृत्यु: लंबी बीमारी के बाद भारत लौटने के पश्चात् 26 अप्रैल, 1920 को 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि

चर्चा में क्यों?

बाह्य अंतरिक्ष संस्थान (OSI) ने उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि को प्रतिबंधित करने के लिये राष्ट्रीय और बहुपक्षीय दोनों प्रयासों का आह्वान किया है।

- OSI विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है जो अत्यधिक नवीन, ट्रॉंसडिसिप्लिनरी रिसर्च के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु प्रयासरत है जो अंतरिक्ष के निरंतर उपयोग और अन्वेषण का सामना करने वाली बड़ी चुनौतियों का समाधान करता है।

रॉकेट लॉन्च के चरण:

- **प्राथमिक चरण:**
  - रॉकेट के प्राथमिक चरण में पहला रॉकेट इंजन संलग्न है, जो रॉकेट को आकाश की ओर भेजने के लिये प्रारंभिक बल प्रदान करता है।
  - यह इंजन तब तक कार्य करता है जब तक इसका ईंधन समाप्त नहीं हो जाता, उसके बाद यह रॉकेट से अलग हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है।
- **माध्यमिक चरण:**
  - प्राथमिक चरण के बाद, अगला रॉकेट इंजन अपने प्रक्षेपवक्र पर रॉकेट को संचालित रखने के लिये संलग्न होता है।
  - दूसरे चरण में काफी कम कार्य होता है, क्योंकि रॉकेट पहले से ही तेज़ गति से यात्रा कर रहा है और पहले चरण के अलग होने के कारण रॉकेट का वज़न काफी कम हो गया है।
  - यदि रॉकेट में अतिरिक्त चरण हैं, तो प्रक्रिया रॉकेट के अंतरिक्ष पहुँचने तक दोहराई जाएगी।
- **पेलोड:**
  - एक बार पेलोड चाहे वह उपग्रह हो या अंतरिक्ष यान कक्षा में पहुँचता है तो रॉकेट अलग हो जाता है उसके बाद क्राफ्ट को छोटे रॉकेटों का उपयोग करके संचालित किया जाता है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान का मार्गदर्शन करना है। मुख्य रॉकेट इंजनों के विपरीत इन युद्धाभ्यास रॉकेटों को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

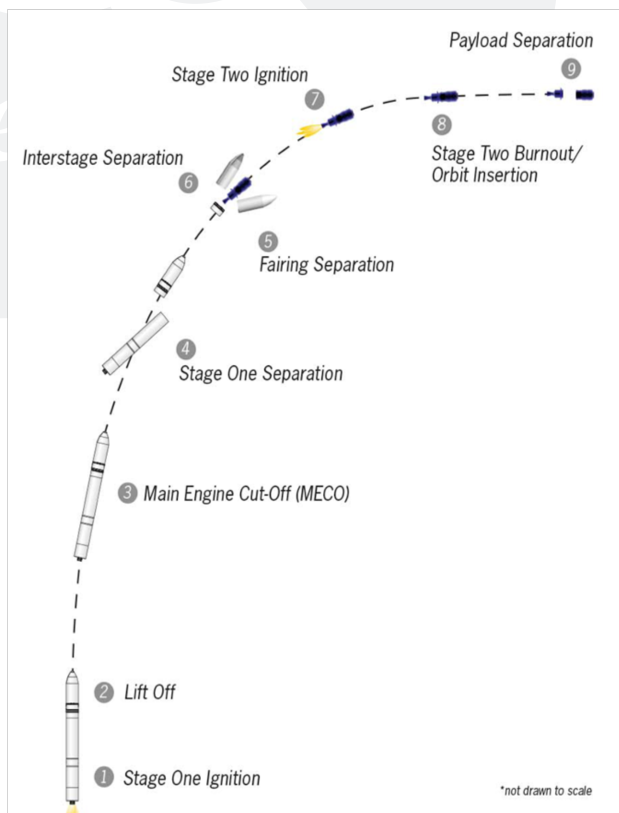

नोट :

अनियंत्रित पुन: प्रवेश (Uncontrolled Re-entry):

- एक अनियंत्रित पुन: प्रवेश चरण में रॉकेट नीचे की ओर गिरता है। इसके गिरने का मार्ग इसके आकार, अवरोहण कोण, वायु धाराओं और अन्य विशेषताओं से निर्धारित होता है।
- गिरने के साथ ही यह विघटित भी हो जाता है। जैसे-जैसे इसके छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, भूमि पर इसके प्रभाव की विभव त्रिज्या बढ़ जाती है।
- कुछ टुकड़े पूरी तरह से जल जाते हैं जबकि अन्य नहीं। लेकिन जिस गति से ये बढ़ रहे हैं उसके कारण मलबा घातक हो सकता है।
  - इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 300 ग्राम से अधिक द्रव्यमान के मलबे वाले विमान का प्रभाव एक विनाशकारी परिणाम उत्पन्न करेगा, जिसका अर्थ है कि विमान पर सवार सभी लोग मर सकते हैं।
- रॉकेट के अधिकांश पुर्जे मुख्य रूप से महासागरों में गिरे हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह पर भूमि की तुलना में जल अधिक है। लेकिन कई पुर्जे भूमि पर भी गिरे हैं।

संबंधित चिंताएँ:

- अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ रॉकेट पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर गिरे हैं।
- वर्ष 2018 में रूसी रॉकेट और वर्ष 2020 तथा 2022 में चीन के लॉन्ग मार्च 5 बी रॉकेट इंडोनेशिया, पेरू, भारत और आइवरी कोस्ट के कुछ हिस्सों पर गिरे थे।
- स्पेसएक्स फाल्कन 9 के कुछ हिस्सों में जो वर्ष 2016 में इंडोनेशिया में गिरे थे, उनमें दो "रेफ्रिज़रेटर के आकार के ईंधन टैंक" शामिल थे।
- यदि फिर से प्रवेश करने के चरणों में भी ईंधन बचा हुआ है, तो वायुमंडलीय और स्थलीय रासायनिक संदूषण एक और अन्य जोखिम है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि अनियंत्रित रॉकेट के फिर से प्रवेश करने की वजह से अगले दशक में 10% दुर्घटना संबंधी जोखिम होने की संभावना है और 'ग्लोबल साउथ' के देशों के ज़्यादा प्रभावित होना आपेक्षित है।
  - संयुक्त राष्ट्र के ऑर्बिटल डेब्रिस मिटिगेशन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज़ (ODMSP) के अनुसार रॉकेट के पुन: प्रवेश से हताहत होने की संभावना 0.01% से कम रखने की सलाह दी गई है।
- रॉकेट चरणों को हमेशा नियंत्रित पुन: प्रवेश करने के लिये कोई विश्वव्यापी समझौता नहीं है, न ही ऐसा करने के लिये कोई प्रौद्योगिकियों है।
- उत्तरदायित्व समझौता 1972 में देशों को नुकसान के लिये भुगतान करने की आवश्यकता है, उन्हें रोकने की नहीं।
- विंग-जैसे अटैचमेंट, डीऑर्बिटिंग ब्रेक, रीएंटरिंग बॉडी पर अधिक ईंधन और डिज़ाइन में बदलाव जो मलबे के उत्पादन को कम करते हैं, उपयोग की जाने वाली तकनीकों में से हैं।

न्यूनतम क्षति

- भविष्य के समाधानों को न केवल उपग्रहों को लॉन्च करने बल्कि उपग्रहों को फिर से प्रवेश करने के लिये भी विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण में हुई प्रगति ने छोटे उपग्रहों के लिये मार्ग प्रशस्त किया है, जिन्हें बड़ी संख्या में बनाना और लॉन्च करना आसान है। ये उपग्रह बड़े होने की तुलना में अधिक वायुमंडलीय खिंचाव का अनुभव करते हैं, लेकिन पुन: प्रवेश के दौरान उनके जलने की भी संभावना है।
  - भारत का 300 किलोग्राम वजनी RISAT-2 उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में 13 वर्ष बाद अक्तूबर में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) ने इसे एक महीने पहले से सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन के लिये अपने तंत्र के साथ ट्रैक किया था। इसने इन-हाउस मॉडलों का उपयोग करते हुए अपने पूर्वानुमानित मार्गों का अनुपालन किया।

नोट:

- सोवियत संघ ने वर्ष 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया।
- कक्षा में 6,000 से अधिक उपग्रह हैं, उनमें से अधिकांश निम्न-पृथ्वी (100-2,000 किमी) और भूस्थैतिक (35,786 किमी) कक्षाओं में हैं, जिन्हें 5,000 से अधिक प्रक्षेपणों के माध्यम से भेजा गया है।
- पुन: प्रयोज्य रॉकेट चरणों के आगमन के साथ रॉकेट लॉन्च की संख्या बढ़ रही है।

परमाणु ऊर्जा पर जापान की नई नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने वैश्विक ईंधन की कमी के बीच एक स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये परमाणु ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक नई नीति अपनाई है।

जापान की नई परमाणु ऊर्जा नीति:

- यह वर्ष 2011 में फुकुशिमा संकट के बाद जापान की परमाणु फेज़-आउट योजना के बिल्कुल विपरीत है।

- वर्ष 2011 में सुनामी के कारण फुकुशिमा दुर्घटना परमाणु ऊर्जा उत्पादन के इतिहास में दूसरी सबसे भयावह परमाणु दुर्घटना थी। यह साइट जापान के प्रशांत तट पर, पूर्वोत्तर फुकुशिमा प्रान्त में सेंदाई से लगभग 100 किमी दक्षिण में है।

- इस नीति में मौजूदा परमाणु रिएक्टरों को यथासंभव पुन: आरंभ करके और पुराने रिएक्टरों के प्रचालन अवधि को उनकी 60 वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाकर तथा उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिये अगली पीढ़ी के रिएक्टरों का विकास करके उनके उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास किया गया है।
- यह भविष्य में परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। जापान में अधिकांश परमाणु रिएक्टर 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- इसका उद्देश्य सुरक्षित सुविधाओं के साथ "अगली पीढ़ी के अभिनव रिएक्टरों" के विकास और निर्माण पर ज़ोर देना है ताकि लगभग 20 रिएक्टरों को प्रतिस्थापित किया जा सके जो अब सेवा मुक्त करने के लिये निर्धारित हैं।
  - जापान की ऊर्जा आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा का योगदान 7% से भी कम है और वित्तीय वर्ष 2030 तक अपनी हिस्सेदारी 20-22% तक बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वर्तमान के 10 की जगह 27 रिएक्ट की आवश्यकता होगी।

भारत की परमाणु ऊर्जा की संभावना:

- **परमाणु ऊर्जा की स्थिति:**
  - परमाणु ऊर्जा भारत के लिये विद्युत का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के पास देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं जो 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये 7 बिजली संयंत्र हैं:
    - तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन (TAPS), महाराष्ट्र।
    - कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KKNPS), तमिलनाडु
    - काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KAPS), गुजरात।
    - कलपक्कम, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन (MAPS), तमिलनाडु।
    - नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन (NAPS), उत्तर प्रदेश।
    - कैगा जनरेटिंग स्टेशन (KGS), कर्नाटक।
    - राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (KKNPS), राजस्थान।
  - सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग और संचालन के लिये ज़िम्मेदार है।
    - NPCIL भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (DE) के तहत काम करता है।
- **भारत के लिये महत्त्व:**
  - थोरियम की उपलब्धता: भारत थोरियम नामक परमाणु ईंधन के संसाधन में अग्रणी है, जिसे भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है।
    - थोरियम की उपलब्धता के साथ, भारत में जीवाश्म ईंधन मुक्त राष्ट्र के सपने को साकार करने वाला पहला राष्ट्र बनने की क्षमता है।
  - **आयात बिलों में कटौती:** परमाणु ऊर्जा देश को सालाना लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी राहत प्रदान करेगी जो हम पेट्रोलियम और कोयले के आयात पर खर्च करते हैं।
  - स्थिर और विश्वसनीय स्रोत: सौर और पवन हरित ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन मौसम और धूप की स्थिति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सौर और पवन ऊर्जा उनके सभी फायदों के बावजूद स्थिर नहीं हैं।
    - दूसरी ओर, नाभिकीय ऊर्जा विश्वसनीय ऊर्जा का एक अपेक्षाकृत स्वच्छ, उच्च घनत्त्व वाला स्रोत है।
  - **संचालन में किफायती:** नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को संचलित करना उनके कोयले या गैस प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में किफायती है। यह अनुमान है कि रेडियोधर्मी ईंधन के प्रबंधन और परमाणु संयंत्रों के निपटान में भी कोयला-चालित संयंत्र और गैस संचालित संयंत्र की तुलना में 33 से 50% और 20 से 25% किफायती होता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - अपर्याप्त परमाणु स्थापित क्षमता: वर्ष 2008 में, परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमान लगाया था कि भारत के पास वर्ष 2050 तक 650GW की स्थापित क्षमता होगी; भारत की वर्तमान स्थापित क्षमता केवल 6.78 GW है।
    - इस तरह के लक्ष्य इस उम्मीद पर आधारित थे कि भारत-संयुक्त राष्ट्र के बीच असैन्य परमाणु समझौते के बाद भारत कई लाइट वाटर रिएक्टरों का आयात करेगा। लेकिन इस समझौते के संपन्न होने के 13 वर्ष बाद भी एक भी नए परमाणु संयंत्र की स्थापना नहीं हुई है।
  - **सार्वजनिक वित्त की कमी:** नाभिकीय ऊर्जा को अतीत में प्राप्त जीवाश्म ईंधन और वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त होने वाली जैसी सब्सिडी कभी नहीं मिली है।
    - सार्वजनिक वित्त के अभाव में, परमाणु ऊर्जा के लिये भविष्य में प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन होगा।
  - **भूमि अधिग्रहण:** भूमि अधिग्रहण और परमाणु ऊर्जा संयंत्र (NPP) के लिये स्थान का चयन भी देश में एक बड़ी समस्या है।

- तमिलनाडु में कुडनकुलम और आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतियों के कारण देरी का सामना करना पड़ा है।

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन से परमाणु रिएक्टर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। विश्व में लगातार गर्म होते जा रहे ग्रीष्मकाल के दौरान पहले से ही कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अस्थायी रूप से बंद करने की स्थिति बनती रही है।
  - इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने रिएक्टरों को ठंडा करने के लिये आस-पास के जल स्रोतों पर निर्भर हैं, जबकि नदियों आदि के सूखने के साथ जल के उन स्रोतों की अब गारंटी नहीं है।
- **अपर्याप्त पैमाने पर तैनाती:** भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये यह उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता है क्योंकि इसे आवश्यक पैमाने पर तैनात नहीं किया जा सकता है।
- **परमाणु अपशिष्ट:** परमाणु ऊर्जा का एक अन्य दुष्प्रभाव इससे उत्पन्न होने वाले परमाणु अपशिष्ट की मात्रा है। परमाणु अपशिष्ट का जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे यह कैंसर के विकास का कारण बन सकता है या पशुओं तथा पौधों की कई पीढ़ियों के लिये आनुवंशिक समस्याएँ पैदा कर सकता है।
  - भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में भूमि का अभाव है और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

परमाणु ऊर्जा के संबंध में भारत की प्रमुख पहल:

- **तीन चरणीय परमाणु उर्जा कार्यक्रम:**
  - भारत ने बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिये सचेत रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं।
  - इस दिशा में होमी जहाँगीर भाभा द्वारा वर्ष 1950 के दशक में एक तीन चरणीय परमाणु उर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।
- **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962**
  - भारतीय परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में दो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्त्वों यूरेनियम और थोरियम को परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने के निर्धारित उद्देश्यों के साथ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को तैयार एवं कार्यान्वित किया गया।
- **दाबित भारी जल रिएक्टरों:**
  - दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने संसद को बताया कि 10 स्वदेशी 'दाबित भारी जल रिएक्टरों (Pressurised Heavy Water Reactors- PHWRs) का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें फ्लीट मोड में स्थापित किया जाएगा, जबकि 28 अतिरिक्त रिएक्टरों के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिनमें से 24 रिएक्टर फ्राँस, अमेरिका और रूस से आयात किये जाएँगे।
- **महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर:**
  - हाल ही में केंद्र ने महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिये सैद्धांतिक (प्रथम चरण) मंज़ूरी प्रदान की है।
  - जैतापुर संयंत्र विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। यहाँ 9.6 गीगावॉट की स्थापित क्षमता वाले छह अत्याधुनिक इवोल्यूशनरी पॉवर रिएक्टर (EPRs) होंगे जो निम्न-कार्बन वाली बिजली का उत्पादन करेंगे।
  - ये छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर (जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1,650 मेगावाट होगी) फ्राँस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किये जाएँगे।

आगे की राह

- वैश्विक ऊर्जा संकट को परमाणु ऊर्जा स्रोत पर तर्कसंगत पुनर्विचार करना चाहिये क्योंकि इसे अनावश्यक रूप से देखा जाता है।
  - हमें विभिन्न निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के बीच सही चुनाव करना चाहिये, जिनमें से सभी का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो।
- बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये परमाणु ऊर्जा बेहतर समाधानों में से एक है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के कम क्षमता उपयोग, जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती प्रदूषण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, परमाणु ऊर्जा की क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाना चाहिये।

GM सरसों

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खेत में जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) सरसों धारा मस्टर्ड हाइब्रिड (DMH-11) का परीक्षण किया गया और इसे अधिक उत्पादक पाया गया।

- DMH-11, मधुमक्खियों के प्राकृतिक परागण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नही करता है|

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें:

- GM फसलें उन पौधों से प्राप्त होती हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किये जातें हैं, आमतौर इसमें किसी अन्य फसल के आनुवंशिक गुणों जैसे- उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे से प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्य का समामेलन किया जा सके।

- इससे पहले भारत ने केवल एक GM फसल BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन GEAC ने व्यावसायिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है।

GM सरसों:

- धारा सरसों हाइब्रिड (DMH-11) एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक तौर पर संशोधित रूप है।
- DMH-11 भारतीय सरसों की किस्म 'वरुण' और पूर्वी यूरोपीय 'अर्ली हीरा-2' सरसों के बीच संकरण का परिणाम है।
- इसमें दो एलियन जीन ('बार्नेज' और 'बारस्टार') होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं एवं उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक हैं।
- वरुण में बार्नेज अस्थायी बाँझपन की स्थिति उत्पन्न करता है जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्व-परागण नहीं कर सकता है। अर्ली हीरा-2 में बरस्टार बार्नेज के प्रभाव को रोकता है जिससे बीज उत्पन्न होते हैं।
- DMH-11 ने राष्ट्रीय जाँच की तुलना में लगभग 28% और क्षेत्रीय जाँचों की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित की है। इसके उपयोग को GEAC द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
  - "बार जीन" संकर बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखता है।

बार्नेज/बारस्टार प्रणाली की आवश्यकता:

- संकर बीज उत्पादन के लिये कुशल नर बंध्यता और उर्वरता बहाली प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- सरसों में वर्तमान में उपलब्ध पारंपरिक साइटोप्लाज्मिक -जेनेटिक नर बंध्यता प्रणाली में कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में बंध्यता के टूटने की सीमाएँ हैं जिससे बीज की शुद्धता कम हो जाती है।
- आनुवंशिक रूप से तैयार की गई बार्नेज/बारस्टार प्रणाली सरसों में संकर बीज उत्पादन के लिये एक कुशल और मज़बूत वैकल्पिक विधि प्रदान करती है।
- भारत में फसलीय पौधों के आनुवंशिक परिवर्तन के लिये केंद्र (CGMCP) ने बार्नेज/बारस्टार प्रणाली में कुछ बदलावों के साथ एक सफल प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप जीएम सरसों हाइब्रिड एमएच-11 का विकास संभव हो सका, जिसमें वर्ष 2008 से 2016 के दौरान आवश्यक विनियामक परीक्षण प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

क्यों आवश्यक है जीएम सरसों?

- घरेलू मांग को पूरा करने के लिये भारत का खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। यह अंततः विदेशी मुद्रा में कमी का कारण बनता है। जीएम सरसों कृषि-आयात पर विदेशी मुद्रा निकासी को कम करने हेतु आवश्यक है।
- भारत में तिलहनी फसलों अर्थात् सोयाबीन, रेपसीड सरसों, मूँगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता इन फसलों की वैश्विक उत्पादकता की तुलना में बहुत कम है।
- आनुवंशिक रूप से विविध बीजों के संकरण से बढ़ी हुई उपज और अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है।

DMH-11 संबंधी सुरक्षा चिंताएँ:

- तकनीक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तीन जीनों- बार्नेज, बारस्टार और बार की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
- निर्धारित दिशा-निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिये तीन वर्षों (BRL-I के दो वर्ष तथा BRL-II का एक वर्ष) के फील्ड परीक्षण किये गए हैं।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि जीएम सरसों की विषाक्तता, एलर्जी, संरचनागत विश्लेषण, क्षेत्र परीक्षण और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों पर व्यापक शोध से पता चला है कि वे भोजन तथा फीड के उपयोग के साथ-साथ उत्पादन के लिये भी सुरक्षित हैं।
- DMH-11 में "बार जीन" होता है जो शाकनाशी सहिष्णुता के लिये ज़िम्मेदार होता है। शाकनाशी सहिष्णुता के संबंध में "बार जीन" की प्रभावशीलता सवालों के घेरे में है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का महत्त्व

- आनुवंशिक रूप से विविध पौधों के संकरण से उपज और अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हाइब्रिड विगोरोथेरोसिस के रूप में जाना जाता है जिसका चावल, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी और कई सब्जियों आदि फसलों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
- यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि सामान्य रूप से संकर फसलों में पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20-25% अधिक उपज मिलती हैं।
- देश में रेपसीड सरसों की उत्पादकता बढ़ाने में हाइब्रिड तकनीक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जैव विविधता और पर्यावरण

मीथेन उत्सर्जन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है जिसका शीर्षक है "वेटलैंड एमिशन एंड एटमॉस्फेरिक सिंक चेंजेस एक्सप्लेन मीथेन ग्रोथ इन 2020', जिसमें कहा गया है कि कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण और वार्मिंग वेटलैंड्स ने वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 में उच्च स्तर पर वृद्धि हेतु प्रेरित किया है।

प्रमुख बिंदु

- **अवलोकन:**
  - वैश्विक मीथेन उत्सर्जन वर्ष 2019 के 9.9 ppb से वर्ष 2020 में मुख्यत: 15 पार्ट पर बिलियन (ppb) तक पहुँच गया।
  - वर्ष 2020 में मानवीय गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 1.2 टेराग्राम (Tg) की कमी आई है।
- **योगदानकर्त्ता:**
  - वर्ष 2019 की तुलना में तेल और प्राकृतिक गैस से मीथेन उत्सर्जन में 3.1 Tg प्रतिवर्ष की कमी आई है। कोयला खनन से योगदान में 1.3 Tg प्रतिवर्ष की कमी आई है। अग्नि द्वारा उत्सर्जन में भी प्रतिवर्ष 6.5 Tg की कमी आई है।
    - शोध योगदानकर्त्ताओं ने अध्ययन में लिखा है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अग्नि द्वारा उत्सर्जन में कमी आई है।
  - कृषि क्षेत्र से योगदान प्रतिवर्ष 1.6 Tg तक बढ़ गया।
  - आर्द्रभूमि से उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 6.0 Tg की वृद्धि हुई।
- **कारण:**
  - जल-जमाव वाली मृदा सूक्ष्मजीवों के लिये अनुकूल स्थिति उपलब्ध करती है, जिससे वे अधिक मीथेन का उत्पादन कर सकते हैं।
  - वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में 6% कमी आई है। कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मतलब है कम हाइड्रॉक्सिल और अधिक मीथेन।
    - नाइट्रोजन ऑक्साइड, कारों और ट्रकों के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों द्वारा निष्काषित होकर वायुमंडल में प्रवेश करती है।
    - नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) मीथेन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। यह क्षोभमंडल में (वायुमंडल का ऊपरी भाग) NOx ओज़ोन के साथ मिलकर हाइड्रॉक्सिल रेडिकल बनाता है।
    - बदले में ये रेडिकल वायुमंडल से वार्षिक 85% मीथेन को हटा देते हैं।
  - मीथेन को हटाने में हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स का योगदान लगभग 7.5 Tg प्रतिवर्ष कम हो गया।
    - मोटे तौर हाइड्रॉक्सिल का 53% और शेष 47% प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य रूप से आर्द्रभूमि में कम सिंक होना भी मीथेन वृद्धि की मुख्य वजह हो सकती है।

अध्ययन का महत्त्व:

- यह अध्ययन इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है कि वर्ष 2020 के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई अन्य ग्रीनहाउस गैसों में कमी होने पर भी विश्व स्तर पर मीथेन में वृद्धि क्यों हुई।
  - हम भविष्य में नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन जैसे प्रदूषकों के मानवजनित उत्सर्जन को कम करके मीथेन संबंधी परिवर्तनों के माध्यम से हमारे आर्द्र विश्व को सुरक्षित रखने का अनुमान लगा सकते हैं।

मीथेन:

- **परिचय:**
  - मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH_4) होते हैं।
    - यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है।
  - मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
  - वैश्विक तापमान की वृद्धि में पिछले 20 साल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली रही है।
  - मीथेन के सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन और अपशिष्ट हैं।
- **प्रभाव:**
  - अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता: यह अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80-85 गुना अधिक शक्तिशाली है।
    - यह अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग में और अधिक तेज़ी से कमी लाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित करता है।
  - ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन के उत्पादन को बढ़ावा देता है: बढ़ते उत्सर्जन से क्षोभमंडलीय ओज़ोन वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिससे वार्षिक रूप से दस लाख से अधिक मौतें समय से पहले होती हैं।

मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिये पहल:

- **भारतीय:**
  - **'हरित धारा':** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एंटी-मिथेनोजज़ेनिक फीड सप्लीमेंट 'हरित धारा' विकसित की है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप उच्च दूध उत्पादन भी हो सकता है।
  - **भारत ग्रीनहाउस गैस कार्यक्रम:** विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत (गैर-लाभकारी संगठन), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) तथा ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के नेतृत्व में भारत GHG कार्यक्रम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने व प्रबंधित करने के लिये उद्योग के नेतृत्व वाला स्वैच्छिक ढाँचा है।
    - यह कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्द्धी व टिकाऊ व्यवसायों एवं संगठनों को चलाने के लिये व्यापक माप तथा प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है।
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC):** NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे एवं इसका मुकाबला करने के लिये जागरूकता पैदा करना है।
  - भारत स्टेज-VI मानदंड: भारत स्टेज-IV (BS-IV) के बाद भारत स्टेज-VI (BS-VI) नवीनतम उत्सर्जन संबंधी मानदंड है।
- **वैश्विक:**
  - **मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS):**
    - MARS बड़ी मात्रा में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकीकृत करेगा, जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है तथा संबंधित हितधारकों को इस पर कार्रवाई करने के लिये सूचनाएँ भेजता है।
  - **वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा:**
    - वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, CoP26 में लगभग 100 देश स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में एक साथ आए थे, जिसे वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के रूप में संदर्भित किया गया था, इसका उद्देश्य वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को कम-से-कम 30% कम करना है।
  - **ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव:**
    - GMI एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन के उपयोग के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को कम करने पर बल देता है।

वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने 'स्वच्छ वायु के लिये प्रयास: दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य' नामक एक रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में लागू की जा रही नीतियों (अधिकतर वर्ष 2018 से) के साथ बने रहने से परिणाम तो मिलेंगे लेकिन वाँछित स्तर तक नहीं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **एयरशेड (Airsheds):**
  - दक्षिण एशिया में छह बड़े एयरशेड मौजूद हैं, जहाँ एक की वायु गुणवत्ता दूसरे में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। वे हैं:
    - पश्चिम/मध्य भारत-गंगा का मैदान (IGP) जिसमें पंजाब (पाकिस्तान), पंजाब (भारत), हरियाणा, राजस्थान का हिस्सा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
    - **मध्य/पूर्वी IGP:** बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश
    - **मध्य भारत:** ओडिशा/छत्तीसगढ़
    - **मध्य भारत:** पूर्वी गुजरात/पश्चिमी महाराष्ट्र
    - **उत्तरी/मध्य सिंधु नदी का मैदान:** पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हिस्सा
    - **दक्षिणी सिंधु का मैदान और आगे पश्चिम:** दक्षिण पाकिस्तान, पश्चिमी अफगानिस्तान पूर्वी ईरान में फैला हुआ है।
  - जब वायु की दिशा मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर थी तो भारतीय पंजाब में वायु प्रदूषण का 30% पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर से आया तथा बांग्लादेश के सबसे बड़े शहरों (ढाका, चटगाँव और खुलना) में वायु प्रदूषण का औसतन 30% भारत में उत्पन्न हुआ था। कुछ वर्षों में सीमाओं के पार दूसरी दिशा में पर्याप्त प्रदूषण प्रवाहित हुआ।
- **PM 2.5 के संपर्क में:**
  - वर्तमान में 60% से अधिक दक्षिण एशियाई प्रतिवर्ष PM2.5 के औसत 35 μg/m3 के संपर्क में हैं।
  - IGP के कुछ हिस्सों में यह 100 μg/m3 तक बढ़ गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित 5 μg/m3 की ऊपरी सीमा से लगभग 20 गुना है।

नोट :

- **वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत:**
  - बड़े उद्योग, बिजली संयंत्र और वाहन वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में इनके अतिरिक्त ऐसे और कई स्रोत प्रदूषण में पर्याप्त योगदान देते हैं।
  - इनमें खाना पकाने और गर्म करने के लिये ठोस ईंधन का दहन, ईंट भट्टों जैसे छोटे उद्योगों से उत्सर्जन, नगरपालिका और कृषि अपशिष्ट को जलाना तथा दाह संस्कार शामिल हैं।

सुझाव:

- **एयरशेड को कम करना:**
  - विभिन्न सरकारी उपाय कण पदार्थ में कमी ला सकते हैं, लेकिन एयरशेड में महत्त्वपूर्ण कमी के लिये एयरशेड में समन्वित नीतियों की आवश्यकता है।
    - दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में वर्ष 2030 तक सभी वायु प्रदूषण प्रबंधन उपायों को पूरी तरह से लागू किये जाने के बावजूद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 35 ग्राम/एम3 से नीचे प्रदूषक जोखिम को नियंत्रित नहीं कर पाएगा।
    - हालाँकि यदि दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों ने भी सभी संभव उपायों को अपनाया तो यह प्रदूषण संबंधी आँकड़े में कमी लाने में मदद कर सकता है।
- **नज़रिये में बदलाव:**
  - भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रदूषकों को WHO द्वारा स्वीकार्य स्तरों तक कम करने के लिये अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।
- **समन्वय की आवश्यकता:**
  - वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये न केवल इसके विशिष्ट स्रोतों से निपटने की आवश्यकता है, बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय की भी आवश्यकता है।
  - क्षेत्रीय सहयोग लागत प्रभावी संयुक्त रणनीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है जो वायु गुणवत्ता की अन्योन्याश्रित प्रकृति से संबंधित है।
  - एयरशेड के बीच पूर्ण समन्वय की आवश्यकता वाले इस सबसे किफायती कदम से दक्षिण एशिया में PM 2.5 का औसत जोखिम 27.8 करोड़ डॉलर प्रति $\mu g/m3$ तक कम हो जाएगा और सालाना 7,50,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

एयरशेड:

- विश्व बैंक एयरशेड को सामान्य भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जहाँ प्रदूषक फँस जाते हैं, जिससे सभी के लिये समान वायु गुणवत्ता का निर्माण होता है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु भारत की पहलें:

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान (National Clean Air Campaign- NCAP):**
  - इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य भारत के 131 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण को कम करना है।
  - इसका लक्ष्य शुरू में वर्ष 2017 के स्तर पर वर्ष 2024 तक प्रदूषण में 20% -30% की कटौती करना था, लेकिन अब इसे वर्ष 2025-26 तक 40% तक कम करने के लिये संशोधित किया गया है।
- 'वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली'- सफर (The System of Air Quality and Weather Forecasting And Research- SAFAR) पोर्टल
- **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI):** इसे आठ प्रदूषकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसमे शामिल हैं - PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान।
- **वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु:**
  - बीएस-VI वाहन
  - इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना
  - एक आपातकालीन उपाय के रूप में 'ऑड-इवन' नीति
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन खरीदने पर किसानों को सब्सिडी
  - **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (National Air Quality Monitoring Programme- NAMP):**
  - NAMP के तहत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिये चार वायु प्रदूषकों अर्थात् SO_2, NO_2, PM 10 और PM 2.5 की पहचान की गई है।

ब्लैक कार्बन

चर्चा में क्यों?

लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने ब्लैक कार्बन से निपटने के लिये किये गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ज़ियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत एयरोसोल वेधशालाओं के एक नेटवर्क का संचालन करता है जिसमें ब्लैक कार्बन, द्रव्यमान सघनता मापन वाले मापदंडों में से एक है।

ब्लैक कार्बन:

- **परिचय:** ब्लैक कार्बन (BC) एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
    - अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत BC तेज़ी से प्रक्षालित हो जाता है और उत्सर्जन बंद होने पर वायुमंडल से समाप्त किया जा सकता है।
    - ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत यह स्थानीय स्रोतों से व्युत्पन्न होकर स्थानीय प्रभाव डालता है।
    - ब्लैक कार्बन एक प्रकार का एयरोसोल है।
- एयरोसोल (जैसे ब्राउन कार्बन, सल्फेट्स) में ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिये दूसरे सबसे महत्त्वपूर्ण मानवजनित एजेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने हेतु प्राथमिक एजेंट के रूप में मान्यता दी गई है।
    - ब्लैक कार्बन सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा वातावरण को गर्म करता है। जब यह वर्षा की बूँदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो यह हिम और बर्फ की सतह को काला कर देता है, जिससे उनका एल्बिडो (सतह की परावर्तक शक्ति) कम हो जाती है जिससे बर्फ गर्म हो जाती है और उसके पिघलने की गति तेज़ हो जाती है।
- यह गैस और डीज़ल इंजन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधन को जलाने वाले अन्य स्रोतों से उत्सर्जित होता है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर या PM का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो एक वायु प्रदूषक है।

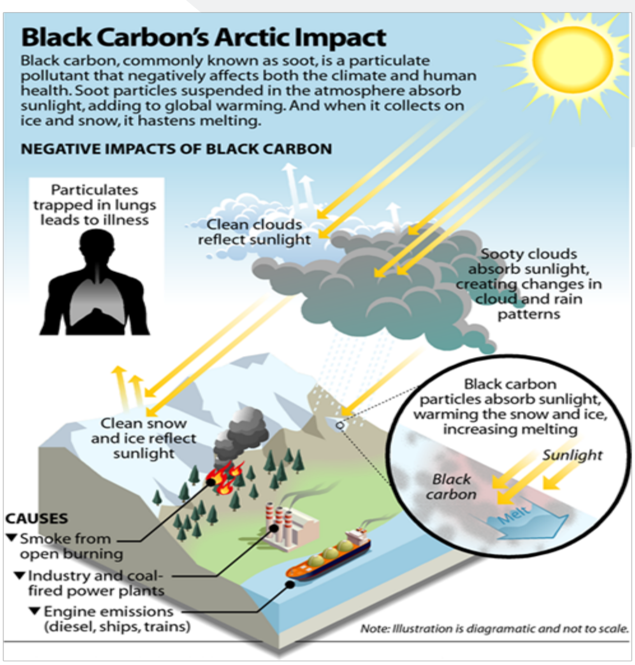

सरकार के प्रयास:

- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:**
    - इस पहल के तहत सरकार स्वच्छ घरेलू भोजन पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।
- **BS VI उत्सर्जन मानदंड:**
    - 1 अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों हेतु BS-IV से BS-VI मानदंड के रूप में महत्त्वपूर्ण कदम।
- **नए स्वच्छ ईंधन:**
    - स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि) तथा इथेनॉल सम्मिश्रण की शुरुआत।
- **सतत(SATAT) पहल:**
    - 5000 कम्प्रेस्ड बायो-गैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और कम्प्रेस्ड बायो-गैस को उपयोग के लिये बाज़ार में उपलब्ध कराने हेतु एक नई पहल, "किफायती परिवहन के लिये सतत विकल्प" शुरू की गई है।
- **फसल अवशेषों का प्रबंधन:**
    - इस योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसानों को स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को खरीदने के लिये 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और साथ ही स्व-स्थाने (In-situ) फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों (Custom Hiring Center) की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम:**
    - केंद्र सरकार देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिये दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू कर रही है।
    - केंद्र ने वर्ष 2026 तक योजना के तहत शामिल किये गए शहरों में पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सघनता में 40% की कमी का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है,साथ ही वर्ष 2024 तक 20 से 30% की कमी के पहले के लक्ष्य को अद्यतन किया है।
- **शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ (City specific Clean Air Action Plans):**
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) ने परिवेशी वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 131 शहरों की पहचान की है, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक कुप्रभावित हैं और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं।

नोट :

- इन शहरों में कार्यान्वयन के लिये शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार और लागू की गई हैं।
- ये योजनाएँ शहर के विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों (मृदा और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगर निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाना, निर्माण सामग्री एवं उद्योग आदि) को नियंत्रित करने के लिये समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित करती हैं।

- **FAME योजना:**
  - फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) फेज-2 योजना शुरू की गई है।

कार्बन बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

संसद ने भारत में कार्बन बाज़ार स्थापित करने और कार्बन ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने के लिये ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया है।

- विधेयक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022:

- **परिचय:**
  - विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
  - विधेयक के तहत केंद्र सरकार या एक अधिकृत एजेंसी योजना के साथ पंजीकृत और अनुपालन करने वाली कंपनियों या यहाँ तक कि व्यक्तियों को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करेगी।
  - ये कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रकृति में व्यापार योग्य होंगे। अन्य व्यक्ति स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीद सकेंगे।
- **चिंताएँ:**
  - विधेयक कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिये उपयोग किये जाने वाले तंत्र पर स्पष्टता प्रदान नहीं करता है कि क्या यह कैप-एंड-ट्रेड योजनाओं की तरह होगा या किसी अन्य विधि का उपयोग करेगा और कौन इस तरह के व्यापार को विनियमित करेगा।
  - यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रकार की योजना लाने के लिये कौन-सा मंत्रालय सही है।
    - जबकि यू.एस., यूनाइटेड किंगडम और स्विट्ज़रलैंड जैसे अन्य न्यायालयों में कार्बन बाज़ार योजनाओं को उनके पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा तैयार किया गया है, भारतीय विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के बजाय विद्युत् मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
    - विधेयक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि क्या पहले से मौजूद योजनाओं के तहत प्रमाणपत्र भी कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के साथ विनिमेय होंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये व्यापार योग्य होंगे।
    - भारत में दो प्रकार के व्यापार योग्य प्रमाणपत्र पहले से ही जारी किये जाते हैं- अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESC)।
    - ये तब जारी किये जाते हैं जब कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करती हैं या ऊर्जा बचाती हैं, जो ऐसी गतिविधियाँ भी हैं जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं।

कार्बन बाज़ार:

- **परिचय:**
  - कार्बन बाज़ार कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगाने का एक उपकरण है। यह उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है।
  - ये बाज़ार उत्सर्जन कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये प्रोत्साहन पैदा करते हैं।
    - उदाहरण के लिये एक औद्योगिक इकाई जो उत्सर्जन मानकों से बेहतर प्रदर्शन करती है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिये हकदार होती है।
    - एक अन्य इकाई जो निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रही है, वह इन क्रेडिट को खरीद सकती है और इन मानकों का अनुपालन कर सकती है। मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाई क्रेडिट बेचकर पैसा कमाती है, जबकि खरीदने वाली इकाई अपने परिचालन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होती है।
  - यह व्यापार प्रणाली स्थापित करता है जहाँ कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
    - कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने, कम करने या अलग करने के बराबर होता है।
    - इस बीच कार्बन भत्ते या कैप, देशों या सरकारों द्वारा उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं।
  - पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- NDC) को पूरा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ारों के उपयोग का प्रावधान है।
    - NDCs शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये लक्ष्य निर्धारित करने वाले देशों द्वारा जलवायु प्रतिबद्धताएँ हैं।

नोट :

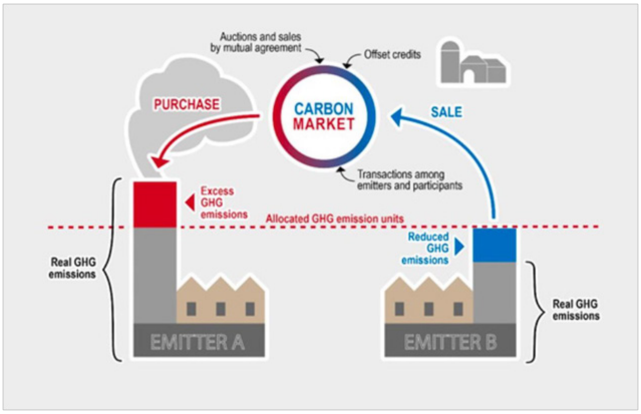

- **कार्बन मार्केट के प्रकार:**
  - **अनुपालन बाज़ार:**
    - अनुपालन बाज़ार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और आधिकारिक तौर पर विनियमित होते हैं।
    - आज, अनुपालन बाज़ार ज़्यादातर 'कैप-एंड-ट्रेड' नामक सिद्धांत के तहत काम करते हैं, जो यूरोपीय संघ (European Union- EU) में सबसे लोकप्रिय है।
    - वर्ष 2005 में शुरू किये गए यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के तहत, सदस्य देशों ने बिजली, तेल, विनिर्माण, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन के लिये एक सीमा तय है, यह सीमा देशों के जलवायु लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा उत्सर्जन को कम करने के लिये क्रमिक रूप से कम की जाती है।
    - इस क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन के बराबर वार्षिक भत्ते या परमिट जारी किये जाते हैं।
    - यदि कंपनियाँ निर्धारित मात्रा से अधिक उत्सर्जन करती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त परमिट खरीदने होंगे। यह कैप-एंड-ट्रेड का 'ट्रेड' हिस्सा निर्धारित करता है।
    - कार्बन का बाज़ार मूल्य बाज़ार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाता है जब खरीदार और विक्रेता उत्सर्जन भत्ते में व्यापार करते हैं।
  - **स्वैच्छिक बाज़ार:**
    - स्वैच्छिक बाज़ार वे हैं जिनमें उत्सर्जक- निगम, निजी व्यक्ति और अन्य एक टन CO_2 या समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिये कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं।
    - इस तरह के कार्बन क्रेडिट गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं,जो हवा से CO_2 को कम करते हैं, जैसे कि वनीकरण।
    - इस बाज़ार में एक निगम अपने अपरिहार्य GHG उत्सर्जन की भरपाई करने के लिये उन परियोजनाओं में लगी एक इकाई से कार्बन क्रेडिट खरीदता है जो उत्सर्जन को कम करने, हटाने, अधिकृत करने में लगी हुई हैं।
    - उदाहरण के लिये उड्डयन क्षेत्र में एयरलाइनें अपने द्वारा संचालित उड़ानों के कार्बन फुटप्रिंट्स को ऑफसेट करने हेतु कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं। स्वैच्छिक बाज़ारों में क्रेडिट को निजी फर्मों द्वारा लोकप्रिय मानकों के अनुसार सत्यापित किया जाता है। ऐसे व्यापारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ भी उपलब्ध हैं जहाँ जलवायु परियोजनाएँ सूचीबद्ध हैं और प्रमाणित क्रेडिट खरीदे जा सकते हैं।
- **वैश्विक कार्बन बाज़ारों की स्थिति:**
  - Refinitiv के एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2021 में व्यापार योग्य कार्बन छूट या परमिट के लिये वैश्विक बाज़ारों का मूल्य 164% बढ़कर रिकॉर्ड 760 बिलियन यूरो (851 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया।
  - यूरोपीय संघ के ETS ने इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया, जो 683 बिलियन यूरो के साथ वैश्विक मूल्य का 90% है।
  - जहाँ तक स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों का संबंध है उनका वर्तमान वैश्विक मूल्य तुलनात्मक रूप से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि कार्बन क्रेडिट में व्यापार वर्ष 2030 तक NDCs को लागू करने की लागत को आधे से अधिक (250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक) कम कर सकता है।

कार्बन बाज़ार से संबंधित चुनौतियाँ:

- **खराब बाज़ार पारदर्शिता:**
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) कार्बन बाज़ारों से संबंधित गंभीर चिंताओं की ओर संकेत करता है अर्थात् ग्रीनहाउस गैस में कमी की दोहरी गिनती और जलवायु परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता से लेकर जो खराब बाज़ार पारदर्शिता हेतु क्रेडिट उत्पन्न करते हैं।
- **ग्रीनवाशिंग:**
  - कंपनियाँ क्रेडिट खरीद सकती हैं, अपने समग्र उत्सर्जन को कम करने या स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के बजाय केवल कार्बन फुटप्रिंट्स को ऑफसेट कर सकती हैं।
- **ETS के माध्यम से शुद्ध उत्सर्जन में वृद्धि:**
  - विनियमित या अनुपालन बाज़ारों के लिये उत्सर्जन व्यापार

प्रणाली (Emissions Trading System- ETS) स्वचालित रूप से जलवायु शमन उपकरणों को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के अनुसार, व्यापारिक योजनाओं के तहत उच्च उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिये भत्ते उनके उत्सर्जन को ऑफसेट करने से शुद्ध उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और ऑफसेटिंग क्षेत्र में लागत प्रभावी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिये कोई स्वचालित तंत्र प्रदान नहीं कर सकता है।

संबंधित भारतीय पहल:

- स्वच्छ विकास तंत्र:
  - भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र ने अभिकर्त्ताओं के लिये प्राथमिक कार्बन बाज़ार प्रदान किया।
  - द्वितीयक कार्बन बाज़ार प्रदर्शन-प्राप्त-व्यापार योजना (जो ऊर्जा दक्षता श्रेणी के अंतर्गत आता है) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र द्वारा कवर किया गया है।

आगे की राह

- ग्लोबल वार्मिंग को 2°C के भीतर रखने के लिये जो आदर्श रूप से 1.5°C से अधिक नहीं हो, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को इस दशक में 25 से 50% तक कम करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के हिस्से के रूप में अब तक लगभग 170 देशों ने अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत किया है, जिसे वे हर पाँच वर्ष में अपडेट करने पर सहमत हुए हैं।
- UNDP कार्बन बाज़ारों की सफलता के लिये उत्सर्जन में कमी और वास्तविक निष्कासन पर बल देता और इसका देश के NDC के साथ सामंजस्य होना चाहिये"।
- "कार्बन बाज़ार लेन-देन के लिये संस्थागत और वित्तीय बुनियादी ढाँचे में पारदर्शिता" होनी चाहिये।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को अपनाया गया है।

- GBF के अंतर्गत वर्ष 2030 तक के लिये 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।
- संयुक्त राष्ट्र कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैवविविधता सम्मेलन संपन्न हुआ।
- COP15 का पहला भाग कुनमिंग, चीन में हुआ और इसमें जैवविविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया तथा कुनमिंग घोषणा को 100 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया।

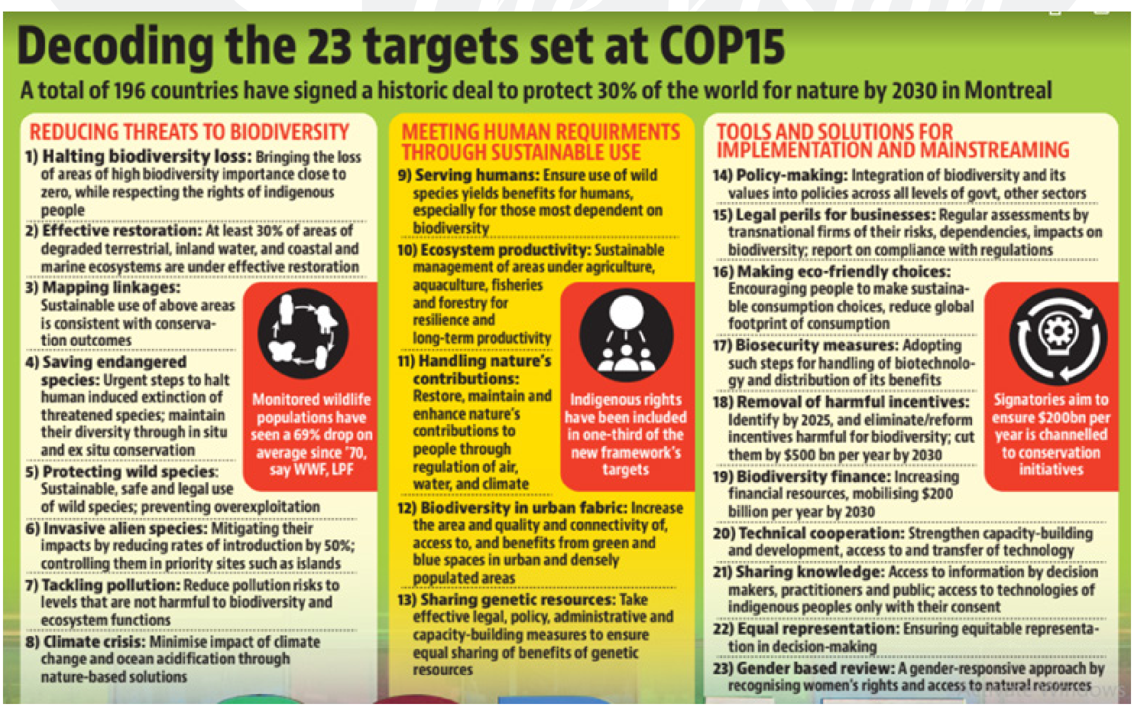

वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के प्रमुख उद्देश्य:

- **30x30 समझौता:**
  - वर्ष 2030 तक विश्व स्तर पर (थल और जल स्तर पर) 30% निम्नीकृत हुए पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करना।
  - वर्ष 2030 तक 30% क्षेत्रों (स्थलीय, अंतर्देशीय जल और तटीय एवं समुद्री) का संरक्षण तथा प्रबंधन करना।
- ज्ञात प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना और वर्ष 2050 तक सभी प्रजातियों (अज्ञात सहित) के विलुप्त होने के जोखिम और दर को दस गुना कम करना।
- वर्ष 2030 तक कीटनाशकों के जोखिम को 50% तक कम करना।
- वर्ष 2030 तक पोषक तत्त्वों में होने वाली कमी में सुधार करना।
- वर्ष 2030 तक सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के जोखिमों और प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को उस स्तर तक कम करना ताकि वे जैवविविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र कार्यों के लिये हानिकारक न रहें।
- वर्ष 2030 तक खपत के वैश्विक पदचिह्न को कम करना, जिसमें अत्यधिक खपत और अपशिष्ट उत्पादन को कम करना तथा भोजन की बर्बादी को रोकना शामिल है।
- कृषि, जलीय कृषि, मत्स्यपालन और वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रों का सतत् प्रबंधन करना तथा कृषि पारिस्थितिकी एवं अन्य जैवविविधता-अनुकूल प्रथाओं में काफी वृद्धि करना।
- प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटना।
- वर्ष 2030 तक नई विदेशी प्रजातियों के आगमन और स्थायित्व की दर को 50% तक कम करना।
- वर्ष 2030 तक जंगली प्रजातियों के सुरक्षित, कानूनी और टिकाऊ उपयोग एवं व्यापार को सुरक्षित करना।
- शहरी क्षेत्रों को हरा-भरा करना।

COP15 के अन्य प्रमुख परिणाम:

- **प्रकृति के लिये धन:**
  - हस्ताक्षरकर्त्ताओं का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक और निजी स्रोतों से प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर नई संरक्षण योजनाओं के लिये दिया जाए।
  - अमीर देशों को वर्ष 2025 तक हर साल कम-से-कम 20 अरब डॉलर और वर्ष 2030 तक हर साल कम-से-कम 30 अरब डॉलर का योगदान देना चाहिये।
- **बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट का जैवविविधता पर प्रभाव:**
  - कंपनियों को विश्लेषण करना चाहिये कि कैसे उनका संचालन उनकी रिपोर्ट व जैवविविधता प्रभावित होती है।
  - भारत ने जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिये 2020 के बाद के वैश्विक ढाँचे को सफलतापूर्वक लागू करने में विकासशील देशों की मदद करने के लिये एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया।
- **हानिकारक सब्सिडी:**
  - वर्ष 2025 तक जैवविविधता को कम करने वाली सब्सिडी की पहचान करने और फिर उन्हें समाप्त करने, चरणबद्ध करने या सुधार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
  - वे 2030 तक उन प्रोत्साहनों को प्रतिवर्ष कम-से-कम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम करने और संरक्षण के लिये सकारात्मक प्रोत्साहन बढ़ाने पर सहमत हुए।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग प्रगति:**
  - सभी सहमत लक्ष्यों की भविष्य में प्रगति की निगरानी करने के लिये प्रक्रियाओं को सशक्त किया जाएगा, इस समझौते को आइची (जापान) समझौते, 2010 की तरह नहीं लिया जाएगा, जो कभी पूरे नही हुए।
  - जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये उपयोग किये जाने वाले समान प्रारूप के बाद राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को निर्धारण एवं उनकी समीक्षा की जाएगी। कुछ पर्यवेक्षकों ने इन योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिये देशों की समयसीमा की कमी पर आपत्ति जताई है।

भारत ने सम्मेलन में अपनी मांगों को कैसे प्रस्तुत किया?

- भारत ने जैवविविधता के नुकसान को रोकने व पलटने के लिये 2020 के बाद के वैश्विक ढाँचे को सफलतापूर्वक लागू करने में विकासशील देशों की मदद के लिये एक नया और समर्पित कोष बनाने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया है।
  - अब तक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) जो UNFCCC और संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय सहित कई अभिसमयों को शामिल करती है, जैवविविधता संरक्षण के लिये धन का एकमात्र स्रोत बनी हुई है।
- भारत ने यह भी कहा कि जैवविविधता का संरक्षण भी 'सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और प्रतिक्रियात्मक क्षमताओं' (CBDR) पर आधारित होना चाहिये क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी प्रकृति को प्रभावित करता है।
- भारत के अनुसार, विकासशील देश जैवविविधता के संरक्षण के लिये लक्ष्यों को लागू करने का अधिकांश भार वहन करते हैं और इसलिये पर्याप्त धन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता होती है।

जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD):

- CBD जैवविविधता के संरक्षण के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है और 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

जैवविविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वाँ सम्मेलन (CBD COP 15)

- जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) 1993 – जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
- CBD के पक्षकारों का सम्मेलन अभिसमय का शासी निकाय है

पक्षकारों का सम्मेलन-COP

COP 1 (1994)
- नसाऊ, बहामास
- 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया

EXCOP 1
- UN CBD COP की पहली विशेष बैठक
- कार्टाजेना, कोलंबिया (फरवरी 1999) और मॉन्ट्रियल, कनाडा (जनवरी 2000)
- जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया

COP 5 (2000)
- नैरोबी, केन्या
- UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में अपनाया

COP 6 (2002)
- हेग, नीदरलैंड्स
- ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव, ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को अपनाया गया

COP 8 (2006)
- कुर्तीबा, ब्राजील
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 2 (वर्ष 2001 में GBO 1)

COP 10 (2010)
- नागोया, जापान
- नागोया प्रोटोकॉल (अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों का समुचित एवं समान साझाकरण) को अपनाया गया
- जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-20 और आइची जैवविविधता लक्ष्य
- ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 3

COP 11 (2012)
- हैदराबाद, भारत

COP 14
- शर्म अल शेख, मिस्र

COP 15

चरण-I
- कुनमिंग, चीन में आयोजित किया गया (अक्तूबर 2021)
- थीम- पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिये एक साझा भविष्य का निर्माण (Ecological Civilization% Building a Shared Future for All Life on Earth)
- कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड

चरण-II
- मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया
- 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Post 2020 Global Biodiversity Framework)- 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है
- 30 इल 30 लक्ष्य- 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना
- किसी भी देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों (जो 2020 में समाप्त हुए) को पूरा नहीं किया

- यह देशों के लिये जैवविविधता की रक्षा, सतत् उपयोग सुनिश्चित करने और उचित एवं न्यायसंगत लाभ साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

नोट :

- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के समान जैवविविधता के नुकसान को रोकने और प्रतिपूर्ति के लिये एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करना है।
- CBD सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।
- CBD के तहत पक्षकार (देश) नियमित अंतराल पर बैठक करते हैं और इन बैठकों को पक्षकारों का सम्मेलन (COP) कहा जाता है।
- वर्ष 2000 में बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के रूप में ज्ञात अभिसमय के लिये एक पूरक समझौता अपनाया गया था। यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
    - प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैवविविधता की रक्षा करना चाहता है।
- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग (Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization- ABS) से प्राप्त होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल को COP10 में नागोया, जापान में वर्ष 2010 में अपनाया गया था। यह 12 अक्तूबर, 2014 को लागू हुआ।
    - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge-TK) को भी कवर करता है जो CBDऔर इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं।
- वर्ष 2010 में नागोया में CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)-10 में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैवविविधता लक्ष्यों- जिन्हें आइची जैवविविधता लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया।

सामाजिक न्याय

नशीली दवाओं का खतरा

चर्चा में क्यों ?

केरल नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिये खेलों का उपयोग कर रहा है, जिसके लिये इसके आबकारी विभाग (Excise Department) ने केरल में कॉलेज परिसरों और छात्रावासों के पास क्लब बनाए हैं।

- छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिये प्रेरित करने के अलावा जागरूकता हेतु कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं और मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी साझा की जाती है।

भारत में नशीली दवाओं के खतरे की स्थिति:

- मादक पदार्थों की लत भारत के युवाओं में तेज़ी से फैल रही है।
  - भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है जिसके एक तरफ स्वर्णिम त्रिकोण/गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle) क्षेत्र और दूसरी तरफ स्वर्णिम अर्द्धचंद्र/गोल्डन क्रिसेंट (Golden Crescent) क्षेत्र स्थित है।
    - स्वर्णिम त्रिकोण क्षेत्र में थाईलैंड, म्याँमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।
    - स्वर्णिम अर्द्धचंद्र क्षेत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं।
- भारत उपयोगकर्त्ताओं के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाज़ारों में से एक है और संभवत: बढ़ी हुई आपूर्ति के प्रति संवेदनशील होगा।
  - इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में उत्पन्न होने वाले अफीम की तस्करी की तीव्रता पारंपरिक बाल्कन मार्ग के साथ दक्षिण और पश्चिम के अलावा पूर्व की ओर हो सकती है।
- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा ज़ब्त की गई और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन (0.7 टन) भी उसी वर्ष ज़ब्त की गई ।
  - भारत वर्ष 2011-2020 में विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट बाज़ारों में बेची जाने वाली ड्रग के शिपमेंट से भी संबंधित है।

नशीली दवाओं के खतरे से निपटने हेतु पहल:

- **भारत:**
  - **नार्को-समन्वय केंद्र:** नवंबर 2016 में नार्को-समन्वय केंद्र (Narco-Coordination Centre- NCORD) का गठन किया गया और राज्य में 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' की मदद के लिये 'वित्तीय सहायता योजना' को पुनर्जीवित किया गया।
  - **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, अर्थात् ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (Seizure Information Management System- SIMS) ड्रग अपराधों और अपराधियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगी।
  - **राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग सर्वेक्षण:** सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (National Drug Dependence Treatment Centre) की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के आकलन हेतु एक राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण (National Drug Abuse Survey) भी कर रही है।
  - **'प्रोजेक्ट सनराइज़:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) को शुरू किया गया था।
  - **द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, (NDPS) 1985:** यह किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण और / या उपभोग को प्रतिबंधित करता है।
    - NDPS अधिनियम में वर्ष 1985 से तीन बार (1988, 2001 और 2014 में) संशोधन किया गया है।
    - यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है तथा भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाज़ों एवं विमानों पर भी समान रूप से लागू होता है।
  - सरकार द्वारा 'नशा मुक्त भारत अभियान' (Nasha Mukt Bharat Abhiyan) को शुरू करने की घोषणा की गई है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
- **नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और अभिसमय:**
  - भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है:
    - नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (UN) कन्वेंशन (1961)

- मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention against Transnational Organized Crime- UNTOC) 2000

आगे की राह

- सीमा पार तस्करी पर अंकुश लगाकर NDPS अधिनियम के तहत कठोर दंड या नशीली दवाओं के प्रवर्तन में सुधार कर आपूर्ति को रोकने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये तथा भारत को मांग पक्ष को ध्यान में रखकर समस्या का समाधान करना चाहिये।
- व्यसन को चरित्र दोष के रूप में नहीं बल्कि एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिये। साथ ही नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े कलंक (Stigma) को समाप्त करने की ज़रूरत है। समाज को यह समझने की भी ज़रूरत है कि नशा करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं।
- कुछ दवाएँ जिनमें 50% से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड होता है, को शामिल करने की आवश्यकता है। देश में नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधिकारियों व आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग (Excise and Narcotics Department) की ओर से सख्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।
- शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशामुक्ति पर भी अध्याय शामिल होने चाहिये। उचित परामर्श एक अन्य विकल्प हो सकता है।

भारत में एसिड अटैक पर कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली में तीन लड़कों द्वारा एक युवती पर एसिड अटैक किया गया। इस घटना ने एसिड अटैक के जघन्य अपराध और संक्षारक पदार्थों की आसान उपलब्धता को केंद्रीय विषय बना दिया है।

भारत में एसिड अटैक:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में 150, वर्ष 2020 में 105 और वर्ष 2021 में 102 ऐसे मामले दर्ज किये गए थे।
- पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले अधिक संख्या में दर्ज किये गए हैं, जो आमतौर पर साल-दर-साल देश के सभी मामलों का लगभग 50% होता है।
- वर्ष 2019 में एसिड अटैक की चार्जशीट दर 83% और सज़ा दर 54% थी।
- वर्ष 2020 में इस प्रकार के मामले क्रमशः 86% और 72% थे तथा वर्ष 2021 में क्रमशः 89% और 20% दर्ज किये गए थे।
- वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अभियोजन में तेज़ी लाकर एसिड हमलों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक परामर्श जारी किया था।

भारत में एसिड अटैक पर कानून:

- **भारतीय दंड संहिता:** वर्ष 2013 तक एसिड अटैक को अलग अपराध के रूप में नहीं माना जाता था। हालाँकि भारतीय दंड संहिता (IPC) में किये गए संशोधनों के बाद एसिड अटैक को भारतीय दंड संहिता (IPC) की एक अलग धारा (326A) के अंतर्गत रखा गया तथा 10 वर्ष के न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया था, जो ज़ुर्माने सहित आजीवन कारावास के रूप में बढ़ाया जा सकता है।
- **उपचार से इनकार:** कानून में पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ितों की प्राथमिकी दर्ज करने या उपचार से इनकार करने पर सज़ा का भी प्रावधान है।
    - उपचार से इनकार (सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों द्वारा) करने पर एक वर्ष तक की कैद हो सकती है और पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर दो वर्ष तक की कैद हो सकती है।

एसिड बिक्री के नियमन पर कानून:

- **विष अधिनियम, 1919:** वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक का संज्ञान लिया और एसिड पदार्थों की बिक्री के नियमन पर एक आदेश पारित किया।
    - आदेश के आधार पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की कि कैसे एसिड की बिक्री को विनियमित किया जाए और विष अधिनियम, 1919 के तहत मॉडल विष कब्ज़ा और बिक्री नियम, 2013 (Model Poisons Possession and Sale Rules, 2013) तैयार किया जाए।
    - परिणामस्वरूप राज्यों को मॉडल नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने के लिये कहा गया क्योंकि मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता था।
- **डेटा का रखरखाव:** एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री (बिना किसी वैध नुस्खे के) की अनुमति नहीं थी, जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक/रजिस्टर नहीं रखता।
    - इस लॉगबुक में एसिड बेचने वाले व्यक्ति का विवरण, बेची गई मात्रा, व्यक्ति का पता और एसिड खरीदने का कारण भी शामिल होना था।

- **आयु प्रतिबंध और दस्तावेज़ीकरण:** बिक्री केवल सरकार द्वारा जारी पते वाली एक फोटो पहचान पत्र की प्रस्तुति पर की जानी है। खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
- **एसिड स्टॉक की ज़ब्ती:** विक्रेता को 15 दिनों के भीतर और एसिड के अघोषित स्टॉक के मामले में संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate- SDM) के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करनी होगी। SDM स्टॉक को ज़ब्त कर सकता है और किसी भी दिशा-निर्देश के उल्लंघन के लिये उपयुक्त रूप से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।
- **रिकॉर्ड-कीपिंग:** नियमों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभागों, जिन्हें एसिड रखने एवं स्टोर करने की आवश्यकता होती है, को एसिड के उपयोग का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा तथा संबंधित SDM के साथ इसे दर्ज करना होगा।
- **जवाबदेही:** नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को अपने परिसर में एसिड और सुरक्षित रखने के लिये जवाबदेह बनाया जाएगा। एसिड को इस व्यक्ति की देखरेख में संग्रहीत किया जाएगा तथा प्रयोगशालाओं/भंडारण के स्थान को छोड़ने वाले छात्रों/कर्मियों की अनिवार्य जाँच होगी जहाँ एसिड का उपयोग किया जाता है।

एसिड-अटैक पीड़ितों हेतु मुआवज़ा और देखभाल:

- **मुआवज़ा:** एसिड अटैक पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम-से-कम 3 लाख रुपए का मुआवज़ा दिया जाता है।
- **नि:शुल्क उपचार:** राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एसिड अटैक के पीड़ितों को सार्वजनिक या निजी किसी भी अस्पताल में नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। पीड़ित को दिये जाने वाले एक लाख रुपए के मुआवज़े में इलाज पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- **बिस्तरों का आरक्षण:** एसिड अटैक के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है और इसलिये एसिड अटैक के पीड़ितों के इलाज के लिये निजी अस्पतालों में 1-2 बिस्तर आरक्षित किये जा सकते हैं।
- **सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम:** राज्यों को भी पीड़ितों के लिये सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये, जिसके लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को विशेष रूप से उनकी पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्तपोषित किया जा सकता है।

आगे की राह

- **किसी को पीछे नहीं छोड़ने का वादा:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा समानता, विकास, शांति के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में बाधा बनी हुई है।
  - कुल मिलाकर सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का 'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का वादा' महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त किये बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** महिलाओं के खिलाफ अपराध को अकेले कानून की अदालत में हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिये समग्र दृष्टिकोण और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की आवश्यकता है।
- **भागीदारी:** कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गैर-सरकारी संगठनों तथा पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

अंगदान में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान गिरावट के बाद वर्ष 2021 में अंगदान की संख्या में फिर से वृद्धि देखी गई है।

- भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 मानव अंगों को पृथक/अलग करने एवं इसके भंडारण संबंधी विभिन्न नियम प्रदान करता है। यह चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये और मानव अंगों की व्यावसायिकता की रोकथाम हेतु मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नियंत्रित तथा विनियमित करता है।

भारत में अंगदान की स्थिति:

- भारत में अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 0.52 है। इसकी तुलना में स्पेन में अंगदान की दर, जो कि विश्व में सबसे अधिक है, प्रति मिलियन जनसंख्या पर 49.6 है।
  - भारत में अंगदान संबंधी प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि यहाँ एक व्यक्ति को अंगदाता होने के लिये पंजीकरण करना पड़ता है, मृत्यु के बाद परिवार की सहमति आवश्यक होती है लेकिन स्पेन में यह सहज प्रणाली है जहाँ एक व्यक्ति को स्वत: ही अंगदाता माना जाता है जब तक कि उक्त व्यक्ति द्वारा कुछ अन्य स्पष्ट न किया गया हो।
- अंगदान में वृद्धि तो हुई है लेकिन जीवित व्यक्तियों द्वारा दान की तुलना में मृतक दान में कमी देखी जा रही है।
  - मृतक दान से तात्पर्य उन मृतकों के परिजनों द्वारा दान किया गया अंग है, जिन्हें ब्रेन डेथ या कार्डियक डेथ का सामना करना पड़ा।

- वर्ष 2019 में मृतकों के माध्यम से प्राप्त अंग 16.77% फीसदी थे, जबकि वर्ष 2021 में यह मात्र 14.07 फीसदी रहे।
- वर्ष 2021 में प्राप्त 12,387 अंगों में से केवल 1,743 जो कि 14% से थोड़ा अधिक है, मृतक दाताओं से प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 की यह संख्या विगत पाँच वर्षों (2019 में 12,746) में सबसे अधिक थी।
- भौगोलिक स्तर पर मृतक दान में विषमता भी है। इस संदर्भ में शीर्ष पाँच राज्य- तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक हैं जिनका कुल अंगदान में 85% से अधिक का योगदान है। गोवा में एक मृतक दाता से दो अंग प्राप्त हुए।
  - भौगोलिक विषमता का एक कारण यह हो सकता है कि अधिकांश अंग प्रत्यारोपण और प्राप्ति (harvesting) केंद्र इन्ही भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित/स्थित हैं।

मृतक दान बढ़ाने की आवश्यकता:

- **आवश्यक अंगों की संख्या में अंतर:**
  - पहला कारण देश में प्राप्त होने वाले अंगों की संख्या और प्रत्यारोपण की संख्या में अंतर है।
  - भारत, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यारोपणकर्त्ता (संख्या के आधार पर) है।
  - फिर भी अनुमानित 1.5-2 लाख व्यक्ति जिन्हें हर साल गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, में से केवल 8,000 को ही गुर्दा मिल पाता है।
  - 80,000 व्यक्ति, जिन्हें लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, उनमें से केवल 1,800 को ही लिवर मिल पाता है तथा 10,000 व्यक्ति जिन्हें हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, उनमें से केवल 200 को ही हृदय प्राप्त हो पाता है।
- **जीवनशैली से संबंधित रोगों की व्यापकता:**
  - जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते प्रसार के कारण मांग बढ़ रही है।
  - इसके अलावा हृदय और फेफड़े जैसे अंगों को केवल मृतक दाताओं से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- **केवल ब्रेन डेड/'मानसिक मृत' व्यक्तियों से अंगों को प्राप्त किया जाना:**
  - दूसरा कारण यह है कि मृतक दान के बिना एक आवश्यक संसाधन नष्ट हो जाता है।
  - भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिनमें से कई का आदर्श रूप से अंग दान किया जा सकता है।
  - हृदय के मृत होने के बाद भी अंगदान संभव है, हालाँकि वर्तमान में लगभग सभी अंगों को ब्रेन डेड व्यक्तियों से ही लिया जाता है।

आगे की राह

- सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएँ समाज के कमज़ोर वर्ग तक भी पहुँच सकें। इसके लिये सार्वजनिक अस्पतालों की अंग प्रत्यारोपण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।
- यह सुझाव दिया जाता है कि क्रॉस-सब्सिडी से कमज़ोर वर्ग तक पहुँच बढ़ेगी। निजी अस्पतालों को प्रत्येक 3 या 4 प्रत्यारोपण आबादी के उस हिस्से के लिये निशुल्क करना चाहिये जो अधिकांश अंग दान करते हैं।
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन की आवश्यकता है ताकि अस्पतालों की कठोर नौकरशाही प्रक्रियाओं के इतर नागरिकों की स्व-घोषणा द्वारा स्वत: ही सत्यापित कर उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय पैनल ने सरकार से SC/ST/OBC सूची के तहत विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के वर्गीकरण के कार्य में तेज़ी लाने को कहा है क्योंकि इसमें देरी से इन समुदायों की समस्याएँ बढ़ेंगी और वे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ:

ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचित हैं।

- विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक श्रृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
  - इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को 'विमुक्त' कर दिया गया था।
- इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी खानाबदोश थे।
  - खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से घुमंतू और विमुक्त जनजातियों की कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
- अधिकांश विमुक्त समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में वितरित हैं, जबकि कुछ विमुक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।

- आज़ादी के बाद गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है।
  - इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947 भी शामिल है।
  - वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समिति (इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था)।
  - काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
  - वर्ष 1980 में गठित बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ सिफारिशें की थीं।
  - संविधान के कामकाज़ की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने भी माना था कि विमुक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन किया गया है।
    - NCRWC की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) निवास करती है।
  - भारत में लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है।
  - जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल हैं।

खानाबदोश/घुमंतू जनजातियों के समक्ष चुनौतियाँ:

- **बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।
- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत और अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्राय: यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- इन समुदायों के बीच जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।
  - इन समुदायों के अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता और इसलिये वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित योजनाएँ:

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:**
  - यह केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - यह योजना विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
  - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
  - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- **DNT के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये योजना:**
  - इसका उद्देश्य मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका पहल प्रदान करना है।
  - यह वर्ष 2021-22 से अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए का खर्च सुनिश्चित करेगा।
  - गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DWBDNC) के लिये विकास और कल्याण बोर्ड को इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।
- **DWBDNC:**
  - कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत DWBDNC की स्थापना की गई थी।
  - DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में किया गया था।

आंतरिक सुरक्षा

पूर्वोत्तर भारत में शांति

चर्चा मे क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया है कि नागरिकों की मौतों में 80% की गिरावट आई है और वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर भारत में 6,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख शांति विकास

- **महत्त्वपूर्ण समझौते:**
  - **असम-मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता, 2022:**
    - समझौता छह विवादित क्षेत्रों में शांति के लिये है जिन्हें पहले चरण में समाधान हेतु लिया गया था।
    - विवादित क्षेत्र में से असम को 18.46 वर्ग किमी. तथा मेघालय को 18.33 वर्ग किमी. का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा।
  - **कार्बी एंगलोंग समझौता, 2021:**
    - कार्बी एंगलोंग समझौता असम के पाँच विद्रोही समूहों, केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - 5 उग्रवादी संगठनों (KLNLF, PDCK, UPLA, KPLT और KLF) ने हथियार डाल दिये और उनके 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने हिंसा छोड़ दी तथा वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए।
  - **बोडो समझौता, 2020:**
    - उग्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के सभी गुटों सहित केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों ने असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD) को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीज़न (BTR) के रूप में पुनर्नामित करने और उसका नाम बदलने के लिये बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - **ब्रू-रियांग समझौता, 2020:**
    - ब्रू या रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक स्वदेशी समुदाय है, जो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में रहता है। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है।
    - जनवरी, 2020 में केंद्र सरकार, त्रिपुरा और मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू-रियांग (Bru-Reang) के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
    - समझौते के तहत गृह मंत्रालय त्रिपुरा में बंदोबस्त का पूरा खर्च वहन करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - **NLFT-त्रिपुरा समझौता, 2019:**
    - नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) को वर्ष 1997 से गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार अपने शिविरों से संचालित होने वाली हिंसा में शामिल रहा है।
    - NLFT समझौता 2019 के परिणामस्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडरों का आत्मसमर्पण कराया गया।
  - **AFSPA की भूमिका:**
    - सरकार ने पूरे त्रिपुरा और मेघालय सहित पूर्वोत्तर के एक बड़े हिस्से से AFSPA हटा लिया।
    - अरुणाचल प्रदेश में, AFSPA केवल 3 जिलों में लागू है।

भारत के लिये पूर्वोत्तर का महत्त्व:

- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - पूर्वोत्तर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे के लिये प्रवेश द्वार है। यह म्याँमार की ओर भारत का भूमि-सेतु है।
  - भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की ओर संलग्नता की क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति पर रखती है।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:**
  - पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग ल्हबसोल (Pang Lhabsol) आदि शामिल हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत दहेज की कुरीति से मुक्त है।
  - पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियों का समृद्ध चित्रपट इसके अत्यधिक विकसित शास्त्रीय नृत्य रूपों (जैसे असम में बिहू) में परिलक्षित होता है।
  - मणिपुर में पवित्र उपवनों में प्रकृति की पूजा करने की परंपरा है, जिसे उमंगलाई (UmangLai) कहा जाता है।
- **आर्थिक महत्त्व:**
  - आर्थिक रूप से यह क्षेत्र 'TOT' (Tea, Oil and Timber) के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।

- यह क्षेत्र 50000 मेगावाट जलविद्युत शक्ति की संभावना और जीवाश्म ईंधन के प्रचुर भंडार के साथ एक वास्तविक 'पावरहाउस' है।

- **पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का अंग है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उच्चतम पक्षी और पादप जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
  - इस क्षेत्र में भारत में मौजूद सभी भालू प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

पूर्वोत्तर के विकास के लिये सरकार की प्रमुख पहलें

- **आधारभूत संरचना क्षेत्र में:**
  - भारतमाला परियोजना
  - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)-उड़ान
- **कनेक्टिविटी के क्षेत्र में:**
  - कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना
  - भारत-म्यांँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
- **पर्यटन के क्षेत्र में:**
  - स्वदेश दर्शन योजना
- **अन्य:**
  - डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022
  - राष्ट्रीय बाँस मिशन

दृष्टि The Vision

एथिक्स

डार्क पैटर्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में "डार्क पैटर्न" या "भ्रामक पैटर्न" के मामलों में वृद्धि देखी गई है जहाँ इंटरनेट आधारित कंपनियाँ उपयोगकर्त्ताओं को कुछ शर्तों से सहमत होने या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिये बरगला (Tricking) रही हैं।

- ऐसी स्वीकृति और क्लिक के परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं के इनबॉक्स में ऐसे विज्ञापित ईमेल (जिनकी सदस्यता समाप्त करना या हटाने का अनुरोध करना कठिन हो) भेजे जा रहे हैं जिन्हें वे कभी नहीं प्राप्त करना चाहते।

डार्क पैटर्न:

- **परिचय:**
  - डार्क पैटर्न अनैतिक UI/UX (यूज़र इंटरफेस/यूज़र एक्सपीरियंस) इंटरैक्शन हैं, जो यूज़र्स को भ्रमित करने या उनसे कुछ ऐसा करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जो वे नहीं करना चाहते।
    - बदले में वे डिज़ाइनों को नियोजित करने वाली कंपनी या प्लेटफॉर्म को लाभान्वित करते हैं।
  - डार्क पैटर्न का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ता द्वारा उपयोग की जा रही सेवाओं और उनके ब्राउज़िंग अनुभव पर उनके नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी का अधिकार छीन लेते हैं।
  - डार्क पैटर्न के उदाहरणों में शामिल हैं- ऑनलाइन सौदों हेतु बेसलेस काउंटडाउन, छोटे प्रिंट में लिखी गई शर्तें, कैंसिलेशन बटन का न दिखना या उस पर क्लिक करने में कठिनाई, विज्ञापनों को समाचार रिपोर्ट या चर्चित व्यक्ति के समर्थन के रूप में प्रदर्शित करना, ऑटो-प्लेइंग वीडियो, लेन-देन पूरा करने हेतु उपयोगकर्त्ताओं को अकाउंट बनाने के लिये मजबूर करना, फ्री ट्रायल समाप्त होने के बाद बिना किसी सूचना के क्रेडिट कार्ड पर चार्ज लगाना और उपयोगकर्त्ताओं के जानने योग्य जानकारी को छिपाने के लिये धूमिल रंगों का उपयोग करना।
- **कंपनियों द्वारा उपयोग:**
  - सोशल मीडिया कंपनियाँ और बिग टेक कंपनियाँ जैसे कि एप्पल, अमेज़न, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्टऔर गूगल अपने लाभ के लिये उपयोगकर्त्ता अनुभव को डाउनग्रेड करने हेतु डार्क या भ्रामक पैटर्न का उपयोग करते हैं।
    - अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन में भ्रामक, बहु-चरणीय कैंसिलेशन प्रक्रिया हेतु अमेज़न को यूरोपीय संघ में आलोचना का सामना करना पड़ा।
    - उपभोक्ता नियामकों के साथ संवाद करने के बाद अमेज़न ने वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों में ऑनलाइन ग्राहकों के लिये अपनी कैंसिलेशन प्रक्रिया को आसान बनाया।
  - सोशल मीडिया में लिंक्डइन (LinkedIn) उपयोगकर्त्ताओं को अक्सर प्रभावशाली लोगों से अवांछित, प्रायोजित संदेश प्राप्त होते हैं।
    - इस विकल्प को अक्षम करना कई चरणों के साथ एक कठिन प्रक्रिया है जिसके लिये उपयोगकर्त्ताओं को प्लेटफॉर्म नियंत्रणों से परिचित होने की आवश्यकता होती है।
  - इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर डार्क पैटर्न का एक अन्य रूप प्रायोजित वीडियो विज्ञापन हैं, जो उन रील्स और स्टोरी के बीच मौजूद होते हैं जिन्हें देखने का विकल्प उपयोगकर्त्ता चुनते हैं और स्पॉंसर्ड का लेबल दिखाई देने से पहले वह वीडियो कुछ सेकंड तक चल चुका होता है।
  - गूगल के स्वामित्त्व वाले यूट्यूब उपयोगकर्त्ताओं को यूट्यूब प्रीमियम के लिये साइन-अप करने हेतु कहा गया है, जिसमें अन्य वीडियोज़ को थंबनेल के साथ अंतिम सेकंड के वीडियो के साथ पॉप-अप किया गया है।
- **उपयोगकर्त्ताओं को नुकसान:**
  - डार्क पैटर्न इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के अनुभव को खतरे में डालते हैं और उन्हें बिग टेक फर्मों द्वारा वित्तीय एवं डेटा शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं।
  - डार्क पैटर्न उपयोगकर्त्ताओं को भ्रमित करते हैं, ऑनलाइन बाधाएँ पेश करते हैं, सरल कार्यों को समय लेने वाला बनाते हैं, उपयोगकर्त्ताओं को अवांछित सेवाओं/उत्पादों के लिये साइन-अप करवाने व उन्हें अधिक पैसे देने या उनकी इच्छा से अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिये मजबूर करते हैं।

आगे की राह

- डार्क और भ्रामक पैटर्न केवल लैपटॉप एवं स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं हैं। संघीय व्यापार आयोग (FTC) की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे संवर्द्धित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता (VR) प्लेटफॉर्म तथा उपकरणों का उपयोग डार्क पैटर्न में बढ़ता है, वैसे-वैसे उपयोगकर्त्ताओं के इन नए चैनलों का भी अनुसरण करने की संभावना बढ़ती है।

नोट :

◆ इंटरनेट उपयोगकर्त्ता जो अपने दैनिक जीवन में डार्क पैटर्न को पहचानने में सक्षम हैं, वे अधिक अनुकूल मंच चुन सकते हैं तथा अपनी पसंद और गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करेंगे।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

चर्चा में क्यों?

चंदा कोचर (ICICI बैंक की पूर्व CEO) कॉर्पोरेट जगत में धोखाधड़ी संबंधी खतरे के सचेतक के रूप में शामिल हैं।

- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने आरोप लगाया है कि ICICI बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, RBI के दिशा-निर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपए का क्रेडिट स्वीकृत किया था।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

- **परिचय:**
  - ◆ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है, इसके द्वारा एक कंपनी को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यवसाय नैतिक रूप से तथा उनके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में चलाए जाते हैं।
  - ◆ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रमुख ज़िम्मेदारियों में से एक कॉर्पोरेट लालच को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसायों को उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाए।
  - ◆ मज़बूत नैतिक मानकों को लागू करके तथा व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिये उत्तरदायी बनाकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लालच को रोकने और शेयरधारकों, ग्राहकों एवं व्यापक समुदाय के हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत:**
  - ◆ **निष्पक्षता:**
    - ■ निदेशक मंडल को शेयरधारकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं और समुदायों के साथ उचित एवं समान विचार से व्यवहार करना चाहिये।
  - ◆ **पारदर्शिता:**
    - ■ बोर्ड को वित्तीय प्रदर्शन, हित संबंधी मतभेद और शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों को ज़ोखिम जैसी स्थिति के बारे में समय पर सटीक तथा स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
  - ◆ **ज़ोखिम प्रबंधन:**
    - ■ बोर्ड और प्रबंधन को सभी प्रकार के ज़ोखिमों का निर्धारण तथा उन्हें नियंत्रित करना चाहिये। उन्हें प्रबंधित करने के लिये संबद्ध सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिये। उन्हें सभी संबंधित पक्षों को ज़ोखिमों की मौजूदगी तथा स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिये।
  - ◆ **ज़िम्मेदारी:**
    - ■ बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों और प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार है।
    - ■ इसे कंपनी की प्रगति और प्रदर्शन के बारे में पता होना चाहिये, साथ ही उसका समर्थन करना चाहिये। इसकी ज़िम्मेदारी में CEO की भर्ती और नियुक्ति करना भी शामिल है। इसे किसी कंपनी एवं उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिये।
  - ◆ **जवाबदेही:**
    - ■ बोर्ड को कंपनी की गतिविधियों के उद्देश्य और उसके आचरण के परिणामों की व्याख्या करनी चाहिये। बोर्ड एवं कंपनी का नेतृत्त्व कंपनी की क्षमता एवं प्रदर्शन के आकलन के लिये जवाबदेह है। इसे शेयरधारकों के महत्त्व के मुद्दों को संप्रेषित करना चाहिये।

भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में नैतिक मुद्दे:

- **व्यक्तिगत रुचि के बीच मतभेद:**
  - ◆ शेयरधारकों की कीमत पर संभावित रूप से व्यक्तिगत रुचि को समृद्ध करने वाले प्रबंधकों की चुनौती एक बड़ी समस्या है, हाल ही की एक घटना में ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी चंदा कोचर ने अपने पति के लिये एक व्यापार के हिस्से के रूप में वीडियोकॉन कंपनी को ऋण स्वीकृति किया।
- **कमज़ोर बोर्ड:**
  - ◆ अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता का अभाव इन बोर्डों की कमज़ोरी का एक प्रमुख विषय रहा है। शेयरधारकों के व्यापक हितों के मामले में बोर्ड के प्रदर्शन पर सवाल उठते रहे हैं।
- **स्वामित्त्व और प्रबंधन का पृथक्करण:**
  - ◆ परिवार द्वारा संचालित कंपनियों के मामले में भारत की कुछ शीर्ष कंपनियों सहित अधिकांश कंपनियों में स्वामित्त्व और प्रबंधन को अलग करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
- **स्वतंत्र निदेशक:**
  - ◆ स्वतंत्र निदेशक पक्षपातपूर्ण होते हैं और प्रमोटरों की अनैतिक प्रथाओं की जाँच करने में सक्षम नहीं होते हैं।

संबंधित पहलें

- भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs-MCA) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities

and Exchange Board of India- SEBI) पर है। उदारीकरण के बाद वर्ष 1990 के दशक में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है।
- सेबी खंड 49 के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और नियमन करता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 बढ़े हुए और नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग एवं पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये औपचारिक संरचना प्रदान करता है।

भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार:

- **विविध बोर्ड बेहतर बोर्ड:**
  - इस संदर्भ में व्यापक 'विविधता' है, जिसमें लिंग, जातीयता, कौशल और अनुभव शामिल हैं।
- **मज़बूत जोखिम प्रबंधन नीतियाँ:**
  - बेहतर निर्णय लेने के लिये प्रभावी और मजबूत जोखिम प्रबंधन नीतियों को अपनाना क्योंकि यह सभी निगमों के सामने आने वाले रिस्क-रिवॉर्ड ट्रेड-ऑफ के मामले में गहरी अंतर्दृष्टि विकसित करता है।
- **प्रभावी शासन अवसंरचना:**
  - चूँकि अंततः बोर्ड किसी संगठन के सभी कार्यों और निर्णयों के लिये ज़िम्मेदार होता है, इसलिये संगठनात्मक व्यवहार को निर्देशित करने के लिये विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता होगी।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये बोर्ड और प्रबंधन के बीच उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, बोर्ड के लिये प्रतिनिधिमंडलों के संबंध में नीतियाँ विकसित करना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- **बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन:**
  - बोर्डों को मूल्यांकन में सामने आई कमज़ोरियों को दूर करके अपनी शासन प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिये।
- **संवाद:**
  - बोर्ड के साथ शेयरधारकों के संवाद को सुगम बनाना महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके साथ शेयरधारक किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकें।

भारतीय समाज

भारत और इसकी आबादी

चर्चा में क्यों ?

अप्रैल 2023 में 1.43 अरब के साथ भारत की आबादी चीन की आबादी से अधिक होने की संभावना है।

- वर्ष 2022 में ऐसा पहली बार है जब चीन अपनी जनसंख्या में पूर्ण गिरावट दर्ज करेगा।

इन बदलावों के कारक:

- **मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता:**
  - **अशोधित मृत्यु दर (CDR):** CDR प्रतिवर्ष प्रति 1,000 आबादी पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है, यह वर्ष 1950 में चीन के लिये 23.2 और भारत के लिये 22.2 था।
    - चीन का अशोधित मृत्यु दर (CDR) पहली बार वर्ष 1974 में 9.5 तक के इकाई अंक में पहुँची, जबकि भारत के लिये यह वर्ष 1994 में 9.8 थी, इसके बाद वर्ष 2020 में दोनों देशों के लिये यह दर घटकर क्रमश: 7.3 और 7.4 तक पहुँच गई।
  - **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** एक अन्य मृत्यु दर संकेतक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। वर्ष 1950 और 2020 के बीच चीन की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 43.7 से बढ़कर 78.1 वर्ष और भारत की 41.7 से बढ़कर 70.1 वर्ष हो गई।
  - **कुल प्रजनन दर:** कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) वर्ष 1950 में चीन के लिये प्रति महिला पर कुल बच्चों की औसत संख्या 5.8 और भारत हेतु 5.7 थी।
    - भारत का TFR वर्ष 1992-93 के 3.4 से गिरकर वर्ष 2019-2021 में 2 हो गया।
- **TFR में निरंतर गिरावट:**
  - TFR में गिरावट के बावजूद आबादी में वृद्धि हो सकती है। डी-ग्रोथ के लिये विस्तारित अवधि हेतु TFR को प्रतिस्थापन स्तर से नीचे रहने की आवश्यकता होती है।
  - इसके प्रभावस्वरूप वर्तमान बच्चों में से कुछ ही भविष्य में माता-पिता बन सकेंगे और इसका प्रभाव कुछ पीढ़ियों बाद दिखाई देगा।
  - चीन का TFR पहली बार वर्ष 1991 में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे देखा गया था जो भारत में लगभग 30 वर्ष पहले था।

चुनौतियाँ और अवसर:

- **चुनौतियाँ:**
  - ग्रह पर सर्वाधिक लोगों का होना भारत के लिये तब तक अत्यधिक नकारात्मक साबित हो सकता है जब तक कि यह अपनी आबादी को भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोज़गार प्रदान नहीं करता है।
  - इस चुनौती का स्तर अत्यधिक व्यापक है।
  - भारत में जल की कमी एक पुरानी समस्या है। साथ ही ये सभी ज़रूरतें महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन भारत के समक्ष अब तक सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य रोज़गार सृजन करना है। इस विशेष चुनौती का स्तर वास्तव में चुनौतीपूर्ण है।
    - वर्ष 2020 में भारत में 15-64 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में 900 मिलियन लोग (कुल जनसंख्या का 67%) शामिल थे।
    - वर्ष 2030 तक इसमें और 100 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **अवसर:**
  - UNSC में स्थायी सदस्यता के लिये दावा: यदि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाता है तो यह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने हेतु दावा करने का अवसर प्रदान करेगा।
    - नई आबादी के परिणामस्वरूप भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की अपनी मौजूदा मांग को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा।
    - भू-राजनीतिक वास्तविकता बदल गई है और नई शक्तियाँ उभर रही हैं, जो पुरानी शक्तियों जैसे रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्राँस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ स्थान प्राप्ति के लायक हैं।
  - **राजकोषीय दायित्त्व में वृद्धि:** वित्तीय संसाधनों को बच्चों पर खर्च करने के बजाय आधुनिक भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे में निवेश किया सकता है जो भारत की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा।
  - **कार्यबल में वृद्धि:** 65% से अधिक कामकाज़ी उम्र की आबादी के साथ भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, जो आने वाले दशकों में एशिया के आधे से अधिक संभावित कार्यबल की आपूर्ति करेगा।
    - श्रम बल में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाती है।

- महिला कार्यबल में वृद्धि जो स्वाभाविक रूप से प्रजनन क्षमता में गिरावट के साथ देखी जाती है और विकास का एक नया स्रोत बन सकती है।

भारत की रणनीति:

- **सामूहिक समृद्धि रणनीति:**
  - विदेशों में कार्यरत एक छोटी आबादी से भारत को प्राप्त होने वाला बड़ा प्रेषण इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी व्यापक समृद्धि रणनीति मानव पूंजी और औपचारिक नौकरियाँ होनी चाहिये।
  - 0.8% सॉफ्टवेयर रोज़गार कार्यकर्त्ता सकल घरेलू उत्पाद का 8% उत्पन्न करते हैं।
  - हमारी निवासी आबादी के 2% से कम की विदेशी आबादी ने प्रेषण संबंधी आँकड़ों को पिछले वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पार ले जाने की उम्मीद को बल प्रदान किया है।
- **रोज़गार में गुणात्मक स्थानांतरण:**
  - पिछले पाँच वर्षों के दौरान खाड़ी देशों में कम-कुशल, अनौपचारिक रोज़गार से उच्च-आय वाले देशों में उच्च-कुशल औपचारिक नौकरियों में गुणात्मक स्थानांतरण महत्त्वपूर्ण है।
    - वर्ष 2021 में अमेरिका ने 23% प्रेषण के साथ संयुक्त अरब अमीरात को सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में प्रतिस्थापित किया। एफडीआई से लगभग 25% अधिक और सॉफ्टवेयर निर्यात से 25% कम की हमारी समृद्ध विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्ति मानव पूंजी एवं औपचारिक नौकरियों से प्राप्त अच्छे परिणाम को दर्शाती हैं।
- **अतिरिक्त नौकरियाँ:**
  - कार्यस्थल पर बड़ी संख्या में युवा लोगों की क्षमता का उपयोग करने के लिये भारत को वर्ष 2023 से हर वर्ष करीब 12 मिलियन अतिरिक्त गैर-कृषि नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता होगी।
  - यह वर्ष 2012 व 2018 के बीच वार्षिक रूप से सृजित चार मिलियन गैर-कृषि नौकरियों का तिगुना था।
  - भारत को उद्योगों में निवेश करने हेतु सक्षम होने के लिये प्रतिवर्ष 10% की विकास दर की आवश्यकता होगी ताकि युवाओं के कौशल का उपयोग किया जा सके।
- **शिक्षा में निवेश:**
  - भारत को इस बड़े कार्यबल से जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने की उम्मीद है और साथ ही इससे प्राप्त होने संभावित लाभों के लिये शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है।

अंबेडकर का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

चर्चा में क्यों?

कई अध्ययनों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की लोकतंत्र की अवधारणा का मुख्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन की दृष्टि के माध्यम से परीक्षण किया गया है।

अंबेडकर की राय में लोकतंत्र निर्माण के कारक:

- **नैतिकता:**
  - बुद्ध और उनके धम्म पर एक दृष्टि इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे अंबेडकर लोकतंत्र को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं जो मानव अस्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है।
    - बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्शनों ने लोकतंत्र के साथ अंबेडकर की अपनी भागीदारी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के स्तंभों के बावजूद लोकतंत्र को नैतिक रूप से भी देखा जाना चाहिये।
  - **जाति व्यवस्था में नैतिकता का उपयोग:**
    - अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, धर्म की प्रकृति और भारतीय इतिहास की जाँच में नैतिकता के नज़रिये का उपयोग किया।
    - चूँकि अंबेडकर ने लोकतंत्र में हाशिये पर पहुँच चुके समुदायों को अपने विचार के केंद्र में रखा, इसलिये उनके लोकतंत्र के ढाँचे को इन कठोर धार्मिक संरचनाओं और सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं के भीतर रखना मुश्किल था।
    - इस प्रकार अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर एक नई संरचना का निर्माण करने का प्रयास किया।
- **व्यक्तिवाद और बंधुत्व की भावना को संतुलित करना:**
  - वह अत्यधिक व्यक्तिवाद के आलोचक थे जो बौद्ध धर्म का एक संभावित परिणाम था, क्योंकि ऐसी विशेषताएँ सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने में सक्रिय रूप से संलग्न होने में विफल रही हैं।
    - इस प्रकार उनका मानना था कि एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिये व्यक्तिवाद और बंधुत्व के मध्य संतुलन होना आवश्यक है।
- **व्यावहारिकता का महत्त्व:**
  - अंबेडकर व्यावहारिकता को अत्यधिक महत्त्व देते थे।
  - उनके अनुसार, अवधारणाओं और सिद्धांतों का परीक्षण करने की आवश्यकता के साथ ही उन्हें समाज में व्यवहार में लाना जाना आवश्यक था।

- उन्होंने किसी भी विषय-वस्तु का विश्लेषण करने के लिये तर्कसंगतता और आलोचनात्मक तर्क का उपयोग किया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी विषय की पहले तर्कसंगतता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिये, जिसमें विफल होने पर इसे अस्वीकार, परिवर्तित या संशोधित किया जाना चाहिये।

नैतिकता के प्रकार ?

- **सामाजिक नैतिकता:**
  - अंबेडकर के अनुसार, सामाजिक नैतिकता का निर्माण अंत:क्रिया के माध्यम से किया गया था और इस तरह की अंत:क्रिया मनुष्य की पारस्परिक मान्यता पर आधारित थी।
  - फिर भी जाति और धर्म की कठोर व्यवस्था के तहत इस तरह की बातचीत संभव नहीं थी क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म या जाति की पृष्ठभूमि के कारण एक सम्मानित इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करता था।
  - सामाजिक नैतिकता मनुष्यों के बीच समानता और सम्मान की मान्यता पर आधारित थी।
- **संवैधानिक नैतिकता:**
  - अंबेडकर के लिये संवैधानिक नैतिकता किसी देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिये एक शर्त थी।
    - संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना।
  - उनका मानना था कि केवल वंशानुगत शासन की उपेक्षा के माध्यम से कानून जो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ एक राज्य जिसमें लोगों का विश्वास है, के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखा जा सकता है।
  - एक अकेला व्यक्ति या राजनीतिक दल सभी लोगों की ज़रूरतों या इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
  - अंबेडकर ने महसूस किया कि नैतिक लोकतंत्र की ऐसी समझ जाति व्यवस्था के साथ-साथ नहीं चल सकती।
    - ऐसा इसलिये था क्योंकि पारंपरिक जाति संरचना एक पदानुक्रमित नियमों पर आधारित थी, जिसमें व्यक्तियों के बीच कोई पारस्परिक सम्मान नहीं था, इसके अतिरिक्त एक समूह का दूसरे समूह पर पूर्ण आधिपत्य था।

अंबेडकर का भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण:

- **वर्ण व्यवस्था:**
  - भारतीय समाज के बारे में उनके विश्लेषण के अनुसार, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था एक विशिष्ट प्रथा है।
    - विशिष्टता एक राजनीतिक सिद्धांत है जहाँ एक समूह बड़े समूहों के हितों की परवाह किये बिना अपने हितों को बढ़ावा देता है।
  - अंबेडकर के अनुसार, उच्च जातियाँ, नकारात्मक विशिष्टता (अन्य समूहों पर उनका प्रभुत्व) को सार्वभौमिक तौर पर अपनाती हैं और नकारात्मक सार्वभौमिकता नैतिकता को विशिष्ट बनाती है (जिसमें जाति व्यवस्था एवं कुछ समूहों के अलगाव को उचित ठहराया जाता है)।
  - यह नकारात्मक सामाजिक संबंध मुख्यत: 'अलोकतांत्रिक' है।
  - इस तरह के अलगाव से लड़ने के लिये ही अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के लोकतांत्रिक आदर्शों को आधुनिक लोकतंत्र के विचार-विमर्श में लाने का प्रयास किया।
- **लोकतंत्र में धर्म की भूमिका:**
  - अंबेडकर के अनुसार, लोकतंत्र का जन्म धर्म से हुआ है तथा इसके बिना जीवन असंभव है।
  - इस प्रकार धर्म के पहलुओं को पूरी तरह से हटा नहीं सकते क्योंकि यह लोकतंत्र के नए संस्करण का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है जो बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के लोकतांत्रिक पहलुओं को अपनाता है।
  - अंत में अंबेडकर महसूस करते हैं कि लोकतांत्रिक जीवन को जीने के लिये समाज में सिद्धांतों और नियमों को अलग करना आवश्यक है।
  - बुद्ध और उनके धम्म के बारे में अंबेडकर व्याख्या करते हैं कि कैसे धम्म, जिसमें प्रज्ञा या सोच व समझ, सिला या अच्छे कार्य और अंत में करुणा या दया शामिल है, एक 'नैतिक रूप से परिवर्तनकारी' अवधारणा के रूप में उभरता है जो प्रतिगामी सामाजिक संबंधों को तोड़ता है।

लोकतांत्रिक कार्य करने के लिये अंबेडकर द्वारा रखी गई शर्तें:

- **समाज में असमानताओं से निपटना:**
  - समाज में कोई स्पष्ट असमानता और उत्पीड़ित वर्ग नहीं होना चाहिये।
  - कोई एक ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिये जिसके पास सभी विशेषाधिकार हों और न ही एक ऐसा वर्ग जिस पर सभी उत्तरदायित्व हों।
- **मज़बूत विपक्ष:**
  - उन्होंने एक मज़बूत विपक्ष के अस्तित्त्व पर ज़ोर दिया।
  - लोकतंत्र का मतलब है वीटो पावर। लोकतंत्र वंशानुगत प्राधिकरण या निरंकुश प्राधिकरण का विरोधाभास है, जहाँ चुनाव एक आवधिक वीटो के रूप में कार्य करते हैं जिसमें लोग एक सरकार के गठन हेतु वोट देते हैं और संसद में विपक्ष एक तत्काल वीटो के रूप में कार्य करता है जो सत्ता में सरकार की निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है।

- **स्वतंत्रता:**
  - इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क दिया कि संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिये एक जुनून पैदा करता है; विचारों और मतों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सम्मानपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, जिसका मूल्य हो वह कार्य करने की स्वतंत्रता।
  - लेकिन हम कमज़ोर विपक्ष के साथ मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की समानांतर गिरावट और इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक साख में गिरावट देख सकते हैं।
- **कानून और प्रशासन में समानता:**
  - अंबेडकर ने कानून और प्रशासन में समानता को भी बरकरार रखा।
  - सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये और वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।
  - उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के विचार को आगे बढ़ाया।
    - उनके लिये संविधान केवल कानूनी कंकाल है, लेकिन मांस वह है जिसे वह संवैधानिक नैतिकता कहते हैं।

भारत में वैवाहिक बलात्कार

चर्चा में क्यों?

दुनिया के 185 देशों में से, 77 देशों में ऐसे कानून हैं जो स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखते हैं, जबकि 34 देश ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर मानते हैं या संक्षेप में कहें तो, अपनी पत्नी की सहमति के विरुद्ध यौन अत्याचार करने वाले पति को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

- भारत उन 34 देशों में से एक है, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है

वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय कानून:

- **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 375:**
  - भारतीय दंड संहिता की धारा 375 उन कृत्यों को परिभाषित करती है जो एक पुरुष द्वारा किये बलात्कार को परिभाषित करते हैं।
  - हालाँकि यह प्रावधान दो अपवादों को भी निर्धारित करता है।
    - वैवाहिक बलात्कार को अपराधमुक्त करने के अलावा यह उल्लेख करता है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।
    - धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, यदि पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है"।
- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:**
  - यह 'लिव-इन' या विवाह संबंध में किसी भी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है।
  - हालाँकि यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिये अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई तरीका नहीं है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार कानून का इतिहास:

- **न्यायपालिका:**
  - **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:**
    - दिल्ली उच्च न्यायालय वर्ष 2015 से इस मामले में दलीलें सुन रहा है।

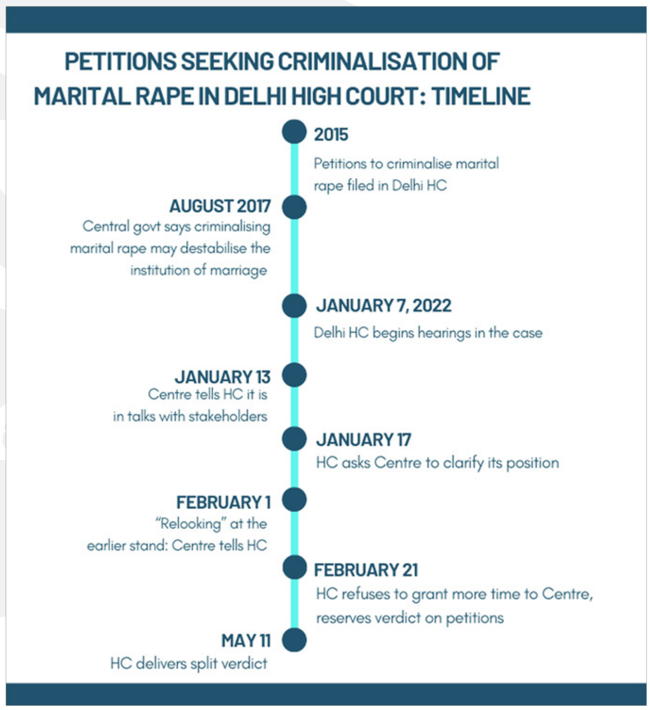

    - जनवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने छूट को चुनौती देने वाले व्यक्तियों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
    - मई 2022 तक वे एक विवादास्पद द्विपक्षीय फैसले पर पहुँचे थे। एक न्यायाधीश वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने के पक्ष में था क्योंकि यह किसी महिला की सहमति के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि दूसरा न्यायाधीश यह कहते हुए कि विवाह में "आवश्यक रूप से" सहमति होती है, इसके खिलाफ था।
    - फिर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा।

- **सर्वोच्च न्यायालय:**
  - सितंबर 2022 में वैवाहिक स्थिति की परवाह किये बिना महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के उद्देश्यों के लिये बलात्कार की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार को शामिल किया जाना चाहिये।
- **भारत का विधि आयोग:**
  - यौन हिंसा पर भारत के कानूनों में सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार करते हुए वर्ष 2000 में भारत के विधि आयोग द्वारा वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की आवश्यकता को खारिज़ कर दिया गया था।
- **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति:**
  - वर्ष 2012 में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति को भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का काम सौंपा गया था।
  - जबकि इसकी कुछ सिफारिशों ने वर्ष 2013 में पारित आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम को आकार देने में मदद की, वैवाहिक बलात्कार सहित कुछ अन्य सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- **संसद:**
  - इस मामले को संसद में भी उठाया गया है।
  - वर्ष 2015 में एक संसद सत्र में सवाल किये जाने पर वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक बनाने के विचार को इस दृष्टिकोण से खारिज़ कर दिया गया था कि "वैवाहिक बलात्कार को देश में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विवाह को भारतीय समाज में एक संस्कार या पवित्र माना जाता है"।
- **सरकार का पक्ष:**
  - केंद्र सरकार ने शुरू में बलात्कार अपवाद का बचाव किया लेकिन बाद में अपना पक्ष बदल दिया और न्यायालय को बताया कि सरकार कानून की समीक्षा कर रही है, यह भी कि "इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है"।
  - दिल्ली सरकार ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में तर्क दिया।
    - सरकार की दलीलें पुरुषों को पत्नियों द्वारा कानून के संभावित दुरुपयोग से बचाने से लेकर शादी की संस्थात्मक व्यवस्था की रक्षा संबंधी तत्त्वों की व्याख्या करती हैं।

वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने से संबंधित मुद्दे:

- **महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ:**
  - वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों में निहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा व लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का तिरस्कार है।
    - यह महिलाओं को अपने शरीर से संबंधित निर्णय लेने से दूर करता है और उन्हें एक साधन के रूप में प्रस्तुत करता है।
- **न्यायिक प्रणाली की निराशाजनक स्थिति:**
  - **भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में अभियोजन की कम दर के कुछ कारणों में शामिल हैं:**
    - सामाजिक अनुकूलन और कानूनी जागरूकता के अभाव के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग।
    - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के संग्रह का गलत तरीका।
    - न्याय की लंबी प्रक्रिया/स्वीकार्य प्रमाण की कमी के कारण न्यायालय के बाहर समझौता।

वैवाहिक बलात्कार अपवाद और भारतीय दंड संहिता (IPC):

- **ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन:**
  - 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में IPC को लागू किया गया था।
  - नियमों के पहले संस्करण के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद 10 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू था, जिसे 1940 में बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था।
- **1847 का लॉर्ड मैकाले का मसौदा:**
  - जनवरी 2022 में न्याय मित्र (Amicus Curiae) द्वारा यह तर्क दिया गया कि IPC औपनिवेशिक युग के भारत में स्थापित प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले के 1847 के मसौदे पर आधारित है।
  - मसौदे ने बिना किसी आयु सीमा के वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
  - यह प्रावधान एक सदी पुराना विचार है जिसका तात्पर्य विवाहित महिलाओं की सहमति से है और जो पति के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करता है।
  - सहमति का विचार 1736 में तत्कालीन ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू हेल द्वारा दिये गए 'हेल सिद्धांत' से प्रेरित है।
    - इसमें कहा गया है कि पति बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता है क्योंकि "आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध द्वारा पत्नी ने पति के समक्ष अपने-आप को समर्पित कर दिया है"।

- **पति-आश्रय का सिद्धांत:**
  - पति-आश्रय के सिद्धांत के अनुसार, शादी के बाद एक महिला की कोई व्यक्तिगत कानूनी पहचान नहीं होती है।
  - विशेष रूप से पति-आश्रय के सिद्धांत के विषय पर सुनवाई के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में व्यभिचार को अपराध घोषित कर दिया था।
    - यह माना गया कि धारा 497, जो कि व्यभिचार को अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है, पति-आश्रय के सिद्धांत पर आधारित है।
  - यह सिद्धांत, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है जो यह मानता है कि एक महिला शादी के साथ ही अपनी पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है, परंतु यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

वैश्विक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार की स्थिति:

- **परिचय:**
  - संयुक्त राष्ट्र ने देशों से कानूनों में व्याप्त खामियों को दूर करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि "घर महिलाओं के लिये सबसे खतरनाक जगहों में से एक है"।
- **वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने वाले देश:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका: वर्ष 1993 में अमेरिका के सभी 50 राज्यों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।
  - यूनाइटेड किंगडम: ब्रिटेन में भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है।
  - दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1993 से वैवाहिक बलात्कार अवैध है।
  - कनाडा: कनाडा में वैवाहिक बलात्कार दंडनीय है।
- **वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाले देश:**
  - घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया स्पष्ट रूप से किसी महिला या लड़की के साथ उसके पति द्वारा किये गए वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखते हैं।

आगे की राह

- भारतीय कानून अब पति और पत्नी को अलग एवं स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान करता है तथा आधुनिक युग में न्यायशास्त्र स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है।
  - इसलिये यह सही समय है कि विधायिका को इस कानूनी दुर्बलता का संज्ञान लेना चाहिये और IPC की धारा 375 (अपवाद 2) को समाप्त करके वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार कानूनों के दायरे में लाना चाहिये।
- ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो सीमाओं को स्पष्ट करते हैं कि हम एक-दूसरे से कैसे संबंधित हैं और व्यवहार में उनके सीमित उपयोग के बारे में अप्रिय सामाजिक वास्तविकताओं के साथ समानता, गरिमा एवं शारीरिक स्वायत्तता के संवैधानिक विचारों को बनाए रखते हैं।

आरक्षण में वोक्कालिगा, लिंगायतों की हिस्सेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक ने दो प्रमुख समुदायों- वोक्कालिगा और लिंगायत को "पिछड़े वर्ग" की श्रेणी से "मामूली रुप से पिछड़े वर्ग" के रूप में वर्गीकृत किया है, इससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक में वर्तमान में OBC के लिये आरक्षण 32% है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण क्रमश: 17% और 7% है, जो कि कुल मिलाकर 56% है।
- वीरशैव लिंगायत के पंचमसाली उप-संप्रदाय ने 2A श्रेणी में शामिल करने की मांग रखी है, जिसमें 15% आरक्षण है, जबकि उनकी वर्तमान 3B श्रेणी में उन्हें 5% आरक्षण प्राप्त है।
- पिछड़ा वर्ग के संबंध में मंत्रिमंडल का निर्णय कर्नाटक राज्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
- वोक्कालिगा समुदाय, जो वर्तमान में 3A श्रेणी के अंतर्गत है, को 4% आरक्षण के साथ नव-निर्मित 2C श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही लिंगायत समुदाय, जो 3B श्रेणी में है, अब 5% आरक्षण के साथ एक नई 2डी श्रेणी में आ जाएगा।
- मंत्रिमंडल के फैसले द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है लिंगायत समुदाय का कोई उप-वर्गीकरण नहीं है।
- लिंगायत एक प्रमुख समुदाय है जो कर्नाटक की छह करोड़ आबादी का लगभग 17% है, जिसके बाद वोक्कालिगा समुदाय की आबादी इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। नई श्रेणियाँ अन्य समुदायों को प्रदान किये गए मौजूदा आरक्षण को प्रभावित नहीं करेंगी।
- यह आरक्षण केवल शिक्षा और नौकरियों पर लागू होगा, यह "राजनीतिक आरक्षण का दावा नहीं करता।

लिंगायत:

- **परिचय:**
  - लिंगायत शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीक्षा समारोह के दौरान प्राप्त लिंग को शरीर पर व्यक्तिगत रूप से धारण करता है जिसे भगवान शिव के एक प्रतिष्ठित रूप मानते हुए धारण किया जाता है।
  - लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक-दार्शनिक कवि बसवेश्वर के अनुयायी हैं।
  - बसवेश्वर जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ थे।
  - लिंगायत कट्टर एकेश्वरवादी हैं। वे केवल एक भगवान, अर्थात् लिंग (शिव) की पूजा करने का आदेश देते हैं।
  - लिंगायतों को "वीरशैव लिंगायत" नामक एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन्हें शैव माना जाता है।
- **लिंगायतों के लिये अलग धर्म:**
  - लिंगायतों ने हिंदू वीरशैव से स्वयं को दूर कर लिया था, क्योंकि हिंदू वीरशैव वेदों का पालन करते थे तथा जाति व्यवस्था का समर्थन करते थे और बसवेश्वर इसके विरूद्ध थे।
  - वीरशैव पाँच पीठों (धार्मिक केंद्र) के अनुयायी हैं, जिन्हें 'पंच पीठ' भी कहा जाता है।
  - इन पीठों को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों के समान ही माना जाता है।

वोक्कालिगा:

- यह भी माना जाता है कि राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग वोक्कालिगा मूल के थे।
- वोक्कालिगा व्यवसाय के संदर्भ में परिभाषित एक श्रेणी है या एक जातीय श्रेणी हो सकती है; मूल रूप से ये किसान हैं।
- वोक्कालिगा जाति का उद्भव भारतीय राज्य कर्नाटक में हुआ है। मैसूर की पूर्व रियासत में वोक्कालिगा सबसे बड़ा समुदाय था।
- उन्होंने प्राचीन मैसूर में योद्धाओं और कृषकों के एक समुदाय के रूप में जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्त्व कायम रखा है।

समय के साथ OBC आरक्षण की स्थिति:

- वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।
- वर्ष 1980 में प्रस्तुत मंडल आयोग की रिपोर्ट में OBC जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- इसने OBC को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल SC/ST के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की।
- केंद्र सरकार ने OBC के लिये यूनियन सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की हैं [अनुच्छेद 16 (4)]। कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया [अनुच्छेद 15 (4)]।
  - वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

भगवान नटराज

हाल ही में फ्राँसीसी सरकार की कांस्य नटराज की मूर्ति की नीलामी की योजना को तमिलनाडु पुलिस ने सफलतापूर्वक रोक दिया है।

- ऐसा माना जाता है कि दुर्लभ प्रकार की कांस्य मूर्ति पचास साल पहले थूथुकुडी ज़िले के कयाथार से चुरा ली गई थी।

भगवान नटराज:

- नटराज (नृत्य के देवता), हिंदू देवता शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में, विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं।
    - यह चोल मूर्तिकला की एक महत्त्वपूर्ण रचना है।
- नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। सभी रचनाएँ डमरू की महान ध्वनि से निकलती हैं।
- ऊपरी बाएँ हाथ में शाश्वत अग्नि है, जो विनाश की प्रतीक है। विनाश सृष्टि का अग्रदूत और अपरिहार्य प्रतिरूप है।
- निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है जो आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्त को न डरने के लिये आश्वस्त करता है।
- निचला बायाँ हाथ ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग को इंगित करता है।
- शिव एक बौने की आकृति पर नृत्य कर रहे हैं। बौना अज्ञानता और व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है।
- भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार की गति के स्रोत के रूप में दिखाया गया है और प्रलय के दिन को नृत्य, ज्वाला के मेहराब द्वारा दर्शाया गया है, ये ब्रह्मांड के विघटन को संदर्भित करते हैं।
- शिव के उलझे बालों से बहने वाली धाराएँ गंगा नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- शिव के एक कान में नर तथा दूसरे में मादा अलंकरण है। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अर्द्ध-नारीश्वर रूप में जाना जाता है।
- शिव की भुजा के चारों ओर एक साँप मुड़ा हुआ है। साँप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। यदि कुंडलिनी शक्ति जाग्रत हो जाए तो व्यक्ति सच्ची चेतना प्राप्त कर सकता है।
- नटराज जगमगाती रोशनी के एक बादल/निंबस से घिरा हुआ है जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है।

अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल

हाल ही में भारत ने अग्नि-5 परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि परीक्षण (Night Trials) सफलतापूर्वक किया।

प्रमुख बिंदु

- अग्नि-5 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Programme- IGMDP) के तहत विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है।

नोट :

- यह दागो और भूल जाओ मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्टर मिसाइल के बिना रोका नहीं जा सकता है।
- मिसाइल में 5000 किमी. की सीमा से परे लक्ष्य को भेदने की क्षमता है और यह भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

अग्नि मिसाइल:

- **परिचय:**
  - अग्नि मिसाइल वर्ग भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता की रीढ़ है, जैसे कि पृथ्वी, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान हैं।
  - अग्नि-1 से 5 मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई हैं।
- **अन्य अग्नि मिसाइलें:**
  - **अग्नि I:** 700-800 किमी. की सीमा।
  - **अग्नि II:** रेंज 2000 किमी. से अधिक।
  - **अग्नि III:** 2,500 किमी. से अधिक की सीमा
  - **अग्नि IV:** इसकी रेंज 3,500 किमी. से अधिक है और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है।
  - **अग्नि V:** अग्नि शृंखला की सबसे लंबी, एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter-Continental Ballistic Missile- ICBM) है जिसकी रेंज 5,000 किमी. से अधिक है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था।
- इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था।
- रक्षा बलों की विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत पाँच मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की मंज़ूरी दी गई।
- इसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया और मार्च 2012 में पूरा हुआ।
- रणनीतिक रूप से स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों को आकार देने के लिये यह देश के वैज्ञानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और तीनों रक्षा सेवाओं को एक साथ लाया।
- IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं:
  - **पृथ्वी:** सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - **अग्नि:** सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि।
  - **त्रिशूल:** सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - **नाग:** तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
  - **आकाश:** सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

सूर्य किरण XVI

भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के 16वें संस्करण "सूर्य किरण-XVI" का आयोजन नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जा रहा है।

अभ्यास के बारे में:

- यह भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है।
- इस अभ्यास के उद्देश्य हैं:
  - दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना।
  - आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना।
  - उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त हुए अनुभवों को साझा करना।
  - दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता विकसित करना तथा अनुभव साझा करना।
- सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था।

काज़िंद- 2022

भारत-कज़ाखस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काज़िंद-22 का छठा संस्करण उमरोई (मेघालय) में आयोजित किया जा रहा है।

काज़िंद- 2022

- **परिचय:**
    - यह कज़ाखस्तान सेना के साथ एक संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है और वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और वर्ष 2018 में इसका नाम काज़िंद अभ्यास रखा गया।
- **लक्ष्य:**
    - सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने के लिये एक-दूसरे के सर्वोत्तम तरीकों को आत्मसात करना और अर्द्ध शहरी/जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते समय एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना।

कज़ाखस्तान भारत के लिये महत्त्वपूर्ण:

- पश्चिम में कैस्पियन सागर से उत्तर में रूस और पूर्व में चीन से घिरा कज़ाखस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का नौवाँ सबसे बड़ा देश सामरिक महत्त्व रखता है।
- कज़ाखस्तान विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों और इसकी आर्थिक क्षमता के संदर्भ में एवं इसके भू-रणनीतिक स्थान के कारण भी भारत के लिये बहुत महत्त्व रखता है।
- ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से कज़ाखस्तान यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत और कज़ाखस्तान एशिया में विश्वास-निर्माण उपायों (CICA), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) संगठनों सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के तत्त्वावधान में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।

वाटर वर्ल्ड

खगोलविदों की एक टीम ने पाया कि अंतरिक्ष में लाल बौने तारे की परिक्रमा करने वाले दो एक्सोप्लैनेट पर ज़्यादातर वाटर वर्ल्ड हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- **एक्सोप्लैनेट:**
    - ये एक्सोप्लैनेट केप्लर-138C और केपलर-138D हैं, जिन्हें नासा (NASA) के हबल एवं सेवानिवृत्त स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके देखा गया था।
    - यह पहली बार है कि ग्रहों को स्पष्ट तौर पर वाटर वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, ग्रह की एक श्रेणी जिसके होने के बारे में खगोलविदों को लंबे समय से संदेह है।
    - एक्सोप्लैनेट एक ग्रह प्रणाली में स्थित हैं जो 218 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल लायरा में हैं और हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह से अलग हैं।
    - नए ग्रह को एक परिक्रमा पूरी करने में 38 दिन लगते हैं।
    - ये रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक ऐसी कक्षा में स्थित हैं जहाँ जल तरल अवस्था में मौजूद है तथा यह अपने तारे से सही मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है।
- **निष्कर्ष:**
    - केपलर- 138C और D चट्टान (पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह) की तुलना में हल्के अवयवों से बने हैं लेकिन हाइड्रोजन या हीलियम (बृहस्पति जैसे गैस-विशाल ग्रह) से भारी होते हैं।
    - यह जल की उपस्थिति का संकेत देता है, जुड़वाँ विश्व के द्रव्यमान का आधा हिस्सा जल होना चाहिये।
    - उन्होंने गणना की कि दोनों का आयतन पृथ्वी से तीन गुना अधिक है और द्रव्यमान दोगुना ज़्यादा है।
    - वे एन्सेलाडस (शनि का चंद्रमा) और यूरोपा (बृहस्पति का चंद्रमा) का बड़े पैमाने पर संस्करण भी हैं।
    - इन जुड़वाँ बहिर्ग्रहों (एक्सोप्लैनेट) का घनत्त्व पृथ्वी से कम है लेकिन इसकी तुलना एन्सेलाडस और यूरोपा से की जा सकती है।
    - अब तक की जानकारी के अनुसार, पृथ्वी से थोड़े बड़े इन वाटर वर्ल्डस में चट्टानी विशेषताएँ होने की संभावना है।
    - समान आकार और द्रव्यमान के ये जुड़वाँ ग्रह पृथ्वी से अधिक विशाल हैं लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जैसे आइस जायंट्स से हल्के हैं।
    - लेकिन वे हमारे सौरमंडल के ग्रहों से भिन्न हैं और इसका मुख्य कारण पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों और बृहस्पति जैसे गैस जायंट्स से बना होना है।

- **महत्त्व:**
  - यह शोधकर्त्ताओं की इनके प्रति अज्ञानता को दूर करने तथा भविष्य में और अधिक वाटर वर्ल्ड खोजने में मदद कर सकता है।

इक्की जथरे

हाल ही में केरल के एक संगठन थानाल ने जनजातीय भाषा में इक्की जथरे या चावल के त्योहार का शुभारंभ किया, जिसके तहत पनावली, वायनाड में पारंपरिक चावल की 300 जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों को लगाया गया।

- थानाल ने वर्ष 2009 में हमारे चावल बचाओ अभियान के तहत पनावली में चावल विविधता ब्लॉक (Rice Diversity Block- RDB) की शुरुआत की, जिसमें चावल की 30 किस्में शामिल थीं, जो अब बढ़कर 300 हो गई हैं।

इक्की जथरे:

- इस पहल का उद्देश्य लोगों को उन पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्त्व के प्रति संवेदनशील बनाना है जो कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखती हैं।
- त्योहार ज्ञान साझा करने और जनजातीय किसानों एवं विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिये भी मंच तैयार करता है।
- RDB के लिये अधिकांश किस्मों को केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से एकत्र किया गया था।
  - इसके अलावा वियतनाम और थाईलैंड के चावल की तीन पारंपरिक किस्में भी हैं।

हमारा चावल बचाओ अभियान:

- **परिचय:**
  - हमारा चावल बचाओ अभियान विविध चावल संस्कृतियों, ज्ञान की रक्षा और खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिये एक जन आंदोलन है।
  - भारत में यह वर्ष 2004 में शुरू हुआ और समुदायों को स्थायी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका का निर्माण करने के लिये सशक्त बनाता है।
- **कार्य:**
  - सामुदायिक RDB और बीज बैंकों की स्थापना करना, धान के बीज की स्वदेशी किस्मों का संरक्षण एवं प्रचार करना।
  - शहरी उपभोक्ताओं के बीच चावल विविधता के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - चावल के पारिस्थितिक तंत्र में कृषि-पारिस्थितिक खेती को अपनाने की सुविधा देना और किसानों, राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को स्वदेशी बीज अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - स्वदेशी बीजों और कृषि पारिस्थितिक खेती के बारे में मीडिया में सक्रिय चर्चाओं को सक्षम बनाना।

चावल:

- चावल भारत की अधिकांश आबादी का मुख्य भोजन है।
- यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिये उच्च तापमान (25°C से अधिक तापमान) तथा उच्च आर्द्रता (100 सेमी. से अधिक वर्षा) की आवश्यकता होती है।
  - कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की फसल के लिये सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण चावल की दो या तीन फसलों का उत्पादन किया जाता है।
  - पश्चिम बंगाल के किसान चावल की तीन फसलों का उत्पादन करते हैं जिन्हें 'औस', 'अमन और 'बोरो' कहा जाता है।
- भारत में कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई चावल की खेती के अंतर्गत आता है।
  - प्रमुख उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब।
  - अधिक उपज देने वाले राज्य: पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल।
- भारत चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

केरल के पाँच कृषि उत्पादों को जीआई दर्जा

केरल के पाँच कृषि उत्पादों- अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा, अट्टापडी थुवारा, ओनाटुकारा एलु, कंथल्लूर-वट्टावदा वेलुथुल्ली और कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी को भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा प्रदान किया गया है।

- असम के गमोसा (पारंपरिक कपड़ा), महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज, लद्दाख के रक्तसे कारपो खुबानी और तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है।

नवीनतम GI के बारे में मुख्य बिंदु:

- **अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा (बीन्स):**
  - जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, यह बकरी के सींग की तरह घुमावदार होती है।
  - अन्य डोलिचोस बीन्स की तुलना में इसकी उच्च एंथोसायनिन सामग्री तने और फलों में बैंगनी रंग प्रदान करती है।
    - एंथोसायनिन अपने एंटीडायबिटिक गुणों के साथ हृदय रोगों के खिलाफ मददगार है।

- अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा की उच्च फेनोलिक सामग्री कीट और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे फसल जैविक खेती के लिये उपयुक्त हो जाती है।

- **अट्टापडी थुवारा (लाल चना):**
  - इसके बीज सफेद आवरण वाले होते हैं।
  - अन्य लाल चने की तुलना में अट्टापडी थुवारा के बीज बड़े होते हैं और बीज का वज़न अधिक होता है।
- **ओनाटुकारा एलु (तिल):**
  - ओनाटुकारा एलु और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिये प्रसिद्ध है।
  - ओनाटुकारा एलु में अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त मूलकों से लड़ने में मदद करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं।
  - साथ ही असंतृप्त वसा की उच्च सामग्री इसे हृदय रोगियों के लिये फायदेमंद बनाती है।
- **कंथलूर-वट्टवडा वेलुथुल्ली (लहसुन):**
  - अन्य क्षेत्रों में उत्पादित लहसुन की तुलना में इस लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह आवश्यक तेल से भी भरपूर होता है।
  - यह एलिसिन से भरपूर होता है, जो माइक्रोबियल संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर आदि के खिलाफ प्रभावी है।
- **कोडुंगलूर पोट्टुवेलारी (स्नैपमेलन):**
  - गर्मियों में काटे जाने वाले इस स्नैप तरबूज में विटामिन C की उच्च मात्रा होती है।
  - अन्य कुकुरबिट्स की तुलना में कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा की मात्रा जैसे पोषक तत्त्व भी अधिक होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये समर्पित अपने प्रमुख वैश्विक अंतर- सरकारी निकाय (महिलाओं की स्थिति से संबंधित आयोग) से ईरान को बाहर करने हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक मसौदा प्रस्ताव से भारत ने स्वयं को अलग रखा है।

महिलाओं की स्थिति से संबंधित आयोग:

- यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये विशेष रूप से समर्पित प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है।
- जून 1946 के ECOSOC संकल्प द्वारा इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के कार्यात्मक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश शामिल हैं।

प्रस्ताव:

- देश में महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा मसौदा प्रस्ताव में वर्ष 2022-2026 के शेष कार्यकाल के लिये CSW की सदस्यता से ईरान को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
  - सितंबर 2022 में 22 वर्षीय महसा अमिनी, जिसकी देश की मोरालिटी पुलिस (Morality police) द्वारा हिरासत में लिये जाने के बाद मृत्यु हो गई थी, के कारण ईरान में कई बार ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए।
- प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विरोध में 8 मत पड़े। बोलीविया, चीन, कज़ाखस्तान , निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मॉरीशस, मेक्सिको तथा थाईलैंड सहित 16 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद:

- **परिचय:**
  - यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित प्रमुख निकाय है।
  - इसमें महासभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं।
  - यह सतत् विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिये संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है।
    - प्रतिवर्ष ECOSOC सतत् विकास के लिये वैश्विक महत्त्व की वार्षिक थीम के इर्द-गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है। यह ECOSOC के साझेदारों एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है, 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों एवं कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिये नीतिगत सिफारिशें जारी करता है।
- **ECOSOC के दायरे में आने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण निकाय:**
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
  - ब्रेटन वुड्स ट्विन्स (विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)
- इनके अलावा विभिन्न कार्यात्मक और क्षेत्रीय आयोग, स्थायी समितियाँ, तदर्थ एवं विशेषज्ञ निकाय भी हैं।

दिशा योजना

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि "न्याय तक समग्र पहुँच के लिये अभिनव समाधान तैयार करना (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice- DISHA) योजना पाँच वर्ष (2021-2026)" की अवधि के लिये शुरू की गई थी।

दिशा योजना:

- **परिचय:**
  - इसे अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुँच पर एक व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थित समाधान प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, 14 और 21 के तहत भारत के लोगों के लिये "न्याय" सुरक्षित करना है।
  - इसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं का नागरिक-केंद्रित वितरण के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को डिज़ाइन और समेकित करना है।
- **घटक:** वर्तमान में दिशा के अंतर्गत तीन घटक हैं:
  - **टेली-लॉ:** वंचितों तक पहुँच (रिचिंग द अनरीच्ड):
    - यह एक ई-इंटरफेस तंत्र है जो मुकदमेबाज़ी से पहले के चरण में विधिक सलाह और परामर्श प्रदान करता है। यह पंचायत स्तर पर स्थित जन सेवा केंद्रों (CSC) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद और हाशिये पर रह रहे लोगों को विधिक सहायता के लिये वकीलों के पैनल से जोड़ता है।
  - **न्याय बंधु कार्यक्रम:**
    - न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज़) कार्यक्रम का उद्देश्य वंचित वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना है।
    - न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड और आईओएस फोन के लिये पंजीकृत प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत आवेदकों से जोड़ने के लिये विकसित किया गया है।
  - **विधिक जागरूकता कार्यक्रम:**
    - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत अनुसंशित राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला एवं तालुक स्तर पर एक अधिक मज़बूत ढाँचे के साथ कानूनी सेवा संस्थान नेटवर्क प्रदान करना।
  - **सूचना, शिक्षा और संचार:**
    - इसकी व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये (प्रौद्योगिकी) घटक सहित समर्पित सूचना, शिक्षा और संचार (InformatIon, EducatIon & communIcatIon- IEC) को दिशा (DISHA) पहल में एकीकृत किया गया है।

न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उठाए गए प्रमुख कदम:

- **न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन:**
  - इस मिशन के तहत न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिये एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों के लिये बेहतर बुनियादी अवसंरचना शामिल है। इसमें कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि, नीति और विधायी उपाय भी शामिल हैं।
- **ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिये बुनियादी अवसंरचना में सुधार:**
  - अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत के बाद से 9291.79 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
  - न्यायालय परिसर (कोर्ट हॉल) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाना:**
  - ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने के लिये सरकार पूरे देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को लागू कर रही है।
  - कम्प्यूटरीकृत ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब बढ़कर 18,735 हो गई है।

फीफा विश्व कप कतर 2022

हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) विश्व कप, 2022 फ्राँस को हराकर जीता।

फीफा विश्व कप (FIFA World Cup):

- **परिचय:**
  - यह विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित की जाती है।
- **पहला फीफा विश्व कप:**
  - वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित; उरुग्वे ने जीता।

- **ट्रॉफी:**
  - वर्ष 1930 से 1970 तक दिया जाने वाला ट्रॉफी कप जूल्स रिमेट ट्रॉफी था, जिसका नाम उस फ्राँसीसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था।
  - वर्ष 1970 में प्रतियोगिता के लिये फीफा विश्व कप नामक एक नई ट्रॉफी शुरू की गई।
- **फीफा विश्व कप 2022 के मुख्य बिंदु:**
  - पुरस्कार: फीफा ने पूरे विश्व कप में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को मान्यता देने के लिये कई पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
    - **गोल्डन बूट** - किलियन एम्बाप्पे
    - **गोल्डन ग्लोव** - एमिलियानो मार्टिनेज़
    - **गोल्डन बॉल** - लियोनेल मेसी
    - **युवा खिलाड़ी** - एंज़ो फर्नांडीज़
    - **फीफा फेयर प्ले अवार्ड** - इंग्लैंड
  - **फीफा विश्व कप आधिकारिक बॉल:**

- अल-रिहला (अर्थ - 'यात्रा') 14वीं शताब्दी के खोजकर्त्ता इब्न बतूता द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत का संदर्भ है।
  - अल-रिहला (Al-Rihla) पहली फीफा विश्व कप गेंद है जिसे विशेष रूप से केवल वाटर बेस्ट इंक और गोंद से तैयार किया गया है।
  - अल-रिहला का इस्तेमाल क्वार्टर फाइनल तक के इवेंट में किया जाना था, अल-रिहला फीफा WC 2022 (Al Rihla FIFA WC 2022) के सेमीफाइनल और फाइनल में 'अल हिल्म' ने जगह ले ली।

- पहले फीफा विश्व कप (1930) के समय कोई आधिकारिक गेंद नहीं थी और दोनों फाइनलिस्ट, उरुग्वे (टी मॉडल बॉल- T Model Ball) और अर्जेंटीना (टिएन्टो- Tiento), अपनी-अपनी गेंदें लेकर आए थे।
- दुनिया के दो-तिहाई से अधिक फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं और सियालकोट (Sialkot) इसका प्रमुख विनिर्माण केंद्र है।
- **आधिकारिक प्रतीक:**
  - फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक (Official Mascot) 'लाईब' (La'eeb) है।
    - अरबी भाषा में 'लाईब' का अर्थ 'सुपर-स्कील्ड प्लेयर' होता है।

नोट :

फीफा विश्व कप

दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट; इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है

- FIFA:
  - फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (Fédération internationale de Football Association)
  - दुनिया में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय
  - 1904 में स्थापित
  - **मुख्यालय**- ज्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड)

अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) - यह संगठन भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है

- FIFA विश्व कप:
  - **प्रथम विश्व कप**- वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित; उरुग्वे ने जीता
  - **ट्रॉफी**-जूल्स रिमेट ट्रॉफी (1930-70); फीफा विश्व कप ट्रॉफी (1970 से वर्तमान तक)
  - **जूल्स रिमेट**-एक फ्राँसीसी व्यक्ति जिसने फुटबॉल टूर्नामेंट प्रस्तावित किया

फीफा विश्व कप 2022

कतर में आयोजित-फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला अरब राष्ट्र

फीफा विश्व कप में पहली बार सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी (SAOT) और कनेक्टेड बॉल्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है

- आधिकारिक बॉल:
  - **अल रिहला (यात्रा)**- इब्न बतूता द्वारा यात्रा वृतांत का संदर्भ
  - **अल हिल्म (सपना)**- सेमीफाइनल और फाइनल के लिये आधिकारिक गेंद

विजेता

अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीत हासिल की (फ्राँस को हराया) (पहले 1978 और 1986 में)

- आधिकारिक प्रतीक:
  - **लाईब** (अरबी भाषा में 'लाईब' (La'eeb) का अर्थ 'सुपर-स्किल्ड प्लेयर' होता है')

पहले फीफा विश्व कप (1930) के समय कोई आधिकारिक गेंद नहीं थी और दोनों फाइनलिस्ट, उरुग्वे (टी मॉडल बॉल-T Model Ball) और अर्जेंटीना (टिएन्टो-Tiento), अपनी-अपनी गेंदें लेकर आए थे।

पुरस्कार

- गोल्डन बूट (सबसे अधिक गोल)- किलियन एम्बाप्पे (फ्राँस)
- गोल्डन ग्लोव-एमिलियानो मार्टिनेज (अर्जेंटीना)
- गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)- लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
- युवा खिलाड़ी-एंज़ो फर्नांडीज (अर्जेंटीना)
- फीफा फेयर प्ले अवार्ड-इंग्लैंड

नोट :

पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह

हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (SWOT) को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा दक्षिणी कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है।

- यह उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की शुद्ध जल प्रणालियों का पहला वैश्विक सर्वेक्षण करेगा।

सतही जल और महासागर स्थलाकृति:

- **परिचय:**
  - SWOT एक उन्नत रडार उपग्रह है जिसका उद्देश्य महासागरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी जानकारियों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करना है।
  - रॉकेट के पेलोड SWOT में विश्व के 90% से अधिक महासागरों, झीलों, जलाशयों और नदियों के उच्च-गुणवत्ता माप एकत्र करने के लिये उन्नत माइक्रोवेव रडार तकनीक शामिल है।
- **महत्त्व:**
  - अपने रडार का उपयोग करते हुए उपग्रह समुद्र के जल स्तर को वर्तमान की तुलना में दस गुना अधिक सटीक रूप से मापने में सक्षम होगा।
  - यह पृथ्वी पर एक लाख से अधिक झीलों और नदियों को मापने में भी सक्षम होगा।
  - अपनी टिप्पणियों के माध्यम से उपग्रह बाढ़ के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने में सक्षम होगा और वैज्ञानिकों को आसन्न सूखे, समुद्र के बढ़ते स्तर एवं पृथ्वी पर जीवन की अधिक सटीक निगरानी प्रदान करेगा।
  - इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना है कि किस प्रकार महासागर वायुमंडलीय गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऐसी प्रक्रिया में अवशोषित करते हैं जो स्वाभाविक रूप से वैश्विक तापमान को नियंत्रित करती है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है।
    - अनुमान है कि महासागरों ने मानव जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में फँसी अतिरिक्त ऊष्मा का 90% से अधिक अवशोषित कर लिया है।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

क्षेत्रीय परिषद:

- **परिचय:**
  - क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं।
  - ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित की गई हैं।
  - इस अधिनियम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
  - इन क्षेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जिनमें शामिल हैं:
    - देश का प्राकृतिक विभाजन
    - नदी प्रणाली और संचार के साधन
    - सांस्कृतिक व भाषायी संबंध
    - आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता
  - उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर-पूर्वी परिषद बनाई गई थी।
    - इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
- **संरचना:**
  - **उत्तरी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।
    - **मुख्यालय:** नई दिल्ली
  - **मध्य क्षेत्रीय परिषद:** इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
    - **मुख्यालय:** इलाहाबाद
  - **पूर्वी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें बिहार, झारखंड, ओड़िसाऔर पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
    - **मुख्यालय:** कोलकाता
  - **पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली शामिल हैं।
    - **मुख्यालय:** मुंबई
  - **दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद:** इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं।
    - **मुख्यालय:** चेन्नई

- **संगठनात्मक ढाँचा:**
  - **अध्यक्ष:** केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों का अध्यक्ष होता है।
  - **उपाध्यक्ष:** प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - **सदस्य:** मुख्यमंत्री एवं प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित दो अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किये गए संघ राज्य क्षेत्रों से दो सदस्य।
  - **सलाहकार:** प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिये योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा नामित एक मुख्य सचिव और ज़ोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त होते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना।
  - तीव्र राज्यक संचेतना, क्षेत्रवाद तथा विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों के विकास को रोकना।
  - केंद्र एवं राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिये सक्षम बनाना।
  - विकास परियोजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिये राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना।
- **परिषदों के कार्य:**
  - आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला;
  - सीमा विवाद, भाषायी अल्पसंख्यकों या अंतर-राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला;
  - राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उससे उत्पन्न कोई भी मामला।

ताल छापर अभयारण्य

हाल ही में राजस्थान राज्य द्वारा प्रसिद्ध ताल छापर कृष्णमृग (ब्लैकबक) अभयारण्य, चूरू के इको सेंसिटिव ज़ोन के आकार को कम करने के प्रस्ताव के विरुद्ध उक्त अभ्यारण्य को संरक्षण प्राप्त हुआ है।

- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर ने भी 7.19 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में शिकारी पक्षियों (रैप्टर्स) के संरक्षण के लिये एक बड़ी परियोजना शुरु की है।

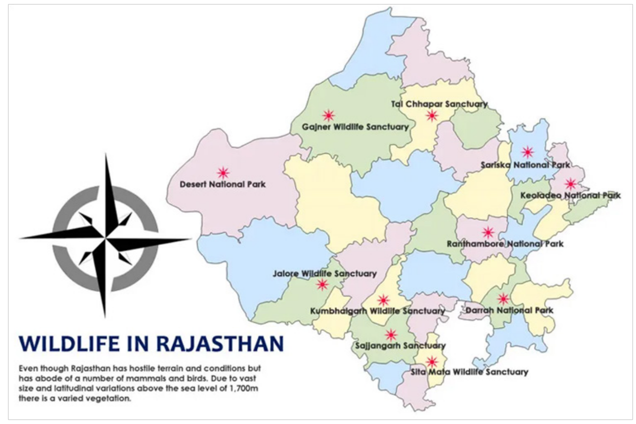

ताल छापर अभयारण्य:

- **परिचय:**
  - ताल छापर अभयारण्य भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है।
  - ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप "द ब्लैकबक" का एक विशिष्ट आश्रय स्थल है।
  - इसे वर्ष 1966 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था।
    - ताल छापर बीकानेर के पूर्व शाही परिवार का एक शिकार अभ्यारण्य था।
  - "ताल" शब्द राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ समतल भूमि होता है।
  - इस अभयारण्य में लगभग समतल क्षेत्र और संयुक्त पतला निचला क्षेत्र है। इसमें फैले बबूल और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले एवं चौड़े घास के मैदान हैं जो इसे एक विशिष्ट सवाना का रूप देते हैं।
- **पशु:**
  - कृष्णमृग या काले हिरण या ब्लैकबक देखने के लिये ताल छापर एक आदर्श स्थान है जो यहाँ एक हज़ार से अधिक संख्या में हैं। यह रेगिस्तानी जानवरों और सरीसृप प्रजातियों को देखने हेतु एक अच्छी जगह है।
  - यह अभयारण्य लगभग 4,000 ब्लैकबक, रैप्टर्स की 40 से अधिक प्रजातियों और स्थानिक एवं प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थल है।
  - अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों में हैरियर, ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल, टॉनी ईगल, शॉर्ट-टोड ईगल, गौरैया और छोटे-हरे मधुमक्खी खाने वाले, ब्लैक आईबिस और डेमोइसेल क्रेन शामिल हैं। इसके अलावा, स्काईलार्क्स, क्रेस्टेड लार्क्स, रिंग डव्स और ब्राउन डव्स पूरे साल देखे जा सकते हैं।

कृष्णमृग या काले हिरण (Blackbuck)

- **परिचय:**
  - कृष्णमृग का वैज्ञानिक नाम 'Antilope cervicapra' है, जिसे 'भारतीय मृग' (Indian Antelope) के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और नेपाल में मूल रूप से स्थानिक मृग की एक प्रजाति है।
    - ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में (संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में) व्यापक रूप से पाए जाते हैं।
  - ये घास के मैदानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं अर्थात् इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है।
  - इसे चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना जाता है।
  - कृष्णमृग एक दैनंदिनी मृग (Diurnal Antelope) है अर्थात् यह मुख्य रूप से दिन के समय ज़्यादातर सक्रिय रहता है।
  - यह आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु है।
  - **सांस्कृतिक महत्त्व:** यह हिंदू धर्म के लिये पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि इसकी त्वचा और सींग को पवित्र अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिये यह सौभाग्य (Good Luck) का प्रतीक है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I
  - **आईयूसीएन (IUCN) में स्थान:** कम चिंतनीय (Least Concern)
  - **CITES:** परिशिष्ट-III
- **खतरा:**
  - इनके संभावित खतरों में प्राकृतिक आवास का विखंडन, वनों का उन्मूलन, प्राकृतिक आपदाएँ, अवैध शिकार आदि शामिल हैं।
- **संबंधित संरक्षित क्षेत्र:**
  - वेलावदर (Velavadar) कृष्णमृग अभयारण्य- गुजरात
  - प्वाइंट कैलिमेर (Point Calimer) वन्यजीव अभयारण्य- तमिलनाडु
  - वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रयागराज के समीप यमुना-पार क्षेत्र (Trans-Yamuna Belt) में कृष्णमृग संरक्षण रिज़र्व स्थापित करने की योजना को मंज़ूरी दी। यह कृष्णमृग को समर्पित पहला संरक्षण रिज़र्व होगा।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ)

- ESZ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Climate Change-CC) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- जून, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से शुरू करते हुए कम से कम एक किलोमीटर का अनिवार्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) होना चाहिये।

ज़िला खनिज फाउंडेशन योजना

ओडिशा का क्योंझर ज़िला, ज़िला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation- DMF) योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला ज़िला है और विगत सात वर्षों में इस योजना के तहत 3,000 करोड़ रूपए खर्च किये गए हैं।

- क्योंझर खनिज भंडार विशेष रूप से लौह अयस्क में बेहद समृद्ध है। क्योंझर ज़िले में मृदा के नीचे 2,555 मिलियन टन लौह अयस्क उपलब्ध है, जिसमें से लगभग 50 मिलियन टन प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, जो ओडिशा की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है।

ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) योजना

- **परिचय:**
  - खान और खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार, खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ज़िला खनिज फाउंडेशन नामक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट स्थापित करेगी।
- **DMF वित्त:**
  - प्रत्येक खनन पट्टा धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर DMF में रॉयल्टी के अधिकतम एक-तिहाई वित्त का योगदान करेगा।
  - इस फंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिये किया जाएगा।
    - क्योंझर में कुल DMF कोष संग्रह ₹8,840 करोड़ तक पहुँच गया है, जो भारत में किसी भी ज़िले के लिये सबसे अधिक है।

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - योगदान के पीछे विचार यह है कि स्थानीय खनन प्रभावित समुदायों, ज़्यादातर आदिवासी और देश के सबसे गरीब लोगों को भी जहाँ वे रहते हैं, वहाँ से निकाले गए प्राकृतिक संसाधनों से लाभ पाने का अधिकार है।
- **क्रियान्वयन:**
  - DMF ट्रस्टों के क्रियान्वयन और राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित कोष उपयोग में एक केंद्रीय दिशानिर्देश, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के जनादेश शामिल हैं।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):

- **परिचय:**
  - यह ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के कोष का उपयोग कर खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी यह खनन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
- **उद्देश्य:**
  - खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना, जो राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा परियोजनाओं/कार्यक्रमों के पूरक के तौर पर कार्य करें।
  - आम लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और उस क्षेत्र विशिष्ट की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर खनन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
  - खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- **क्रियान्वयन:**
  - कम-से-कम 60 प्रतिशत फंड का उपयोग 'उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों' जैसे- पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि के लिये किया जाएगा।
  - शेष फंड का उपयोग 'अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों' जैसे कि अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा तथा वाटरशेड विकास और पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी उपायों के लिये किया जाएगा।

आईएनएस वागीर

हाल ही में प्रोजेक्ट-75 की INS 'वागीर' नाम की 5वीं स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी गई है।

- यह कलवरी श्रेणी की डीज़ल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 है, जिसे कमीशन किये जाने पर आईएनएस वागीर नाम दिया जाएगा।

INS वागीर:

- **पृष्ठभूमि:**
  - वागीर-I, पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन को 3 दिसंबर, 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और लगभग तीन दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 7 जून, 2001 को सेवामुक्त किया गया था।
  - सार्वजनिक जहाज़ निर्माता मझगाँव डॉक लिमिटेड (MDL) ने इसी नाम की पनडुब्बी को एक नया अवतार दिया।
- **परिचय:**
  - इसका नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर की एक खतरनाक शिकारी है।
  - यह भारत में बनाई जा रही कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों का ही एक अंग है।
    - कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों में युद्ध-रोधी और सबमरीन-रोधी संचालन, खुफिया जानकारी एकत्र करने और निगरानी तथा माइन बिछाने सहित विभिन्न प्रकार के नौसेना युद्धों में संचालन की क्षमता है।
  - **सबमरीन में इस्तेमाल की गई अत्याधुनिक तकनीक:**
    - निगरानी से बचने में बेहतर रूप से सक्षम, उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक, कम विकिरणित शोर स्तर और हाइड्रो-डायनामिक रूप से अनुकूलित आकार।
    - सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने की क्षमता।
  - यह पनडुब्बी लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने के लिये डिज़ाइन की गई है, जो नौसेना टास्क फोर्स के अन्य घटकों के साथ अंतर्संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) का प्रदर्शन करती है।
  - यह जल के नीचे या सतह पर टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल दोनों के साथ हमला कर सकती है।

- यह विविध प्रकार के कार्यों में सक्षम है जैसे कि सतह-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, माइन बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि।

- **महत्त्व:**
  - भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक और कदम है तथा इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी जाने वाली तीसरी पनडुब्बी है।

प्रोजेक्ट -75:

- **परिचय:**
  - यह भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है इसमें स्कॉर्पीन डिज़ाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
    - स्कॉर्पीन एक पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है जिसका वज़न 1,500 टन है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है।
  - मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) अक्तूबर 2005 में हस्ताक्षर किये गए 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत फ्राँस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी सहायता के साथ छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है।
  - प्रोजेक्ट 75 में छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है।
- **परियोजना-75 के तहत अन्य सबमरीन:**
  - पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 में और चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था।
  - छठी और आखिरी सबमरीन वाग्शीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है।

आयुर्स्वास्थ्य योजना

आयुष मंत्रालय वर्तमान में आयुर्स्वास्थ्य योजना नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चला रहा है।

आयुर्स्वास्थ्य योजना:

- **परिचय:**
  - **इसके दो घटक हैं:**
    - **आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य (AYUSH and Public Health- PHI):** आयुष हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर आयुष प्रणालियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिये मूल रूप से योजना विकसित की गई है।
    - **उत्कृष्टता केंद्र में सुविधाओं का उन्नयन:** सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थानों में उन्नत/विशेष आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना का समर्थन करना।
  - आयुष स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत पात्र व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को उनके कार्यों और सुविधाओं की स्थापना एवं उन्नयन और/या आयुष में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **वित्तपोषण:**
  - आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत किसी संगठन/संस्थान को दी जाने वाली अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम स्वीकार्य वित्तीय सहायता राशि 10 करोड़ रुपए है।
- **उद्देश्य:**
  - सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित आयुष और एलोपैथिक संस्थानों में उन्नत/विशेष आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना में सहायता करना।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार एवं ऐसे अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को मज़बूत करने के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों के कार्यों तथा सुविधाओं दोनों की स्थापना व उन्नयन के लिये रचनात्मक अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना।
  - उन प्रतिष्ठित संगठनों के रचनात्मक और अभिनव प्रस्तावों का समर्थन करना जिनके पास स्थापित भवन और बुनियादी ढाँचा है एवं जो आयुष प्रणालियों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के स्तर तक काम करना चाहते हैं।

विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में तीन स्थल शामिल

हाल ही में गुजरात के वड़नगर शहर, मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटि की चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों के रूप में इन तीन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **वड़नगर:**
  - यह गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

नोट :

- इसे चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर और विमलपुर भी कहा जाता है, वड़नगर शहर का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है।
- यहाँ कई पुरातात्त्विक संग्रह पाए गए हैं, वड़नगर अपने तोरणों के लिये प्रसिद्ध है, यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है जिसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था।
- 640 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन त्सांग ने इस शहर का दौरा किया और कहा जाता है कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया है।
- वर्ष 2008-09 में खुदाई के दौरान वड़नगर में एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले थे।
- ताना रीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज वड़नगर में है, जिसका नाम दो बहनों, ताना और रीरी की वीरता के सम्मान में रखा गया था। अकबर द्वारा अपने दरबार में गाने के लिये कहने पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी क्योंकि यह उनके रिवाज के खिलाफ था।

मोढेरा का सूर्य मंदिर:

- मोढेरा का सूर्य मंदिर मेहसाणा ज़िले के बेचराजी तालुका में रूपन नदी की एक सहायक नदी पुष्पावती के बाएँ किनारे पर स्थित है।
  - यह पूर्वमुखी मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है।
- मंदिर के विवरण के अनुसार, यह मारू-गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर (गर्भगृह), एक कक्ष (गढ़मंडप), एक बाहरी कक्ष अथवा सभाकक्ष (सभामंडप या रंगमंडप) और एक पवित्र जलाशय (सूर्य कुंड) जिसे अब रामकुंड कहा जाता है, शामिल हैं।
  - रामकुंडा एक विशाल आयताकार सीढ़ीदार जलाशय है जो शायद भारत का सबसे भव्य मंदिर जलाशय है।
- प्रतिवर्ष विषुव (Equinoxes) के समय सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्र/गर्भभाग पर पड़ती हैं।

उनाकोटि की पत्थरों को काट कर बनाई गई मूर्तियाँ:

- यह एक शैव तीर्थ स्थल है जो 7वीं अथवा 9वीं शताब्दी का है।
- उनाकोटि का अर्थ है एक करोड़ से एक कम और कहा जाता है कि इतनी ही संख्या में चट्टानों को काटकर बनाई गई नक्काशी यहाँ उपलब्ध है।
- हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान शिव एक करोड़ देवी-देवताओं के साथ काशी जा रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान पर रात्रि विश्राम किया था।
  - उन्होंने सभी देवी-देवताओं को सूर्योदय से पहले जागने और काशी के लिये प्रस्थान करने को कहा।
  - ऐसा कहा जाता है कि सुबह शिव के अलावा कोई और नहीं उठा, अत: भगवान शिव दूसरों को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप देते हुए स्वयं काशी के लिये निकल पड़े।
  - नतीजतन, उनाकोटि में एक करोड़ से भी कम पत्थर की मूर्तियाँ और नक्काशियाँ हैं।
- उनाकोटी में पाए गए चित्र दो प्रकार के हैं, अर्थात् चट्टानों को काट कर बनाए गए नक्काशीदार चित्र और पत्थर से बने चित्र।
  - चट्टानों को काट कर बनाए गए नक्काशीदार चित्रों के ठीक बीच में शिव का सिर और गणेश की विशाल आकृतियाँ उल्लेखनीय हैं।
  - शिव के सिर को 'उनाकोटिश्वर कालभैरव' के रूप में जाना जाता है।
  - शिव के मस्तक के दोनों तरफ दो महिलाओं की पूर्ण आकृतियाँ हैं - एक शेर पर खड़ी दुर्गा की और दूसरी ओर अन्य महिला आकृति।
  - इसके अलावा नंदी बैल की तीन विशाल प्रतिमाएँ ज़मीन में आधी दबी हुई पाई गई हैं।
- 'अशोकाष्टमी मेला' के नाम से प्रसिद्ध एक भव्य मेला प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसमें हज़ारों तीर्थयात्री आते हैं।

यूनेस्को की अस्थायी सूची:

- यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है, जिन पर प्रत्येक पक्षकार नामांकन के लिये विचार करना चाहता है।
    - यूनेस्को के संचालनात्मक दिशा-निर्देश (Operational Guidelines), 2019 के अनुसार, किसी भी स्मारक/स्थल को विश्व विरासत स्थल (World Heritage Site) की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे एक वर्ष के लिये इसकी अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है।
    - इसमें नामांकन हो जाने के बाद इसे विश्व विरासत केंद्र (World Heritage Centre) को भेज दिया जाता है।
- भारत में अब अस्थायी सूची में 52 स्थल हैं।

विश्व विरासत स्थल:

- यूनेस्को की विश्व विरासत सूची (World Heritage List) में विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को शामिल किया गया है।
- यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।
    - विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है।
- यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- इसमें तीन प्रकार के स्थल शामिल हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित।
    - सांस्कृतिक विरासत (Cultural Heritage) स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर स्थल, महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किये जाते हैं।
    - प्राकृतिक विरासत (Natural Heritage) में उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएँ, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ, दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल आदि शामिल किये जाते हैं।
    - मिश्रित विरासत (Mixed Heritage) स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं।
- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 विरासत धरोहर स्थल (32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं। इनमें शामिल धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर सबसे नए हैं।

समुद्रयान मिशन

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, समुद्रयान मिशन को वर्ष 2026 तक पूरा किये जाने की उम्मीद है।

समुद्रयान मिशन:

- **परिचय:**
    - मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज के लिये तीन व्यक्तियों को 'मत्स्य 6000' नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजना है।
        - 'मत्स्य 6000' वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), चेन्नई द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया जा रहा है।
        - मानव सुरक्षा हेतु इसकी क्षमता सामान्य स्थितियों में 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे है।
    - यह भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त समुद्रीय मिशन है जो 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है।
- **महत्त्व:**
    - मानवयुक्त सबमर्सिबल वैज्ञानिक कर्मियों को प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा गहरे समुद्र के अस्पष्टीकृत क्षेत्रों को देखने और समझने में सक्षम बनाता है।
    - यह केंद्र सरकार के 'न्यू इंडिया' कार्यक्रम के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा, जो विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनमी) को उजागर करता है।
        - भारत के पास 7517 कि.मी. लंबी तटरेखा के साथ अपनी एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है जिसमे नौ तटीय राज्य और 1,382 द्वीप शामिल है।
        - भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा तटीय क्षेत्रों और तटीय प्रदेशों में रहने वाली देश की लगभग 30% आबादी, एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
        - यह मत्स्य पालन और जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका और 'ब्लू ट्रेड' का समर्थन करता है।

डीप ओशन मिशन:

- इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य संसाधनों के लिये गहरे समुद्र का अन्वेषण करना, महासागरीय संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करना और साथ ही भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों का समर्थन करना है।
- पाँच वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए है जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

नोट :

समुद्रयान मिशन

भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन-चेन्नई में लॉन्च किया गया

(2021)

नोडल मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नोडल मिशन

डीप ओशन मिशन (जून 2021)- ब्लू इकॉनमी से संबंधित पहलों को सपोर्ट करने के लिये

उद्देश्य

- स्व-चालित, मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन-MATSYA 6000 (स्वदेशी रूप से विकसित) में 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों को भेजेना
- गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों का खनन

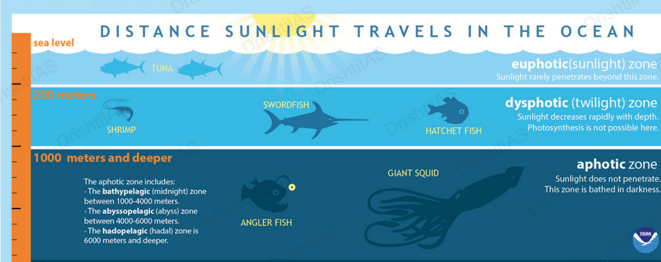

डीप ओशन–आमतौर पर इसे उस गहराई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर प्रकाश कम होने लगता है, आमतौर पर यह गहराई लगभग 200 मीटर होती है

भारत के लिये महत्त्व

- गहरे समुद्र में मिशन करने वाला पहला विकासशील देश
- समुद्री गतिविधियों को पूरा करने के लिये आला तकनीक और वाहन रखने वाले राष्ट्रों के कुलीन क्लब (अमेरिका, रूस, फ्राँस, जापान और चीन) में शामिल
- महासागरीय साक्षरता को बढ़ावा देना; समुद्र के अंदर इंजीनियरिंग नवाचार

ब्लू इकॉनमी के लिये भारत का महासागरीय लिंक

- **समुद्र तट:** ~ 7,516 कि.मी
- **तटीय राज्य:** 28 में से 9
- **कुल द्वीप:** 1,382
- **बंदरगाह:** 200+ (13 प्रमुख बंदरगाहों सहित)
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र:** 2 मिलियन+ km²
- **बंदरगाहों द्वारा संभाला जाने वाले कार्गो:** ~1,400 मिलियन टन (वार्षिक)
- **तटीय अर्थव्यवस्था:** 4 मिलियन से अधिक मछुआरे और तटीय समुदाय

2021-2030–सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक (UN द्वारा घोषित)

नोट :

अन्य संबंधित पहलें:

- **सतत् विकास हेतु 'ब्लू इकॉनमी' पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स:** दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था।
- **सागरमाला परियोजना:** सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह विकास के लिये एक रणनीतिक पहल है।
- **ओ-स्मार्ट:** ओ-स्मार्ट एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत् विकास के लिये महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन:** यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय मत्स्य नीति:** भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों से मत्स्य संपदा के सतत् उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर 'ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव' को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति मौजूद है।

कोरोनावायरस का BF.7 वेरिएंट

चीन में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों का कारण BF.7 को ओमिक्रोन का सब-वैरिएंट माना जा रहा है जो वहाँ पहले से उपस्थित है।

कोरोनावायरस का BF.7 संस्करण:

- चीन में प्रमुख वायरस स्ट्रेन BF.7 है, जो ओमिक्रोन का एक उप-संस्करण है, इसका संचरण एक साल से अधिक समय से हो रहा है।
- वर्तमान में ओमिक्रोन के 500 से अधिक सब-वेरिएंट प्रचलन में हैं।
- BF.7, BA.5.2.1.7 का नाम है, जो स्वयं BA.5 सब-वैरिएंट से विकसित हुआ है।
- BF.7 चीन के लिये अद्वितीय नहीं है।
    - यह अक्तूबर 2022 में अमेरिका में 5% तथा यूके में 7% से अधिक मामलों के लिये ज़िम्मेदार था।
- जब वायरस उत्परिवर्तित होते हैं, तो वे संस्करण और उप-संस्करण बनाते हैं- जैसे SARS-CoV-2 पेड़ के मुख्य तने में शाखाएँ और उप-शाखाएँ निकलती हैं।
- एक शोध अध्ययन में बताया कि BF.7 सब-वैरिएंट में मूल D614G वैरिएंट की तुलना में 4.4 गुना अधिक न्यूट्रलाइज़ेशन प्रतिरोध क्षमता है, जिसका अर्थ है कि एक प्रयोगशाला में टीकाकृत या मूल वुहान वायरस, जो 2020 में दुनिया भर में फैल गया था, से संक्रमित व्यक्तियों के एंटीबॉडी में BF.7 को खत्म करने की संभावना कम थी।
    - एक उच्च न्यूट्रलाइज़ेशन प्रतिरोध का मतलब है कि किसी आबादी में वैरिएंट के फैलने और अन्य वेरिएंट को बदलने की संभावना अधिक है।

नए वेरिएंट कैसे बनते हैं?

- जब कोई वायरस गुणात्मक रूप से बढ़ता है, तो वह हमेशा अपनी एक सटीक प्रतिलिपि नहीं बना पाता है।
    - इसका मतलब यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवंशिक अनुक्रम के मामले में थोड़ा भिन्न हो सकता है।

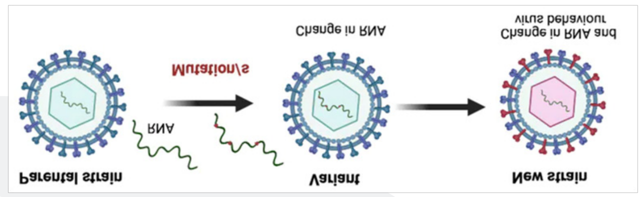

- इस प्रक्रिया के दौरान वायरल अनुवांशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।
- नए उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) वाले वायरस को कभी-कभी वेरिएंट कहा जाता है। वेरिएंट में एक या एक से अधिक म्यूटेशन का अंतर हो सकता है।
- जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस की तुलना में अलग-अलग कार्यात्मक गुण होते हैं और यह जन आबादी के बीच अपना स्थान बना लेता है, तो इसे कभी-कभी वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है।
    - सभी स्ट्रेन, वेरिएंट होते हैं लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते।

iDEX और डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज

रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) ने अपने 150वें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ एक महान उपलब्धि हासिल कर ली है।

- यह अनुबंध डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC 7) स्प्रिंट संस्करण की एक भारतीय नौसेना परियोजना से संबंधित है।

इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX):

- **परिचय:**
    - iDEX, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, यह एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करने हेतु नए अन्वेषक और उद्यमियों को शामिल करके रक्षा व एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा।
    - यह अनुसंधान और विकास के लिये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (Micro Small and Medium

नोट :

Enterprises- MSMEs), स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्त्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों व शिक्षाविदों को अनुदान प्रदान करता है।

- 'iDEX प्राइम' का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ते स्टार्ट-अप की मदद के लिये 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- iDEX पोर्टल को व्यापक प्रचार और बेहतर दृश्य क्षेत्र प्रदान करने एवं iDEX गतिविधियों के बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों से अधिक कुशल तरीके निपटने के लिये लॉन्च किया गया है।

- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **स्वदेशीकरण:** नई, स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास।
  - **नवाचार:** सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये उन्नत स्टार्ट-अप संस्कृति का निर्माण करना।
- **वित्तीयन:**
  - iDEX को "रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation- DIO)" द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित किया जाता है।
- **उपलब्धि:**
  - iDEX को वर्ष 2021 के लिये नवाचार श्रेणी में सार्वजनिक नीति हेतु प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

रक्षा नवाचार संगठन (DIO):

- DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा वित्तपोषित है।
- यह iDEX को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है।

डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC):

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा (National Defence and Security) के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप/व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्ट-अप/MSMEs/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
- पहला डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC) 4 अगस्त, 2018 को बंगलूरू में लॉन्च किया गया था।
- इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।
  - अटल इनोवेशन मिशन (AIM) देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी भारत सरकार की प्रमुख पहल है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्ट-अप, भारतीय कंपनियाँ और व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्त्ता (अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित) भाग ले सकते हैं।
- DISC 7 को स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स द्वारा समाधान के लिये भारतीय नौसेना के 69 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स (PS) के साथ लॉन्च किया गया है।

स्वदेशीकरण से संबंधित सरकार की पहलें:

- प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- रक्षा क्षेत्र में नई एफडीआई नीति
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- रक्षा औद्योगिक गलियारे

डोकरा धातु शिल्प

पश्चिम बंगाल का लालबाज़ार न केवल एक कला केंद्र है, बल्कि एक लोकप्रिय धातु शिल्प, डोकरा का केंद्र भी बन रहा है।

- वर्ष 2018 में पश्चिम बंगाल के डोकरा शिल्प को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication- GI) टैग के साथ प्रस्तुत किया गया था।

डोकरा:

- डोकरा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातुकर्मियों द्वारा प्रचलित बेल धातु शिल्प का एक रूप है।

- हालाँकि इस कारीगर समुदाय की शैली और कारीगरी भी अलग-अलग राज्यों में भिन्न है।
- ढोकरा या डोकरा को बेल मेटल क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है।
- ढोकरा नाम ढोकरा डामर जनजातियों से लिया गया है, जो पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातुकर्मी हैं।
    - लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की उनकी तकनीक का नाम उनकी जनजाति के नाम पर ढोकरा धातु की ढलाई रखा गया है।
        - डोकरा कलाकृतियाँ पीतल की हैं और इस मायने में अनूठी हैं कि इन टुकड़ों में कोई जोड़ नहीं होता है। यह तकनीक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग और धातुशोधन का संयोजन है, जिसमें साँचे का उपयोग केवल एक बार किया जाता है और निर्माण के बाद तोड़ दिया जाता है, जिससे यह कला दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र कला बन जाती है।
        - यह जनजाति झारखंड से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल तक फैली हुई है।
- प्रत्येक मूर्ति को बनाने में लगभग एक माह का समय लगता है।
- मोहनजोदड़ो (हड़प्पा सभ्यता) की नृत्यांगना सबसे पुरानी ढोकरा कलाकृतियों में से एक है जिसे अब जाना जाता है।
- डोकरा कला का उपयोग अभी भी कलाकृतियों, सामान, बर्तनों और आभूषणों को बनाने के लिये किया जाता है।

अन्य शिल्प:

- **कांस्य शिल्प:**
    - दुर्लभ जैन चित्र और चिह्न (कर्नाटक)
    - पहलदार लैंप (जयपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से)
    - पेम्बरथी शिल्प (तेलंगाना)
- **अन्य धातु शिल्प:**
    - राजस्थान की मारोड़ी कृति
    - तारकशी (राजस्थान)
    - बिदरी क्राफ्ट (कर्नाटक)

सर्वाइकल/ग्रीवा कैंसर के लिये HPV टीका

चर्चा में क्यों?

भारत में वर्ष 2023 के मध्य तक स्कूलों के माध्यम से 9-14 वर्ष की आयु की लड़कियों में सर्वाइकल/ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिये स्वदेशी रूप से विकसित CERVAVAC वैक्सीन को लगाने की उम्मीद है।

- यह निर्णय टीकाकरण के लिये राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) की सिफारिश पर आधारित था, जिसमें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

सर्वाइकल/ग्रीवा कैंसर:

- **परिचय:**
    - यह भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन (qHPV) है, इसे वायरस के चार स्ट्रेन- टाइप 6, टाइप 11, टाइप 16 और टाइप 18 के खिलाफ प्रभावी बताया गया है।
        - एक चतु:संयोजक वैक्सीन एक टीका है जो चार अलग-अलग एंटीजन जैसे चार भिन्न-भिन्न वायरस या अन्य सूक्ष्मजीवों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करती है।
    - CERVAVAC हेपेटाइटिस बी टीकाकरण के समान VLP (वायरस-लाइक पार्टिकल्स) पर आधारित है।
- **अनुमति:**
    - वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India-DGCI) की मंज़ूरी मिल गई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपयोग के लिये सरकारी सलाहकार पैनल NTAGI द्वारा भी मंज़ूरी दे दी गई है।
- **महत्त्व:**
    - इसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की एक महत्त्वपूर्ण क्षमता है और यह राष्ट्रीय HPV टीकाकरण प्रयासों में शामिल होने और मौजूदा टीकाकरण की तुलना में कम कीमत पर पेश करने में मददगार होगा।
    - यह टीका तभी अत्यंत प्रभावी होता है जब इसे यौन-संबंध से पहले लगाया जाता है।

सर्वाइकल कैंसर:

- सर्वाइकल कैंसर एक महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। यह विश्व स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम प्रकार है।
    - भारत में वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के भार का सबसे बड़ा हिस्सा देखा गया है यानी सर्वाइकल कैंसर के कारण विश्व स्तर पर हर 4 मौतों में से लगभग 1 (द लांसेट अध्ययन के अनुसार)।
- सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले HPV संक्रमण से जुड़े हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला एक अत्यंत सामान्य वायरस है।
    - प्रभावी प्राथमिक (HPV टीकाकरण) और माध्यमिक रोकथाम दृष्टिकोण (कैंसर पूर्ववर्ती घावों के लिये जाँच एवं उपचार) सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोकने में सक्षम होगा।
- जब सर्वाइकल कैंसर का निदान किया जाता है, तो यह कैंसर के सबसे सफलतापूर्वक इलाज योग्य रूपों में से एक है, जितना शीघ्र इसका पता चल जाता है इसे उतने ही प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।

- बाद के चरणों में निदान किये गए कैंसर को उचित उपचार और उपशामक देखभाल से भी नियंत्रित किया जा सकता है।
- रोकथाम, जाँच और उपचार हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ सर्वाइकल कैंसर को एक पीढ़ी के भीतर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया जा सकता है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022

हाल ही में भारत के राज्यों और ज़िलों के लिये सामाजिक प्रगति सूचकांक (Social Progress Index- SPI) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister- EAC-PM) द्वारा जारी किया गया है।

- SPI को प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संकलित किया गया है।
- यह रिपोर्ट वैश्विक सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के संदर्भ में भारत के प्रदर्शन (169 देशों में से 110वें स्थान पर) की भी जाँच करती है, जिसे वर्ष 2013 से सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- यह प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिये गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
- EAC-PM व्यापक आर्थिक महत्त्व के किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विश्लेषण और सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार है जिसे प्रधानमंत्री संदर्भित करते हैं।
- यह या तो स्वप्रेरणा से या प्रधानमंत्री या किसी और के संदर्भ में हो सकते हैं।
- इनमें समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा वांछित किसी भी अन्य कार्य को सम्मिलित करना भी शामिल है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक

- **परिचय:**
  - SPI एक व्यापक तकनीक है जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर किसी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान कर सकती है।
  - इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में सभी स्तरों पर की गई सामाजिक प्रगति का एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करना है।
  - यह सूचकांक राज्य स्तर पर 89 और ज़िला स्तर पर 49 संकेतकों वाले एक व्यापक रूपरेखा का उपयोग करता है।
- **मूल्यांकन घटक:**
  - यह सूचकांक सामाजिक प्रगति के तीन महत्त्वपूर्ण आयामों में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और ज़िलों का आकलन करता है:
    - बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ: यह पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और ज़िलों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
    - कल्याण की नींव: यह बुनियादी जानकारी तक पहुँच, सूचना और संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण तथा पर्यावरण गुणवत्ता के घटकों में देश द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है।
    - अवसर: यह व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्प, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुँच पर केंद्रित है।

सूचकांक के निष्कर्ष:

- **उच्चतम SPI स्कोर:** पुदुचेरी
- **न्यूनतम SPI स्कोर:** झारखंड और बिहार
- **बुनियादी मानवीय आवश्यकताएँ:** गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जल, स्वच्छता और आश्रय के क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले शीर्ष चार राज्य हैं।
- **कल्याण की नींव:** मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।
- पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिये मिज़ोरम, नगालैंड और मेघालय शीर्ष तीन राज्य हैं।
- **अवसर:** अवसर प्रदान करने के संबंध में तमिलनाडु ने उच्चतम स्कोर हासिल किया है।
- **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष ज़िले:** आइजोल (मिज़ोरम), सोलन (हिमाचल प्रदेश) और शिमला (हिमाचल प्रदेश) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन ज़िलों के रूप में उभरे हैं।

रूस-चीन संयुक्त नौसेना अभ्यास

हाल ही में रूस और चीन ने पूर्वी चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है।

इस अभ्यास के प्रमुख बिंदु:

- इसमें फायरिंग तथा पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं।
- इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच नौसैनिक सहयोग को मज़बूत करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखना है।
- यह संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों का संयुक्त रूप से जवाब देने के लिये दोनों पक्षों के दृढ़ संकल्प और क्षमता का प्रदर्शन करने तथा चीन-रूस व्यापक नए युग की रणनीतिक समन्वय साझेदारी को और बेहतर करने के लिये निर्देशित किया जाता है।
- रूस और चीन ने भी विगत एक वर्ष में लगातार कई सैन्य अभ्यास किये हैं, इसके अंतर्गत मई 2022 में दोनों देशों ने परमाणु-सक्षम बमवर्षकों(bombers) की उड़ान का परीक्षण किया था।
- इसके बाद सितंबर 2022 में एक व्यापक संयुक्त अभ्यास किया गया जिसके अंतर्गत 2,000 से अधिक चीनी सैनिक, सैकड़ों सैन्य वाहन, लड़ाकू विमान और युद्धपोत शामिल थे।

चीन और रूस के साथ भारत का अभ्यास:

- **चीन:**
  - **हैंड इन हैंड अभ्यास:**
    - इसका उद्देश्य संयुक्त योजना का अभ्यास करना और अर्द्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करना है।.
- **रूस:**
  - **अभ्यास इंद्र (INDRA):**
    - यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त बल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान के संचालन में मदद करेगा।
    - इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी-बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था।
    - हालाँकि पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास (Tri-Services Exercise) वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था।
  - **अभ्यास TSENTR:**
    - अभ्यास TSENTR 2019, बड़े पैमाने पर अभ्यास की वार्षिक श्रृंखला और रूसी सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है।
    - इस श्रृंखला में क्रमिक रूप से चार प्रमुख रूसी परिचालन रणनीतिक कमानों (commands) यानी वोस्तोक (पूर्व), ज़ापद (पश्चिम), TSENTR (केंद्र) और कवकाज़ (दक्षिण) के माध्यम से आयोजित होती है।

सैंड बैटरी

सैंड बैटरी एक नया नवाचार है जिसमें काफी हद तक तापीय ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता है और यह स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में सहायता कर सकती है।

- फिनलैंड ने अपने शहर कंकनपा (Kankaanpää) में विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली "सैंड बैटरी" स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। यह बैटरी वर्ष भर आपूर्ति की समस्या को हल करने में मदद सकती हैं।

नोट :

सैंड बैटरी:

- "सैंड बैटरी" एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग करता है। यह रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहीत करता है।
- लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने के लिये रेत एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, एक बार में यह महीनों तक की बिजली का भंडारण करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिये उच्च शक्ति और उच्च क्षमता वाले संग्रह स्थान के रूप में काम करना है। इसमें ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहीत किया जाता है, जिसका उपयोग घरों में ऊष्मा के लिये किया जा सकता है, गर्म भाप और कुछ उद्योगों में उच्च तापमान प्रक्रिया हेतु ऊष्मा प्रदान करने के लिये किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे संयंत्र जो जीवाश्म-ईंधन पर निर्भर होते हैं।
- सैंड बैटरी नवीकरणीय ऊर्जा से हमेशा लाभान्वित होने का एक तरीका सुनिश्चित करके नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को महत्त्वाकांक्षी रूप से बढ़ाने में मदद करती है, भले ही अधिशेष बड़े पैमाने पर हो।

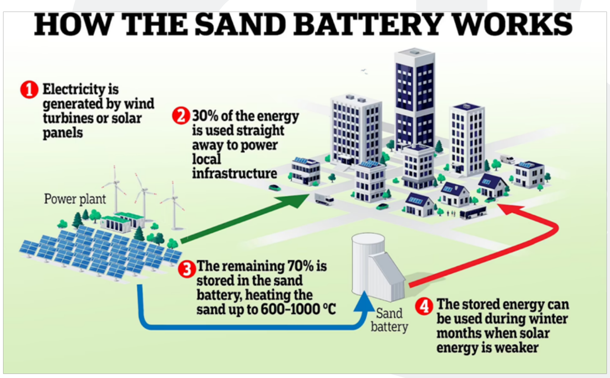

यूरोप के ऊर्जा संकट का समाधान

- रूस (यूरोपीय संघ की प्राकृतिक गैस आपूर्ति का 40% का आपूर्तिकर्त्ता) ने अपनी पाइपलाइनों को काफी हद तक बंद कर दिया है।
- उत्तरी गोलार्द्ध के देश सर्दियों में केंद्रीय ताप प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जिसमें प्राकृतिक गैस सबसे आम ताप ईंधन के रूप में है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले विकासशील देशों में इसके विपरीत स्थिति है।
- आंतरिक उष्मन के नवीकरणीय स्रोत माने जाने वाले हीट पंपों की बिक्री यूरोपीय संघ में 35% बढ़ी है। इसके साथ-साथ वुड पेलेट जैसे अन्य विवादास्पद विकल्पों की बिक्री में भी वृद्धि हुई।
- दुनिया तेज़ी से नवीकरणीय आंतरिक ताप स्रोतों को देख रही है।
- थर्मल स्टोरेज जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा, आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भंडारण प्रदान करेगा साथ ही ग्रिड को संतुलित करने में मदद करेगा।
    - वैश्विक स्तर पर इस मायने में ताप उर्जा भंडारण का अभी एक क्षेत्र के रूप में विकसित होना शेष है।
- ऐसे समय में अंतराल को भरने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति खोजना महत्त्वपूर्ण हो सकता है, सैंड बैटरी सही दिशा में सही कदम साबित हो सकती हैं।
- यह पेटेंट तकनीक फिनलैंड जैसे देश के लिये उपयोगी है, जो उत्तरी ध्रुव के सबसे करीबी देशों में से एक है, जहाँ सर्दियों के महीनों में सूर्य दोपहर के लगभग 3 बजे शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ अस्त होता है।
- माना जा रहा है कि इससे हरित ऊर्जा के लिये वर्ष भर आपूर्ति की समस्या का एक बड़ा मुद्दा हल हो सकता है।

इंकोवैक, इंट्रानेज़ल कोविड-19 वैक्सीन

भारत बायोटेक का इंट्रानेज़ल वैक्सीन, BBV154 या Incovacc विश्व का पहला इंट्रानेज़ल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 के लिये बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है।

इंकोवैक:

- **परिचय:**
    - नेजल वैक्सीन, पूर्व-संलयन स्थिर स्पाइक प्रोटीन के साथ एक रिकॉम्बिनेंट रेप्लीकेशन-डेफिसीएंट एडेनोवायरस वेक्टर वाला वैक्सीन है। ।
- महत्त्व:
    - वैक्सीन को नेज़ल स्प्रे के माध्यम से दिये जाने की वजह से, यह वर्तमान में उपलब्ध सभी कोविड-19 टीकों के लिये सुई और सीरिंज की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
    - इससे देने के लिये प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता भी कम होगी।
    - Incovacc ओमिक्रॉन वैरिएंट के लिये प्रभावी है जो फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है।
- **क्रियाविधि:**
    - जैसे ही यह वैक्सीन नाक से दिया जाता है, यह म्यूकोसल झिल्ली में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है।
    - BBV154 ऊपरी श्वसन पथ में स्थानीय एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकता है जो बीमारी के संक्रमण और संचरण को कम करने की क्षमता प्रदान कर सकता है।
    - चूँकि नजल वैक्सीन स्थानीय प्रतिरक्षा प्रदान करता है (नाक में जहाँ वायरस पहली बार प्रवेश करता है), यह कहा जा सकता है कि हमारे पास वर्तमान पीढ़ी के टीकों की तुलना में इसमें संचरण को रोकने में प्रभावी होने की अधिक संभावना और क्षमता है।

नोट :

- **बूस्टर डोज़:**
  - कॉर्बेवैक्स के बाद टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने वाला यह दूसरा विषम बूस्टर है।
    - होमोलॉगस बूस्टिंग (Homologous Boosting) में एक व्यक्ति को उसी टीके का इंजेक्शन लगाया जाता है जो पिछली दो खुराकों के लिये इस्तेमाल किया गया था। हेटेरोलॉगस बूस्टिंग (Heterologous Boosting) में एक व्यक्ति को एक अलग वैक्सीन के साथ इंजेक्ट किया जाता है जो कि प्राथमिक खुराक के लिये इस्तेमाल किया गया था।
  - इसे पहले प्राथमिक खुराक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल चुकी है।
  - Incovacc बूस्टर खुराक के रूप में केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों के लिये उपलब्ध होगा, जिन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 खुराकें मिली हैं।
    - इसे फिलहाल किसी अन्य श्रेणी में नहीं दिया जाएगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहले ही बूस्टर खुराक ले ली है।
    - जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ले लिया है, वे अब इस नेजल वैक्सीन (Nasal Vaccine) को हेटेरोलॉगस बूस्टर (Heterologous Booster) खुराक के रूप में ले सकते हैं।

बेनिन ब्रॉन्ज़

जर्मनी ने बेनिन से लूटी गई 20 बेनिन ब्रॉन्ज़ पट्टिकाएँ और मूर्तियाँ नाइजीरिया को लौटा दीं।

- जुलाई 2022 में जर्मनी द्वारा नाइजीरिया के साथ लगभग 1,100 बेनिन ब्रॉन्ज़ के स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इन कीमती कलाकृतियों की वापसी हुई।

बेनिन ब्रॉन्ज़:

- बेनिन ब्रॉन्ज़ वर्तमान नाइजीरिया में बेनिन के प्राचीन साम्राज्य की 3,000 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों का एक समूह है। यह लगभग 16वीं शताब्दी का है।
  - वर्ष 1897 में बेनिन शहर पर कुख्यात छापे के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों द्वारा इन्हें लूट लिया गया था।
- इनमें से कई कलाकृतियाँ विशेष रूप से राजाओं या ओबास और राज्य की राजमाताओं के लिये अधिकृत किये गए थे।
- ये कलाकृतियाँ बेनिन साम्राज्य की संस्कृति के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के साथ इसके संबंधों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियाँ यूरोपीय लोगों के साथ राज्य के संबंधों को भी प्रदर्शित करती हैं।

अन्य लूटी गई कलाकृतियों को देशों द्वारा वापस किये जाने की मांग:

- **कोह-ए-नूर हीरा:**
  - विभाजन-पूर्व भारत और ब्रिटिश राज में कोह-ए-नूर का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में इसका खनन किया गया था।
  - दूसरे एंग्लो-सिख युद्ध के दौरान वर्ष 1849 में रानी विक्टोरिया द्वारा हीरे का अधिग्रहण किया गया था, इसी समय पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाया गया था।
  - लाहौर की अंतिम संधि पर हस्ताक्षर के बाद अंग्रेज़ों ने इस हीरे को अपने कब्ज़े में ले लिया था।
    - लॉर्ड डलहौज़ी और महाराजा दलीप सिंह के बीच 1849 में हुई लाहौर संधि के तहत कोहिनूर हीरे को लाहौर के महाराजा ने इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया था।
- **रॉसेटा स्टोन:**
  - दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण रॉसेटा स्टोन है। वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित यह मिस्र का एक प्राचीन पत्थर है जिसमें शिलालेख हैं, यह मिस्र-विज्ञान का आधार है।
  - मिस्र को जीतने के लिये सम्राट के अभियान के दौरान वर्ष 1799 में राशिद (रॉसेटा) शहर के पास नेपोलियन बोनापार्ट की सेना द्वारा पत्थर की खोज की गई थी। वर्ष 1801 में फ्राँसीसियों को हराने के बाद इसे अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था।

DRDO की मिशन मोड परियोजनाओं पर कैग की रिपोर्ट

हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के मिशन मोड (MM) परियोजनाओं की अवधि तथा लागत में वृद्धि को चिह्नित किया गया है।

नोट :

- MM परियोजनाओं को DRDO द्वारा विशिष्ट उपयोगकर्त्ता आवश्यकताओं और उनके पूरा होने के लिये निश्चित समयसीमा के आधार पर उच्च प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाता है।
    - ये परियोजनाएँ उन तकनीकों पर निर्भर करती हैं जो पहले से उपलब्ध एवं प्रमाणित हैं तथा DRDO या भारत के भीतर या विदेश से अल्प सूचना पर आसानी से उपलब्ध हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- समग्र परियोजना प्रबंधन में अक्षमताएँ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि, परियोजनाओं के प्रत्याशित लाभों का अधिक मूल्यांकन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कई उदाहरण सामने आए हैं।
- सफल परियोजनाओं के उत्पादन में विलंब के मुद्दे रहे हैं जो ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के उद्देश्य को ही विफल कर देते हैं।
- इस तथ्य के बावजूद कि अंतर्निहित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण MM परियोजनाओं में बहुत उच्च परिणाम निश्चितता है, DRDO द्वारा ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत और मंज़ूरी में काफी देरी हुई थी।
- 178 परियोजनाओं में से 119 में मूल समय-सारणी का पालन नहीं किया जा सका।
    - 49 मामलों में अतिरिक्त समय वास्तव में मूल समयसीमा के 100% से अधिक था।
- विलंब का परास 16 से 500% तक था और इसमें कई बार विस्तार किया गया था।
- जनवरी 2010 और दिसंबर 2019 के दौरान सफल घोषित 86 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं में एक या अधिक प्रमुख उद्देश्य/मापदंड प्राप्त नहीं हुए थे।
    - परियोजना प्रस्ताव के सभी प्रमुख उद्देश्यों/मापदंडों को प्राप्त करने के लिये समय बढ़ाने की मांग के बजाय इन परियोजनाओं को सफल मान कर बंद कर दिया गया।
- DRDO और सेवाओं के बीच तालमेल की कमी भी थी, जिसके परिणामस्वरूप गुणात्मक आवश्यकताओं, वितरण और उपयोगकर्त्ता परीक्षणों के परिणामों को लेकर अलग-अलग विचार थे। इसने MM परियोजनाओं की समग्र सफलता दर को प्रभावित किया।

CAG:

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
- यह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।
- इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है तथा यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है।
- एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने/इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता।
- अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
    - CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में शामिल हैं: अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शक्तियाँ, संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट), अनुच्छेद 279 (शुद्ध आय की गणना आदि), तीसरी अनुसूची (शपथ या प्रतिज्ञान), छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन)।

DRDO

- **परिचय :**
    - DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है।
    - आत्मनिर्भरता व सफल स्वदेशी विकास एवं सामरिक प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों जैसे- अग्नि और पृथ्वी शृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज जैसे- हल्के लड़ाकू विमान, तेजस: बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका: वायु रक्षा प्रणाली, आकाश: रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला आदि ने भारत की सैन्य शक्ति को प्रभावशाली निरोध पैदा करने तथा महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में प्रमुख योगदान दिया है।
- **DRDO के विभिन्न कार्यक्रम:**
    - एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):
    - यह मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था।
    - IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग।
    - **मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम (MARS):**
        - MARS लैंड माइन्स और इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज़ (Inert Explosive Devices- IEDs) को संभालने के लिये एक स्मार्ट मज़बूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में मदद करता है।

- कुछ एड-ऑन के साथ इस प्रणाली का उपयोग वस्तु के लिये ज़मीन खोदने और विभिन्न तरीकों से इम्प्रवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज़ करने हेतु भी किया जा सकता है।

- **लद्दाख में सबसे ऊँचा स्थलीय केंद्र:**
  - लद्दाख में DRDO का केंद्र पैंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करना है।

क्रायोमेश और फ्रोज़न प्रवाल /कोरल

ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर काम करते हुए वैज्ञानिकों ने अपने पहले परीक्षण में कोरल को फ्रीज़ और स्टोर करने के लिये एक नई विधि का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

प्रवाल को फ्रीज़ करने की आवश्यकता:

- समुद्र का बढ़ता तापमान कोरल के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर देता है, अत: वैज्ञानिक कोरल रीफ की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।
- ग्रेट बैरियर रीफ ने विगत सात वर्षों में चार विरंजन घटनाओं का सामना किया है, जिसमें ला नीना घटना के दौरान पहली बार ब्लीचिंग भी शामिल है, जो आमतौर पर तापमान ठंडाकर देती है।
- ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज़ (AIMS) में वैज्ञानिकों ने कोरल लार्वा को फ्रीज़ करने के लिये क्रायोमेश का इस्तेमाल किया।

प्रवाल को फ्रीज़ करने की पद्धति:

- **क्रायोमेश:**
  - क्रायोमेश, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक दल द्वारा तैयार किया गया था।
  - यह वज़न में हल्की होती है और इसे कम लागत में निर्मित किया जा सकता है।
  - यह कोरल को बेहतर ढंग से संरक्षित करती है और इसमें क्रायोप्लेट्स के गुण होते हैं।
  - क्रायोमेश तकनीक कोरल लार्वा को -196°C (-320.8°F) पर संग्रह करने में मदद करेगी।
- **महत्त्व:**
  - क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए प्रवालों को संग्रहीत किया जा सकता है और बाद में प्राकृतिक रूप से इन्हें पुन: उपयोग में लाया जा सकता है।
  - लेकिन वर्तमान प्रक्रिया में लेज़र सहित परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता होती है, हालाँकि नया व हल्का "क्रायोमेश" सस्ते में निर्मित किया जा सकता है और इस तकनीक के माध्यम से प्रवाल को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है।

प्रवाल भित्ति:

- **परिचय:**
  - प्रवाल समुद्री अकशेरूकीय या ऐसे जंतु हैं जिनमें रीढ़ नहीं होती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के तहत प्रवाल फाइलम निडारिया और एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
  - प्रवाल आनुवंशिक रूप से समान जीवों से बने होते हैं जिन्हें 'पॉलीप्स' कहा जाता है। इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें ज़ूजैन्थेले (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
    - प्रवाल और शैवाल आपस में संबंधित होते हैं।
    - प्रवाल ज़ूजैन्थेले को प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक यौगिक प्रदान करता है।
    - बदले में ज़ूजैन्थेले कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पादों की प्रवाल को आपूर्ति करता है, जो उनके कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के संश्लेषण हेतु प्रवाल पॉलीप्स द्वारा उपयोग किया जाता है।
    - यह प्रवाल को आवश्यक पोषक तत्त्वों को प्रदान करने के अलावा इसे अद्वितीय और सुंदर रंग प्रदान करता है।
    - उन्हें "समुद्रों के वर्षावन" भी कहा जाता है।
- **प्रवाल दो प्रकार के होते हैं:**
  - हार्ड कोरल/प्रवाल: वे कठोर, सफेद प्रवाल एक्सोस्केलेटन बनाने के लिये समुद्री जल से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं।
  - 'सॉफ्ट' कोरल/प्रवाल: 'सॉफ्ट' कोरल एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कंकाल और चट्टानों का निर्माण नहीं करता है, हालाँकि वे एक प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं।
- **महत्त्व:**
  - ये समुद्री जैवविविधता का 25% से अधिक का समर्थन करते हैं, हालाँकि वे समुद्र तल का केवल 1% हैं।

- चट्टानों द्वारा समर्थित समुद्री जीवन वैश्विक मछली पकड़ने के उद्योगों को और बढ़ावा देता है।
  - इसके अलावा प्रवाल भित्ति तंत्र के सेवा व्यापार और पर्यटन के माध्यम से वार्षिक आर्थिक मूल्य में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है।

ग्रेट बैरियर रीफ:

- यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट पर 1400 मील तक फैला हुआ है।
- इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
- इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।

बम चक्रवात

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई, इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं के चलते 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

बम चक्रवात (Bomb Cyclone):

- **परिचय:**
  - बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसमें खराब मौसम एवं बर्फीले तूफान से लेकर तेज़ आँधी व भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं।
  - बम चक्रवात को पूर्वानुमानकर्त्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- **उत्पत्ति के कारण:**
  - यह तब निर्मित हो सकता है जब ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियों से टकराती हैं जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु। इस तेज़ी से मज़बूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस (Bombogenesis) कहा जाता है।
  - इसका निर्माण तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज़ी से बढ़ता है तथा जिसमें 24 घंटों में कम-से-कम 24 मिलीबार की गिरावट आई हो।
  - मिलीबार वायुमंडलीय दबाव को मापता है।
  - यह तेज़ी से दो वायुराशियों के बीच दबाव अंतर या ढाल को बढ़ाता है जिससे हवा और तेज़ हो जाती है।

बम चक्रवात, हरिकेन से किस प्रकार भिन्न होता है?

- 'हरिकेन' (Hurricanes) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं और गर्म समुद्रों द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से वे गर्मियों के मौसम में काफी आम होते हैं, क्योंकि इस दौरान समुद्री जल गर्म होता है।
- बम चक्रवात आमतौर पर ठंड के दौरान देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवा के मिलन के कारण बनते हैं।
- गर्मियों के दौरान आमतौर पर पूरे वातावरण में अधिक ठंडी हवा नहीं होती है; इसका मतलब है कि तब एक बम चक्रवात के उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है।

उष्णकटिबंधीय जल में हरिकेन बनते हैं, जबकि बम चक्रवात उत्तर-पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर-पश्चिमी प्रशांत और कभी-कभी भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं।

वीर बाल दिवस

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित 'वीर बाल दिवस' के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए।

- 9 जनवरी, 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों- साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में

- साहिबजादे जोरावर सिंह (9) और फतेह सिंह (7) सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से हैं।
- सम्राट औरंगज़ेब (1704) के आदेश पर मुगल सैनिकों द्वारा आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया।
- इस घटना में गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ लिया गया।
- मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी।
- इस पेशकश को उन दोनों ने ठुकरा दिया जिस कारण उन्हें मौत की सज़ा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा दिया गया।
- इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी।

गुरु गोबिंद सिंह:

- **परिचय:**
  - दस सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर, 1666 को पटना, बिहार में हुआ था।
    - उनकी जयंती नानकशाही कैलेंडर पर आधारित है।
  - गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता 'गुरु तेग बहादुर' यानी नौवें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने।
  - वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी।

- **योगदान:**
  - **धार्मिक:**
    - उन्हें सिख धर्म में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है, जिसमें बालों को ढँकने के लिये पगड़ी भी शामिल है।
    - उन्होंने खालसा या पाँच 'क' के सिद्धांत की भी स्थापना की।
    - पाँच 'क' केश (बिना कटे बाल), कंघा (लकड़ी की कंघी), कड़ा (लोहे या स्टील का ब्रेसलेट), कृपाण (डैगर) और कचेरा (छोटी जाँघिया) हैं।
    - ये आस्था के पाँच प्रतीक हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिये।
    - उन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किये, जैसे- तंबाकू, शराब, हलाल मांस से परहेज आदि। खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिये भी कर्तव्यनिष्ठ थे।
    - उन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब (खालसा और सिखों की धार्मिक पुस्तक) को दोनों समुदायों का अगला गुरु घोषित किया।
  - **सैन्य:**
    - उन्होंने वर्ष 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ युद्ध किया।
    - आनंदपुर (1704) के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी माँ और दो नाबालिग बेटों को खो दिया, जिन्हें मार डाला गया था। उनका बड़ा बेटा भी युद्ध में मारा गया।
  - **साहित्यिक:**
    - उनके साहित्यिक योगदानों में जाप साहिब, बेंती चौपाई, अमृत सवाई आदि शामिल हैं।
    - उन्होंने 'ज़फरनामा' भी लिखा जो मुगल सम्राट औरंगज़ेब को एक पत्र था।

ट्रेडमार्क

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सदर लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड (Sadar Laboratories Private Limited) के पंजीकृत ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिये दायर याचिका में हमदर्द लैबोरेटरीज़ (Hamdard Laboratories) के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया।

- न्यायालय ने रूह अफज़ा (Rooh Afza) बेचने वाले हमदर्द दवाखाना द्वारा कथित ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मीठे पेय पदार्थ 'शरबत दिल अफज़ा (Sharbat Dil Afza)' के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है।

न्यायालय का फैसला:

- न्यायालय ने कहा कि रूह अफज़ा ने एक सदी से अधिक समय तक हमदर्द के लिये स्रोत पहचानकर्त्ता के रूप में काम किया है और इसने अपार सद्भावना हासिल की है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि यह व्यापार चिह्न से सुरक्षित दूरी बनाए रखे।
- यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि 'दिल अफज़ा' के लेबल को देखने वाला व्यक्ति 'रूह अफज़ा' के लेबल को याद करेगा क्योंकि 'अफज़ा' शब्द आम है तथा 'रूह' व 'दिल' शब्द का अर्थ अंग्रेज़ी में आमतौर पर संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।
- दोनों उत्पादों में ' गहरा लाल रंग और बनावट' समान है एवं 'बोतलों की संरचना भौतिक रूप से भिन्न नहीं है', इस प्रकार यह आशंका जताई गई है कि "आक्षेपित ट्रेडमार्क की व्यावसायिक छाप भ्रामक रूप से अपीलकर्त्ताओं के ट्रेडमार्क के समान है"।

ट्रेडमार्क:

- ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) द्वारा संरक्षित हैं।
- भारत में ट्रेडमार्क गतिविधियों का संचालन व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trademark Act, 1999) द्वारा होता है, जिसे वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।
- यह कानूनी रूप से एक उत्पाद या सेवा को अपनी तरह के अन्य सभी उत्पाद से अलग करता है और ब्रांड के स्रोत कंपनी के स्वामित्त्व को मान्यता देता है।
- हालाँकि ट्रेडमार्क की समयसीमा समाप्त नहीं होती है, लेकिन मालिक को उनसे जुड़ी सुरक्षा प्राप्त करने के लिये इसका नियमित उपयोग करना चाहिये।
- यह विशेष रूप से वस्तु या सेवाओं के स्रोत के रूप में किसी विशेष व्यवसाय की पहचान करने वाले मूल के बैज के रूप में कार्य करता है।
- एक पंजीकृत ब्रांड के समान या भ्रामक रूप से समान चिह्न का अनधिकृत उपयोग ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाता है।
- एक चिह्न को मज़बूत तब कहा जाता है जब वह प्रसिद्ध हो और उसने उच्च कोटि की ख्याति प्राप्त कर ली हो।
- किसी भी ट्रेडमार्क की सुरक्षा का स्तर मार्क की मज़बूती के साथ बदल जाता है, चिह्न जितना मज़बूत होगा, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी।

ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ई-स्पोर्ट्स को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया और अनुरोध किया कि खेल मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय "बहुखेल आयोजनों में ई-स्पोर्ट्स" को शामिल करें।

- राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के तहत भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिये नियम बनाने और उक्त कार्य का मंत्रियों के बीच आवंटन हेतु अधिकार प्राप्त है।
- गजट अधिसूचना के अनुसार, ई-स्पोर्ट्स अब भारत में "बहुखेल आयोजन" श्रेणी का हिस्सा होगा।

ई-स्पोर्ट्स:

- **परिचय:**
  - ई-स्पोर्ट्स (इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स) एक प्रतिस्पर्द्धी खेल है जहाँ गेमर्स वर्चुअल, इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं।
  - उदाहरण: काउंटर स्ट्राइक, लीग ऑफ लेजेंड्स ओवरवॉच, फोर्टनाइट, DOTA 2।
  - वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में शामिल किये जाने के बाद से बहु-विषयक आयोजनों के ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने की मांग बढ़ रही थी।
  - हालाँकि इसने ई-स्पोर्ट के प्रति उत्साही लोगों को बढ़ावा दिया और भारत में ई-स्पोर्ट्स के प्रति उत्साही लोगों के लिये काफी उत्साहजनक और सकारात्मक रूप में सामने आया है।
  - भारत ने वर्ष 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, जहाँ ई-स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन शीर्षक (Demonstration Title) के रूप में शामिल किया गया था।
  - इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) से खेल मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि एशिया की ओलंपिक परिषद (OCA), राष्ट्रमंडल खेलों आदि के साथ-साथ अन्य खेलों की सर्वोच्च संस्था है।
    - IOC ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले वर्चुअल ओलंपिक सीरीज़ (एस्पोर्ट्स टूर्नामेंट) का आयोजन किया;
    - ई-स्पोर्ट्स को वर्ष 2007 से OCA आयोजनों में शामिल किया गया है। ई-स्पोर्ट्स एशियाई खेल 2022 में एक मेडल स्पोर्ट्स है।
  - ई-स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने घोषणा की है कि सिंगापुर जून 2023 में ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक के उद्घाटन की मेज़बानी करेगा।
    - 23 जून, 1894 को IOC की स्थापना की गई थी और यह ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
- **नोडल मंत्रालय:**
  - युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग द्वारा ई-स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा।
    - जबकि 'ऑनलाइन गेमिंग' की देख-रेख MEITY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा की जाएगी।
- **खेल के रूप में ई-स्पोर्ट की मान्यता:**
  - अब तक अमेरिका, फिनलैंड और जर्मनी ने ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में स्वीकार कर लिया है।
  - ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देने वाले पहले देश (दक्षिण कोरिया के साथ) चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। रूस, इटली, डेनमार्क और नेपाल भी इसमें शामिल हो गए हैं।
  - यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर सितंबर 2020 में ई-स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता दी।

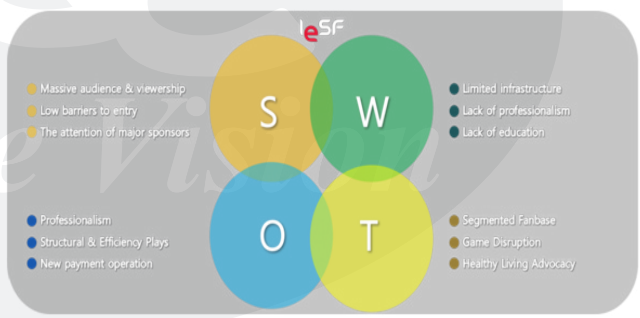

प्रलय मिसाइल

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी 'शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक सरफेस-टू-सरफेस' (SRBM) मिसाइल प्रलय की खरीद को मंज़ूरी दी है, जो भारतीय सेना को उसकी युद्ध लड़ने की क्षमताओं हेतु सशक्त बनाएगी।

नोट :

प्रलय मिसाइल:

- **परिचय:**
  - प्रलय' भारत की पहली पारंपरिक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है।
    - एक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपवक्र कम होता है और यद्यपि यह काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल के समान ही होती है, यह उड़ान के दौरान 'मनूवर' (Maneuver) में सक्षम होती है।
    - बैलिस्टिक मिसाइलों को शुरू में चरणों में एक रॉकेट या रॉकेट की शृंखला द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन फिर यह एक शक्तिहीन प्रक्षेपवक्र का पालन करता है जो उच्च गति पर अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने के लिये नीचे की ओर झुकता है।
  - मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम है और हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद यह अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है।
- **विशेषताएँ:**
  - यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित है।
  - मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
  - इसकी तुलना चीन के डोंग फेंग 12 और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में इस्तेमाल की गई रूसी इस्कंदर मिसाइल से की जा सकती है।
  - यह लगभग 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक के पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है, जो इसे और भी घातक बनाता है।
  - यह एक उच्च विस्फोटक पूर्वनिर्मित विखंडन आयुध, प्रवेश-सह-विस्फोट (penetration-cum-blast- PCB) और रनअवे डिनायल पेनेट्रेशन सबम्युनिशन ले जा सकती है।
- **रेंज:**
  - इस मिसाइल की रेंज 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है।
  - 'प्रलय' सेना की सूची में सतह-से-सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी।
    - सेना के पास अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भी है, जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से अधिक है।
- **महत्त्व:**
  - यह भारत की पहली सामरिक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है और सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों व प्रमुख प्रतिष्ठानों को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करेगी।
  - प्रलय, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के साथ भारत की नियोजित रॉकेट फोर्स योजना का आधार बनेगी।
  - यह सामरिक युद्धक्षेत्र की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देगी और भारत के पास लंबी दूरी की दो पारंपरिक मिसाइलें होंगी।
- ब्रह्मोस एक क्रूज़ मिसाइल विकल्प होगा, जबकि 'प्रलय' एक बैलिस्टिक मिसाइल विकल्प होगा।

बैलिस्टिक मिसाइल बनाम क्रूज़ मिसाइल

बैलिस्टिक मिसाइल	क्रूज़ मिसाइल
इसमें प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेपवक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध तथा कोरिओलिस बल पर निर्भर करती है।	यह तुलनात्मक रूप से गति के लिये सीधे प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है।
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुन: उसमें प्रवेश करती है।	इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है।
लंबी दूरी की मिसाइलें (300 किमी. से 12,000 किमी. तक)	कम दूरी की मिसाइलें (1000 किमी. तक की रेंज)
उदाहरण: पृथ्वी-I, पृथ्वी-II, अग्नि-I, अग्नि-II और धनुष मिसाइलें।	उदाहरण: ब्रह्मोस मिसाइल

प्रसाद योजना

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में 'भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास' परियोजना की आधारशिला रखी।

- रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर में 'तीर्थयात्रा और विरासत बुनियादी ढाँचे का विकास' नामक एक अन्य परियोजना भी बाद में शामिल की गई।
- इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंज़ूरी दी गई है।

मंदिरों की प्रमुख विशेषताएँ:

- **भद्राचलम मंदिरों का समूह:**
  - भद्राचलम के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है और यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है।
  - ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय भद्राचलम मंदिर के पास दंडकारण्य वन के एक हिस्से परनासाल नामक गाँव में व्यतीत किया था।

- मंदिरों का यह समूह गोदावरी नदी के बाएँ तट पर स्थित है।

- **रामप्पा मंदिर:**
  - भगवान शिव का रामप्पा मंदिर वास्तुकला प्रतिभा का एक आदर्श उदाहरण है, जिसे 1213 ईस्वी में काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
  - यह विरासत मंदिर प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है तथा पर्यटक सर्किट के बीच उच्च दृश्यता रखता है।

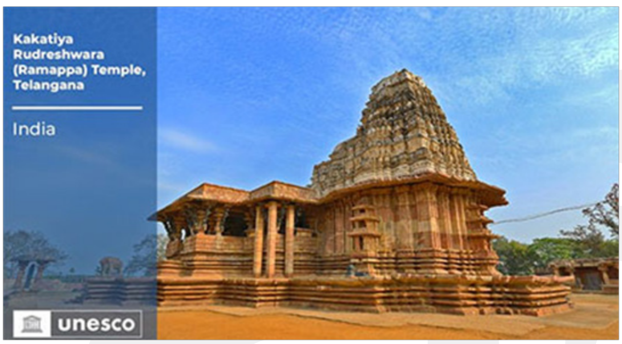

'प्रसाद' (PRASHAD) योजना:

- **परिचय:**
  - पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive'- PRASAD)' शुरू किया गया था।
  - अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive- PRASHAD) राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
    - आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय (HRIDAY) योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद (PRASHAD) योजना में शामिल किया गया।
  - प्रसाद योजना के तहत विकास के लिये कई धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है जैसे- अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहित ज़िला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार) आदि।

- **कार्यान्वयन एजेंसी:**
  - इस योजना के तहत चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

- **वित्तपोषण तंत्र:**
  - केंद्र सरकार सार्वजनिक वित्तपोषण के लिये शुरू किये गए परियोजना घटकों हेतु 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
    - यह योजना इसके अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की बेहतर स्थिरता के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक धन का लाभ उठाने का प्रयास करती है।

सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक नई सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने की दिशा में भारत में शहरों एवं वार्डों द्वारा किये गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा पहचानने के लिये एक 'शहर सौंदर्य प्रतियोगिता (City Beauty Competition)' पहल भी शुरू की गई है।

सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022:

- **परिचय:**
  - सभी भाग लेने वाले शहरों का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों में 15 संकेतकों पर किया जाएगा,

अर्थात्:
- संसाधन जुटाना
- व्यय प्रदर्शन
- राजकोषीय शासन

- **निम्नलिखित चार जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत शहरों को उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंक प्रदान किया जाएगा:**
  - 4 मिलियन से अधिक
  - 1-4 मिलियन के बीच
  - 100,000 से 1 मिलियन
  - 100,000 से कम
- प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/राज्य क्लस्टर में पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा।

- **महत्त्व:**
  - यह शहरों के वित्तीय प्रदर्शन में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहाँ वे और सुधार कर सकते हैं।
  - यह नगरपालिका वित्त सुधारों को लागू करने के लिये शहर/राज्य के अधिकारियों और निर्णयकर्त्ताओं को प्रेरित करेगा।
  - यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम करेगा तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेगा।
  - राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यह रैंकिंग नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त परिणामों को व्यक्त करने के साथ प्रमुख नीति निर्माताओं को शहरी स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

जीएनपीए अनुपात

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात, जो सितंबर 2022 में कम होकर सात वर्ष के निचले स्तर 5.0% पर आ गया, के सितंबर 2023 तक 4.9% तक सुधरने की उम्मीद है।

- हालाँकि यदि व्यापक आर्थिक वातावरण एक मध्यम या गंभीर तनाव परिदृश्य में बदलता है तो GNPA अनुपात क्रमशः 5.8% और 7.8% तक बढ़ सकता है।

अन्य अवलोकन:

- सकल अग्रिम के लिये GNPA का अनुपात मार्च 2022 में 5.9% था। सितंबर 2022 तक शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NNPA) अनुपात दस वर्ष के निचले स्तर 1.3% पर था जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक (PVB) NNPA अनुपात 1% से नीचे था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSB) का GNPA अनुपात सितंबर 2022 में 6.5% से बढ़कर सितंबर 2023 में 9.4% हो सकता है, जबकि यह PVB के लिये 3.3% से बढ़कर 5.8% और गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत विदेशी बैंकों (Foreign Banks- FB) के लिये 2.5% से 4.1% हो जाएगा।
- बेंचमार्क परिदृश्य के तहत प्रमुख बैंकों के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio- CRAR) के लिये कुल पूंजी सितंबर 2022 से सितंबर 2023 में 15.8% से 14.9% होने का अनुमान है।
- बेंचमार्क परिदृश्य के तहत कुछ बैंकों का कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) पूंजी अनुपात सितंबर 2022 के 12.8% से घटकर सितंबर 2023 तक 12.1% हो सकता है।

प्रमुख शब्दावली:

- **GNPA:** ये संपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्होंने वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया था लेकिन ऋण नही चुकाया है।
- समष्टि पर्यावरण (Macro-environment): यह संदर्भित करता है कि मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियाँ जिसमें कोई कंपनी या क्षेत्र संचालित होता है, किस प्रकार इनके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
  - समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रोइकोनॉमिक्स) निजी उद्योगों और बाज़ारों के विपरीत एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, खर्च और मूल्य स्तर से संबंधित होता है।
- **NNPA:** यह वह प्रावधान राशि है जो गैर-निष्पादित संपत्तियों से घटाने के बाद वसूल की जाती है
- **CRAR:** पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR), जिसे CRAR के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
  - CAR बैंक द्वारा व्यक्त की गई उपलब्ध पूंजी का एक मापन है जो कि बैंक के ज़ोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।
- **CET1:** इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं और इसलिये शेयर की कीमतों का प्रदर्शन बैंकों के प्रदर्शन से संबंधित होता हैं। इनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती है।
  - बेसल-III मानकों के अनुसार, बैंकों की नियामक पूंजी को टियर 1 और टियर 2 में बाँटा गया है, जबकि टियर 1 को कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) और अतिरिक्त टियर-1 (Additional Tier1- AT-1) पूंजी में विभाजित किया गया है।

गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रुप में हैं अथवा मूलधन या ब्याज़ के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
- किसी परिसंपत्ति के अनर्जक/गैर-निष्पादित रहने की अवधि और बकाया ऋण एकत्र करने की क्षमता के आधार पर बैंकों को गैर-निष्पादित संपत्तियों को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है:
  - **सब-स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ:** वह परिसंपत्ति जिसे 18 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ:** वह परिसंपत्ति जो 18 महीने से अधिक की अवधि के लिये गैर-निष्पादक रही है।
  - **नुकसान वाली परिसंपत्तियाँ:** ये परिसंपत्तियाँ बैंक, लेखा परीक्षक या निरीक्षक द्वारा पहचाने गए घाटे वाले ऋण हैं जिन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिये।

स्टे सेफ ऑनलाइन एंड जी20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस

भारत के G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने "स्टे सेफ ऑनलाइन" अभियान और "G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस" (G20-DIA) लॉन्च किया है।

स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान:

- 'स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान' का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाने के कारण ऑनलाइन विश्व में सुरक्षित रहने हेतु नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि और तीव्र गति से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य ने अनूठी चुनौतियाँ पेश की हैं।
- यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, शिक्षकों, संकाय, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों आदि को साइबर ज़ोखिम और इससे निपटने के तरीकों से अवगत कराएगा।
- अधिक-से-अधिक लोगों तक इस अभियान की पहुँच के लिये इसे अंग्रेज़ी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।
- अभियान में इन्फोग्राफिक्स, कार्टून कहानियों, पहेलियों, लघु वीडियो आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री का प्रसार शामिल है।

G20 ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन एलायंस प्रोग्राम (G20-DIA):

- इसका उद्देश्य G20 देशों के साथ-साथ आमंत्रित गैर-सदस्य देशों को स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानने और अपनाने में सक्षम बनाना है।
- यह छह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों यानी एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकॉनमी में मानवता की ज़रूरतों को पूरा करने की परिकल्पना करता है।
    - डिजिटल पब्लिक गुड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सक्षम इन छह क्षेत्रों में स्टार्टअप उत्पाद वैश्विक जनसंख्या-पैमाने पर प्रभाव पैदा कर सकते हैं और डिजिटल विभाजन को कम कर सकते हैं एवं टिकाऊ तथा समावेशी तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर सकते हैं।
- इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेशन, इनवेस्टर्स, मेंटर्स और अन्य इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स के जुड़ाव से उस प्लेटफॉर्म की तेज़ी से स्वीकार्यता बढ़ेगी, जिसे भारत G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (G20-DIA) के माध्यम से पेश करने की योजना बना रहा है।

प्रहरी एप

हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force-BSF) के जवानों के लिये 'प्रहरी' (Prahari) मोबाइल एप लॉन्च किया।

- इसके साथ ही मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा संगठन के प्रशासन, प्रशिक्षण और संचालन की समझ बढ़ाने के हेतु 13 BSF मैनुअल (नियमावली) के संशोधित संस्करण को भी जारी किया।
- ये मैनुअल BSF जवानों के कार्यों को गति देने में सहायक होंगे। ये सभी रैंक के BSF जवानों और अधिकारियों के कार्यों को सरल बनाएंगे।

एप की प्रमुख विशेषताएँ:

- 'प्रहरी' एप के माध्यम से जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी एवं आवास, आयुष्मान- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces- CAPF) तथा अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **एप की अन्य विशेषताएँ:**
    - बायोडाटा की उपलब्धता
    - "केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली" (CP-GRAMS) पर शिकायत निवारण
    - विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
- एप जवानों को गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा।

सीमा सुरक्षा बल (BSF):

- भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में BSF का गठन किया गया था।
- यह गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।
    - **अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं:** असम राइफल्स (AR), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर 2.65 लाख सैनिक तैनात हैं।
    - यह भारतीय सेना के साथ भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा (LOC) पर और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात है।
- इसमें एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट है।

नोट :

- BSF अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा जैसी भौगोलिक स्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान कर रही है।
- कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराने में राज्य प्रशासन की मदद करने में BSF की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- BSF प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी सुरक्षा प्रदान करती है ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके।

- यह हर साल अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा दल भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को समर्पित सेवाओं में योगदान देता है।
- इसे भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है।
- सीमा सुरक्षा बल को एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

तितलियों का अनुकूलन और उद्विकास प्रक्रियाएँ

एक नए अध्ययन में तितलियों के अनुकूलन और विकास प्रक्रियाओं के कई रोचक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

- यह अध्ययन कर्नाटक के पश्चिमी घाट में तितलियों की कई प्रजातियों और उनके अनुकरणीय प्रवृत्तियों पर किया गया था।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु:

- **निष्कर्षों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया:**
  - **प्रतिरूप प्रजातियाँ:** वे प्रजातियाँ जो परभक्षियों के लिये विषैली होती हैं।
  - **बेट्सियन अनुहरण प्रजातियाँ:** वे प्रजातियाँ जो शिकारियों से बचने के लिये अनपेक्षित प्रजातियों (ज़हरीली) जैसे लक्षण विकसित करती हैं।
  - **गैर-अनुकरणीय प्रजातियाँ:** वे जो बेट्सियन अनुहारक के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करती हैं लेकिन उनमें नकल/अनुहारक की विशेषता का अभाव होता है।
- "स्वादहीन को प्रतिरूप कहा जाता है और स्वादिष्ट को अनुहारक कहा जाता है।
- अनुहरण का उपयोग करने वाली तितलियाँ उन प्रजातियों की तुलना में तेज़ी से विकसित होती हैं जो अनुहरण का उपयोग नहीं करती हैं।
- बेट्सियन अनुहारक, समान पंख रंग पैटर्न और उड़ान व्यवहार विकसित करके शिकारियों से बचने के लिये अनुकूल होती हैं।
- विश्लेषणों से पता चला है कि न केवल रंग पैटर्न बहुत तेज़ दर से विकसित हुए थे, बल्कि अनुहरण वाले समुदायों के सदस्य अपने नज़दीकी फैमिली की तुलना में तेज़ दर से विकसित हुए थे।
  - तितलियाँ रंग और रंग पैटर्न की एक विस्तृत शृंखला प्रदर्शित करती हैं, जो यह दर्शाती है कि पंखों के पैटर्न और रंजक अंतर्निहित आनुवंशिक संरचना अपेक्षाकृत लचीली/नम्य तथा अनुकूलन के लिये अतिसंवेदनशील है।

पश्चिमी घाट:

- **परिचय:**
  - पश्चिमी घाट पहाड़ों की एक शृंखला से मिलकर बना है जो भारत के पश्चिमी तट (Western Coast) के समानांतर विस्तृत है और केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृतहै।
- **महत्त्व:**
  - पश्चिमी घाट भारतीय मानसून के मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित हैं।
  - वे दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा-युक्त मानसूनी हवाओं के लिये एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं।
  - पश्चिमी घाट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ-साथ विश्व स्तर पर संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का निवास स्थान भी है।

पंडित मदन मोहन मालवीय

मदन मोहन मालवीय

(25 दिसंबर, 1861 - 2 नवंबर, 1946)

"शिक्षाविद, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्त्ता"
महात्मा गांधी द्वारा 'महामना' और डॉ. एस. राधाकृष्णन द्वारा 'कर्मयोगी' की उपाधि

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- वह नरमपंथी एवं गरमपंथी दोनों के बीच की विचारधारा के नेता थे
- नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) में भाग लिया
- चार सत्रों (1909, 1913, 1919 और 1932) के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष चुने गए

प्रमुख योगदान:

- 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा को समाप्त करने में
- वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना
- 11 वर्ष (1909-1920) तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य
- पद 'सत्यमेव जयते' शब्द को लोकप्रिय बनाया
- ब्रिटिश-भारतीय न्यायालयों में देवनागरी का प्रवेश
- वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका
- वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना

पत्रकारिता:

- अभ्युदय (हिंदी साप्ताहिक) और मर्यादा (हिंदी मासिक)
- हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष

सम्मान:

- भारत रत्न (2014)
- वाराणसी-नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस (2016)

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

नोट :

साहित्य अकादमी पुरस्कार

साहित्य अकादमी पुरस्कार

ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान-वर्ष 1954 में स्थापित

प्रदान किया जाता है:

- साहित्य अकादमी – नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा

पुरस्कार

- मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिये 24 पुरस्कार (8वीं अनुसूची से 22 + अंग्रेजी और राजस्थानी)
- इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये 24 पुरस्कार

पुरस्कार के लिये मानदंड:

- लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिये।
- पुरस्कार के लिये पात्र पुस्तक/रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिये।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022

- **भाषा सम्मान:** संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिये दिया जाता है
  - उदय नाथ झा को सम्मानित (पूर्वी क्षेत्र में शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य में बहुमूल्य योगदान) किया गया है
- **अनुवाद के लिये चुनी गई पुस्तकें:** **याद वाशेम** (एन. नल्लथम्बी), **अकुपचा कविथलु** (वरला आनंद) + 15 और

महत्त्वपूर्ण विजेता	कार्य
अनुराधा राय	ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड (अंग्रेजी उपन्यास)
बद्री नारायण	तुमड़ी के शब्द (हिंदी काव्य पुस्तक)
श्री राजेंद्रन	काला पानी (तमिल उपन्यास)
प्रवीण बांदेकर	उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या (मराठी उपन्यास)
अनीस अशफाक	ख्वाब सरब (उर्दू उपन्यास)
मनोज कुमार गोस्वामी	भूल सत्य (असमिया)

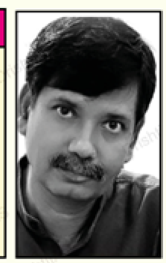

अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार

- **साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार:** बाल साहित्य में लेखक के कुल योगदान के आधार पर।
  - 2022 के विजेता – हपन माई के लिये गणेश मरांडी (संथाली में पुस्तक)
- **साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार:** यह 35 वर्ष और उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।
  - 2022 के विजेता – मी संदर्भ पोखरतोय (मराठी कविता) के लिये पवन नलत

नोट :

रैपिड फायर

विजय दिवस

वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस (Vijay Diwas) मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विजय दिवस के 52 वर्ष पूरे हो गए हैं और सरकार इस अवसर को मनाने के लिये 'स्वर्णिम विजय वर्ष' कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सभी सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथ ही यह स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है जिन्होंने शांति अभियानों में बलिदान दिया। भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। यह युद्ध भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों तक लड़ा गया था। 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93 हज़ार सैनिकों ने संयुक्त सेना के समक्ष बिना शर्त समर्पण कर दिया था। मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना के विरुद्ध लड़े थे। यह एक गुरिल्ला प्रतिरोध आंदोलन था। इसी दिन बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। इसलिये बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस (बिजोय डिबोस) मनाता है।

एम्स, नई दिल्ली 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित

राजधानी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते या तंबाकू चबाते पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्स, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी गई है। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहें। एम्स, नई दिल्ली (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, दिल्ली) एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। अन्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल और नवनिर्मित एम्स नागपुर हैं।

हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022

हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 जारी की गई है, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है। हुरुन ग्लोबल 500 सूची विश्व की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान गैर-राज्य नियंत्रित कंपनियों का आकलन है। इसे हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में कंपनियों को उनके बाज़ार पूंजीकरण (सूचीबद्ध) और मूल्यांकन (गैर-सूचीबद्ध) के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है। हुरुन ग्लोबल 500 सूची के 2022 संस्करण में भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुँच गया है। देश में 20 कंपनियाँ हैं जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इन 20 कंपनियों में से 11 मुंबई में, 4 अहमदाबाद में और 1-1 नोएडा, नई दिल्ली, बंगलूरू और कोलकाता में स्थित हैं। 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के पास 139 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यूएशन है। 260 कंपनियों के साथ इस सूची में अमेरिकी कंपनियाँ शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता हैं। 35 कंपनियों के साथ चीन दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।

आइएनएस मोरमुगाओ

स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक 'आइएनएस मोरमुगाओ (INS Mormugao)' को 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत सेंसर, आधुनिक रडार प्रणाली और सतह\-से-सतह पर और सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से पूरी तरह लैस है। इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, रक्षा मंत्री मुंबई में इस युद्धपोत का जलावतरण करेंगे। इसका नाम पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा के बंदरगाह शहर पर रखा गया है। यह पोत पहली बार 19 दिसंबर, 2021 को समुद्र में उतरा था, यह दिवस पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष का प्रतीक है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत इस स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण मझगाँव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह युद्धपोत परमाणु, जैविक सहित रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है।

एस्केप टनल टी-49

उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। यह सुरंग दक्षिण की ओर सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग टी-50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गाँव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 04 को जोड़ती है। भारतीय रेलवे का प्रयास है कि रेल नेटवर्क को बेहतर तरीके के साथ आम यात्रियों के लिये तैयार किया जाए। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (USBRL) के कटरा-बनिहाल सेक्शन पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच भारत ने सबसे लंबी एस्केप टनल टी-49 का निर्माण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लाइन और लेबल को सटीकता के साथ हासिल किया। टनल टी-49 एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग (12.75 किलोमीटर) और एस्केप टनल (12.895 किलोमीटर) है तथा यह 33 क्रॉस पैसेजों से जुड़ी है। इसकी फाइनल लाइनिंग का कार्य तेज़ गति से चल रहा है। वास्तव में

नोट :

इसका निर्माण आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव और राहत कार्यों के लिये किया जाता है। एस्केप सुरंग हिमालय पर्वत के रामबन फॉर्मेशन के साथ-साथ खोड़ा, हिंगनी, पुंदन, नालों जैसी चिनाब नदी की विभिन्न सहायक नदियों/नालों के समनांतर गुज़रती है।

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

भारत समेत पूरे विश्व में जातीय अल्पसंख्यकों के लिये स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखने तथा अल्पसंख्यकों के सम्मान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को 'विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विभिन्न जातीय मूल के अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर को 'विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, को बनाए रखने का अधिकार होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर, 1992 को धार्मिक या भाषायी राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य (Statement) को अपनाया था। भारत में इस दिवस का आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस

18 दिसंबर को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस' मनाया जाता है। विश्व भर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में 18 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस' के रूप में नामित किया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी दिवस पर वर्ष 1990 में सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को भी अपनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जून 2022 तक (जिसके लिये अंतिम डेटा उपलब्ध है) भारत छोड़ने वाले प्रवासियों की संख्या 1,89,000 है जिसमें से आधे से अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की संयुक्त संख्या 98,321 थी। यद्यपि बहुत से लोग अपनी इच्छा से पलायन करते हैं, किंतु अधिकांश लोगों को आर्थिक चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक गरीबी और संघर्ष जैसे कारणों के चलते मजबूर होकर पलायन करना पड़ता है। ज्ञात हो कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को 'प्रवासी भारतीय दिवस' का आयोजन किया जाता है।

गोवा मुक्ति दिवस

गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष '19 दिसंबर' को मनाया जाता है। हालाँकि भारत को 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। 19 दिसंबर, 1961 को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय अभियान' शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। यह दिन उस अवसर को चिह्नित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजेदिवा द्वीप (गोवा का एक हिस्सा) तक ही सीमित रहे। 15 अगस्त, 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुँच गया। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया। 30 मई, 1987 को इस क्षेत्र के विभाजन के साथ गोवा का गठन हुआ तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस (Statehood Day of Goa) के रूप में मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस

प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस (International Human Solidarity Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनेकता में एकता का जश्न मनाना और एकजुटता के महत्त्व के बारे में जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा के अनुसार, एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हेतु आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर, 2005 को संकल्प 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी, जो इक्कीसवीं सदी में विभिन्न जनसमुदायों के बीच संबंधों को दर्शाता है और इसी कारण प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। एकजुटता को साझा हितों और उद्देश्यों के बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक समाज में एकता संबंधी मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है। हेल्प4ह्यूमेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भारतीयों को एकता के सूत्र में बाँधने की पहल की है। यह संस्था हमेशा से देश में शांति, एकता और भाईचारे की भावना के प्रसार हेतु अग्रणीय भूमिका अदा करती रही है।

मोटा अनाज खाद्य उत्सव

मोटे अनाज के महत्त्व के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिये कृषि मंत्रालय 20 दिसंबर, 2022 को संसद में सदस्यों के लिये मोटा अनाज

खाद्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। विश्व में अभी तक जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि को देखते हुए वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी आबादी के भोजन के लिये मोटे अनाज सस्ता और पौष्टिक विकल्प हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय खाद्य और किसान कल्याण मंत्री ने मोटे अनाज के उत्पादन का अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आयोजन एवं मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से वर्ष 2030 के सतत् विकास के एजेंडे में भी योगदान मिलेगा। मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। कृषि-जलवायु क्षेत्र, फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिये उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई है। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर (Finger) बाजरा और अन्य कुटकी (Small Millets) जैसे- कोदो (Kodo), फॉक्सटेल (Foxtail), प्रोसो (Proso) और बार्नयार्ड (Barnyard) एक साथ मोटे अनाज कहलाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का और छोटे बाजरा (बार्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो बाजरा और फॉक्सटेल बाजरा) को पोषक-अनाज भी कहा जाता है।

पाणिनी के 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियम का डीकोड

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के PhD छात्र डॉ. ऋषि राजपोपत ने 2500 वर्ष पुराने अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल किया है। ऋषि राजपोपत ने अपनी थीसिस, जिसका शीर्षक था 'इन पाणिनि, वी ट्रस्ट: डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम फॉर रूल कंफ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी', के साथ सफलता हासिल की है। इसे छठी या पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत के महान विद्वान पाणिनी ने लिखा था। 4000 सूत्रों वाला अष्टाध्यायी संस्कृत के पीछे के विज्ञान की व्याख्या करता है। अष्टाध्यायी में मूल शब्दों से नया शब्द बनाने के नियम मौजूद हैं। पाणिनि एक सम्मानित संस्कृत विद्वान, भाषाविद् और वैयाकरण थे, जो भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहते थे। उन्हें "प्रथम वर्णनात्मक भाषाविद्" माना गया है और पश्चिमी विद्वानों द्वारा "भाषा विज्ञान के जनक" के रूप में स्थापित किया गया है। उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण कृतियों में अष्टाध्यायी है, एक व्याकरण जो अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को परिभाषित करता है। इसे संस्कृत के हर पहलू को नियंत्रित करने वाले बीजगणितीय नियमों के साथ एक निर्देशात्मक और जनरेटिव व्याकरण माना जाता है। व्याकरण की इतनी गहनता है कि सदियों से विद्वान इसके नियमों एवं उपनियमों के सही अनुप्रयोग पर काम नहीं कर पाए हैं।

पहला ग्रीन स्टील ब्रांड

इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा का शुभारंभ किया। अपनी तरह के पहले इस्पात का विनिर्माण पुणे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप ने किया है। इसके लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस्पात विनिर्माण की इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इस्पात मंत्री के अनुसार, यह इस्पात उद्योग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। ग्रीन स्टील के विनिर्माण को जारी रख भारत इस क्षेत्र के देशों में अग्रणी हो गया है जो कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने को प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा ग्रीन स्टील का विनिर्माण कई देशों के लिये प्रेरणा का स्रोत बनेगा और इसके विनिर्माण तथा इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में अग्रसर होगा।

डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने डाटास्मार्ट सिटीज़: एम्पावरिंग सिटीज़ थ्रू डाटा यानी डाटा के ज़रिये शहरों के सशक्तीकरण के लिये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन को आँकड़े साझा करने और सामाजिक-आर्थिक विकास में इनके इस्तेमाल की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। डाटास्मार्ट सिटीज़ पहल डाटा आधारित मज़बूत तंत्र बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। यह शहरों को प्रमाण-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य आँकड़ों के बेहतर उपयोग से भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। भारत को डिजिटल माध्यम से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये अपनाई जा रही डिजिटल पहल को बढ़ावा देने तथा डिजिटल क्षेत्र में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत में वर्ष 2009 में शुरू किये गए अद्वितीय पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित किये जाते हैं।

रामानुजन स्मृति दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसे रामानुजन स्मृति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है जिनका जन्म 22 दिसंबर, 1887 को हुआ था। 22 दिसंबर, 2012 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने चेन्नई में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगाँठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष एवं उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। गणित का मानवता के विकास में बड़ा महत्त्व है। इस महत्त्व के प्रति लोगों के बीच जागरुकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इलाहाबाद स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोगों और रामानुजन पर कार्यशाला का आयोजन करती है।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र

रूसी सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम, रोसेटम ने कुडनकुलम परमाणु

ऊर्जा संयंत्र को अधिक उन्नत ईंधन विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में TVS-2M फ्यूल एसेंबली के उपयोग से दूसरी इकाई में अभी उपयोग किये जा रहे UTVS फ्यूल एसेंबली के साथ 12 महीने के प्रचालन चक्र के स्थान पर 18 महीने का प्रचालन चक्र संचालित हो सकेगा। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (KKNPP) भारत के तमिलनाडु राज्य के कुडनकुलम में स्थित है। इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिट (KKNPP 1 तथा 2) हैं। पहले यूनिट ने 22 अक्तूबर, 2013 से विद्युत ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करना आरंभ किया। दूसरी तरफ कुडनकुलम क्षेत्र में सैकड़ों पवन चक्कियाँ भी हैं, जिनमें से आठ परमाणु संयंत्र आधारित हैं। इन पवन टर्बाइनों की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है और भारत में सबसे बड़े पवन फार्मों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल

भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइज़िंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिये नामित किया गया है। पुरस्कार के लिये चयनित अन्य पाँच महिलाओं में जापान की नोनोका ओज़ाकी, अमेरिका की एमिट एलोर, स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल हैं। अगस्त 2022 में विश्व अंडर ट्वेन्टी कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिला कर पंघल ने कीर्तिमान बनाया था। इससे पहले 44 बार की जूनियर विश्व स्पर्द्धा में छह भारतीय पहलवान फाइनल में पहुँचे थे लेकिन किसी ने भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। अंतिम पंघल हरियाणा के हिसार ज़िले के भगाना गाँव की रहने वाली हैं। अंतिम पंघल ने एशिया अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा वर्ल्ड अंडर 17 में कांस्य और एशिया अंडर 23 में सिल्वर पदक हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में अंतिम पंघल, जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) शौकिया कुश्ती के खेल के लिये अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, इसका कार्य ओलंपिक में कुश्ती का संचालन करना है। इसके अलावा ग्रीको-रोमन कुश्ती, फ्रीस्टाइल कुश्ती, ग्रेपलिंग सहित कुश्ती के विभिन्न रूपों के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता करता है। UWW का प्रमुख खेल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। इसे पहले FILA के नाम से जाना जाता था।

राष्ट्रीय किसान दिवस

समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिये भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। भारत गाँवों का देश है, जहाँ की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में 'राष्ट्रीय किसान दिवस' भारत के आम नागरिकों को किसानों की समस्याओं को जानने, समझने और वार्ता करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर, 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले मंल हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा। वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पर कार्य किया, साथ ही महत्त्वपूर्ण पदों पर रहते हुए किसानों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ लागू कीं, उन्हें उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। चरण सिंह ने ज़मींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखीं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

देश में उपभोक्ताओं के महत्त्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" मनाया जाता है। भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में शिक्षित लोग भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नज़र आते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये प्रतिवर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम 'निष्पक्ष डिजिटल वित्त (Fair Digital Finance)' है। इस थीम का उद्देश्य डिजिटल वित्तीय सेवाओं से निपटने हेतु एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करना है। डिजिटल भुगतान में बढ़ोत्तरी के साथ इससे संबंधित जोखिम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन शॉपिंग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स संबंधी नियम बनाए हैं। जिसमे सरकार ई-कॉमर्स साइट्स पर कई सख्त कानूनी प्रावधान लागू करती है। इस नियम को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) अधिनियम, 2020 कहा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे- दोषयुक्त सामान, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है।

भारतवंशी रिचर्ड वर्मा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो. बाइडन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिचर्ड आर. वर्मा को अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप-मंत्री नियुक्त किया है। रिचर्ड वर्तमान में मुख्य विधिक अधिकारी और मास्टर कार्ड में वैश्विक लोक नीति के प्रमुख हैं। वे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में भारत में अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक मंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व रिचर्ड वर्मा अमेरिकी सीनेट हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेमोक्रेटिक व्हिप, और अमेरिकी सीनेट में मेज़ोरिटी नेता भी रहे हैं। इसके अलावा रिचर्ड वर्मा अमेरिकी वायु सेना में कार्यरत रहे हैं और उन्हें प्रतिष्ठित सेवा पदक सहित कई पदकों से

सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति के सतर्कता सलाहकार बोर्ड में भी अपनी सेवाएँ दी हैं और वे सामूहिक विनाश तथा आतंकवाद निवारण आयोग के सदस्य भी रहे हैं। वह फोर्ड फाउंडेशन सहित कई अन्य बोर्ड के ट्रस्टी हैं। इनमें नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड लेहिग यूनिवर्सिटी भी शामिल है।

हॉकी विश्वकप

ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने जा रहे FIH ओडिसा हॉकी पुरूष विश्वकप के लिये 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम ग्रुप-डी में है जिसमें इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स की टीमें भी शामिल हैं। प्रतियोगिता में हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम का नेतृत्त्व करेंगे और अमित रोहिदास टीम के उप कप्तान होंगे। टीम में शामिल अन्य खिलाड़ी हैं- विवेक सागर प्रसाद, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, अभिषेक, सुखजीत सिंह, राजकुमार पाल, जुगराज सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक, श्रीजेश परातू रविन्द्रन, जमनप्रीत सिंह और सुरेन्द्र कुमार। टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन से खेलेगा। यह मैच राउरकेला के बिरसामुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (International Hockey Federation- FIH) द्वारा संचालित किया जाता है। पुरुष विश्वकप के अलावा महिला विश्वकप का भी आयोजन किया जाता है जिसकी वर्ष 1974 से शुरुआत हुई। महिला विश्व कप महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्त्वधान में आयोजित किया जाता है। हॉकी विश्व कप के 52 वर्ष के इतिहास में भारतीय टीम सिर्फ एक बार खिताब जीत पाई है। वर्ष 1975 में भारतीय टीम मलेशिया में चैंपियन बनी थी। इसके अलावा वर्ष 1973 में भारत दूसरे स्थान पर रहा था। वर्ष 1971 में हॉकी विश्व कप पहली बार आयोजित हुआ था और टीम इंडिया तीसरे स्थान पर रही थी। भारत में चौथी बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इससे पहले वर्ष 1982, 2010 और 2018 में भारत इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर चुका है। पाकिस्तान हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चार बार यह टूर्नामेंट जीता है।

वीर बाल दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरू गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 26 दिसंबर वह दिन है जब साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को क्रमश: महज 6 साल एवं 9 साल की छोटी सी उम्र में मुगल सेना द्वारा मार दिया गया था। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह तथा साहिबजादा फतेह सिंह सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्र थे। उन्होंने अपनी आस्था को त्यागने के बजाय मौत को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता एवं आदर्श लाखों लोगों को ताकत देता है। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। इस अवसर पर कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। 'साहिबजादे' की कहानियाँ सुनाने वाली झाँकी के साथ सेना का एक बैंड भी मार्च में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 बाल कीर्तनियों के नेतृत्व में "शब्द कीर्तन" में भाग लेंगे तथा दिल्ली के हज़ारों स्कूली बच्चे सोमवार को इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक मार्च पास्ट करेंगे और पूरे भारत को नन्हें साहिबजादों की शहादत का इतिहास बताएंगे।

कृत्रिम हृदय

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के विशेषज्ञों ने एक कृत्रिम हृदय (Artificial Heart) तैयार किया है, जो हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिये मददगार साबित होगा। कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट का जानवरों पर परीक्षण अगले साल शुरू होगा। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट (Heart Transplant) आसान होगा और गंभीर रोगियों में आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किये जा सकते हैं। आईआईटी कानपुर तथा देश भर के 10 वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम ने दो साल में इस कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। जानवरों पर परीक्षण फरवरी या मार्च से शुरू होगा। परीक्षण में सफलता के बाद दो वर्षों में मनुष्यों में इसका प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। हृदय रोग तेज़ी से बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है, मरीजों की परेशानी कम करने के लिये यह कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। भारत 80 प्रतिशत उपकरण और इम्प्लांट विदेशों से आयात करता है , केवल 20 प्रतिशत उपकरण एवं इम्प्लांट भारत में निर्मित किये जाते हैं।

मनानाला नल्लाथरवु मंद्रम योजना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मनानाला नल्लाथरवु मंद्रम या मनम (MANAM) योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य मेडिकल छात्रों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रोगियों के सही उपचार के लिये उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस पहल के अंतर्गत छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करने में मदद मिलेगी। इसके लिये एक हेल्पलाइन नंबर 14416 भी जारी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने इस पहल का शुभारंभ तिरुचि, पुडुकोट्टई एवं करूर ज़िलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में किया है।

मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020

केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री ने 26 दिसंबर, 2022 को भोपाल में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह 2020 के लिये खेल हस्तियों को सम्मानित किया। मलखंभ के लिये वैष्णवी कहार को स्व. प्रभाष जोशी

खेल पुरस्कार 2020 दिया गया। पद्मश्री तथा पूर्व अध्यक्ष इंदौर टेबल टेनिस संघ के अभय छजलानी को लाईफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार 2020 के लिये चुना गया है। इसके अलावा समारोह में विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार व एकलव्य पुरस्कार भी शामिल हैं, साथ ही केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया युवा खेल 2022 के लोगो का भी अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाडियों को उप-पुलिस अधीक्षक, उप-कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। खेलो इंडिया खेल में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए दिये जाएंगे। भोपाल में बरखेड़ा नाथु के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त, 2023 तक देश में एक हज़ार खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा में इसका आयोजन हो चुका है। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2023 की मेज़बानी मध्य प्रदेश को मिली है। इसका आयोजन जनवरी-फरवरी, 2023 में किया जाएगा। खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा, इसका एक खेल दिल्ली में खेला जाएगा।

मेथनॉल उत्पादन हेतु एनटीपीसी-टेक्निमोंट में समझौता

हाल ही में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (NTPC Limited) ने इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट (Maire Tecnimont) समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में NTPC की परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथनॉल उत्पादन की सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। हरित मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिये आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है। इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिये एक स्थानापन्न ईंधन भी माना जाता है। प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर NTPC की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह समझौता भारत में ऊर्जा के रूपांतरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day For Epidemic Preparedness) के रूप में चिह्नित किया। पहली बार महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर, 2020 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इससे भविष्य में COVID-19 जैसी परिस्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी। COVID-19 का मानव जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लोगों की सुरक्षा के लिये मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता है। महामारी में ज़्यादातर संक्रामक रोग शामिल हैं। इसमें कैंसर एवं हृदय रोग तथा अन्य गैर-संचारी रोग शामिल नहीं हैं। महामारी रोग की वह स्थिति है जो कम समय के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों में तेज़ी से फैलती है।

5जी सेवा

संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि 24 से 36 महीनों में देश की 80 प्रतिशत आबादी को 5जी सेवाओं के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2023 तक सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमटेड (BSNL) की 5जी सेवाएँ शुरू हो जाएगी। देश के 50 शहरों में 5जी सेवाएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक सप्ताह लगभग पाँच हज़ार नए स्थान इससे जुड़ रहे हैं। 5जी सेवाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएँगी। इस वर्ष अक्तूबर में प्रधानमंत्री ने 5जी सेवाओं का शुभारंभ किया था। 5जी प्रौद्योगिकी निर्बाध सेवा, उच्च डेटा रेट, तेज़ एवं अधिक विश्वसनीय संचार सेवाएँ प्रदान करती है। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्थापना 15 सितंबर, 2000 को भारत सरकार के दो विभागों- दूरसंचार सेवा विभाग (Department of Telecom Services-DTS) तथा दूरसंचार संचालन विभाग (Department of Telecom Operations-DTO) को सम्मिलित करके की गई थी। यह देश में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा प्रमुख कंपनी है। इसने पूरे देश के सभी शहरों के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को भी दूरसंचार से जोड़ा है।

राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप

भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निकहत ज़रीन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। फाइनल में लवलीना ने सर्विसेज़ की अरुंधति चौधरी को और निकहत ने रेलवे की अनामिका को पराजित किया। हरियाणा की मनीषा एवं स्वीटी बूरा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की साक्षी, मध्य प्रदेश की मंजू बम्बोरिया ने भी अपने-अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। रेलवे की टीम पाँच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य सहित 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। मध्य प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। विदित है कि 20 से 26 दिसंबर, 2022 तक छठवीं एलीट सीनियर राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप 2022 (पुरुष तथा महिला) का आयोजन मध्य प्रदेश की

राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे के 10 महिला खिलाडियों ने 10 विभिन्न भार वर्गों में भाग लिया, जिसमें दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे की दो प्रतिभागी (पूनम व शशि चोपड़ा) सम्मिलित थीं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 1950 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में किया गया था।

पुष्प कमल दहल

नेपाल में राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही अन्य मंत्रियों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी- एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी (The Communist Party of Nepal, Unified Marxist–Leninist -CPN-UML) के बिष्णु पाउडल, CPM के नारायण काजी श्रेष्ठ और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लामीछाने (उपप्रधानमंत्री) शामिल हैं जिन्हें शपथ दिलाई गई। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में हुए एक विशेष समारोह में कुल आठ केंद्रीय मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिष्णु पाउडल को वित्त मंत्री, नारायण काजी श्रेष्ठ को अवसंरचना और यातायात मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भंडारी, राजेन्द्र राय, और अब्दुल खान शामिल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

मणिपुर में विद्रोही समूह के साथ शांति समझौता

हाल ही में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्र (गृह मंत्रालय), मणिपुर सरकार और ज़ेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) विद्रोही समूह द्वारा हस्ताक्षर किये गए। ZUF नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज़्यादातर मणिपुर में सक्रिय है और एक दशक से अधिक समय से ज़ेलियांग्रोंग नगा जनजाति (मंगोलियाई जाति) के लिये एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। यह सशस्त्र समूह मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी रानी गैदिनल्यू का अनुयायी है, जिन्हें अंग्रेज़ो ने 14 साल के लिये जेल में डाल दिया था। PM के 'उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर' के दृष्टिकोण को पूरा करने में यह शांति समझौता महत्त्वपूर्ण है।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का स्थापना दिवस

28 दिसंबर, 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) की स्थापना हुई थी, जिसके महासचिव एलन ऑक्टेवियन (A.O.) ह्यूम (लॉर्ड डफरिन भारत के तत्कालीन वायसराय) थे। कॉन्ग्रेस के प्रारंभिक नेतृत्त्व में दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू. सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और एस. सुब्रमण्यम अय्यर आदि शामिल थे।

कॉन्ग्रेस के पहले अधिवेशन (1885 - बॉम्बे) की अध्यक्षता डब्ल्यू. सी. बनर्जी द्वारा की गई थी। कॉन्ग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट (1917 - कलकत्ता) तथा कॉन्ग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू (1925 - कानपुर) थीं।

H9N2 एवियन इन्फ्लूएंज़ा के लिये वैक्सीन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) ने मुर्गियों के लिये एक निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (H9N2) टीका विकसित किया है। यह H9N2 वायरस के लिये पहला स्वदेशी टीका है।

H9N2 इन्फ्लूएंज़ा ए वायरस का एक उप प्रकार है, जो मानव इन्फ्लूएंज़ा के साथ-साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। यह पहली बार विस्कॉन्सिन, अमेरिका में वर्ष 1966 में तुर्की समुदाय में पाया गया था। मनुष्यों में H9N2 वायरस संक्रमण दुर्लभ हैं या हल्के लक्षणों के कारण कम रिपोर्ट किये गए हैं।

टिहरी झील

केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार, उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय केयाकिंग- कनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ सभी सुविधा प्रदान कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिये तैयार किया जाएगा। उन्होंने टिहरी झील पर टिहरी वाटर स्पोर्टस कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन भी किया। यह पहली बार है जब टिहरी झील पर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की जा रही है। राज्य में नई खेल नीति लागू कर दी गई है और सरकार ने नौकरियों में खेल कोटा फिर से लागू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। विश्व के बड़े बाँधों में शामिल टिहरी बाँध के निर्माण के कारण टिहरी शहर जल में डूब गया तथा टिहरी झील जिसे आज सुमन सागर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण हुआ। टिहरी बाँध निर्माण योजना में राज्य सरकार (उत्तराखंड) ने टिहरी झील को एक साहसिक पर्यटन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। टिहरी झील में साहसिक खेल एवं गतिविधियों में नौका विहार, जेट स्पीड बोट सवारी, वाटर स्कीइंग, जोर्बिंग एवं बैंडवेगन वोट सवारी आदि शामिल हैं।

मारूत ड्रोन AG 365 एग्रीकॉप्टर

नागर विमानन महानिदेशक ने 28 दिसंबर, 2022 को मारूत ड्रोन को DGCA किस्म का प्रमाणन और स्वीकृति दी है। हैदराबाद में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह नवीन उत्पाद, मारूत ड्रोन AG 365 एग्रीकॉप्टर, भारत का पहला बहु-उपयोगी ड्रोन है जिसे प्रतिष्ठित प्रमाणन प्रदान किया गया है। AG 365 एग्रीकॉप्टर की कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से सघन जाँच की गई है। इस जाँच में सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी कृषि कार्यों हेतु फसल से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास भी किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि AG 365 एग्रीकॉप्टर का डिज़ाइन और विकास विशेषकर भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसका इस्तेमाल विविध उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है। इसे दस लाख रुपए

के असुरक्षित ऋण के लिये कृषि बुनियादी ढाँचा कोष से पात्रता दी गई है तथा केंद्र द्वारा इस पर न्यूनतम ब्याज़ दर लागू की जाएगी। इस एग्रीकॉप्टर की डेढ़ लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता संबंधी सघन जाँच की गई है। भारत में निर्मित किसान ड्रोन AG 365 विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिये विकसित किया गया है ताकि फसल क्षति में कमी, कृषि रसायन सामग्री के कम उपयोग, बेहतर फसल और किसानों के लिये लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

मांगदेछू जलविद्युत परियोजना

हाल ही में मांगदेछू जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट की) भूटान में ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंपी गई। इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों ने चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे भारत की सहायता से लागू किया गया है। मांगदेछू जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और उनके भूटानी समकक्ष लोटे त्शेरिंग ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से किया था। भारत सरकार ने इस जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस जलविद्युत परियोजना के शुरू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस परियोजना ने 9,000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे प्रत्येक वर्ष 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। दूसरी तरफ इस परियोजना ने वर्ष 2020 में देश के जलविद्युत राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि की थी। वहीं वर्ष 2021 में भारत को 12.13 अरब रुपए की विद्युत का निर्यात किया जिससे भूटान का विद्युत निर्यात बढ़कर 24.43 अरब रुपए हो गया है।

भारत के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर

शतरंज ओलंपियाड, 2022 में लगातार 8 जीत के साथ डोमराजू गुकेश (या गुकेश डी) भारतीय शतरंज के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। वर्ष 2019 में वह सबसे कम उम्र के भारतीय और फिर दूसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर (सबसे कम उम्र के - अभिमन्यु मिश्रा) बने। हाल ही में (16 वर्ष की आयु में) उन्होंने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। गुकेश ने वर्ष 2015 में एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप की अंडर-9 श्रृंखला जीती और वर्ष 2018 में एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप (अंडर-12) में 5 स्वर्ण पदक जीते।

भारत की वैपकोस को शीर्ष परामर्श सेवाओं में स्थान दिया गया

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने दो रिपोर्ट जारी की हैं- एक वार्षिक खरीद (AP) पर और दूसरी सदस्यों की तथ्य पत्रक (MFS) 2022, जिस पर WAPCOS को शीर्ष (AP) और शीर्ष 3 (MFS) में स्थान दिया गया था। AP में WAPCOS को उच्चतम स्वीकृत वित्तपोषित राशि के साथ जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में परामर्श सेवा फर्म के बीच स्थान दिया गया था। MFS में WAPCOS ADB ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता परियोजनाओं (ऊर्जा, परिवहन और जल तथा अन्य शहरी बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में) के तहत अनुबंधों में शामिल भारत की शीर्ष 3 परामर्श सेवाओं में था। WAPCOS लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक "मिनी रत्न" सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत के अलावा इसके 51 से ज़्यादा देशों (एशिया, अफ्रीका, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका को शामिल करते हुए) में परियोजनाएँ चल रही हैं।

ब्रेन ईटिंग अमीबा

हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नेगलेरिया फाउलेरी या "ब्रेन-ईटिंग अमीबा" से संक्रमण और मृत्यु का पहला मामला दर्ज किया। नेगलेरिया एक अमीबा है, यह एक कोशिका जीव है और इसकी केवल एक प्रजाति नेगलेरिया फाउलेरी, मनुष्यों को संक्रमित कर सकती है। यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया (1965) में खोजा गया था तथा आमतौर पर गर्म ताज़े जल के निकायों (गर्म झरनों, नदियों और झीलों) में पाया जाता है। यह नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है एवं फिर मस्तिष्क तक जाता है। इस अमीबा के कारण होने वाला संक्रमण प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) है जो मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। वर्तमान में इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन PAM का उपचार उचित दवा संयोजनों के साथ किया जा सकता है।

कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल

उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक भारतीय फर्म द्वारा निर्मित कफ सिरप डॉक-1 मैक्स (Doc-1 Max) की अत्यधिक खुराक लेने से 18 बच्चों (तीव्र श्वसन रोग वाले) की मृत्यु की सूचना दी है। कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल एक पदार्थ होता है जो कफ सिरप में मौजूद नहीं होना चाहिये। इससे पूर्व गाम्बिया ने भारत में निर्मित कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) के "अस्वीकार्य स्तर" की भी सूचना दी थी। DEG और EG अत्यधिक विषाक्त रंगहीन एवं चिपचिपे तरल पदार्थ हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। वे अक्सर ग्लिसरीन में संदूषक के रूप में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कई कफ सिरप के योगों में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। EG की तीव्र विषाक्तता के परिणामस्वरूप गतिभंग (Ataxia), अस्पष्ट भाषा (Slurred Speech), बेचैनी (Restlessness), भटकाव (Disorientation), मायोक्लोनिक झटके (Myoclonic Jerks), आक्षेप (Convulsions), कोमा (Coma) और मृत्यु तक हो सकती है।

डॉ. विक्रम साराभाई

प्रतिवर्ष 30 दिसंबर को डॉ. विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊँचाईयों पर पहुँचाया। नवंबर

1947 में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (Physical Research Laboratory- PRL) की स्थापना की। रूस के स्पुतनिक के लॉन्च होने के बाद वे भारत की आवश्यकता को देखते हुए एक विकासशील देश भारत में अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरु करने में सफल रहे। इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (Indian National Committee for Space Research) की स्थापना की, जिसे बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO) नाम दिया गया। ISRO और PRL के अतिरिक्त उन्होंने कई संस्थानों जैसे- अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान, सामुदायिक विज्ञान केंद्र तथा अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ प्रदर्शन कला के लिये डारपॉन अकादमी की स्थापना की। उन्हें वर्ष 1966 में पद्मभूषण प्राप्त हुआ और वर्ष 1972 में मरणोपरांत पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट पर काम किया था, लेकिन वर्ष 1975 में इस उपग्रह के लॉन्च होने से पूर्व ही इनकी मृत्यु (30 दिसंबर, 1971 को) हो गई।

फुटबॉल खिलाड़ी पेले

फुटबाल विश्वकप तीन बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 वर्ष के कॅरियर में 1,363 मैचों में 1,281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राज़ील के लिये 92 मैचों में किये 77 गोल शामिल हैं। वर्ष 1958, 1962 और 1970 में तीन बार फीफा विश्व कप जीतने वाले, पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाज़ा गया था। पेले का वास्तविक नाम एडसन एरंटेस डो नासिमेंटो था। पेले को 'ब्लैक पर्ल', 'किंग ऑफ फुटबॉल', 'किंग पेले' जैसे कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था। पेले का जन्म 23 अक्तूबर, 1940 को ब्राज़ील के मिनास गेराइस में हुआ। 16 वर्ष की उम्र में ही पेले ब्राज़ील लीग में टॉप स्कोरर बन गए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने पेले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था ताकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे विदेशी क्लब के लिये वह हस्ताक्षर ना कर पाएँ। पेले का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 7 जुलाई, 1957 को माराकाना में अर्जेंटीना के खिलाफ था, जहाँ ब्राज़ील को 1-2 गोल से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ब्राज़ील के लिये अपना पहला गोल किया। इसके साथ ही वह अपने देश के लिये सबसे कम उम्र के गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पेले के 1000वें गोल की याद में सैंटोस शहर में 19 नवंबर को 'पेले डे' मनाया जाता है। पेले वर्ष 1995 से 1998 तक ब्राज़ील के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। पेले को वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने सदी का बेस्ट एथलीट चुना था।

रयथू बंधु योजना

तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिये रयथू बंधु योजना के दसवें चरण की शुरुआत की है। इस चरण में 70 लाख 54 हज़ार से अधिक किसानों के बैंक खातों में सात हज़ार 676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रबी फसल के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस चरण के पहले दिन एक एकड़ तक ज़मीन वाले 21 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 607 करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई है। यह सहायता प्रति एकड़ 5000 रुपए की दर से दी जा रही है। एक एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को यह सहायता धनराशि आगामी तिथियों को उनके खाते में संप्रेषित कर दी जाएगी। चालू मौसम में, सहायता के तौर पर एक करोड़ 53 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। रयथू बंधु योजना के माध्यम से, तेलंगाना सरकार किसानों को खरीफ और रबी-दोनों मौसमों के लिये दस हज़ार रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दे रही है।

चिल्लाई कलां

वर्तमान में कश्मीर घाटी 40 दिनों की सबसे कठिन सर्दियों की अवधि से गुज़र रही है, जिसे 'चिल्लाई कलां' (ठंड के लिये फारसी शब्द) के रूप में जाना जाता है। कश्मीर का न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु (-5.7 डिग्री सेल्सियस से -2.5 डिग्री सेल्सियस) से नीचे है और लगातार शीत लहर के कारण पानी की आपूर्ति के साथ-साथ डल झील भी जम गई है। आमतौर पर 'चिल्लाई कलां' 21 दिसंबर से 30 जनवरी की अवधि होती है। चिल्लाई कलां के बाद 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द (छोटी सर्दी) होती है और इसके बाद 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई बच्चा (बेबी कोल्ड) अवधि होती है।

इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू

हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को पुन: इज़रायल के प्रधानमंत्री (यायर लैपिड की जगह) के रूप में शपथ दिलाई गई। इज़रायल देश वर्तमान में यरूशलम और वेस्ट बैंक से संबंधित मुद्दों पर फिलिस्तीन के साथ संघर्षरत है। वर्ष 2020 में इज़रायल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरब देशों को फिलिस्तीन के मुद्दे से अलग करने के लिये की थी। वर्ष 2022 की शुरुआत में भारत और इज़रायल ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ मनाई। भारत, एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार (विश्व स्तर पर 7वाँ सबसे बड़ा) और इज़रायल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है।

धनु जात्रा

हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर थिएटर माना जाने वाला धनु जात्रा उत्सव शुरू हुआ। यह देश की आज़ादी के उत्सव के हिस्से के रूप में वर्ष 1947-48 में बारगढ़ (ओडिशा) में अस्तित्व में आया तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह यात्रा 'भागवत पुराण' में वर्णित कंस द्वारा आयोजित 'धनुष' समारोह को देखने के लिये भगवान कृष्ण की मथुरा (UP) यात्रा के प्रकरण से संबंधित है। यह उत्सव पौष पूर्णिमा (प्रत्येक वर्ष दिसंबर-जनवरी में पड़ता है) से पहले 7

नोट :

से 11 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार 'जगन्नाथ रथ यात्रा' (जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है) ओडिशा में भी आयोजित किया जाता है।

गेटो सोरा

उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी गेटो सोरा ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नौ वर्ष से कम आयु वर्ग की श्रेणी में टॉप अरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने मलेशिया के दूसरी वरीयता प्राप्त जेरिल तेह को हराकर यह खिताब जीता। अरूणाचल प्रदेश के गेटो सोरा ने दो महीने में यह दूसरा खिताब जीता है। नवंबर 2022 में सात वर्षीय सोरा ने थाईलैंड के बैंकॉक में बीटीवाई-योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप जीती थी।

भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सर्बिया ने तैयार किया डाक टिकट

सर्बिया के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। यह विशेष डाक टिकट सर्बिया के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इविका डेसिक की उपस्थिति में जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने आज़ादी के 75 साल और देश के लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को चिह्नित करने हेतु 12 मार्च, 2022 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी।

'केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड'

प्रथम केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट डॉ. एलिडा ग्वेरा (Dr. Aleida Guevara) को दिया गया है। डॉ. एलिडा ग्वेरा को केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 जनवरी को चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में इस अवार्ड में एक प्रशस्ति-पत्र और 3,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किये जाएंगे। डॉ. एलिडा ग्वेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिये दो घरों का संचालन करती हैं। साथ ही घरेलू समस्याओं से जूझ रहे शरणार्थी बच्चों के लिये भी दो केंद्रों का संचालन करती हैं। डॉ. एलिडा क्यूबा के मेडिकल मिशन की एक एक्टिव मेंबर भी हैं जो लैटिन अमेरिका में बच्चों के स्वास्थ्य प्रोफाइल को बेहतर करने का कार्य करता है। विकलांग बच्चों के पुनर्वास के अतिरिक्त वह विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के लिये भी प्रयासरत रहती है। उनके इन्हीं प्रयासों को महत्त्व देने के लिये उन्हें सम्मानित किया गया है। केआर गौरी अम्मा भारत में वामपंथी आंदोलन की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थीं। साथ ही वह एक भारतीय राजनेता और केरल राज्य की पहली राजस्व मंत्री थीं। वह केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाली दूसरी विधायक थीं। उन्होंने 'आत्मकथा' (Atmakatha) नामक एक ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी को वर्ष 2011 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, केआर गौरी अम्मा का निधन 11 मई, 2021 को 102 साल की उम्र में हो गया था।

राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप

वर्तमान विश्व चैंपियन निखत ज़रीन (Nikhat Zareen) ने राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर वर्ष 2022 का शानदार अंत किया। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन (Lovlina Borgohain) ने भी 75 किग्रा. वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) ने 10 पदकों के साथ टीम ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया है। वर्ष 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी ने 48 किग्रा. वर्ग में RSPB को पहला गोल्ड दिलाया।

अविश्वास प्रस्ताव

महाराष्ट्र में विपक्षी दल ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि संसद/राज्य विधानमंडल के एक या अधिक सदस्यों ने नियुक्त सरकार में विश्वास खो दिया है। इसे केवल लोकसभा/राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा लोकसभा/राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने के लिये इसे कम-से-कम 50 सांसदों/विधायकों द्वारा समर्थित होना चाहिये। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सत्ताधारी दल को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना (फ्लोर टेस्ट) होता है। यदि सरकार सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

भारत-सऊदी MLAT

भारत और सऊदी अरब आपराधिक मामलों से संबंधित जाँच में एक दूसरे से औपचारिक सहायता प्राप्त करने के लिये पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty-MLAT) पर हस्ताक्षर करने हेतु वार्ता कर रहे हैं। MLAT एक तंत्र है जिसके तहत देश अपराध की रोकथाम/जाँच/अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने/प्राप्त करने के लिये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधी कानून की उचित प्रक्रिया से बच न सके और न ही इसका उल्लंघन कर सकें। अब तक, भारत ने 45 देशों के साथ MLAT पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन सऊदी अरब उन कई अन्य देशों में से एक है, जिनके साथ भारत ने MLAT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जो देश इस तरह के तंत्र को साझा नहीं करते हैं, वे "पारस्परिकता के आश्वासन" (Assurance of Reciprocity) के आधार पर सम्मन, नोटिस और न्यायिक प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करते हैं।

RBI द्वारा मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में सितंबर 2023 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल NPA अनुपात में मामूली सुधार का संकेत देते हुए मैक्रो-स्ट्रेस

टेस्ट आयोजित किये। समष्टि आर्थिक आघातों के प्रति बैंकों के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिये RBI मैक्रो–स्ट्रेस टेस्ट करता है। इन परीक्षणों में क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और इन आघातों के प्रति वाणिज्यिक बैंकों का लचीलापन शामिल है। आम तौर पर, RBI स्ट्रेस टेस्ट के लिये तीन परिदृश्यों पर विचार करता है: बेसलाइन और दो प्रतिकूल परिदृश्य - मध्यम एवं गंभीर। बेसलाइन प्रमुख व्यापक आर्थिक घटक (GDP वृद्धि, संयुक्त राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात, CPI मुद्रास्फीति, भारित औसत उधार दर, निर्यात-GDP अनुपात और चालू खाता शेष-GDP अनुपात) के स्थिर राज्य पूर्वानुमान मूल्यों से प्राप्त होता है।

आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि

नवंबर 2022 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर बढ़कर 5.4 प्रतिशत पहुँच गई है। नवंबर 2022 में यह 3.2 प्रतिशत थी। आठ प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन उद्योगों का भारांश 40.27 प्रतिशत है। घटते क्रम में इन उद्योगों का भारांश: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

दृष्टि The Vision